वार्षिक रिपोर्ट

2008-09

भारत सरकार
योजना आयोग
नई दिल्ली

वार्षिक रिपोर्ट
2008-09

भारत सरकार
योजना आयोग
नई दिल्ली

वेबसाइट : planningcommission.gov.in

विषय-सूची

	विवरण	पृष्ठ
अध्याय 1	भूमिका, गठन और कार्य	1-4
अध्याय 2	अर्थव्यवस्था और योजना : सिंहावलोकन	5-14
अध्याय 3	योजना	15-24
अध्याय 4	योजना आयोग में प्रमुख कार्यकलाप	25-172
4.1	कृषि प्रभाग	25-34
4.2	पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति तथा जनजाति विकास	34-38
4.3	भारत निर्माण कार्यक्रम	39-40
4.4	संचार एवं सूचना प्रभाग	41-47
4.5	विकास नीति प्रभाग	47-48
4.6	शिक्षा प्रभाग	48-51
4.7	प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद	51-52
4.8	राष्ट्रीय ज्ञान आयोग	52-53
4.9	पर्यावरण और वन प्रभाग	53-55
4.10	वित्तीय संसाधन प्रभाग	55-57
4.11	स्वास्थ्य, पोषाहार तथा परिवार कल्याण प्रभाग	57-66
4.12	आवासन और शहरी विकास प्रभाग	66-73
4.13	उद्योग प्रभाग (कोयला यूनिट सहित)	73-75
4.14	अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रभाग	75-80
4.15	श्रम, रोजगार और जनशक्ति प्रभाग	80-82
4.16	बहुस्तरीय योजना (एमएलपी) प्रभाग	82-84
4.17	योजना समन्वय प्रभाग	84-86
4.17.1	योजना समन्वय	84-85
4.17.2	संसद अनुभाग	85-86
4.18	विद्युत और ऊर्जा प्रभाग	86-87
4.19	परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभाग	87-93
4.20	भावी योजना प्रभाग	93-96
4.21	ग्रामीण विकास प्रभाग	96-97
4.22	विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रभाग	97-99
4.23	अवसरंचना (इंफ्रास्ट्रक्चर) समिति के लिए सचिवालय	99-118
4.24	समाजार्थिक अनुसंधान प्रभाग	118-128
4.25	राज्य योजना प्रभाग	128-130
4.26	पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास	130-132
4.27	परिवहन प्रभाग	132-134
4.28	पर्यटन प्रकोष्ठ	134-135
4.29	ग्राम और लघु उद्यम	135-136

	विवरण	पृष्ठ
4.30	स्वैच्छिक कार्रवाई प्रकोष्ठ	136
4.31	जल संसाधन	136-143
4.32	महिला और बाल विकास	143-145
4.33	प्रशासन और अन्य सेवा	145-172
4.33.1	प्रशासन	145-146
4.33.2	करियर प्रबंधन क्रियाकलाप	146
4.33.3	संगठन पद्धति और समन्वय अनुभाग	146-147
4.33.4	हिन्दी अनुभाग	147-148
4.33.5	पुस्तकालय तथा प्रलेखन केन्द्र	148
4.33.6	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र- योजना भवन यूनिट	148-167
4.33.7	विभागीय अभिलेख कक्ष	167
4.33.8	योजना आयोग क्लब	167-168
4.33.9	कल्याण यूनिट	168-170
4.33.10	चार्ट, नक्शे एवं उपस्कर यूनिट	170-172
4.33.11	सूचना का अधिकार संबंधी प्रकोष्ठ (सी एंड आई प्रभाग)	172
अध्याय 5	कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन	173-180
अध्याय 6	सतर्कता संबंधी क्रियाकलाप	181
संलग्नक	सी एंड ए जी की ऑडिट टिप्पणियाँ	182-183
संलग्नक	योजना आयोग का संगठन चार्ट	

अध्याय 1
भूमिका, गठन और कार्य

1.1. योजना आयोग का गठन भारत सरकार के एक संकल्प के तहत मार्च, 1950 में किया गया था और यह राष्ट्रीय विकास परिषद के समग्र मार्गदर्शन में कार्य करता है। पंचवर्षीय योजनाएं और वार्षिक योजनाएं तैयार करते समय योजना आयोग, केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ परामर्श करता है और उनके कार्यान्वयन पर भी निगरानी रखता है। आयोग शीर्ष स्तर पर एक सलाहकार योजना निकाय के रूप में भी कार्य करता है।

कार्य

1.2. भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियमावली, 1961 के अनुसार योजना आयोग को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं :-

(क) देश की सामग्री, पूंजी और मानव संसाधनों का, तकनीकी कार्मिकों सहित, मूल्यांकन करना और इनमें से ऐसे संसाधनों की वृद्धि करने के लिए जो कम पाए जाएं, प्रस्तावों का निर्माण करना।

(ख) देश के संसाधनों के सर्वाधिक प्रभावी और संतुलित उपयोग के लिए योजना तैयार करना।

(ग) उन चरणों की परिभाषा करना जिन्हें प्रत्येक चरण की पूर्णता हेतु योजना की प्राथमिकताओं का निर्धारण और संसाधनों का आबंटन किया जाना चाहिए।

(घ) योजना के सभी पहलुओं की दृष्टि से योजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक तंत्र की प्रकृति का विनिर्धारण करना।

(ड.) उन कारकों का निर्धारण करना जिनसे आर्थिक विकास में बाधा पहुंच रही है और उन स्थितियों का निर्धारण करना जिन्हें योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, स्थापित किया जाना चाहिए।

(च) योजना के प्रत्येक चरण के कार्यान्वयन में हुई प्रगति का समय-समय पर मूल्यांकन करना और नीतियों तथा उपायों के समायोजन की सिफारिश करना जो ऐसे मूल्यांकन के अनुसार जरूरी समझे जाएं।

(छ) राष्ट्रीय विकास में जन सहयोग।

(ज) समय-समय पर अधिसूचित क्षेत्र विकास हेतु विशेष कार्यक्रम।

(झ) भावी योजना।

(ञ) अनुप्रयुक्त जनसाधन अनुसंधान संस्थान।

(ट) प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई) का समग्र समन्वय तथापि, पीएमजीवाई के अंतर्गत अलग-अलग क्षेत्रक कार्यक्रमों का

समग्र प्रबंधन और अनुश्रवण करना संबंधित नोडल मंत्रालय/विभाग की जिम्मेदारी होगी।

टिप्पणी: प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई) का समग्र समन्वय करना योजना आयोग की जिम्मेदारी होगी। तथापि पीएमजीवाई के अधीन स्वतंत्र क्षेत्रक कार्यक्रमों के समग्र प्रबंध और मॉनीटरण की जिम्मेदारी संबंधित नोडल मंत्रालय/विभाग की होगी।

आयोग का गठन

भारत के प्रधान मंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं। योजना आयोग का वर्तमान गठन निम्न प्रकार से है:

1.	**डॉ0 मनमोहन सिंह**	:	अध्यक्ष, प्रधानमंत्री
2.	**श्री मन्टेक सिंह अहलूवालिया**	:	उपाध्यक्ष
3.	**श्री प्रणब मुखर्जी,** विदेश कार्य मंत्री	:	सदस्य
4.	**श्री अर्जुन सिंह,** मानव संसाधन विकास मंत्री	:	सदस्य
5.	**श्री शरद पवार** कृषि एवं उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री	:	सदस्य
6.	**श्री लालू प्रसाद,** रेल मंत्री	:	सदस्य
7.	**श्री पी.चिदम्बरम,** वित्त मंत्री/ गृहमंत्री	:	सदस्य
8.	**श्री वी. नारायणसामी** योजना, राज्य मंत्री	:	सदस्य
9.	**डॉ0 किरीट पारिख**	:	सदस्य
10.	**प्रो0 अभिजीत सेन**	:	सदस्य
11.	**डॉ0 वी.एल. चोपड़ा**	:	सदस्य
12.	**डॉ0 भालचन्द्र मुंगेकर**	:	सदस्य
13.	**डॉ0 (सुश्री) सईदा हमीद**	:	सदस्य
14.	**श्री बी.एन. युगांधर**	:	सदस्य
15.	**श्री अनवारुल हुदा**	:	सदस्य
16.	**श्री बी.के. चतुर्वेदी**	:	सदस्य

1.3 उपाध्यक्ष, योजना आयोग केन्द्रीय कैबिनेट मंत्री दर्जे के हैं, जबकि सभी पूर्णकालिक सदस्य (उपर्युक्त गठन के क्रम संख्या 9 से 16) केन्द्रीय राज्य मंत्री दर्जे के हैं।

1.4 योजना आयोग के अध्यक्ष के नाते प्रधानमंत्री सभी प्रमुख नीतिगत मुद्दों के संबंध में आयोग की बैठकों में भाग लेते हैं एवं मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

1.5 योजना आयोग के उपाध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य (सदस्य-सचिव सहित) विस्तृत योजना निर्माण कार्य के मामले में एक संयुक्त निकाय के रूप में कार्य करते हैं। वे पंचवर्षीय योजनाओं के लिए दृष्टिकोण पत्र/प्रलेख और वार्षिक योजनाओं को तैयार करने, मध्यावधि मूल्यांकन करने के लिए की जाने वाली कार्रवाइयों में आयोग के विभिन्न विषय प्रभागों को निर्देशन, परामर्श एवं सलाह प्रदान करते हैं। योजना कार्यक्रमों, परियोजनाओं और स्कीमों के परिवीक्षण और मूल्यांकन कार्य हेतु भी विषय प्रभागों को उनका विशेषज्ञ मार्गदर्शन उपलब्ध होता है।

1.6 योजना आयोग अनेक विषय प्रभागों और कुछ विशेषज्ञ प्रभागों के माध्यम से कार्य करता है। प्रत्येक प्रभाग का प्रमुख एक वरिष्ठ स्तरीय अधिकारी होता है जो संयुक्त सचिव अथवा अपर सचिव के स्तर पर सलाहकार के रूप में पदनामित होता है और/अथवा सचिव स्तर का अधिकारी जिन्हें प्रधान सलाहकार के रूप में पदनामित किया गया है।

1.7 ये प्रभाग दो प्रमुख श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं :

(1) विशेषज्ञ प्रभाग जो संपूर्ण अर्थ-व्यवस्था के पहलुओं से संबंधित हैं; यथा भावी योजना, वित्तीय संसाधन, विकास नीति प्रभाग, आदि; और

(2) विषय प्रभाग, अर्थात् कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास प्रभाग आदि जो सम्बद्ध क्षेत्रों में विकास के विशिष्ट विषयों से सम्बद्ध हैं।

योजना आयोग में कार्यरत विशेषज्ञ प्रभाग इस प्रकार हैं:

i. विकास नीति प्रभाग

ii. वित्तीय संसाधन प्रभाग, राज्य और केन्द्रीय वित्त सहित

iii. अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था प्रभाग

iv. श्रम, रोजगार और जनशक्ति प्रभाग

v. भावी योजना प्रभाग, सांख्यिकी और सर्वेक्षण सहित

vi. योजना समन्वय प्रभाग

vii. परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभाग

viii. समाजार्थिक अनुसंधान एकक

ix. राज्य योजना प्रभाग

x. बहु-स्तरीय योजना प्रभाग, जिसमें पर्वतीय क्षेत्र विकास, पश्चिमी घाट विकास, विकास और सुधार सुविधा, विकेन्द्रीकृत योजना आदि शामिल हैं

xi. अवसरंचना संरचना प्रभाग (अवसंरचना समिति के सचिवालय के रूप में)।

विषय प्रभाग इस प्रकार हैं :

i. कृषि प्रभाग

ii. पिछड़ा वर्ग और जनजातीय विकास प्रभाग

iii. संचार और सूचना प्रभाग

iv. युवा कार्यक्रम और खेल तथा संस्कृति सहित शिक्षा प्रभाग

v. पर्यावरण और वन प्रभाग

vi. स्वास्थ्य, पोषण और परिवार कल्याण प्रभाग

vii. आवास और शहरी विकास प्रभाग

viii. उद्योग और खनिज प्रभाग

ix. विद्युत और ऊर्जा प्रभाग

x. ग्रामीण विकास प्रभाग

xi. विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रभाग

xii. सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण प्रभाग

xiii. परिवहन प्रभाग

xiv. ग्राम और लघु उद्यम प्रभाग

xv. स्वैच्छिक कार्रवाई समन्वय प्रकोष्ठ

xvi. जल संसाधन प्रभाग (जल आपूर्ति सहित) और

xvii. पर्यटन प्रकोष्ठ।

उपरोक्त के अलावा, योजना आयोग को विभिन्न समितियों की सेवा करनी होती है और/ अथवा ऐसे विशिष्ट मुद्दों का समाधान करना होता है जो समय-समय पर इसे सौपे जाएं।

1.8 कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, चुनिंदा योजना कार्यक्रमों/स्कीमों के प्रभाव का जायजा लेने के लिए मूल्यांकन अध्ययन करता है, ताकि आयोजकों और कार्यान्वयन एजेंसियों को उपयोगी अभिपुष्टि (फीडबैक) उपलब्ध हो सके। दिल्ली में अपने मुख्यालय के अलावा, पीईओ के कुछ राज्यों की राजधानियों में सात क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय हैं तथा उनसे सम्बद्ध आठ क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

अध्याय 2

अर्थव्यवस्था और योजना - एक सिंहावलोकन

अर्थव्यवस्था का निष्पादन

2.1 उपलब्ध संकेतों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए अर्थव्यवस्था का निष्पादन विभिन्न एजेंसियों द्वारा लगाए गए अनुमानों की तुलना में बेहतर रहा है। वैश्विक मंदी, अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में जबरदस्त कमी-वेशी और घरेलू अर्थव्यवस्था में दो अंकों की मुद्रास्फीति के दौरों (जोकि पिछले वर्ष की उसी अवधि के अगस्त, 2008 में 12.8% के शिखर पर थी) ने अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर के अनुमान लगभग 6.7% तक संयत कर दिए हैं। सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) द्वारा वर्ष 2008-09 के लिए जारी किए गए राष्ट्रीय आय लेखाओं के संशोधित अनुमान यह दर्शाते हैं कि अर्थव्यवस्था के सभी बड़े क्षेत्रकों जैसे कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर में गिरावट आई है। इन क्षेत्रकों में क्रमशः 1.6%, 3.9% और 9.7% की वृद्धि दर प्राप्त की गई है। तथापि, सरकार द्वारा घोषित वित्तीय प्रेरक पैकेज, हेडलाइन मुद्रास्फीति में कमी और मौद्रिक विकास की दिशा में आरबीआई के सतत प्रयासों के फलस्वरूप बाद के वर्षों में वृद्धि दर में गति प्राप्त की जा सकती है। विदेशी क्षेत्रक का निष्पादन अधिकांशतः विश्व वृद्धि परिदृश्य और अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों की स्थिरता पर निर्भर रहा। वैश्विक बाजार में मौजूदा स्थिति के फलस्वरूप वर्ष 2008-09 में व्यापार घाटा बढ़ गया। वित्तीय बाजारों का पुनरुद्धार देश की आर्थिक स्थितियों में विश्वास निर्मित करने का एक महत्वपूर्ण संकेतक होगा।

2.2 सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) द्वारा उपादान लागत पर (1999-2000 के स्थिर मूल्यों पर) मापित भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 10वीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2002-03 से 2006-07) में बढ़कर 7.8% की संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) तक पहुंच गई। 10वीं योजना अवधि में प्राप्त की गई वृद्धि दर अभी तक किसी भी योजना अवधि में प्राप्त की गई सर्वोच्च दर है। इसके अलावा, यहां तक की 10वीं योजना अवधि में भी तेजी आई और 10वीं योजना (2003-04 से 2006-07 तक) के अंतिम चार वर्षों में वृद्धि दर औसतन 8.7% रही जिस कारण भारत विश्व में एक सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा। तालिका 2.1 में उपादान लागत पर और 10वीं योजना के दौरान बाजार मूल्यों पर और 11वीं योजना के पहले दो वर्षों में जीडीपी वृद्धि दरें दर्शाई गई हैं। बाजार मूल्यों पर जीडीपी में उपादान लागत पर जीडीपी से बढ़कर शुद्ध अप्रत्यक्ष कर (सब्सिडियों का अप्रत्यक्ष कर नेट) शामिल हैं।

तालिका 2.1: उपादान लागत पर जीडीपी की वृद्धि दरें तथा बाजार मूल्य पर जीडीपी (%)

वर्ष	उपादान लागत पर जीडीपी	बाजार मूल्यों पर जीडीपी
10वीं योजना का लक्ष्य	7.9	8.1
10वीं योजना की उपलब्धि	7.8	7.9
11वीं योजना का लक्ष्य	9.0	9.0
2007-08 (क्यूई)	9.0	9.1
2008-09 (आरई)	6.7	6.1

क्यूई = त्वरित अनुमान, आरई = संशोधित अनुमान

बचत और निवेश दर

2.3 10वीं योजना में उच्च वृद्धि दर के साथ-साथ घरेलू बचत और निवेश दर में वृद्धि देखी गई है। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में बचत और निवेश जोकि 9वीं योजना के दौरान 23.6% और 24.3% थे वे 10वीं योजना अवधि के दौरान दीर्घकालिक रूप से बढ़कर क्रमशः 31.54% और 31.46% हो गए। 11वीं योजना में 36.7% की निवेश दर की परिकल्पना की गई है। 4.1 के अभिवृद्धि पूंजी उत्पाद अनुपात (आईसीओआर) के चलते यह निवेश दर 11वीं योजना के जीडीपी के 9% के लक्ष्य में सहायक होगी। 10वीं योजना (2006-07) के अंतिम वर्ष में और 11वीं योजना के पहले वर्ष (2007-08) में प्राप्त की गई निवेश दर पहले ही लक्ष्य को पार कर चुकी है। हाल के पिछले वर्षों में बचत और निवेश दरें तालिका 2.2 में दी गई हैं।

तालिका 2.2: बचत और निवेश दर

(जीडीपी के % के रूप में)

वर्ष	बचत दर	निवेश दर
9वीं योजना	23.6	24.3
10वीं योजना (औसत)	31.54	31.46
11वीं योजना-लक्ष्य	34.8	36.7
2006-07	35.7	36.9
2007-08 (क्यूई)	37.7	39.1

क्यूई = त्वरित अनुमान

बचत की संरचना

2.4 सकल घरेलू बचत (जीडीएस) सरकारी और निजी बचत में बंटी हुई होती है। सरकारी बचत में सरकारी विभागों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की बचत शामिल होती है। निजी बचत में परिवारों द्वारा प्रत्यक्ष निवेश सहित पारिवारिक बचत तथा निगमित क्षेत्र की बचत शामिल होती है। बचत में वृद्धि में सभी क्षेत्रकों ने योगदान दिया है जबकि घरेलू बचत में पारिवारिक क्षेत्रक ने सबसे अधिक योगदान दिया है। सरकारी बचत में वृद्धि मुख्यतः गैर-विभागीय उद्यमों की बचत में वृद्धि, विभागीय उद्यमों की बचत में मामूली वृद्धि तथा सरकारी प्रशासन की निर्बचत में महत्वपूर्ण गिरावट के कारण हुई है। तालिका 2.3 सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक द्वारा की गई बचत की संरचना दर्शाती है।

तालिका 2.3: बचत की संरचना

(जीडीपी के % के रूप में)

वर्ष	पारिवारिक क्षेत्र	निजी निगमित क्षेत्र	सरकारी क्षेत्र	जीडीएस
2004-05	21.6	7.1	2.4	31.1
2005-06	24.1	7.7	2.4	34.2
2006-07	24.1	8.3	3.3	35.7
2007-08 (क्यूई)	24.3	8.8	4.5	37.7

क्यूई = त्वरित अनुमान

2.5 निगमित बचत में विशेष रूप से उछाल आया है जोकि हाल के वर्षों में निजी क्षेत्र की सशक्त निर्गत वृद्धि दर और वित्तीय निष्पादन की परिचायक है। यह वृद्धि लाभ अर्जन और बाद में इसे बनाए रखने में उच्चतर वृद्धि दर्शाती है। तथापि वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण निष्पादन में बदलाव के कारण बाद के वर्षों में निजी निगमित क्षेत्र की बचत की दर में संयत नरमी के संकेत दिखाई पड़ सकते हैं।

2.6 एफआरबीएम अधिनियम के कार्यान्वयन तथा उसमें 2008-09 के लिए अपनाए गए राजकोषीय और राजस्व घाटे के लक्ष्यों ने सरकारी क्षेत्र में राजकोषीय अनुशासन का तत्व लागू करने में मदद करी। कर-प्रशासन में सुधार सहित उच्च आय वृद्धि के फलस्वरूप कर-राजस्व में उछाल ने बेहतर सरकारी बचत में योगदान दिया। तालिका 2.4 में विभिन्न योजना अवधियों के दौरान सरकारी क्षेत्रक बचत की संरचना दर्शाई गई है।

तालिका 2.4: सरकारी क्षेत्रक की बचत

(जीडीपी के % के रूप में)

वर्ष	सरकारी प्रशासन	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	कुल सरकारी क्षेत्रक
8वीं योजना	-0.9	3.0	2.1
9वीं योजना	-4.1	3.3	-0.8
10वीं योजना	-2.2	4.1	1.9
11वीं योजना (लक्ष्य)	0.5	4.0	4.5

निवेश की संरचना

2.7 समग्र निवेश में सरकारी और निजी निवेश के सापेक्ष अनुपात में हाल के वर्षों में बदलाव आया है जोकि अर्थव्यवस्था के निवेश व्यवहार में संरचनात्मक बदलाव का परिचायक है। सरकारी और निजी क्षेत्रक में निवेश की संरचना में निजी निवेश की तरफ झुकाव देखने में आया है। समग्र निवेश में सरकारी क्षेत्रक का निवेश जोकि 8वीं योजना (1992-1997) में 34.7% था, वह 9वीं योजना (1997-2002) में 29% तथा 10वीं योजना (2002-2007) में और आगे घटकर 22.3% रह गया। 11वीं योजना में 10वीं योजना के निवेश स्तर को बनाए रखने की परिकल्पना की गई है। तालिका 5 समग्र कुल निवेश और सरकारी निवेश दरें दर्शाती है।

2.8 समग्र निवेश में वृद्धि पूरी तरह निजी निवेश द्वारा, विशेष रूप से निजी निगमित क्षेत्रक निवेश के कारण हुई है। यह स्थिति मुख्यतः 1990 के दशक में शुरू किए गए सुधारों, जिन्होंने निजी निवेश पर पाबंदियां कम कर दी थीं और अपेक्षतया अधिक अनुकूल निवेश वातावरण पैदा किया था, के प्रभाव को परिलक्षित करती है।

वृद्धि और क्षेत्रक उत्पादन

2.9 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) ने 9% की औसत वृद्धि दर का लक्ष्य रखा है जिसके तहत कृषि क्षेत्र में 4% प्रति वर्ष की वृद्धि दर, औद्योगिक क्षेत्र में 10 से 11% की वृद्धि दर तथा सेवा क्षेत्र में 9 से 11% की प्रति वर्ष की वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया है। 11वीं योजना के पहले वर्ष (2007-08) के दौरान जीडीपी में 9% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है जबकि कृषि में 4.9%, उद्योग में 8.1% और सेवाओं में 10.9% की वृद्धि दर होगी। 2007-08 की वृद्धि दर सर्वथा आशा के अनुरूप है। तालिका 2.6 अर्थव्यवस्था की क्षेत्रकीय वृद्धि निष्पादन दर्शाती है।

तालिका 2.5: निवेशों की संरचना

वर्ष	कुल निवेश	निजी निवेश	सरकारी निवेश	सरकारी निवेश (कुल निवेश के % के रूप में)
	(जीडीपी का %)			
8वीं योजना (1992-97)	24.4	15.9	8.5	34.7
9वीं योजना (1997-2002)	24.3	17.3	7.0	29.0
10वीं योजना (2002-07)	34.2	26.6	7.6	22.3
11वीं योजना (लक्ष्य) (2007-12)	36.7	28.7	8.0	21.9
2007-08 (क्यूई)	39.1	30.0	9.0	23.2

क्यूई = त्वरित अनुमान

तालिका 2.6: क्षेत्रकीय वृद्धि दर (% में)

(उपादान लागत पर, 1999-2000 मूल्य)

वर्ष	कृषि	उद्योग	सेवा	जीडीपी
10वीं योजना का लक्ष्य	4.0	8.9	9.3	7.9
10वीं योजना (उपलब्धि)	2.3	9.1	9.3	7.8
11वीं योजना (लक्ष्य)	4.0	10-11	9-11	9.0
2007-08 (क्यूई)	4.9	8.1	10.8	9.0
2008-09 (आरई)	1.6	3.9	9.7	6.7

क्यूई = त्वरित अनुमान, आरई = संशोधित अनुमान

2.10 9वीं योजना अवधि के दौरान कृषि क्षेत्र में न्यून वृद्धि दर दर्ज की गई और 10वीं योजना अवधि में यही स्थिति बनी रही। तथापि, 10वीं योजना के अंतिम दो वर्षों में तथा 11वीं योजना के पहले वर्ष में कृषि के उत्पादन में सुधार हुआ और वृद्धि दर औसतन 4% वार्षिक से ऊंची बनी रही। 11वीं योजना के पहले वर्ष में कृषि क्षेत्रक की वृद्धि दर 4.9% तक ऊंची दर्ज की गई। 10वीं योजना के दौरान औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि दर निष्पादन लक्ष्य से बढ़कर रही है। वर्ष 2007-08 के दौरान औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि दर लक्ष्य के संदर्भ में न्यून बनी रही थी। सेवा क्षेत्र ने 10वीं योजना के दौरान और 11वीं योजना के पहले वर्ष के दौरान समनुरूपी निष्पादन का परिचय दिया है और वह पूरी तरह योजना लक्ष्यों की सीमा के भीतर है।

2.11 वर्ष 2008-09 के लिए उपादान लागत पर जीडीपी के अर्थों में अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.7% रही है जबकि वर्ष 2007-08 में 9% की वृद्धि दर दर्ज की गई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों की वृद्धि दर 7.8% बैठती है जोकि 9% के योजना लक्ष्य की तुलना में 1.2% बिंदु कम है। वर्ष 2008-09 में उपादान लागत पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के अर्थों में मापित प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर 4.9% थी जबकि वर्ष 2007-08 में 7.6% की वृद्धि दर दर्ज की गई थी।

2.12 क्षेत्रक स्तर पर अर्थव्यवस्था के तीन बड़े क्षेत्रों अर्थात कृषि और संबद्ध क्षेत्रक, उद्योग क्षेत्रक और सेवा क्षेत्रक में वर्ष 2008-09 के लिए वृद्धि दर क्रमशः 1.6% और 3.9% और 9.7% रही है। 11वीं योजना के पहले दो वर्षों (2007-08 तथा 2008-09) के दौरान इन क्षेत्रकों की वृद्धि दर क्रमशः 3.2%, 6% और 10.3% रही है।

2.13 अर्थव्यवस्था की समग्र वृद्धि दर में पर्याप्त अंतःक्षेत्रीय भिन्नताएं रही हैं जैसाकि संलग्नक 1 से देखा जा सकता है। 10वीं योजना (2002-03 से 2006-07 तक) के दौरान जिन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत की तुलना में उच्चतर रही है वे हैं: गोवा, गुजरात, हरियाणा, बिहार, केरल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र सिक्किम, उड़ीसा और उत्तराखंड। संलग्नक 1 10वीं योजना के दौरान राज्य-वार वृद्धि निष्पादन, 11वीं योजना के लिए राज्य-वार वृद्धि लक्ष्य तथा उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार विशिष्ट राज्यों की वार्षिक वृद्धि दर (2007-08) दर्शाता है।

राजकोषीय निष्पादन

2.14 एफआरबीएम द्वारा अनुशंसित राजकोषीय पुनर्रचना के अनुसार राजकोषीय घाटा केन्द्र के मामले में जीडीपी के 3% तक और प्रत्येक राज्य सरकार के मामले में जिन्होंने एफआरबीएम कानून बना लिया है जीएसडीपी के 3% तक सीमित रखा

जाना है। शासन के दोनों स्तरों के लिए राजस्व घाटा 2008-09 तक समाप्त किया जाना जरूरी है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम को छोड़कर सभी राज्य सरकारों ने एफआरबीएम कानून बना लिया है। इसके फलस्वरूप 10वीं योजना के दौरान सकल राजकोषीय घाटे और राजस्व घाटे--दोनों में काफी सुधार हुआ है। केन्द्र और राज्यों का संयुक्त राजकोषीय घाटा जोकि 2002-03 में जीडीपी का 9.6% था वह 2006-07 में घटकर 5.6% तथा 2007-08 में और आगे घटकर 5.3% रह गया। आर्थिक मंदी के संदर्भ में उपलब्ध कराए गए राजकोषीय प्रेरण के कारण वर्ष 2008-09 में केन्द्र और राज्यों--दोनों के राजकोषीय घाटे में काफी बढ़ोतरी होने का अनुमान है। अकेले केन्द्र का जीडीपी वर्ष 2008-09 में बीई (बजट अनुमान) अवस्था में जीडीपी के 2.5 प्रतिशत के मुकाबले जीएफडी आरई (संशोधित अनुमान) अवस्था में पहले से ही जीडीपी के 6.2 प्रतिशत के रूप में अनुमानित है।

2.15 केन्द्र और राज्यों--दोनों का संयुक्त राजस्व घाटा जोकि 2002-03 में जीडीपी का 6.6% था वह 2006-07 में घटकर 1.3% तथा 2007-08 में और आगे घटकर 0.9% रह गया। वर्ष 2008-09 के दौरान केन्द्र के राजस्व घाटे में बीई अवस्था में 1.5% की तुलना में बढ़कर जीडीपी (आरई) के 4.45% हो जाने का अनुमान है। राजकोषीय प्रेरण राज्यों को एफआरबीएम सीमा से बढ़कर जीएसडीपी के 0.5% तक उधार लेने की अनुमति देता है। इसका प्रभाव यह होगा कि बीई आंकड़ों की तुलना में वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान सकल राजकोषीय घाटे और राजस्व घाटे में भारी वृद्धि होगी। तालिका 2.7 पिछले कुछ वर्षों के दौरान राज्यों और केन्द्र के राजकोषीय निष्पादन को परिलक्षित करती है।

2.16 केन्द्रीय सरकार के राजकोषीय घाटे में जोकि 2002-03 में जीडीपी का 5.9% था काफी सुधार हुआ है और वह 2007-08 में 2.7% रह गया है। केन्द्रीय सरकार का राजस्व घाटा उसी अवधि के दौरान जीडीपी के 4.4% से घटकर 1.35% रह गया। तथापि, राजकोषीय प्रेरण के प्रावधान के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक मंदी के प्रभाव को रोकने की जरूरत के कारण 2008-09 (आरई) के दौरान केन्द्रीय सरकार का राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा क्रमशः जीडीपी का 6.2% और 4.5% रह गया।

तालिका 2.7: केन्द्र और राज्य सरकार के घाटे की प्रवृत्तियां

(जीडीपी के % के रूप में)

वर्ष	केन्द्र		राज्य	
	राजकोषीय घाटा	राजस्व घाटा	राजकोषीय घाटा	राजस्व घाटा
2002-03	5.9	4.4	4.1	2.3
2003-04	4.5	3.6	4.4	2.3
2004-05	4.0	2.4	3.4	1.2
2005-06	4.1	2.5	2.5	0.2
2006-07	3.4	1.9	1.9	-0.6
2007-08	2.7	1.1	2.3	-0.5
2008-09 (आरई)	6.2	4.5	2.1	-0.5

टिप्पणीः राज्य वित्त के लिए बजट संख्याएं 2008-09 के लिए बजट अनुमान तथा 2007-08 के लिए आरई हैं।

2.17 12वें वित्त आयोग (टीएफसी) अवार्ड के कार्यान्वयन सहित राज्य सरकारों द्वारा किए गए राजकोषीय समेकन प्रभाव के कारण राज्यों का राजकोषीय घाटा जोकि 2002-03 में जीडीपी का 4.1% था वह 2007-08 (आरई) में सुधर कर 2.3% तथा 2008-09 (बीई) में और आगे सुधर कर 2.1% रह गया। राज्यों का राजस्व घाटा 2006-07 तक पूरी तरह समाप्त हो गया और उसके बाद से सभी राज्य राजस्व खाते में अधिशेष की स्थिति महसूस कर रहे हैं। यह स्थिति मुख्यतः उच्चतर कर संग्रह तथा योजनेतर राजस्व व्यय पर नियंत्रण के दोहरे उपायों के कारण संभव हो सकी है।

2.18 केन्द्रीय सरकार का कुल व्यय जोकि 2002-03 में जीडीपी का 16.84% था वह 2007-08 में घटकर 15.09% तथा 2008-09 (बीई) में और आगे घटकर 14.16% रह गया। तथापि, भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक मंदी के प्रभाव को रोकने के लिए उपलब्ध कराए गए राजकोषीय प्रेरण के कारण केन्द्रीय सरकार के खर्चे में 2008-09 (आरई) में जीडीपी के लगभग 2.5% बिंदु की वृद्धि हुई। सभी राज्यों का कुल खर्च जोकि 2002-03 में जीडीपी का 17.13% था वह 2007-08 (आरई) में घटकर 16.67% रह गया। राज्य वित्त के अधीन सरकारी खर्च में कमी का कारण यह था कि राज्यों का योजनेतर व्यय जोकि 2002-03 में जीडीपी का लगभग 13.52% था वह 2007-08 (आरई) में घटकर जीडीपी का 11.29% रह गया। इस अवधि के दौरान राज्य योजना व्यय जोकि जीडीपी का 3.61% था वह 2007-08 (आरई) में बढ़कर 5.39% हो गया। 2008-09 के बजट अनुमानों के तहत राज्य सरकार का कुल व्यय घटा कर जीडीपी के 16.45% तक ला दिया गया है। तथापि, केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराए गए राजकोषीय प्रेरण के कारण इस आंकड़े में वृद्धि हो सकती है।

2.19 प्राप्ति पक्ष के तहत केन्द्रीय सरकार का सकल कर राजस्व जोकि 2002-03 में 8.8% था वह 2007-08 में बढ़कर 11.5% हो गया लेकिन वह 2008-09 (आरई) में पुनः घटकर 10.4% रह गया। इस अवधि के दौरान केन्द्र का गैर-कर राजस्व जोकि जीडीपी का लगभग 3% था, घटकर 1.8% रह गया। इस अवधि के दौरान राज्य सरकारों का अपना कर राजस्व जोकि जीडीपी का 5.8% था वह बढ़कर 6.2% हो गया। राज्यों के गैर-कर राजस्व जोकि 2002-03 में जीडीपी का 3.3% था वह 2008-09 में बढ़कर 3.9% हो गया।

2.20 राज्य सरकारों का अपना कर राजस्व जोकि 2002-03 में जीडीपी का 5.8% था वह 2007-08 (आरई) में बढ़कर 6.2% हो गया और 2008-09 (बीई) में इसी स्तर पर बना रहा जबकि गैर-कर राजस्व जोकि जीडीपी का 3.82% था वह 2007-08 में बढ़कर जीडीपी का 3.96% हो गया तथा बजट के अधीन 2008-09 (बीई) में उसमें मामूली गिरावट आई और वह जीडीपी का 3.9% रह गया। तालिका 2.8 10वीं योजना के 5 वर्षों के प्रत्येक वर्ष और 11वीं योजना के पहले दो वर्षों के दौरान केन्द्र और राज्य सरकारों का राजस्व दर्शाती है।

तालिका 2.8:
केन्द्र और राज्य सरकारों के राजस्व की प्रवृत्तियाँ

(जीडीपी के % के रूप में)

वर्ष	कर राजस्व		गैर-कर राजस्व	
	केन्द्र का सकल कर राजस्व	राज्यों का सकल कर राजस्व	केन्द्र	राज्य
2002-03	8.8	5.8	2.9	3.3
2003-04	9.2	5.8	2.8	3.2
2004-05	9.7	6.0	2.6	3.3
2005-06	10.2	5.9	2.1	3.5
2006-07	11.5	6.1	2.0	3.8
2007-08	12.6	6.2	2.2	3.9
2008-09 (आरई)	10.4	6.2	1.8	3.9

टिप्पणीः राज्य वित्त के लिए बजट संख्याएं 2008-09 के लिए बजट अनुमान तथा 2007-08 के लिए आरई हैं।

2.21 केन्द्रीय सरकार की कुल बकाया देनदारी जोकि 2002-03 में जीडीपी का 63.5% थी वह 2008-09 (आरई) में घटकर 57.75% रह गई है। इसी प्रकार सभी राज्यों की समग्र देनदारी जोकि 2002-03 में 32.0% थी वह 2007-08 (आरई) में घटकर जीडीपी का 28.4% तथा 2008-09 (बीई) में और आगे घटकर 27.4% रह गई है।

विदेशी क्षेत्रक

2.22 आरबीआई के अनुसार 2007-08 के दौरान निर्यात का मूल्य 166 बिलियन अमरीकी डालर था जबकि 2006-07 में 129 बिलियन अमरीकी डालर के मूल्य का निर्यात किया गया था जोकि 28.9% की वृद्धि का परिचायक है। 2008-09 की पहली छमाही में अप्रैल-अगस्त, 2008 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 35.3% की वृद्धि दर दर्ज की गई। तथापि, निर्यात की इस वृद्धि दर को वैश्विक वित्तीय संकट तथा अमरीकी अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण भारी दबाव के चलते और आगे कायम नहीं रखा जा सका। अप्रैल-फरवरी, 2008-09 में 154.9 बिलियन अमरीकी डालर के मूल्य के निर्यात का अनुमान लगाया गया है और इस प्रकार पिछले वर्ष में तदनुरूपी अवधि के 28.4% के मुकाबले 6.4% की वृद्धि दर दर्ज की गई है। यह स्थिति वस्त्रों और वस्त्र उत्पादों, रत्नों और आभूषणों, चमड़ा उत्पादों तथा कृषि और संबद्ध उत्पादों और लौह अयस्क तथा खनिजों के निर्यात में आई जबरदस्त गिरावट का परिणाम थी क्योंकि ये क्षेत्रक मुख्यतः विकसित क्षेत्रों में जैसेकि अमरीका और ईयू में मांग में मंदी से अत्यधिक प्रभावित थे। भारतीय निर्यात का प्रमुख निर्यात गंतव्य स्थल अमरीका था जिसके बाद यूएई, सिंगापुर, चीन और हांगकांग का स्थान आता है।

2.23 2007-08 के दौरान 258 बिलियन अमरीकी डालर के मूल्य का आयात किया गया जोकि 35.2% वार्षिक वृद्धि का परिचायक था। अप्रैल-फरवरी, 2008-09 के दौरान अनुमानतः 268.7 बिलियन अमरीकी डालर के मूल्य का आयात किया गया था और इस प्रकार पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि में 40.2% के मुकाबले 17.9% की वृद्धि दर दर्ज की गई। उसी अवधि के दौरान पीओएल (पेट्रोलियम, तेल तथा लुब्रीकेंट) के आयात में अप्रैल-फरवरी, 2007-08 के दौरान हुई 35.3% के मुकाबले 24.4% की वृद्धि दर दर्ज की गई। गैर-तेल आयात में पिछले वर्ष के 42.6% के मुकाबले केवल 15.3% की वृद्धि दर्ज की गई। गैर-तेल आयात में आई यह गिरावट अधिकांशतः सोने और चांदी, इलेक्ट्रानिक माल और परिवहन उपकरणों के आयात में वृद्धि में आई गिरावट के कारण थी। भारत के वास्ते आयात के प्रमुख स्रोत चीन, सऊदी अरेबिया, यूएई, अमरीका, ईरान और स्विटजरलैंड थे।

2.24 2006-07 के दौरान माल व्यापार घाटा 64.9 बिलियन अमरीकी डालर के रिकार्ड तक पहुंच गया जोकि पिछले वर्ष की तुलना में 13.06 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि का परिचायक था। 2007-08 (आर) के दौरान यह घाटा और अधिक बढ़कर 88.5 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गया। 2008-09 के लिए 119 बिलियन अमरीकी डालर के घाटे का अनुमान लगाया गया है जबकि 2007-08 में 88.5 बिलियन अमरीकी डालर का व्यापार घाटा हुआ था। उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत के चालू खाते का घाटा जोकि अप्रैल-दिसंबर, 2007 में 15.5 बिलियन अमरीकी डालर था वह अप्रैल-दिसंबर, 2008 में बढ़कर 36.5 बिलियन अमरीकी डालर हो गया जिसका मुख्य कारण निर्यात वृद्धि में मंदी के साथ-साथ आयात में उच्चतर वृद्धि के कारण विशाल व्यापार घाटा था।

2.25 2008-09 के दौरान विदेशी निवेश अंतर्वाह अस्थिर बने रहे जोकि पूंजीगत लेखे में एक संतुलित अधिशेष के परिचायक थे। अप्रैल-फरवरी,

2008-09 के दौरान भारत में कुल एफडीआई 31.7 बिलियन अमरीकी डालर है जबकि 2007-08 में इसी अवधि में इस आशय का प्रवाह 27.6 बिलियन अमरीकी डालर था। तथापि, एफआईआई ने 2008-09 में 15 बिलियन अमरीकी डालर का शुद्ध बहिर्वाह दर्ज किया जबकि 2007-08 में उसी अवधि के दौरान 20.3 बिलियन अमरीकी डालर का शुद्ध अंतर्वाह हुआ था।

2.26 मार्च, 2007 के अंत में भारत के ऊपर 170 बिलियन अमरीकी डालर का विदेशी ऋण था। सितंबर, 2008 के अंत में कुल विदेशी ऋण 222.6 बिलियन अमरीकी डालर था। ऋण की इस राशि में 172.5 बिलियन अमरीकी डालर दीर्घकालीन ऋण के रूप में था जबकि 50.1 बिलियन अमरीकी डालर अल्पकालीन ऋण के रूप में था। कुल ऋण में बहुपक्षीय ऋण का अनुपात 17.5% जबकि द्विपक्षीय ऋण कुल ऋण का 8.4% था। भारत के कुल विदेशी ऋण के मूल्य वर्ग के लिए अमरीकी डालर अग्रगामी मुद्रा (56.9%) बना रहा।

2.27 चालू वैश्विक आर्थिक स्थितियों और 2008-09 में चालू खाते के घाटे में वृद्धि के फलस्वरूप देश के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आई है। विदेशी मुद्रा भंडार (सोने, एसडीआर और आईएमएफ के पास रिजर्व ट्रांच स्थिति सहित) में पूर्व में लगातार वृद्धि होती रही थी और मार्च, 2008 के अंत में 309.7 बिलियन अमरीकी डालर का विदेशी मुद्रा भंडार था। मार्च, 2009 के अंत में यह विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 252 बिलियन अमरीकी डालर हो गया और इस प्रकार इस अवधि के दौरान लगभग 57.7 बिलियन अमरीकी डालर की गिरावट दर्ज की गई।

मूल्य स्थिरता

2.28 थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में वृद्धि द्वारा मापित औसत मुद्रास्फीति 10वीं योजना में तीसरे और चौथे वर्ष में तेल मूल्यों में प्रति वर्ष 40% से अधिक वृद्धि के बावजूद 5% के रूप में संयत बनी रही। डब्ल्यूपीआई आधारित मुद्रास्फीति 2007-08 में 4.7% मापी गई। तथापि, 2008-09 में मूल्यों में बढ़ोतरी शुरू हो गई और अगस्त, 2008 में औसत मुद्रास्फीति दर 2007-08 की तदनुरूपी अवधि के मुकाबले 12.8% जितनी ऊंचाई तक पहुंच गई थी। वर्ष 2008-09 के संबंध में डब्ल्यूपीआई आधारित वार्षिक मुद्रास्फीति दर अनुमानतः दो अंकों में अर्थात 10.3% हो जाएगी। अक्तूबर, 2008 से मूल्यों में तनिक नरमी आने लगी और वह गिरकर लगभग नाममात्र के स्तर तक पहुंच गई। 4 अप्रैल, 2009 को समाप्त सप्ताह में मुद्रास्फीति की दर पिछले वर्ष के तदनुरूपी सप्ताह की तुलना में 0.18% अधिक थी।

2004-05 के लिए निर्धनता अनुमान

2.29 राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) के 61वें चक्र (जुलाई, 2004 से जून, 2005 तक) के उपभोक्ता व्यय आंकड़ों के आधार पर 2004-05 के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुपात एकसमान प्रत्याह्वान अवधि (यूआरपी, जिसके अंतर्गत सभी मदों के संबंध में उपभोक्ता व्यय आंकड़े 30 दिन की प्रत्याह्वान अवधि से एकत्र किए जाते हैं) का इस्तेमाल करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में 28.3 प्रतिशत, शहरी क्षेत्रों में 25.7 प्रतिशत तथा समूचे देश के लिए 27.5 प्रतिशत तथा मिश्रित प्रत्याह्वान अवधि (एमआरपी जिसके अंतर्गत पांच खाद्य-भिन्न मदों अर्थात कपड़े, जूते, उपभोज्य वस्तुएं, शिक्षा और संस्थानगत चिकित्सीय व्यय के संबंध में उपभोक्ता व्यय आंकड़े 365 दिन की प्रत्याह्वान अवधि से तथा शेष पांच मदों के संबंध में उपभोक्ता आंकड़े 30 दिन की प्रत्याह्वान अवधि से एकत्र किए जाते हैं) का इस्तेमाल करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में 21.8 प्रतिशत, शहरी क्षेत्रों में 21.7 प्रतिशत और समूचे देश के लिए 21.8 प्रतिशत अनुमानित है। यूआरपी खपत (27.5 प्रतिशत) पर आधारित 2004-05 में गरीबी के अनुमान 1993-94 के गरीबी अनुमानों के

साथ तुलनीय हैं, जो 36 प्रतिशत थे। एमआरपी खपत (लगभग 21.8 प्रतिशत) पर आधारित 2004-05 में गरीबी के अनुमान मोटे तौर पर (कठोरतः नहीं), 1999-2000 के गरीबी अनुमानों के साथ तुलनीय हैं, जो 26.1 प्रतिशत हैं। यूआरपी उपभोग विभाजन तथा एमआरपी उपभोग पर आधारित तुलनीय गरीबी अनुमान क्रमशः तालिका-2.9 और तालिका-2.10 में प्रस्तुत है।

तालिका 2.9: एकसमान प्रत्याह्वान अवधि पर आधारित गरीबी अनुमानों की तुलना

(प्रतिशत में)

	1993-94	2004-05
ग्रामीण	37.3	28.3
शहरी	32.4	25.7
योग	36.0	27.5

तालिका 2.10: मिश्रित प्रत्याह्वान अवधि पर आधारित गरीबी अनुमानों की तुलना

(प्रतिशत में)

	1999-2000	2004-05
ग्रामीण	27.1	21.8
शहरी	23.6	21.7
योग	26.1	21.8

2.30 तालिका 2.9 और 2.10 में दिए गए गरीबी अनुमान यूआरपी उपभोग विभाजन द्वारा अनुमानित 1993-94 तथा 2004-05 के बीच एमआरपी उपभोग विभाजन के लिए 1999-2000 तथा 2004-05 के बीच तुलना की छूट देते हैं। ये दोनों ही तुलनाएं गिरावट का परिचय देती हैं और इस गिरावट की दर दोनों अवधियों के दौरान एकसमान अर्थात 0.8 प्रतिशत बिंदु प्रति वर्ष है।

संलग्नक-2.1

1999-2000 के मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वास्तविक वृद्धि दर (प्रतिशत प्रति वर्ष)

क्रम संख्या	राज्य	Xवीं योजना (सीएजीआर)*	XIवीं योजना (लक्ष्य)	2007-08 (वार्षिक वृद्धि)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	7.39	9.50	10.64
2.	अरुणाचल प्रदेश	5.80	6.40	12.81
3.	असम	5.7	6.50	6.06
4.	बिहार	7.87	7.60	-0.07
5.	झारखंड	7.56	9.80	7.22
6.	गोवा	9.32	12.10	एनए
7.	गुजरात	10.40	11.20	एनए
8.	हरियाणा	8.99	11.00	10.07
9.	हिमाचल प्रदेश	7.68	9.50	8.54
10.	जम्मू तथा कश्मीर	5.59	6.40	6.28
11.	कर्नाटक	5.98	11.20	6.92
12.	केरल	8.74	9.50	एनए
13.	मध्य प्रदेश	3.80	6.70	एनए
14.	छत्तीसगढ़	9.01	8.60	11.30
15.	महाराष्ट्र	8.29	9.10	एनए
16.	मणिपुर	5.78	5.90	3.38
17.	मेघालय	5.81	7.30	5.20
18.	मिजोरम	6.44	7.10	6.76
19.	नागालैंड	एनए	9.30	एनए
20.	उड़ीसा	8.47	8.80	8.67
21.	पंजाब	5.07	5.90	6.62
22.	राजस्थान	5.41	7.40	7.01
23.	सिक्किम	7.97	6.70	8.19
24.	तमिलनाडु	7.53	8.50	5.19
25.	त्रिपुरा	7.58	6.90	एनए
26.	उत्तर प्रदेश	5.24	6.10	एनए
27.	उत्तराखंड	9.45	9.90	एनए
28.	पश्चिम बंगाल	6.51	9.70	एनए
अखिल भारत जीडीपी (99-00 आधार)		7.78	9.00	9.00

स्रोतः XIवीं योजना (लक्ष्य)-11वीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज प्राप्त की गई जीएसडीपी वृद्धि की गणना सीएसओ द्वारा 9.2.09 को संकलित जीएसडीपी विषयक आंकड़ों के आधार पर की गई है।

*सीएजीआर- संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर

अध्याय 3
योजना

वार्षिक योजना 2008-09

3.1 11वीं पंचवर्षीय योजना की शुरूआत एक शानदार वृद्धि के साथ हुई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि योजना के पहले वर्ष (2007-08) में 8.7% की वृद्धि दर दर्ज की गई। सरकार यह मानती है कि योजना का दूसरा वर्ष (2008-09) 11वीं योजना की सफलता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2008-09 समेकन; पहले से चले आ रहे कार्यक्रमों को ठोस वित्तीय आधार सुनिश्चित करने; कार्यान्वयन के निकट मानीटरन और जवाबदेही लागू करने; तथा प्राप्त किए गए लक्ष्यों और साथ ही उनकी गुणवत्ता के अर्थों में परिणामों को मापने वाला वर्ष होगा। फलतः वार्षिक योजना 2008-09 के आबंटन भी अधिक तेज और समावेशी वृद्धि के निमित्त 11वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण दस्तावेज में उल्लिखित उद्देश्यों और कार्यनीतियों को ध्यान में रखकर किए गए हैं। तदनुसार कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, महिला तथा बाल विकास, एससी/एसटी/अल्पसंख्यक, शहरी विकास, आधारिक-तंत्र (सिंचाई, सड़क और विद्युत), विज्ञान और प्रौद्योगिकी की तरफ विशेष ध्यान दिया गया है। केन्द्रीय क्षेत्रक के लिए आबंटन तय करते समय योजना आयोग भारत निर्माण सहित पहले से चले आ रहे अग्रणी कार्यक्रमों की जरूरतों से भी निर्देशित हुआ है। भौतिक आधारिक-तंत्र, उच्च शिक्षा और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी पर बल दिए जाने से अर्थव्यवस्था के उत्पादन आधार का विस्तार होगा और इससे वृद्धि दर बढ़ेगी जिसके फलस्वरूप रोजगार उपलब्ध होंगे और संसाधनों की उत्पत्ति होगी। प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य बुनियादी अनिवार्य सेवाओं पर बल दिए जाने से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उन्नति के लाभ समान रूप से वितरित हों और वह जनसाधारण द्वारा विकास की प्रक्रिया से वंचित किए जाने की धारणा का शमन हो।

3.2 वार्षिक योजना 2008-09 की पृष्ठभूमि

वार्षिक योजना 2008-09 योजना प्रस्ताव बनाने के लिए सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को दिए गए निम्न निर्देशों/मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर तैयार की गई थीः

(i) प्रत्येक मंत्रालय/विभाग को अपनी 'कोर योजना' और क्षेत्रकीय प्राथमिकताओं का, राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम (एनसीएमपी) में दी गई प्राथमिकताओं और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, निर्धारण करना चाहिए, जिससे कि उपलब्ध संसाधनों का सर्वाधिक समझदारी और किफायती, सुचारू ढंग से उपयोग किया जा सके।

(ii) प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग द्वारा सभी स्कीमों के संबंध में जेडबीबी पद्धति को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए। निधियों की आवश्यकताओं और योजना आबंटनों के बीच बेमेलपन को रोकने के लिए और वित्तीय आबंटन की बजाय वांछित भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति पर बल देने के लिए यह आवश्यक है।

(iii) क्योंकि वार्षिक योजना 2008-09 11वीं योजना का दूसरा वर्ष है इसलिए पहले से चली आ रही केवल ऐसी स्कीमें/कार्यक्रम परियोजनाएं शामिल की जानी चाहिए जोकि जनहित में हों और जिन्हें अर्थव्यवस्था पर विशेष प्रभाव डाले बिना खत्म न किया जा सकता हो जिनके संबंध में कम से कम प्रारंभिक व्यवहार्यता अध्ययन पहले ही किया जा चुका हो।

(iv) विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की कोटि सुधारने के लिए वित्तीय परिव्ययों को परिणामों में बदलने पर बल दिया गया। मंत्रालय/विभाग द्वारा कार्यान्वित योजना कार्यक्रमों/स्कीमों के मध्यवर्ती परिणाम/उत्पादन का लक्ष्य तय किया जा सकता है तथा परिणामी बजट में दिए गए अनुसार परिमाणनीय सुपुर्दगी के संबंध में लक्ष्यों की उपलब्धि का आकलन उपलब्ध कराया जा सकता है।

(v) छमाही निष्पादन समीक्षा बैठकों से उभरे इन्पुट तथा परिमाणनीय सुपुर्दगियों के लक्ष्यों के संदर्भ में उनकी उपलब्धि का गुणवत्तात्मक आकलन 2008-09 के लिए योजना आबंटन का एक मजबूत आधार रहे होंगे।

(vi) प्रत्येक मंत्रालय/विभाग को अपने वार्षिक योजना प्रस्ताव में प्रस्तावित/संभावित ईएपी को सम्मिलित करना चाहिए जिससे कि विदेशी सहाय्यित परियोजनाओं (ईएपी) और प्रत्यक्ष वित्तपोषित परियोजनाओं को (अर्थात बजटीय प्रवाहों से बाहर) योजना प्रक्रिया और बजटीय संसाधनों के आबंटन के साथ एकीकृत किया जा सके।

(vii) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की पहल के अनुसरण में, सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा बजट का कम से कम 10% पूर्वोत्तर के लिए विनिश्चित किया जाना था (विशिष्ट रूप से छूट प्राप्त को छोड़कर)।

(viii) सरकारी निधियों का लाभ उठाने के लिए, धन का बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने तथा सेवा प्रदान करने की कोटि सुधारने के लिए, विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा, सड़कों, रेलमार्गों, बंदरगाहों और हवाई अड्डों के रूप में उत्तम परिवहन सुविधाओं और सुरक्षित पेयजल तथा स्वच्छता की व्यवस्था करने के लिए अवस्थापना को प्रोत्साहित करने में सरकारी-निजी भागीदारी को उत्साहित करने की जरूरत है।

3.3 वार्षिक योजना 2008-09 के बजटीय आबंटन की मुख्य विशेषताएं

3.3.1 वार्षिक योजना 2008-09 के लिए बजट आबंटन, सरकार के राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में वर्णित लक्ष्यों और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए किया गया है और विशेष रूप से केन्द्रीय योजना आबंटन निर्धारित करने में निम्नलिखित प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा गया:

- सरकार के अग्रणी कार्यक्रमों (भारत निर्माण के सभी घटकों सहित) का समुचित वित्तपोषण सुनिश्चित करना;
- परमाणु ऊर्जा विभाग, जैव-प्रौद्योगिकी विभाग तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के वित्तपोषण को प्राथमिकता देना;
- कृषि (पशुपालन और जल संसाधन सहित), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, माध्यमिक शिक्षा तथा ग्रामीण विकास की ओर विशेष ध्यान दिया गया है।

3.3.2 शिक्षा सबसे बड़ा समताकारी तत्व है क्योंकि यह जनसाधारण को विकास की प्रक्रिया में भाग लेने में समर्थ बनाता है। इसलिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के वास्ते जीबीएस 22% बढ़ाकर 26,800 करोड़ रुपए कर दिया गया है जिसका मूल उद्देश्य सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) तथा मध्याह्न भोजन (एमडीएम) नामक अग्रणी

कार्यक्रमों की जरूरतों को पूरा करना था। इसके अलावा, अधबीच शिक्षा छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में भारी गिरावट लाने तथा प्रारंभिक शिक्षा के स्तर में सुधार लाने पर बल दिया जाएगा। एसएसए के कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत तंत्र के अनुसार 11वीं योजना में एसएसए के मिशन के 2010 में समाप्त होने तक इस कार्यक्रम के तहत केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच लागत की 50:50 हिस्सेदारी के तहत सहायता प्रदान की जाएगी। अध्यापकों की शिक्षा के लिए आबंटन संस्थानगत क्षमता निर्माण के वास्ते और अध्यापकों के सेवा-पूर्व तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण पर विशेष बल देते हुए काफी बढ़ा दिया गया है। जब एसएसए प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण और समापन के लक्ष्य की पूर्ति कर लेगा तो माध्यमिक शिक्षा की मांग में भी काफी वृद्धि होगी। इसलिए माध्यमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने (एसयूसीसीईएसएस) के लिए एक नई संयुक्त स्कीम के वास्ते 2185 करोड़ रुपए (जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 218.50 करोड़ रुपए शामिल हैं) आबंटित किए गए हैं। इसके अलावा, केन्द्रीय और नवोदय विद्यालयों का विस्तार किया जाएगा। एससी और एसटी छात्रों को उत्तम स्तर की शिक्षा का लाभ पहुंचाने के वास्ते विशेष नवोदय स्कूलों के लिए, जोकि ऐसे क्षेत्रों में खोले जाएंगे जहां एससी तथा एसटी की आबादी अपेक्षतया अधिक है 300 करोड़ रुपए के परिव्यय (जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 30 करोड़ रुपए शामिल हैं) का प्रावधान किया गया है। योग्यता छात्रवृत्ति स्कीम संशोधित और विस्तारित कर दी गई है।

3.3.3 11वीं योजना के अधीन बेहतर स्वास्थ्य तथा मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, समग्र प्रजनन क्षमता दर और विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं के बीच अरक्तता जैसे स्वास्थ्य संकेतकों में भारी सुधार सुनिश्चित करने के वास्ते एक व्यापक कार्यनीति पर बल दिया गया। तदनुसार **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय** के लिए योजना परिव्यय में 13.4% की बढ़ोतरी करके उसे 16,534 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के लिए 12,050 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है। एनआरएचएम से यह अपेक्षा की जाती है कि वह 18 राज्यों जिनमें दुर्बल जन स्वास्थ्य स्वास्थ्य संकेतक अथवा दुर्बल आधारिक-तंत्र है, विशेष बल देते हुए ग्रामीण आबादी के लिए प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल की व्यवस्था में अंतरालों की ओर ध्यान देगा। इसका उद्देश्य सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता तथा स्वास्थ्य के लिए एकीकृत जिला योजनाओं के माध्यम से पोषण जैसे निर्धारक तत्वों सहित स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का प्रभावी एकीकरण करना है। नमनशील निधियों का प्रावधान है जिससे कि राज्य उनका प्रयोग ऐसे क्षेत्रों में कर सके जिन्हें वे महत्वपूर्ण समझें। इसी प्रकार, आयुष विभाग के लिए योजना परिव्यय में 8.6% की बढ़ोतरी करके उसे 534 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

3.3.4 **महिला और बाल विकास विभाग** के लिए योजना परिव्यय में 19.5% की वृद्धि करके 7,200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जिससे कि एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) जिसका उद्देश्य छोटे बच्चों, विशेष रूप से 0-6 वर्ष के आयु वर्ग की बालिकाओं तथा गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषणिक और स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाना है, के वास्ते समुचित व्यवस्था की जा सके। आईसीडीएस के लिए 6300 करोड़ रुपए के बजटीय आबंटन में पूरक पोषण तथा आईसीडीएस कार्मिकों के प्रशिक्षण और किशोरी शक्ति योजना तथा किशोर बालिकाओं के लिए पोषण कार्यक्रम को एक-दूसरे से मिलाने के बाद "किशोर बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी स्कीम" नामक एक नई स्कीम शुरू करने के लिए प्रावधान शामिल है। यह पहला मौका है जबकि बाल संबंधी स्कीमों के बारे में बजट में एक वक्तव्य जोड़ा गया है। बाल कल्याण की स्कीम पर कुल व्यय 33,434 करोड़ रुपए होगा। शत-प्रतिशत महिला विशिष्ट स्कीमों के लिए 11,460

करोड़ रुपए की राशि तथा उन स्कीमों के लिए जिनमें कम से कम 30% महिला विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए निर्धारित है 16,202 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है।

3.3.5 **ग्रामीण विकास विभाग** के लिए कुल आबंटन में 14.3% की बढ़ोतरी करके उसे 38,500 करोड़ रुपए कर दिया गया है जिससे कि स्व-रोजगार, मजदूरी रोजगार, ग्रामीण आवासन तथा ग्रामीण संयोज्यता जैसी अग्रणी स्कीमों के लिए समुचित प्रावधान किया जा सके। एनआरईजीपी जो शुरू में 200 जिलों में लागू किया गया था अब उसका विस्तार विशेष श्रेणी राज्यों में 89 जिलों सहित अन्य 100 जिलों में किया जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय योजना परिव्यय 16,000 करोड़ रुपए (जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए 1600 करोड़ रुपए शामिल हैं) है। ग्रामीण क्षेत्रों में समाजार्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण सड़कें महत्वपूर्ण आधारिक सुविधाएं होती हैं और इसलिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के वास्ते 7,350 करोड़ रुपए (11.7% की वृद्धि) का आबंटन किया गया है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में दिए गए महत्व को स्वीकार करते हुए इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के लिए सकल बजटीय सहायता 16.8% बढ़ाकर 4853.20 करोड़ रुपए कर दी गई है। वर्ष 2008-09 के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना (एसजीएसवाई) के वास्ते 2150 करोड़ रुपए (जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए 217 करोड़ रुपए शामिल हैं) का योजना परिव्यय घोषित किया गया है।

3.3.6 राष्ट्रीय बागबानी मिशन (1100 करोड़ रुपए) सूक्ष्म सिंचाई (500 करोड़ रुपए), कृषि विस्तार की सहायता (230 करोड़ रुपए), वर्षापूरित क्षेत्र विकास कार्यक्रम (348 करोड़ रुपए) तथा कृषि के वृहद प्रबंध (1100 करोड़ रुपए) के वास्ते समुचित प्रावधान करने के निमित्त कृषि और सहकारिता विभाग के लिए बजटीय आबंटन किया गया है। इसी प्रकार कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के लिए योजना परिव्यय 20% बढ़ाकर 1760 करोड़ रुपए कर दिया गया है ताकि वह स्थान विशिष्ट जरूरतों की ओर ध्यान देने और साथ ही ज्ञान की कमी को पाटने के लिए क्षेत्र प्रसार कार्यक्रमों के साथ केवीकी संपर्क सुधारने के निमित्त प्रौद्योगिकी सृजन को पूरी तरह दिशा-अनुकूलित/रीइंजीनियर कर सके। पशुपालन और डेयरी विभाग के लिए जीबीएस 17% बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए कर दिया गया है जिसका मुख्य प्रयोजन दूध, अंडे, मांस और मछली की प्रति व्यक्ति उपलब्धता बढ़ाई जा सके और साथ ही नसल सुधार और रोग नियंत्रण के लिए आर तथा डी प्रयासों में तेजी लाई जा सके। किसानों के लिए ऋण माफी और ऋण राहत की स्कीमः वित्त मंत्रालय द्वारा किसानों के लिए 60,000 करोड़ रुपए के कृषि ऋण राहत पैकेज की घोषणा की गई है जिससे 4 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। यह स्कीम अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय और ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी ऋण संस्थानों द्वारा 31 मार्च, 2007 तक संवितरित सभी ऋणों तथा इस स्कीम के तहत ऐसे ऋण कवर किए जाएंगे जोकि 31 दिसंबर, 2007 को देय हो गए थे।

3.3.7 **शहरी विकास मंत्रालय** के लिए कुल आबंटन 5.7% बढ़ाकर 5478.36 करोड़ रुपए कर दिया गया है। संचित वित्त विकास निधि (पीएफडीएफ) के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ऐसी आशा की जाती है कि यह स्कीम छोटे यूएलबी की अपनी प्राथमिकतापूर्ण परियोजनाओं के लिए ऋण जुटाने में मदद करेगी। शहरी परिवहन नियोजन और क्षमता निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय नियोजन बोर्ड के लिए बजटीय आबंटन बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए कर दिया गया है जिससे कि एनसीआर के विकास के लिए और अधिक निधियों का लाभ उठाया जा सके। ऐसी

आशा की जाती है कि ऐसा करने से दिल्ली पर जनसांख्यिकीय दबाव घटेगा। आवास और शहरी निर्धनता उपशमन मंत्रालय के लिए कुल योजना आबंटन बढ़ाकर 8,619.86 करोड़ रुपए कर दिया गया है जिसका मुख्य प्रयोजन स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (344 करोड़ रुपए) के लिए उपयुक्त प्रावधान करना है। शहरी क्षेत्रों में त्वरित रोजगार सृजन की जरूरत को ध्यान में रखते हुए इस स्कीम का महत्व बढ़ गया है। ईडब्ल्यूएस/एलआईजी श्रेणियों के लिए वहनीय आवास प्रदान करने के प्रति लक्षित "शहरी गरीब के लिए आवास पर ब्याज सब्सिडी" नामक एक नई स्कीम के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये प्रावधान जेएनएनयूआरएम (6,866 करोड़ रुपए) के लिए किए गए प्रावधान से अलग है।

3.3.8 **सूचना प्रौद्योगिकी विभाग** के लिए बजटीय आबंटन बढ़ा दिया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य ई-समर्थित भारत के वास्ते राष्ट्रीय ई-अभिशासन को बढ़ावा देना, इलेक्ट्रानिक्स, आईटी हार्डवेयर और साथ ही साफ्टवेयर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, नैनो प्रौद्योगिकी में क्षमता निर्माण और जनशक्ति विकास, साइबर सुरक्षा तथा अद्यतन प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के लिए 2008-09 में कुल आबंटन 2007-08 में 1500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1,680 करोड़ रुपए कर दिया गया है; ग्रामीण क्षेत्रों में 100,000 ब्राडबैंड इंटरनेट-समर्थित सामान्य सेवा केन्द्र स्थापित करने और केन्द्रीय सहायता के साथ राज्यव्यापी क्षेत्रीय नेटवर्क (स्वैंग) की दो स्कीमें स्थापित करने की दिशा में जिन दो स्कीमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है; उनके अलावा राज्य डाटा केन्द्रों के लिए नई स्कीमें भी मंजूर की गई हैं; सामान्य सेवा केन्द्रों के लिए 75 करोड़ रुपए के लिए प्रावधान किया गया है; स्वैन के लिए 450 करोड़ रुपए और राज्य डाटा केन्द्रों के लिए 275 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए।

3.3.9 **जैव-प्रौद्योगिकी विभाग** राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों में अंतःविषयक्षेत्रीय ग्रैंड चैलेंज परियोजनाओं को समर्थित करने के लिए "ग्रैंड चैलेंज कार्यक्रम" नामक एक नई पहल हाथ में लेगा जिसके तहत जैव-प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपणीय उपाय उत्पाद और प्रक्रिया विविधता में महत्वपूर्ण मूल्यवर्द्धन, लागत प्रभाविता और प्रतियोगिता ला सकेंगे। जैव-प्रौद्योगिकी विभाग के लिए परिव्यय 25% बढ़ाकर 900 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

3.3.10 **परमाणु ऊर्जा (आर तथा डी क्षेत्रक) विभाग** के लिए कुल बजट आबंटन 79.48 प्रतिशत बढ़ाकर 5920 करोड़ कर दिया गया है। परमाणु ऊर्जा विभाग की एक प्रमुख पहल एक बराबर के भागीदार के रूप में अंतर्राष्ट्रीय थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर (आईटीईआर) स्थापित करने के रूप में होगी। इसके अलावा, 700 एमडब्ल्यूई दाबित प्रेसराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर (पीएचडब्ल्यूआर) के विकास के लिए तथा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के लिए उन्नत ईंधनों के विकास के लिए आर एंड डी कार्य भी हाथ में लिया जाएगा।

3.4 राज्य/यूटी योजनाओं को केन्द्रीय सहायता

3.4.1 राज्य/संघशासित क्षेत्र योजना के लिए जीबीएस 63431.50 करोड़ रुपए तय किया गया है जिसमें राज्य योजनाओं के लिए 60152.46 करोड़ रुपए तथा संघशासित क्षेत्र योजनाओं के लिए 3279.04 करोड़ रुपए शामिल हैं। सामान्य केन्द्रीय सहायता (एनसीए) जोकि 2007-08 (बीई) में 15408.02 करोड़ रुपए थी उसे 2008-09 (बीई) में बढ़ाकर 17991.98 करोड़ रुपए कर दिया गया है। प्रमुख एसीए स्कीमें जिनमें बढ़ोतरी की गई है वे इस प्रकार हैं: त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) तथा अन्य जल संसाधन कार्यक्रम जिनमें अनुदान तत्व 20,000 करोड़ रुपए और अनुदान घटक 5550 करोड़ रुपए है। सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम के लिए 876 करोड़ रुपए

उपलब्ध कराए गए हैं जिसमें राज्यों के लिए 460 करोड़ रुपए शामिल हैं।

3.4.2 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) को बिहार तथा उड़ीसा के केबीके जिलों के लिए विशेष योजनाओं के वास्ते 5800 करोड़ रुपए (जिला घटक के रूप में 4670 करोड़ रुपए और राज्य घटक के लिए 1,130 करोड़ रुपए) उपलब्ध कराए गए हैं। ऐसा करने से देश के सबसे अधिक पिछड़े हुए क्षेत्रों का त्वरित विकास सुनिश्चित हो सकेगा।

3.4.3 वृहद मुंबई स्टार्म वाटर ड्रेन प्रोजेक्ट (बीआरआईएमएसटीओडब्ल्यूए) के लिए 400 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है और इसी प्रकार राष्ट्रमंडल खेलों के लिए 624 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है जिसमें राष्ट्रमंडल खेलों (दिल्ली) की आधारिक सुविधाओं के लिए 350 करोड़ रुपए की राशि शामिल है।

3.4.4 जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) को 6866 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं जिसमें राज्य घटक के रूप में 6,247.98 करोड़ रुपए और संघशासित क्षेत्र घटक के रूप में 618.02 करोड़ रुपए शामिल हैं। जेएनएनयूआरएम से यह अपेक्षा की जाती है कि वह शहरी स्थानीय निकायों में चिरअपेक्षित सुधार लाएगा और साथ ही 63 मिशन शहरों में तेज विकास लाएगा।

3.5 वार्षिक योजना 2007-08 की समीक्षा

3.5.1 वार्षिक योजना 2007-08 के लिए केन्द्रीय क्षेत्रक परिव्यय का संशोधित अनुमान 292337.01 करोड़ रुपए था जोकि 319992.08 करोड़ रुपए के बजट अनुमानों (बीई) के मुकाबले 9.46% कम था। विकास के शीर्षों के अनुसार केन्द्र, राज्यों, संघशासित क्षेत्रों के लिए वार्षिक योजना 2007-08 के वास्ते आरई संक्षेप में तालिका 3.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.1
केन्द्र, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वार्षिक योजना 2008-09 के बजट अनुमान

(रुपए करोड़ में)

क्रम संख्या	विकास का शीर्ष	कुल परिव्यय केन्द्र	राज्य और संघ शासित क्षेत्र	योग
1	कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप	10074.51	17199.58	27274.09 (3.14)
2	ग्रामीण विकास	18972.00	203933.76	222905.76 (25.69)
3	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	410.80	47683.18	48093.98 (5.54)
4	ऊर्जा	93814.75	33680.99	127495.74 (14.69)
5	उद्योग और खनिज	28835.85	6082.49	34918.34 (4.02)
6	परिवहन	84176.80	36939.37	121116.17 (13.96)
7	संचार	21937.10	0.00	21937.10 (2.53)
8	विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	9283.18	3903.41	13186.59 (1.52)
9	सामान्य आर्थिक सेवाएं	6052.10	12009.57	18061.67 (2.08)
10	सामाजिक सेवाएं	100778.40	115769.24	216547.64 (24.95)
11	सामान्य सेवाएं	1149.55	6870.66	8020.21 (0.92)
12	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	00.00	8270.74	8270.74 (0.95)
	योग	**375485.04**	**492342.99**	**867828.03 (100.00)**

- केन्द्रीय कुल परिव्यय में आईईबीआर शामिल है।
- कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशतता दर्शाते हैं।

चित्र 1: केन्द्र, राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों के लिए वार्षिक योजना 2008-09 के बजट अनुमान

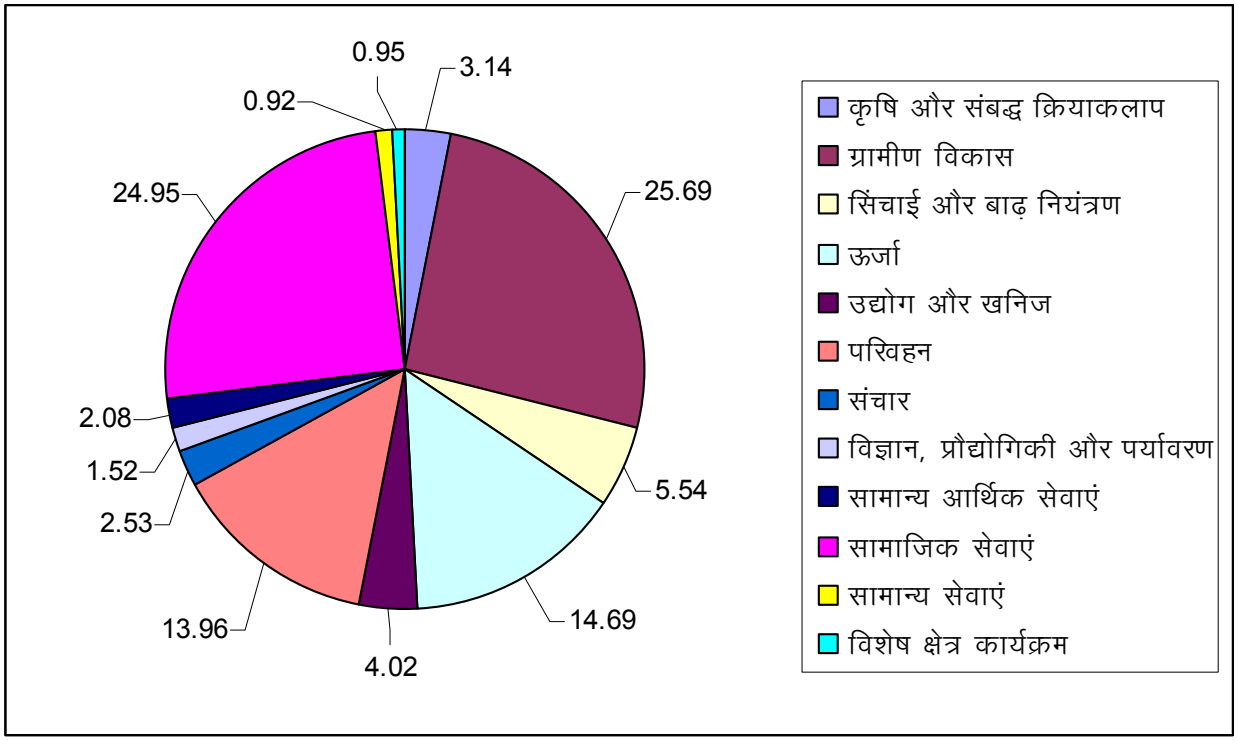

तालिका 3.2
केन्द्र, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वार्षिक योजना 2007-08 के संशोधित अनुमान

(रुपए करोड़ में)

क्रम संख्या	विकास का शीर्ष	कुल परिव्यय केन्द्र	राज्य और संघ शासित क्षेत्र	योग
1	कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप	8544.33	9944.67	18489.00 (3.48)
2	ग्रामीण विकास	17511.17	16163.53	33674.70 (6.33)
3	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	453.62	38455.63	38909.25 (7.32)
4	ऊर्जा	72230.20	28789.01	101019.21 (19.00)
5	उद्योग और खनिज	17952.83	4920.25	22873.08 (4.30)
6	परिवहन	68930.12	30410.65	99340.77 (18.69)
7	संचार	16598.61	उपलब्ध नहीं	16598.61 (3.12)
8	विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	7741.55	2731.56	10473.11 (1.97)
9	सामान्य आर्थिक सेवाएं	3043.14	6367.50	9410.64 (1.77)
10	सामाजिक सेवाएं	78797.97	87570.62	166368.59 (31.30)
11	सामान्य सेवाएं	533.47	6230.96	6764.43 (1.27)
12	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.00	7672.44	7672.44 (1.44)
	योग	**292337.01**	**239256.82**	**531593.83**

- केन्द्रीय कुल परिव्यय में आईईबीआर शामिल है।
- कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशतता दर्शाते हैं।

चित्र 2: केन्द्र, राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों के लिए वार्षिक योजना 2007-08 के संशोधित अनुमान

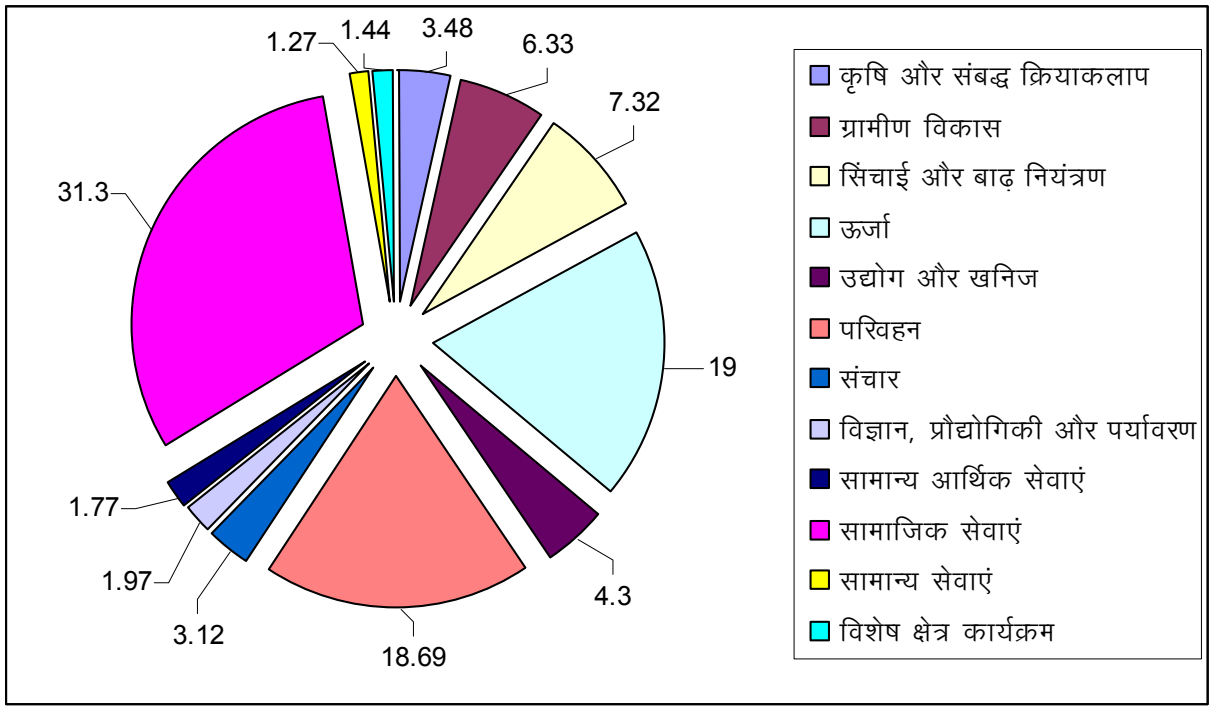

अध्याय 4
योजना आयोग में प्रमुख क्रियाकलाप

4.1 कृषि प्रभाग

4.1.1 कृषि प्रभाग योजना आयोग का एक प्रभाग है जिसे कृषि और संबद्ध क्षेत्रकों, जिन्हें केन्द्र और राज्यों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है से संबंधित नीति, योजना परिव्यय और कार्यान्वयन समीक्षा का दायित्व सौंपा गया है। वर्ष 2007-08 कुछ महत्वपूर्ण स्कीमों जैसेकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेबीवाई) जैसी कुछेक महत्वपूर्ण स्कीमों के लिए जोकि राज्यों द्वारा व्यापक जिला कृषि योजनाएं (सीडीएपी) का विकास उपलब्ध कराती हैं के प्रारूपण और संरचनात्मक आउटलाइन अवस्था का वर्ष रहा था। तथापि, चालू वर्ष में इन स्कीमों में तेजी आई और वे इस प्रयोजन के लिए स्थापित 11वीं योजना के तंत्र के अधीन पूरी लय के साथ कार्यान्वित की जा रही हैं। इसके अलावा, यह प्रभाग पहले से चले आ रहे कार्यक्रमों, स्कीमों और परियोजनाओं का मानीटरन भी जारी रखता है और नई स्कीमों और साथ ही केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत योजना प्रस्तावों के संबंध में योजना आयोग की तरफ से अपने विचार प्रस्तुत करता है।

परिव्यय और व्यय

4.1.2 कृषि और सहकारिता विभाग के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के वास्ते कुल अनुमानित जीबीएस 36,549 करोड़ रुपए (2006-07 मूल्य) तथा 41337 करोड़ रुपए (चालू मूल्य), पशुपालन, डेयरी और मत्स्य विभाग के लिए 7121 करोड़ रुपए (2006-07 मूल्य) तथा 8054 करोड़ रुपए (चालू मूल्य) तथा कृषि अनुसंधान और शिक्षा के लिए 11131 करोड़ रुपए (2006-07 मूल्य) तथा 12588 करोड़ रुपए (चालू मूल्य) है। ये आबंटन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के लिए 25000 करोड़ रुपए के आबंटन के अलावा है। कृषि मंत्रालय के तीन विभागों अर्थात कृषि और सहकारिता विभाग (डीएसी); पशुपालन और डेयरी तथा मत्स्य विभाग (डीएएचडीएफ); कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (डेयर) के योजना परिव्यय में वृद्धि निम्न तालिका 4.1.1 से देखी जा सकती है।

फसल उत्पादन परिदृश्य

4.1.3 2005-06 से फसल उत्पादन में क्रमिक बढ़ोतरी हो रही है और कई फसलों में उत्पादन के रिकार्ड स्तर प्राप्त किए गए हैं। अनुकूल मौसम स्थितियों के अलावा सरकार द्वारा संसाधनों के उच्चतर आबंटन और एनएफएसएम, आरकेवीवाई, एनएचएम आदि जैसी नई पहलें लागू किए जाने के माध्यम से इन वर्षों के दौरान उच्च फसल उत्पादन में योगदान मिला है। 2008-09 में 229.85 मिलियन टन खाद्यान्न के उत्पादन की उम्मीद है जोकि पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 1 मिलियन टन कम है। इस स्थिति के लिए अंशतः 2008-09 के दौरान असमान वर्षा जिम्मेदार है। 2007-08 के दौरान चावल, गेहूं, मकई और दालों जैसी अनेक फसलों के रूप में खाद्यान्न उत्पादन ने रिकार्ड दर्ज किए थे। वर्ष 2008-09 के दौरान 9 प्रमुख तिलहनों का 28.13 मिलियन टन, कपास का 170

किलोग्राम की 232.68 लाख गांठों का उत्पादन तथा 289 मिलियन टन गन्ने का अनुमानित उत्पादन 2007-08 के दौरान इन फसलों के रिकार्ड उत्पादन की तुलना में किंचित कम है। कृषि और संबद्ध क्रियाकलापों की कुछेक चुनिंदा मदों का वास्तविक उत्पादन तालिका 4.1.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.1.1:
कृषि मंत्रालय का परिव्यय और व्यय

(रुपए करोड में)

		डीएसी	डीएएचडीएफ	डेयर	योग	अगले वर्ष की तुलना में वृद्धि
ए	10वीं पंचवर्षीय योजना का परिव्यय	13,200.00	2,500.00	5,368.00	21,068.00	
बी	10वीं पंचवर्षीय योजना व्यय (चालू मूल्यों पर)	15,040.00	2,345.57	4,692.49	22,134.71	
सी	11वीं योजना (चालू मूल्यों पर)	41,337.00	8,054.00	12,588.00	61,979.00	
	2007-08 (बीई)	5520.00	910.00	1620.00	8050.00	
	2007-08 (आरई)	5887.94	810.00	1434.00	8131.94	23%
	2008-09	6900.00	1000.00	1760.00	9660.00	18%*

डीएसी: कृषि और सहकारिता विभाग; डीएएचडीएफ: पशुपालन, डेयरी और मत्स्य विभाग; डेयर: कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग।

टिप्पणी: (क) 11वीं योजना में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के लिए 25000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आबंटन किया गया है; (ख) आरकेवीवाई की एसीएस स्कीम के लिए 2007-08 आरई में अतिरिक्त 1000 करोड़ रुपए तथा 2008-09 बीई में 3165.67 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया; (ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र में झूम खेती के नियंत्रण की राज्य क्षेत्रक स्कीम के लिए 2005-06 में अतिरिक्त रूप से 30 करोड़ रुपए का, 2007-08 में 40 करोड़ रुपए का और 2008-09 में 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया।

*यदि 2008-09 के दौरान 9660 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय में आरकेवीवाई के लिए 3165.67 करोड़ रुपए की राशि शामिल कर ली जाए तो वृद्धि और भी अधिक होगी।

तालिका 4.1.2:
कृषि मंत्रालय से संबंधित कुछ चुनिंदा मदों का 2005-06 से 2008-09 के दौरान वास्तविक उत्पादन

क्रम संख्या	मदें	यूनिट	2006-07	2007-08	2008-09
1	खाद्यान्न	मिलियन टन	217.28	230.78	229.85
2	गेहूं	मिलियन टन	75.81	78.57	77.63
3	चावल	मिलियन टन	93.35	96.69	99.37
4	मोटा अनाज	मिलियन टन	33.92	40.76	38.67
5	दालें	मिलियन टन	14.20	14.76	14.18
6	तिलहन	मिलियन टन	24.29	29.75	28.13
7	कपास	170 किलोग्राम की लाख गांठें	226.32	258.84	232.68
8	गन्ना	मिलियन टन	355.52	348.19	289.23

स्रोतः कृषि और सहकारिता विभाग, नई दिल्ली के आर्थिक और सांख्यिकीय निदेशालय द्वारा 2008-09 के लिए 8.5.2009 को जारी किए गए खाद्यान्न, तिलहनों तथा अन्य वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई):

4.1.4 एनडीसी की 29 मई, 2007 को आयोजित 53वीं बैठक के फलस्वरूप वर्ष 2007-08 के दौरान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) नामक दो नई स्कीमें शुरू की गईं। 11वीं योजना के लिए आरकेवीवाई को 25000 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। आरकेवीवाई को किया गया 25000 करोड़ रुपए का आबंटन कृषि मंत्रालय के लिए 61,979 करोड़ रुपए के 11वीं योजना के परिव्यय के अलावा है। 2007-08 में 1247 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई। 2008-09 के लिए 3165.67 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया जिसके लिए संशोधित अनुमान 2891.7 करोड़ रुपए है। आरकेवीवाई अपनी अनुभूत जरूरतों के अनुसार स्वयं अपनी योजनाएं बनाने और अपने आबंटन के हिस्से सहित उनके कार्यान्वयन के लिए उन्हें राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (एसएलएससी) में राज्य स्तर पर उन्हें मंजूर कराने के लिए एक नमनशील कार्यक्रम उपलब्ध कराती है। इसके अलावा, आरकेवीवाई जिला कृषि योजनाओं को बढ़ावा देने और इस प्रकार कृषि आयोजना प्रक्रिया में सुधार लाने की परिकल्पना करती है। योजना आयोग और कृषि तथा सहकारिता विभाग--दोनों जिला कृषि योजनाएं जल्दी तैयार करने तथा ऐसी योजनाओं में भारत सरकार के संगत कार्यक्रमों के अभिसरण की जरूरत पर बल देते रहे हैं।

जिला कृषि योजना की स्थितिः

4.1.5 जिला कृषि योजनाएं (डीएपी) और राज्य कृषि योजना (एसएपी) तैयार करना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के कार्यान्वयन की कार्यनीति का मूलाधार है। क्योंकि आरकेवीवाई वित्तीय वर्ष 2007-08 के मध्य से कार्यान्वित की गई थी इसलिए 2007-08 के दौरान डीएपी को अंतिम रूप देने के लिए आग्रह नहीं किया गया लेकिन राज्यों को उन्हें तैयार करने के लिए एक कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया। डीएपी तैयार करने के लिए प्रत्येक जिले के वास्ते

आरकेवीवाई के तहत 10 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है।

4.1.6 राज्यों को डीएपी तैयार करने में सुविधा पहुंचाने के उद्देश्य से योजना आयोग ने व्यापक जिला कृषि योजना (सीडीएपी) विषयक एक नियमपुस्तिका प्रकाशित की है। सीडीएपी नियमपुस्तिका की मुख्य विशेषताओं में अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं: योजना तैयार करने में नीचे से ऊपर का दृष्टिकोण, गांव, ब्लाक और जिला स्तर पर कृषि नियोजन यूनिट की स्थापना, ग्राम कृषि योजना को ब्लाक, जिला और राज्य कृषि योजना में शामिल करना, डीएपी तैयार करने और उसकी मंजूरी के लिए सभी स्तरों पर पीआरआई का सक्रिय सहयोजन, कार्यनीतिक अनुसंधान और विस्तार योजना (एसआरईपी) के साथ डीएपी का अंतःसंबंध। सीडीएपी नियमपुस्तिका की प्रतियां योजना आयोग के उपाध्यक्ष द्वारा 30.7.2008 को आयोजित आरकेवीवाई की समीक्षा बैठक में राज्यों को उपलब्ध कराई गई थीं।

आरकेवीवाई की समीक्षा बैठक:

4.1.7 2007-08 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के उद्देश्य से उपाध्यक्ष योजना आयोग ने नई दिल्ली में 30.7.2008 को एक बैठक आयोजित की।

इस बैठक में लिए गए कुछेक महत्वपूर्ण निर्णय संक्षेप में नीचे दिए गए हैं:

1. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अधीन लाभ उठाने के लिए जिला कृषि योजना (डीएपी) तैयार करना एक पूर्वापेक्षा है। डीएपी तैयार करने के लिए प्रत्येक जिले को आरकेवीवाई के तहत 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। अधिकांश राज्यों ने डीएपी के प्रारूप तैयार कर लिए हैं और वे पीआरआई के परामर्श से उन्हें अंतिम रूप देने में प्रवृत्त हैं। डीएपी तैयार करने के काम को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए और उसे शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए। यह निर्णय लिया गया है कि डीएपी तैयार करने से जुड़े अधिकारियों और पीआरआई कार्यक्रमों के क्षमता निर्माण का संवर्द्धन करने के लिए राज्य सरकारें धारा-1 परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर) तैयार करने के लिए निर्धारित निधियों के एक हिस्से का प्रयोग कर सकती हैं। यह ध्यातव्य है कि आरकेवीवाई मार्गनिर्देशों के पैरा 7.1.2 के अधीन आरकेवीवाई की कुल धारा-1 निधियों का 5% हिस्सा डीपीआर तैयार करने के लिए निर्धारित किया गया है।

2. पशुपालन और डेयरी तथा मत्स्य से संबंधित संबद्ध क्षेत्रकों द्वारा आरकेवीवाई निधियों का कम उठान जैसाकि 2007-08 के दौरान आंकड़ों से परिलक्षित होता है, चिंता का एक कारण है। कुछेक राज्यों द्वारा कम उठान के लिए बताए गए कारणों में से एक कारण इन क्षेत्रकों में अच्छी परियोजनाओं का अभाव था। अतः यदि जरूरी समझा जाए तो डीएपी तैयार करने के लिए उपलब्ध कराई गई 10 लाख रुपए की राशि का प्रयोग डीपीआर तैयार करने के लिए पैरा 7.1.2 में उपलब्ध कराई गई निधियों के अलावा उपयुक्त स्कीमें/परियोजनाएं अभिज्ञात करने और तैयार करने में सहायता प्रदान करने के निमित्त परामर्शदाताओं की सेवाएं प्राप्त करने के लिए खर्च किया जा सकता है।

3. इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कृषि विकास के लिए अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास महत्वपूर्ण होते हैं अधिकांश राज्यों द्वारा राज्य स्तरीय स्वीकृति समितियों में सदस्यों के रूप में राज्य कृषि

विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। राज्यों को आरकेवीवाई के अधीन स्थानीय दृष्टि से संगत अनुसंधान क्रियाकलाप करने के वास्ते एसएयू को समुचित संसाधन आबंटित करने के लिए कहा गया है।

4. राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य वित्त विभाग द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों/विभागों को केन्द्रीय सरकार से निधियां प्राप्त होने की तारीख से 15 दिन के भीतर निधियां प्रदान कर दी जाएं जिससे कि आरकेवीवाई परियोजनाओं का समय पर कार्यान्वयन सुविधापूर्ण बन सके। राज्यों को एक वेब-आधारित मानीटरन प्रणाली स्थापित करनी चाहिए जिसे कृषि और सहकारिता विभाग में एनआईसी के परामर्श से निर्मित की जाने वाली प्रणाली के साथ जोड़ा जाएगा।

5. जिला योजना समितियों को केन्द्रीय कृषि और सहकारिता मंत्रालय, ग्रामीण विकास और पंचायती राज के कार्यक्रमों और साथ ही राज्य सरकार आदि जैसे विभिन्न स्रातों से संसाधनों का अभिसरण सुनिश्चित करना चाहिए जिससे कि जिला स्तरीय योजनाएं समग्र हों।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम):

4.1.8 हालांकि 2005-06 से खाद्यान्न के बढ़ते हुए उत्पादन के कारण खाद्य सुरक्षा काफी आशापूर्ण दिखाई देती हैं फिर भी कृषि नियोजन की कार्यसूची में खाद्य सुरक्षा उच्च स्थान पर बनी रहेगी। 2007 में शुरू किया गया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य 11वीं योजना के अंत तक खाद्यान्न उत्पादन में कम से कम 20 मिलियन टन की वृद्धि करना है। 20 मिलियन टन की वृद्धि अर्थात 11वीं योजना के अंत तक 10 मिलियन टन चावल, 8 मिलियन टन गेहूं और 2 मिलियन टन दालों के रूप में कम से कम 20 मिलियन टन की वृद्धि करना है। 11वीं योजना के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) का परिव्यय 4883 करोड़ रुपए है। चावल कार्यक्रम 14 राज्यों के 136 जिलों में, गेहूं कार्यक्रम 9 राज्यों के 141 जिलों में तथा दाल कार्यक्रम 14 राज्यों के 171 जिलों में कार्यान्वित करने का विचार है। आज की स्थिति में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत कुल मिलाकर 17 राज्यों के 312 जिले कवर किए जा चुके हैं। वार्षिक योजना 2007-08 के लिए एनएफएसएम का परिव्यय 404 करोड़ रुपए है जबकि वर्ष 2008-09 के लिए एनएफएसएम का परिव्यय 1100 करोड़ रुपए है। अभी तक डीएसी से प्राप्त संकेतों के अनुसार एनएफएसएम द्वारा कवर किए गए जिलों में बीजों की उपलब्धता की बेहतर स्थिति है। तथापि, जिन मुद्दों की ओर ध्यान दिए जाने की जरूरत है उनमें दाल उत्पादन के लिए अन्य कार्यक्रमों की अतिव्याप्ति (आईएसओपीओएम); तथा कार्यक्रम का प्रभाव आकलन आदि शामिल हैं।

गौण कृषि पर तकनीकी सलाहकार समिति:

4.1.9 प्रौद्योगिकी में हुई उन्नति का लाभ उठाकर गौण कृषि के प्रोत्साहन संबंधी विभिन्न मुद्दों की ओर ध्यान देने के वास्ते प्रोफेसर डी. पी. एस. वर्मा की अध्यक्षता में एक तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) का गठन किया गया है जिससे कि कृषि उन्नति को बढ़ावा दिया जा सके और प्राथमिक उत्पाद का मूल्य संवर्द्धन किया जा सके। प्रोफेसर वर्मा ने ***"गौण कृषि: प्राथमिक कृषि का मूल्य संवर्द्धन"*** विषय पर अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। टीएसी-एसए ने देश में गौण कृषि औद्योगिक विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों की ओर ध्यान देने के लिए कुल मिलाकर 21 सिफारिशें की हैं और उसने इन सिफारिशों को 6 उपशीर्षों अर्थात संगठनात्मक, तकनीकी, वित्तीय, औद्योगिक तत्व, फार्म स्तरीय संगठन और जैव प्रसंस्करण के

लिए आधारिक सुविधाओं के रूप में वर्गीकृत किया है। योजना आयोग ने इन सिफारिशों के संबंध में संबंधित मंत्रालयों की टिप्पणियां प्राप्त कर ली हैं जिससे कि देश में गौण कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यनीतिक दृष्टिकोण अपनाया जा सके।

पुनर्वास पैकेज

4.1.10 4 राज्यों के 31 आत्महत्या बहुल जिलों अर्थात **आंध्र प्रदेश** (प्रकाशम, गुंटूर, नेल्लोर, चित्तूर, अनंतपुर, कुरनूल, आदीलाबाद, करीमनगर, खम्मम, महबूबनगर, मेडक, नालगोंडा, निजामाबाद, रंगारेड्डी, वारंगल, कुडप्पा), **कर्नाटक** (बेलगांव, हासन, चित्रदुर्गा, चिकमंगलूर, कोडागु, शिमोगा), **केरल** (वायानाड, पालक्कड़, कसारागोड़) तथा **महाराष्ट्र** (अकोला, वर्धा, अमरावती, बुलधाना, वासिम, यवतमाल) में किसानों के बीच संकट के मुद्दे की ओर ध्यान देने के उद्देश्य से सरकार ने 16978.69 करोड़ रुपए के एक पुनर्वास पैकेज को मंजूरी प्रदान की जिसमें सब्सिडी/अनुदान के रूप में 10579.43 करोड़ रुपए तथा ऋण के रूप में 6399.26 करोड़ रुपए शामिल हैं। इन 4 राज्यों के लिए नियत राशि निम्नानुसार है:

आंध्र प्रदेश	रुपए 9,650.55 करोड़
कर्नाटक	रुपए 2,689.64 करोड़
केरल	रुपए 765.24 करोड़
महाराष्ट्र	रुपए 3873.26 करोड़

4.1.11 पुनर्वास पैकेज का उद्देश्य इन जिलों में संस्थानगत ऋण सहायता का सुदृढ़ीकरण करना, सिंचाई विकास, सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा, जल विभाजक विकास, विस्तार सेवाओं, बीज प्रतिस्थापन दर का संवर्द्धन, बागवानी, पशुधन और मत्स्य विकास के जरिए आय संवर्द्धन है।

4.1.12 30 जून, 2008 तक निधियों का वास्तविक राज्य-वार प्रवाह 11463.49 करोड़ रुपए रहा है।

4.1.13 पुनर्वास पैकेज में मध्यावधिक संशोधन शामिल करने के लिए मंत्रिमंडल द्वारा निम्न संशोधन मंजूर किए गए हैं:

(i) गैर-ऋण घटक के कार्यान्वयन की अवधि और आगे दो वर्ष अर्थात 30 सितंबर, 2011 तक बढ़ा देना।

(ii) संबंधित मंत्रालयों/विभागों को आवश्यकता-आधारित अतिरिक्त वित्तीय सहायता के प्रावधान के लिए "सिद्धांत रूप में मंजूरी"।

(iii) बीज विस्थापन कार्यक्रम के अधीन प्रत्येक किसान की क्षेत्र सीमा एक हैक्टेयर से बढ़ाकर दो हैक्टेयर किया जाना।

(iv) एनआरएए द्वारा अनुमोदित सामान्य मार्गनिर्देशों के अनुसरण में तथा इस शर्त के अध्यधीन कि आर्थिक सहायता डब्ल्यूडीएफ के अनुमोदित मानदंडों के अनुसार होगी, सहभागितापूर्ण जल विभाजक विकास कार्यक्रमों के लिए "कैफीटेरिया दृष्टिकोण" अपनाना।

(v) विस्तार सेवाओं के तहत "महिला किसान" सशक्तिकरण कार्यक्रम का समावेशन।

(vi) संशोधन अथवा सहायक आय क्रियाकलापों के तहत इस शर्त पर नए घटकों के शामिल किए जाने के संबंध में कि कुल वित्तीय प्रभाव संबंधित राज्य के लिए मौजूदा अनुमोदित परिव्यय के भीतर बना रहेगा निर्णय लेने के लिए पशुपालन, डेयरी और मत्स्य विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकारप्राप्त समिति का गठन जिसके सदस्यों के रूप में कृषि और सहकारिता विभाग, योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

4.1.14 योजना स्कीमों के निष्पादन का मानीटरन करने के लिए इस प्रभाग ने सदस्य के स्तर पर केन्द्रीय क्षेत्रक (सीएस) तथा कृषि और सहकारिता विभाग (डीएसी) पशुपालन डेयरी तथा मत्स्य विभाग तथा कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग की केन्द्र प्रायोजित स्कीमों की (सीएसएस) छमाही निष्पादन समीक्षा (एचपीआर) बैठक आयोजित की।

4.1.15 कृषि और संबद्ध क्षेत्रकों के निष्पादन को बढ़ावा देने के लिए डीएसी ने अनेक उपाय किए हैं जो निम्नानुसार हैं:

तिलहनों, दालों, खजूर तेल और मकई के लिए एकीकृत स्कीम (आईएसओपीओएम)

4.1.16 आईएसओपीओएम 2004 से कार्यान्वित की जा रही हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत आईएसओपीओएम के तहत 1500 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। स्कीम के अधीन वार्षिक योजना 2007-08 के दौरान वास्तविक खर्च 343.46 करोड़ रुपए रहा है जबकि 2008-09 के लिए प्रत्याशित खर्च 400.00 करोड़ रुपए है।

कपास विषयक प्रौद्योगिकी मिशन

4.1.17 कपास विषयक प्रौद्योगिकी मिशन कपास उगाने वाले 13 राज्यों में फरवरी, 2000 से कार्यान्वित किया जा रहा है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान टीएमसी के अधीन 450 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। वार्षिक योजना 2007-08 के दौरान स्कीम के तहत कुल खर्च 66.11 करोड़ रुपए हुआ है जबकि 2008-09 के लिए प्रत्याशित खर्च 58.57 करोड़ रुपए है।

4.1.18 कार्बनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए **राष्ट्रीय कार्बनिक खेती परियोजना** नामक एक नई केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम अक्तूबर में मंजूर की गई है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 115 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है। इस स्कीम के तहत वार्षिक योजना 2007-08 के दौरान वास्तविक खर्च 23.10 करोड़ रुपए रहा है। जबकि 2008-09 के लिए प्रत्याशित व्यय 34.05 करोड़ रुपए है।

कृषि विस्तार

4.1.19 कृषि विस्तार प्रणाली को एक विकेन्द्रीकृत कृषकचालित, कृषक-जवाबदेह तथा मांग संचालित विधि से चुस्त बनाने के उद्देश्य से "विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों को सहायता" (एटीएमए) नामक एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम 2005 से कार्यान्वित की जा रही है। यह स्कीम अनुसंधान-विस्तार-कृषक तालमेल, बहुएजेंसी विस्तार सेवाओं और जिला स्तर पर क्रियाकलापों और सहायता के अभिसरण को भी बढ़ावा देती है। फरवरी, 2009 तक 28 राज्यों और 2 संघशासित क्षेत्रों में कुल मिलाकर 583 एटीएमए स्थापित किए जा चुके हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस स्कीम के तहत 2000 करोड़ रुपए का आबंटन किया जा चुका है, 2008-09 के दौरान इस स्कीम के लिए 298 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। स्कीम के तहत वार्षिक योजना 2007-08 के दौरान वास्तविक व्यय 155.81 करोड़ रुपए हुआ है जबकि 2008-09 के लिए प्रत्याशित व्यय 198 करोड़ रुपए था।

कृषि का वृहद प्रबंध

4.1.20 "वृहद प्रबंध" नामक केन्द्र प्रायोजित स्कीमें पिछली 27 केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के विलयन के साथ 2000-01 से कार्यान्वित की जा रही हैं। राज्यों को निधियों के और अधिक पारदर्शी आबंटन के साथ 2008-09 में इस स्कीम को संशोधित किया जा चुका है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस स्कीम के तहत 5500 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। इस स्कीम के तहत वार्षिक योजना 2007-08 के दौरान वास्तविक व्यय 1001.07 करोड़ रुपए रहा है जबकि 2008-09 के लिए प्रत्याशित व्यय 981.00 करोड़ रुपए है।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) तथा मौसम आधारित फसल बीमा योजना (डब्ल्यूबीसीआईएस)

4.1.21 डब्ल्यूबीसीआईएस सहित एनएआईएस के तहत 11वीं योजना के दौरान 3500 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। 2008-09 के दौरान इस स्कीम के लिए 694 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखा गया है। इस स्कीम के तहत वार्षिक योजना 2007-08 के दौरान वास्तविक व्यय 788.07 करोड़ रुपए था जबकि 2008-09 के लिए प्रत्याशित व्यय 794.00 करोड़ रुपए है।

सूक्ष्म सिंचाई

4.1.22 इस स्कीम के अधीन 11वीं योजना के दौरान 3400.00 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। इस स्कीम के तहत वार्षिक योजना 2007-08 के दौरान वास्तविक व्यय 409.40 करोड़ रुपए रहा है जबकि 2008-09 के लिए प्रत्याशित व्यय 430.00 करोड़ रुपए है।

राष्ट्रीय बागबानी मिशन

4.1.23 18 राज्यों और 2 संघशासित क्षेत्रों के 344 जिलों को कवर करते हुए एनएचएम 10वीं योजना के वर्ष 2005-06 से कार्यान्वित किया जा रहा है। केन्द्र और राज्यों के बीच 85:15 के सहायता नमूने सहित इस केन्द्र प्रायोजित स्कीम में बागवानी की फसलों की व्यापक प्रच्छन्न संभावना का लाभ उठाने, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और किसानों की आय को बढ़ाने की परिकल्पना की गई है।

4.1.24 11वीं योजना में 8809 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। इस स्कीम के तहत वार्षिक योजना 2007-08 के दौरान वास्तविक व्यय 919.18 करोड़ रुपए रहा है जबकि 2008-09 के लिए प्रत्याशित व्यय 1000.00 करोड़ रुपए है।

राष्ट्रीय बागबानी बोर्ड

4.1.25 राष्ट्रीय बागबानी बोर्ड (एनएचबी) बागबानी उद्योग के एकीकृत विकास को बढ़ावा देने, फलों और सब्जियों के उत्पादन और प्रसंस्करण को समन्वित-बनाए रखने के उद्देश्य से फसलोत्तर प्रबंध से जुड़े हुए मुद्दों की ओर ध्यान देता है।

4.1.26 11वीं योजना के दौरान 632 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। इस स्कीम के तहत वार्षिक योजना 2007-08 के दौरान वास्तविक व्यय 121.04 करोड़ रुपए रहा है जबकि 2008-09 के लिए प्रत्याशित व्यय 122.47 करोड़ रुपए है।

सिक्किम सहित पूर्वोत्तर, जम्मू तथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल (टीएमएनई) में बागबानी के एकीकृत विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन

4.1.27 टीएमएनई नामक केन्द्र प्रायोजित स्कीम सिक्किम सहित 8 पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू तथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल तथा अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में 2001-02 से कार्यान्वित की जा रही है। 11वीं योजना के लिए 1500.00 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। इस स्कीम के तहत वार्षिक योजना 2007-08 के दौरान वास्तविक व्यय 321.76 करोड़ रुपए रहा है जबकि 2008-09 के लिए प्रत्याशित व्यय 384.00 करोड़ रुपए है।

4.1.28 कृषि और संबद्ध क्षेत्रकों के संबंध में 2008-09 के लिए कुछेक राज्यों को छोड़कर जहां 15वीं लोक सभा के लिए चुनाव किए गए थे कृषि और संबद्ध क्षेत्रक के वास्ते राज्य वार्षिक योजनाओं पर **कार्यकारी समूह** बैठकें पहले ही पूरी हो चुकी हैं।

पशुपालन और डेयरी उद्योग

4.1.29 पशुधन क्षेत्रक के लिए 11वीं योजना के दृष्टिकोण का उद्देश्य दुग्ध समूह में 5% प्रति वर्ष तथा मांस और कुक्कुट पालन में 10% प्रति वर्ष की वृद्धि दर सहित समूचे क्षेत्रक के लिए 6 और 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से समग्र वृद्धि दर प्राप्त करना है। चालू कीमतों पर पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के लिए 11वीं योजना अनुमान 8174 करोड़ रुपए है।

वार्षिक योजना 2008-09

4.1.30 वर्ष 2008-09 के दौरान विभाग का विचार 29 स्कीमों को कार्यान्वित करने का है जिनमें आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कनार्टक और केरल के 31 आत्महत्या बहुल जिलों के लिए विशेष पैकेज शामिल हैं। "राष्ट्रीय डेयरी योजना" जिसे एनडीडीबी द्वारा कार्यान्वित किया जाना है उसके संबंध में योजना आयोग की "सिद्धांत रूप में" मंजूरी प्राप्त की जा चुकी है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य के संबंध में वार्षिक योजना 2008-09 में बीई 1000 करोड़ रुपए है जबकि आरई 940 करोड़ रुपए है, इसी अवधि के दौरान व्यय की गई राशि 872.86 करोड़ रुपए है।

मत्स्य

4.1.31 सभी केन्द्र प्रायोजित स्कीमें जैसेकि समुद्री मत्स्य का विकास और फसलोत्तर प्रचालन, अंतर्देशीय मत्स्य तथा जल कृषि और मछुआरों के कल्याण की राष्ट्रीय स्कीम, मत्स्य प्रशिक्षण तथा विस्तार को एक या दो नए उप-घटक जोड़कर 2008-09 के दौरान जारी रखने का विचार है। 2008-09 के दौरान जिन केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमों को जारी रखने का विचार है वे हैं मत्स्य और पशुपालन के लिए डाटा आधार और सूचना नेटवर्क निर्माण का सुदृढ़ीकरण, मत्स्य संस्थानों और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी) को सहायता।

4.1.32 वार्षिक योजना 2008-09 के लिए मत्स्य के संबंध में बीई 215 करोड़ रुपए है जबकि आरई 180 करोड़ रुपए है जिसमें 2008-09 के दौरान नवगठित एनएफडीबी के लिए बीई अवस्था में 75 करोड़ रुपए तथा आरई अवस्था में 46.90 करोड़ रुपए शामिल हैं। इस अवधि के दौरान व्यय की राशि 178.62 करोड़ रुपए है।

4.1.33 एनएफडीबी के अधीन अभिज्ञात ध्यातव्य क्षेत्र इस प्रकार हैं: जल कृषि, घरेलू और निर्यात विपणन सहित आधारिक सुविधाओं का विकास, जलाशय मत्स्य, गहरे समुद्र में मछली पकड़ना, मेरीकल्चर आदि जिससे कि मछुआरों और मत्स्य उद्योग से जुड़े लोगों के लिए बेहतर उत्पादन और उत्पादनशीलता, आय और रोजगारसृजन प्राप्त किया जा सके।

कृषि अनुसंधान और शिक्षा

4.1.34 कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (डेयर) देश के भीतर कृषि अनुसंधान और शिक्षा के विकास तथा अभिशासन के लिए जिम्मेदार है। कृषि अनुसंधान और शिक्षा से जुड़े सभी अंतर्राष्ट्रीय मामले भी डेयर द्वारा शासित किए जाते हैं। इस जिम्मेदारी का निर्वाह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) जोकि देश के भीतर कृषि अनुसंधान और शिक्षा के प्रोत्साहन, कार्यान्वयन और समन्वय के लिए एक शीर्षस्थ और स्वायत्तशासी संगठन द्वारा किया जाता है। आईसीएआर का लक्ष्य आजीविका और पर्यावर्णात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सक्षम और प्रभावी संस्थानगत, आधारिक सुविधा और नीतिगत सहायता द्वारा संपूरित शिक्षा, अनुसंधान और विस्तार पहलों के साथ इंटरफेस द्वारा देश के भीतर संधारणीय और समावेशी कृषि उन्नति और विकास प्राप्त करना है।

वार्षिक योजना 2008-09

4.1.35 कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (डेयर) के निमित्त सकल बजटीय सहायता (जीबीएस)

जोकि 2007-08 में 1620 करोड़ रुपए थी उसे वर्ष 2008-09 में 8.64% बढ़ाकर 1760 करोड़ रुपए कर दिया गया है जिसमें 2008-09 के दौरान फसल विज्ञान अनुसंधान के लिए 315 करोड़ रुपए परिव्यय, बागवानी के लिए 90 करोड़ रुपए, प्राकृतिक संसाधन प्रबंध के लिए 100 करोड़ रुपए, कृषि इंजीनियरी के लिए 42 करोड़ रुपए, पशु विज्ञान के लिए 90 करोड़ रुपए, मत्स्य पालन के लिए 45 करोड़ रुपए, कृषि शिक्षा के लिए 350 करोड़ रुपए, केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के लिए 134 करोड़ रुपए, कृषि विस्तार के लिए 301 करोड़ रुपए, कार्यनीतिक अनुसंधान के लिए 10 करोड़ रुपए, भारत-अमरीका ज्ञान पहल के लिए 6 करोड़ रुपए, डेयर, एमआईएस तथा आइपीआर प्रबंध के लिए 20 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय कृषि नवाचारी परियोजना के लिए 257 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

4.2 पिछड़े वर्ग, जनजातीय विकास तथा सामाजिक कल्याण प्रभाग

पिछड़े वर्ग तथा जनजातीय प्रभाग

4.2.1 पिछड़े वर्ग और जनजातीय विकास प्रभाग मुख्यतः अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी), अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण के लिए योजनाएं और कार्यक्रम तैयार करने के वास्ते समग्र नीति और मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार है। यह प्रभाग जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) तथा अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) जोकि विशिष्ट और निर्देशित विकासात्मक कार्रवाई सहित क्रमशः एससी तथा एसटी की समाजार्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए प्रभावी साधन हैं, की विशेष कार्यनीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए भी सलाह प्रदान करता है। सामाजिक कल्याण प्रभाग विकलांगों, बूढ़े व्यक्तियों तथा नशीली दवाओं का सेवन करने वाले व्यक्तियों के कल्याण और पुनर्वास से संबंधित कार्यक्रमों की देखभाल करता है।

4.2.2 एक दीर्घावधिक प्रक्रिया के रूप में सशक्तिकरण के अंतर्गत निम्नलिखित त्रि-आयामी नीति अपनाई गईः (i) बुनियादी न्यूनतम सेवाओं की सहज सुलभता प्रदान करने के अलावा, विषमताओं व अन्य समस्याओं जैसी विद्यमान व सतत असमानताओं को दूर करके सामाजिक सशक्तिकरण, सामाजिक विकास के लिए एक प्रमुख कारक होने की वजह से शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है; (ii) रोजगार-सह-आयसृजन कार्यकलाप प्रोत्साहित करने के लिए सामाजिक सशक्तिकरण, जिसका अंतिम उद्देश्य उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र व आत्मनिर्भर बनाना है; और (iii) विधायी समर्थन, सकारात्मक कार्रवाई जागरूकता निर्माण/संवेदीकरण और लोगों की मानसिकता में अपेक्षित परिवर्तन की मदद से, उनके विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने के लिए सामाजिक न्याय।

4.2.3 सभी अन्य संबंधित विकसित क्षेत्रों के समन्वय के साथ प्रभाग का कामकाज इस अनिवार्य दृष्टिकोण पर केन्द्रित और मार्गदर्शित रहा है। इन समूहों को, उनकी जरूरतों और आवश्यकताओं द्वारा मार्गदर्शित उनके समाजार्थिक विकास वाले विशेष रूप से, इन समूहों को शिक्षा, स्वस्थ, पोषाहार, स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल जैसी बुनियादी सेवाएं, आर्थिक विकास के लिए न्यूनता के साथ, सहज सुलभ कराने का कार्य पूरा करने के लिए, कार्यक्रमों को उचित भारांश प्रदान करते हुए, उनकी समाजार्थिक स्थिति में समग्र रूप से सुधार प्राप्त किया जाए।

4.2.4 वार्षिक योजना 2008-09 में प्रमुख बल प्रभावी सहयोजन और स्वैच्छिक कार्य की संपूर्ति के माध्यम से इन सुविधावंचित समूहों के हितों के संरक्षण और उनका ध्यान रखने में समन्वित प्रयासों

और नवाचारी हस्तक्षेपणीय उपायों के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों के समेकन और सुदृढ़ीकरण पर रहा है।

4.2.5 ध्यान में पैनापन लाने और क्रियाकलापों में तेजी लाने के उद्देश्य से प्रभाग ने सामाजिक दृष्टि से सुविधावंचित समूहों के समग्र विकास और रोजगार की प्रक्रिया में तेजी लाने के निमित्त पहले से चली आ रही नीतियों और कार्यक्रमों को दिशा-अनुकूलित करने/युक्तियुक्त बनाने का अपना काम जारी रखा।

4.2.6 वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान प्रभाग द्वारा किए गए विभिन्न क्रियाकलापों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

अनुसूचित जाति (एससी) तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) विकास

4.2.7 2007-08 के दौरान 2001 करोड़ रुपए के परिव्यय सहित निष्पादन तथा विभिन्न कल्याण और विकासात्मक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के माध्यम से की गई प्रगति के आधार पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को 2400 करोड़ रुपए का बढ़ा हुआ परिव्यय (2065.00 करोड़ रुपए एससी और ओबीसी के विकास के लिए 335 करोड़ रुपए सामाजिक कल्याण क्षेत्रक के लिए) प्रदान किया गया। जबकि विशेष रूप से शैक्षिक उन्नति के माध्यम से उनके सामाजिक सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया गया है उसके साथ-साथ आम जनता तथा एससी और ओबीसी के बीच निर्धनता के अंतराल का उपशमन करने और उसे घटाने तथा सामाजिक दृष्टि से सुविधावंचित इन समूहों को आत्मनिर्भर तथा आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र बनाने को भी प्राथमिकता दी गई है।

4.2.8 योजना आयोग ने एससीएसपी तथा टीएसपी के निर्माण, कार्यान्वयन और मानीटरन के लिए राज्यों/संघशासित क्षेत्रों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को मार्गनिर्देश तथा 2005 में अतिरिक्त मार्गनिर्देश जारी किए हैं। अधिकांश राज्यों ने एससीएसपी और टीएसपी के लिए एक अलग बजट शीर्ष खोल दिया है और साथ ही मार्गनिर्देशों के अनुसार एससीएसपी तथा टीएसपी के लिए अलग दस्तावेज भी तैयार किए हैं। तथापि, कुछेक राज्यों ने एससीएसपी तथा टीएसपी निर्धारित आबंटन के लिए एससी, एसटी विभागों के अपने प्रभारी सचिवों और वित्त तथा योजना सचिव को अधिकार प्रदान कर दिए हैं। योजना आयोग एससीएसपी तथा टीएसपी के मार्गनिर्देशों का अनुपालन करने के लिए राज्य सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों को लगातार लिखता रहा है।

अल्पसंख्यक विकास

4.2.9 जब अल्पसंख्यक विकास सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का एक अभिन्न अंग था तो 51.20 करोड़ रुपए की केवल 3 स्कीमें थीं अर्थात मौलाना आजाद एजूकेशन फाउंडेशन (एमएईएफ), राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एनएमडीएफसी) तथा अल्पसंख्यकों सहित कमजोर वर्गों के लिए कोचिंग और संबद्ध स्कीम जिसके लिए 2005-06 में 51.20 करोड़ रुपए का मामूली आबंटन रखा गया था। जनवरी, 2006 में नितांतः अलग तौर पर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय बनाए जाने के बाद परिव्यय में भारी वृद्धि करके उसे 2006-07 में 130.89 करोड़ रुपए, 2007-08 में 500 करोड़ रुपए तथा 2008-09 में 1000 करोड़ रुपए कर दिया गया है जिसका उद्देश्य केवल पहले से चले आ रहे कार्यक्रमों का सुदृढ़ीकरण करना ही नहीं बल्कि नई स्कीमों का कार्यान्वयन करना भी है।

4.2.10 जून, 2006 में प्रधानमंत्री के नए 15-सूत्री कार्यक्रम के अनुसरण में अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय ने तीन छात्रवृत्ति स्कीमें शुरू की हैं अर्थात स्नातक और व्यावसायिक पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए अल्पसंख्यक छात्रों के लिए योग्यता एवं साधन

आधारित छात्रवृत्ति स्कीम; (ii) अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के बीच उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां जिनमें अल्पसंख्यक लड़कियों द्वारा 2007-08 में शिक्षा शुरू करने पर विशेष बल दिया गया है; तथा (iii) 2008-09 के दौरान मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति स्कीम नामक एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) लागू की गई थी। 2008-09 में ही विकासात्मक पिछड़ापन दर्शाने वाले अल्पसंख्यकों की बहुलता वाले 90 जिलों में कार्यान्वयन के लिए बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की एक नई सीएसएस मंजूर की गई। इस नई स्कीम का उद्देश्य अभिज्ञात अल्पसंख्यक बहुलता वाले राज्यों में विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों और आमतौर पर समाज के सुविधावंचित वर्गों के लोगों की समाजार्थिक स्थितियों और जीवन स्तर में सुधार लाना था। "विकासात्मक दृष्टि से पिछड़े" के रूप में अभिज्ञात जिलों के लोगों के जीवन स्तर में आयसृजन के अवसर पैदा करने के लिए लाभग्राही-उन्मुखी स्कीमों के अलावा शिक्षा, सफाई, पक्के मकान, पेयजल तथा विद्युत आपूर्ति के लिए बेहतर आधारिक सुविधाओं के निमित्त जिला विशिष्ट योजनाओं के अधीन प्रावधानों के माध्यम से सुधार आएगा।

अनुसूचित जनजाति विकास

4.2.11 एसटी के लाभार्थ कार्यान्वित किए जा रहे विभिन्न समाजार्थिक विकास कार्यक्रमों के रूप में संवर्द्धित सहायता प्रदान करने के लिए अनुसूचित जनजाति मामले मंत्रालय का परिव्यय 2007-08 के लिए 503 करोड़ रुपए था जोकि 2008-09 में बढ़ाकर 805 करोड़ रुपए कर दिया गया। आदिम जनजाति समूहों (पीटीजी) की स्कीम के अधीन भारी वृद्धि की गई अर्थात जो परिव्यय 2007-08 में 40 करोड़ रुपए था वह 2008-09 में बढ़ाकर 178 करोड़ रुपए कर दिया गया जिसका उद्देश्य ऐसे पीटीजी जो अत्यंत समाजार्थिक पिछड़ेपन और खराब हालात में जिंदगी बिता रहे हैं उनके जीवित रहने, उनके संरक्षण और विकासात्मक जरूरतों की ओर ध्यान देना था।

4.2.12 वार्षिक योजना 2008-09 के दौरान योजना आयोग ने अनुसूचित जनजातियों समाजार्थिक विकास और सशक्तिकरण से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों के निर्माण कार्यान्वयन से संबंधित कार्रवाई के बारे में जनजातीय मामले मंत्रालय के साथ निकट रूप से और सतत रूप से वैचारिक आदान-प्रदान किया।

4.2.13 प्रभाग ने 2008-09 के दौरान विभिन्न पक्षों पर चर्चा करने जैसेकि 15 राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में फैले 75 आदिम जनजाति समूहों (पीटीजी) के विकास के लिए जनजातियों तथा संरक्षण एवं विकास योजनाओं पर बल देते हुए वन ग्रामों के विकास पर जनजातीय मामले मंत्रालय के साथ विभिन्न बैठकें आयोजित कीं। 75 अभिज्ञात पीटीजी का विकास वार्षिक योजना के संदर्भ में 11वीं योजना में प्राथिमकतापूर्ण महत्व पाता रहा। प्रभाग ने विभिन्न पीटीजी विशिष्ट विकास परियोजना प्रस्तावों की जांच करने तथा कृषि उत्पादकता बढ़ाने के निमित्त सिंचाई संबंधी आधारिक सुविधाओं का सृजन करने, जिसके फलस्वरूप उनका आर्थिक सशक्तिकरण हो सके जनजातीय मामले मंत्रालय में आयोजित विभिन्न बैठकों में भाग लिया तथा इन परियोजनाओं को हाथ में लेने के लिए प्रायोजित एनजीओ द्वारा किए जाने वाले प्रभावी और उपयुक्त उपाय सुझाए।

सामाजिक कल्याण प्रभाग

4.2.14 सामाजिक कल्याण प्रभाग ने विकलांग व्यक्तियों के 'सशक्तिकरण' (लोकोमोटर, दृष्टि, श्रवण, वाक् तथा मानसिक मंदता); सामाजिक विपथगामी, नशीली दवाओं का सेवन करने वालों, शराबियों, भिखारियों आदि के 'सुधार' तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता (एम/एसजे तथा

ई) के नोडल मंत्रालय तथा केन्द्र और राज्य सरकारों--दोनों के संबंधित मंत्रालयों/विभागों के समन्वय से बूढ़े व्यक्तियों जैसे अन्य सुविधावंचित लोगों की 'देखभाल' की दिशा में अपने प्रयास जारी रखे जिससे कि इन लक्षित समूहों के कल्याण, विकास और सशक्तिकरण के प्रति लक्षित विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

4.2.15 विकलांग व्यक्तियों का पुनर्वास और सशक्तिकरण विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 1995 के अनुसार सरकार की एक सांविधिक जिम्मेदारी है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1995 के विभिन्न प्रावधानों को कार्यान्वित करने यथासंभव अधिकाधिक विकलांग व्यक्तियों को सामर्थ्यवान बनाने की प्रतिबद्धता को पूरा करने जिससे कि वे समाज में सक्रिय, आत्मनिर्भर और उत्पादनशील सहयोग प्रदान कर सकें, विभिन्न स्कीमें और कार्यक्रम हाथ में लिए हैं। इस संदर्भ में 2008-09 में 15.00 करोड़ रुपए के आबंटन सहित 'शारीरिक दृष्टि से विकलांग व्यक्तियों का रोजगार' नामक एक नई केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम शुरू की गई है।

4.2.16 इस बात को स्वीकार करते हुए कि शराबी और नशीली दवाओं का सेवन करने वाले सामाजिक दृष्टि से विपथगामी लोग पक्के व्यसनी नहीं होते बल्कि वे परिस्थितियों तथा हालात के दबाव का शिकार हो जाते हैं, वर्ष 1985-86 से लागू निषेध और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के निवारण की स्कीम का कार्यान्वयन वार्षिक योजना 2008-09 को सौंप दिया गया। इस स्कीम के अधीन मंत्रालय नशामुक्ति और नशीली दवाओं के व्यसनियों के पुनर्वास के लिए कार्यक्रम चलाने में स्वैच्छिक संगठनों की मदद कर रहा है।

स्थायी वित्त समिति (एसएफसी)/व्यय वित्त समिति (ईएफसी)/आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए)/मंत्रिमंडल के लिए टिप्पणियों की जांच

4.2.17 इस प्रभाग ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता, जनजातीय मामले मंत्रालय तथा अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय द्वारा विभिन्न स्कीमों के लिए प्रस्तुत अनेक स्थायी वित्त समिति (एसएफसी)/व्यय वित्त समिति (ईएफसी) टिप्पणियों की परियोजना मूल्यांकन आकलन और प्रबंध प्रभाग (पीएएमडी) के निकट परामर्श से जांच की है। प्रभाग ने आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए)/मंत्रिमंडल के लिए इन मंत्रालयों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न प्रस्तावों पर भी अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं।

केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्यों की वार्षिक योजना चर्चाएं (2008-09 तथा 2009-10)

4.2.18 वार्षिक योजना 2009-10 को अंतिम रूप देने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जनजातीय मामले मंत्रालय और अल्पसंख्यक मामले मंत्रालयों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। इसके बाद वार्षिक योजना के लिए अनुमोदित परिव्यय का मंत्रालयों के परामर्श से स्कीम-वार आबंटन भी किया गया। इसी प्रकार राज्य सरकारों के विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति की भी समीक्षा की गई है और राज्य सरकारों को अपनी वित्तीय और भौतिक निष्पादन में सुधार लाने का सुझाव दिया गया है।

4.2.19 राज्य वार्षिक योजनाएं (2008-09) तथा 2009-10 को अंतिम रूप देने के लिए सलाहकार (एसजे) की अध्यक्षता में विकलांगों और वृद्धों के कल्याण सहित सामाजिक कल्याण के वास्ते कार्यकारी समूह की बैठकें/चर्चाएं आयोजित की गईं जिनमें राज्य के प्रतिनिधियों तथा एसजे और ई तथा जनजातीय मामले के नोडल मंत्रालय, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तथा राष्ट्रीय अनुसूचित

जनजाति आयोग ने भाग लिया। विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों की प्रगति की समीक्षा करने के अलावा कार्यकारी समूहों ने प्रत्येक राज्य के लिए वित्तीय जरूरतों का आकलन भी किया और क्षेत्रक के वास्ते संसाधनों के आबंटन की सिफारिश की तथा संक्षिप्त टिप्पणियां तैयार की गईं जिन्होंने राज्यों और संघशासित क्षेत्रों की वार्षिक योजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए राज्य के मुख्यमंत्रियों और योजना आयोग के उपाध्यक्ष के बीच बैठकों के लिए इनपुट प्रदान किए।

समाजार्थिक अनुसंधान प्रभाग (एसईआर) तथा कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पीईओ) द्वारा भेजे गए अनुसंधान प्रस्तावों, अनुसंधान रिपोर्टों की जांच

4.2.20 प्रभाग ने सुविधावंचित समूहों/अन्य विशेष समूहों के कल्याण की बाबत योजना आयोग के एसईआर तथा पीईओ प्रभागों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न अनुसंधान प्रस्तावों/परियोजनाओं की गइराई से जांच की और टिप्पणियां प्रस्तुत की।

संसद प्रश्न आदि

4.2.21 इसके अलावा, प्रभाग ने संसद प्रश्नों, वीआईपी संदर्भों से संबंधित कार्य भी किया और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री तथा योजना आयोग के उपाध्यक्ष द्वारा विभिन्न मौकों पर दिए गए भाषणों के लिए इनपुट प्रदान किए। देश के विभिन्न भागों में चले आ रहे विभिन्न कार्यक्रमों/स्कीमों की प्रगति और उनके प्रभाव के संबंध में प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रभाग के अधिकारियों ने अनेक क्षेत्रीय दौरे किए।

बैठकें

4.2.22 डॉ. बी. एल. मुंगेरकर, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में निम्न समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं;

- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जनजातीय मामले मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय स्तर के वित्त और विकास निगमों, सफाई कर्मचारियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और विकलांग व्यक्तियों के प्रतिनिधियों की 20.9.2007 को आयोजित बैठक।
- जनजातीय मामले मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की सितंबर, 2008 को समाप्त अवधि के लिए क्रमशः 8.5.2008, 9.6.2008 तथा 11.6.2008 को आयोजित छमाही प्रगति रिपोर्ट।
- जनजातीय उप-योजना के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए योजना आयोग ने 22 मई, 2008 को एक बैठक आयोजित की।
- आकलन और मानीटरन प्राधिकरण (एएमए) की पहली बैठक 29 मई, 2008 को आयोजित की गई थी।
- अनुसूचित जाति तथा अन्य रूढ़िगत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 तथा नियमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए 26.9.2008 को आयोजित बैठक।
- अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी), अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) तथा अल्पसंख्यकों के लिए छात्रवृत्ति स्कीमों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों तथा संघशासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा 12 नवंबर, 2008 को आयोजित बैठक।

4.3 भारत निर्माण: 2008-09

(i) भारत निर्माण घटकों के लिए 2008-09 के बजट में 2007-08 के परिव्यय के मुकाबले 27.14% की वृद्धि की गई है।

(ii) नाबार्ड के जरिए भारत निर्माण सड़क घटक के वास्ते सहायता की विशेष खिड़की वित्तीय वर्ष 2007-08 के आरंभ में ही चालू की जा सकी थी।

(iii) भारत निर्माण के संबंध में 11वीं पंचवर्षीय योजना अध्याय तैयार किया गया और उसे अंतिम रूप दिया गया। साथ ही भारत निर्माण के वार्षिक योजना 2008-09 अध्याय को भी अंतिम रूप दिया गया।

(iv) क्योंकि भारत निर्माण सरकार के अग्रणी कार्यक्रम का एक अंग है इसलिए योजना आयोग द्वारा छमाही प्रगति समीक्षा के एक अंग के रूप में तथा वार्षिक योजना के निर्माण के लिए कार्यकारी समूह की चर्चा के दौरान अलग-अलग राज्यों की प्रगति की समीक्षा की गई।

(v) भारत निर्माण के विभिन्न घटकों के अधीन भौतिक और वित्तीय उपलब्धियों की मौजूदा स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं।

अनुलग्नक 4.3.1

भारत निर्माण की अप्रैल, 2005 से मार्च, 2009 के दौरान संचयी भौतिक और वित्तीय उपलब्धियां

(रुपए करोड़ में)

क्रम संख्या	घटक	भारत निर्माण का समग्र लक्ष्य	मार्च, 2009 तक समग्र उपलब्धि	प्रतिशत उपलब्धि	बाकी रह गई उपलब्धियां	मार्च, 2009 तक प्रदान की गई कुल राशि
1	**सिंचाई (मिलियन हैक्टेयर में)**	10.00	5.941	60.16	4.06	14130.481
	पेयजल					
	बस्तियों की संख्या					
	(क) जो कवर नहीं की गई	55067	52040	94.50	3027	
	(ख) पिछड़ गई	331604	346081	104.37		
	(ग) गुणवत्ता प्रभावित	216968	259628	119.66		
2	योग	603639	657749	108.96		22346.95
	सड़कें					
	(क) कवर की गई	66802	32269	48.31	34533	
	(ख) नई संयोज्यता (किलोमीटर में)	146185.34	85405.18	58.42	60780.16	
3	(ग) सड़क स्तरोन्नयन (किलोमीटर में)	194130.68	155019.20	79.85	39111.48	36133.45
	आवास					
	निर्मित किए जाने वाले	60 लाख				
4	मकानों की संख्या	मकान	67.00	111.67		15408.421
	विद्युतीकरण					
	(क) बिना बिजली के ऐसे गांव जिन्हें बिजली से जोड़ा जाना है	125000	59869	47.90	65131	
5	(ख) ऐसे बीपीएल परिवार जिनके घरों का विद्युतीकरण किया जाना है (लाख में)	230 लाख	53.79	23.39	176.21	13556.46
6	**टेलीफोन**	66822	57181	85.57	9641	148.547

4.4 संचार और सूचना

4.4.1 संचार और सूचना प्रभाग मुख्य रूप से, दूरसंचार, डाक, सूचना और प्रसार तथा अर्थव्यवस्था के सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रकों से संबंधित योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों से संबंधित है। वर्ष के दौरान प्रभाग द्वारा निष्पादित किए गए कार्य की प्रमुख मदों में विभिन्न नीतिगत मुद्दों की जांच करना, क्षेत्रकों की निष्पादन समीक्षा तथा 2008-09 की वार्षिक योजना तैयार करना और उसे अंतिम रूप देने से संबंधित प्रारंभिक कार्य सम्मिलित था। उपर्युक्त के अलावा यह प्रभाग योजना आयोग की वेबसाइट और साथ ही सूचना द्वार के प्रबंध की देखभाल करता है। योजना आयोग में दो आईटी परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं जिनकी देखभाल भी सी तथा आई प्रभाग द्वारा की जा रही है। इसके अलावा, आरटीआई प्रकोष्ठ भी प्रभाग के अंतर्गत कार्य कर रहा है तथा श्री एस. के. मंडल, उप-सलाहकार (सी तथा आई), केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं।

दूरसंचार

4.4.2 भारतीय दूरसंचार नेटवर्क 413.84 मिलियन कनेक्शन (28 फरवरी, 2009 की स्थिति के अनुसार) के साथ, संसार में पांचवां सबसे बड़ा और एशिया में दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है। यह क्षेत्रक एक प्रमुख समर्थनकारी सेवा क्षेत्रक है, जो तीव्र वृद्धि तथा देश के विभिन्न अन्य क्षेत्रकों के आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक है। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रक में विशाल वृद्धि से दूरसंचार क्षेत्रक के विकास को और बढ़ावा मिला है और इस प्रकार इसने वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण सफलता दर्ज की है। इस क्षेत्रक ने, जो वर्ष 2002-03 तक 20 से 25% के बीच वृद्धि कर रहा था, पिछले दो वर्षों के दौरान 40 से 45% की औसत दर से ऊंची गति से प्रगति की है। यह तीव्र वृद्धि सरकार द्वारा समय पर लिए गए विभिन्न सक्रियतापूर्ण तथा सकारात्मक निर्णयों और साथ ही, सरकारी क्षेत्रक व निजी क्षेत्रक के योगदान के फलस्वरूप भी संभव हुई है। प्राप्त की गई दूर-सघनता (28.2.2009 की स्थिति के अनुसार) 35.65% थी जिसमें से शहरी दूर-सघनता 86.18% और ग्रामीण दूर-सघनता 14.36% है।

4.4.3 नेटवर्क विस्तार के क्षेत्र में इस क्षेत्रक की प्रगति को यह तुलना करके देखा जा सकता है कि मार्च, 2008 तक टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या 300.49 मिलियन थी। इस संख्या की तुलना में फरवरी, 2009 तक टेलीफोन कनेक्शनों की कुल संख्या 413.84 मिलियन है जोकि 37.72% वृद्धि की परिचायक है। बेतार उपभोक्ताओं की संख्या स्थिर लाइन उपभोक्ताओं से बढ़ गई है। मोबाइल टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या बढ़कर 376.12 मिलियन से अधिक हो गई है जबकि स्थिर लाइन कनेक्शनों की संख्या मात्र लगभग 37.73 मिलियन है।

4.4.4 वर्ष 2008-09 के दौरान इस प्रभाग द्वारा दूरसंचार विभाग (डीओटी) से संबंधित निम्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं/स्कीमों/नीतिगत मुद्दों की जांच की गई:

(i) वार्षिक योजना 2009-10 को अंतिम रूप देना। दूरसंचार विभाग की विभिन्न स्कीमों के लिए निधियों का आबंटन।

(ii) रक्षा और सुरक्षा संबंधी जरूरतों के लिए समर्पित और पूर्णतः सुरक्षित संचार नेटवर्क।

(iii) स्पर मार्ग (यूएमए तथा एन) के माध्यम से मुख्य प्रदेश और अंडमान तथा निकोबार (ए तथा एन) द्वीपसमूहों के बीच समुद्र के नीचे केबल डालना।

(iv) टेलीकाम क्षेत्रक के संबंध में जम्मू तथा कश्मीर के विकास पर कार्यबल की रिपोर्ट।

(v) स्पेक्ट्रम को चार्ज करने और उसके आबंटन से संबंधित विभिन्न मुद्दे।

ग्रामीण टेलीफोन व्यवस्था

4.4.5 सर्वव्यापी सेवा दायित्व नीति 1 अप्रैल, 2002 से लागू हो गई। ग्राम सार्वजनिक टेलीफोनों (वीपीटी) को 'भारत निर्माण' के तहत लाया गया है ताकि कवर न हुए 66,822 गांवों को कवर किया जा सके, जिनमें उपग्रह मीडिया के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले 14,183 गांव शामिल हैं, कवर न हुए 66,822 गांवों में वीपीटी की व्यवस्था करने के लिए एक संकेन्द्रित कार्यक्रम शुरू किया गया है। इनमें से 57181 गांवों की मार्च, 2009 तक वीपीटी की व्यवस्था कर दी गई थी। शेष 9614 गांवों को नवंबर, 2009 तक कवर किए जाने की संभावना है। इस कार्यक्रम के लिए निधियों का उपयोग सर्वव्यापी सेवा दायित्व (यूएसओ) निधि में से किया जा रहा है जिसे विशेष रूप से ग्रामीण टेलीफोन अवस्थापना के लिए स्थापित किया गया था।

II. डाक क्षेत्र

4.4.6 कवर किए गए क्षेत्र और सेवित जनसंख्या के अर्थों में भारतीय डाक विश्व का विशालतम नेटवर्क है जिसमें समूचे देश के भीतर शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में 1.55 लाख से अधिक डाकघर मौजूद हैं। एक तरफ तो यह क्षेत्रक लोगों को वैयक्तिक सेवाएं उपलब्ध कराता है और दूसरी तरफ यह निजी क्षेत्र को भी सेवा उपलब्ध कराता है जोकि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्रक ग्राहक के द्वार पर डाक की दैनिक सुपुर्दगी सुनिश्चित करता है, डाक टिकट बेचता है, लेटर बाक्सों आदि के माध्यम से पत्रों का संग्रह करता है। चुनिंदा डाकघरों द्वारा बुनियादी सेवाओं के अलावा बैंकिंग और बीमा सेवाओं सहित रिटेल-पोस्ट, ई-पोस्ट, बिल मेल सर्विस, पासपोर्ट प्रार्थना-पत्रों की बिक्री, स्पीड पोस्ट, वस्तुओं का संग्रह और सुपुर्दगी आदि जैसी विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एनआरईजीएस) तथा डाकघर बचत बैंक खाते के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन के भुगतान जैसी सामाजिक सुरक्षा सेवाओं/स्कीमों के लिए विभाग द्वारा कुछ राज्य सरकारों के साथ करार भी किया गया है।

4.4.7 ग्राहक को लागत प्रभावी और व्यवहार्य सेवाएं उपलब्ध कराने की चुनौती बराबर एक चिंता का विषय बनी हुई है। 2007-08 के दौरान कुल राजस्व 5494.90 करोड़ रुपए था जबकि कार्यकारी खर्च 7006.34 करोड़ रुपए था और इस प्रकार 1511.40 करोड़ रुपए का अंतर रहा। डाक राजस्व में 3.24% तक की वृद्धि हुई जबकि बजटीय घाटे में पिछले वर्ष की तुलना में 6.61% की वृद्धि हुई थी।

4.4.8 वर्ष 2008-09 के दौरान इस प्रभाग द्वारा डाक विभाग (डीओपी) से संबंधित निम्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं/स्कीमों/नीतिगत मुद्दों की जांच की गई:

(i) वार्षिक योजना 2009-10 को अंतिम रूप देना। डाक विभाग की विभिन्न स्कीमों के लिए निधियों का आबंटन।

(ii) विभाग के निष्पादन की समीक्षा करने और साथ ही भावी कार्यनीति निर्धारित करने के प्रयोजन से डाक विभाग के साथ छमाही निष्पादन (एचपीआर) बैठक आयोजित की गई।

(iii) एरो जिसका उद्देश्य सभी आईटी समर्थित सेवाएं उपलब्ध कराने वाले 450 डाकघरों का मानकीकरण करना है, उसे सिद्धांत रूप में मंजूरी।

(iv) डीओपी की विभिन्न परियोजनाओं/स्कीमों से संबंधित ईएफसी/एसएफसी टिप्पणियों की जांच की और समुचित टिप्पणियां उपलब्ध कराई गईं।

(v) आर्थिक संपादक सम्मेलन, वेबसाइट, प्रवेशकालीन सामग्री आदि के लिए डाक विभाग से संबंधित सामग्री।

(vi) भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक, 2008 के संबंध में मंत्रिमंडल के लिए टिप्पणी में निहित विभिन्न मुद्दों की जांच जिससे कि एक अग्रगामी कानून द्वारा भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 में संशोधन किया जा सके। मंत्रिमंडल ने यह इच्छा व्यक्त की है कि इस विधेयक का प्रारूप पुनः तैयार किया जाए जिससे कि डाक सेवाओं को वहनीय मूल्य पर विश्व स्तरीय सेवा के अनुरूप नई डाक अवधारणा के साथ विस्तारित किया जा सके।

(vii) एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) जोकि डाक संपदाओं के इष्टतम विकास और प्रबंध के लिए सीमित दायित्व सहित एक पूर्णतः स्वामित्व वाली कंपनी होगा, स्थापित करने के लिए मंत्रिमंडल टिप्पणी।

(viii) राष्ट्रीय डाटा केन्द्र - आद्योपांत आधार पर डब्ल्यूएएन द्वारा 1318 स्थलों को संयोजित करके दिल्ली में एक राष्ट्रीय डाटा केन्द्र स्थापित करने का काम राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र को सौंपा गया है। एनआईसी द्वारा वेब-आधारित अनुप्रयोगों के लिए सीमित क्षमता सहित राष्ट्रीय डाटा केन्द्र की मेजबानी की जा रही है। यह कार्य पूर्ति के अग्रिम चरणों में है।

III. सूचना प्रौद्योगिकी

4.4.9 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रक ने वर्ष 2007 में शानदार लचीलेपन का परिचय दिया है। अपने स्थापित निष्पादन रिकार्ड को जारी रखते हुए समग्र भारतीय आईटी-बीपीओ राजस्व में 33 प्रतिशत तक की वृद्धि हो जाने और चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के अंत तक उसके 64 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच जाने की संभावना है जबकि राजकोषीय वर्ष 2006-07 में 48.1 बिलियन अमरीकी डालर की बढ़ोतरी हुई थी। आशा है कि 2008-09 में यह 71.7 बिलियन तक पहुंच जाएगा। उद्योग के निष्पादन की विशेषतः लगातार दोहरे अंक की राजस्व वृद्धि, और नई सेवा लाइनों में क्रमिक विस्तार तथा संवर्द्धित भौगोलिक प्रवेश और मल्टीनेशनल कार्पोरेशनों (एमएनसी) द्वारा अभूतपूर्व निवेश और वह भी तब जबकि प्रतिभा और आधारभूत सुविधाओं के बीच का अंतराल भारत की लागत प्रतियोगिता को लेकर बराबर चिंता का कारण बना हुआ था।

4.4.10 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी-सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा (आईटी-आईटीईएस) उद्योग में शानदार गति से वृद्धि हुई है। अपने सुस्थापित निष्पादन रिकार्ड को जारी रखते हुए समग्र भारतीय आईटी-आईटीईएस राजस्व (हार्डवेयर सहित) में 33 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है और वह वित्तीय वर्ष 2006-07 में 47.8 बिलियन अमरीकी डालर के मुकाबले वित्तीय वर्ष (एफवाई) 2007-08 में 64 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गई है। आशा है कि (एफवाई) 2008-09 तक यह 71.7 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच जाएगी। भारतीय साफ्टवेयर और सेवा उद्योग (हार्डवेयर को छोड़कर) जो 2006-07 में 39.3 बिलियन अमरीकी डालर था वह 2007-08 में बढ़कर 52.0 बिलियन अमरीकी डालर हो गया और अर्थात उसमें 32.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। आशा है कि 2008-09 में वह 60.0 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच जाएगा।

4.4.11 कुल साफ्टवेयर और सेवाओं का निर्यात जो 2006-07 में 31.1 बिलियन अमरीकी डालर का था वह 2007-08 में बढ़कर 40.3 बिलियन अमरीकी डालर हो गया अर्थात उसमें 29.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आशा है कि 2008-09 में यह 47 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच जाएगा। हालांकि आईटी-

बीपीओ क्षेत्रक निर्यात-संचालित है फिर भी घरेलू बाजार महत्वपूर्ण हैं। घरेलू बाजार से राजस्व 2007-08 में 11.7 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गया है जबकि 2006-07 में 8.2 बिलियन अमरीकी डालर था अर्थात इसमें 42.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आशा है कि 2008-09 में यह 12.5 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच जाएगा।

4.4.12 भारतीय आईटी-बीपीओ क्षेत्रक की सफलता की दृष्टि से गुणवत्ता पर बल एक प्रमुख कारक रहा है। दिसंबर, 2007 की स्थिति के अनुसार 498 से अधिक भारत स्थित केन्द्रों ने (भारतीय कंपनियां और साथ ही एमएनसी स्वामित्व वाली कंपनियां--दोनों) साफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट (एसईआई) कार्निजिक मेलन कैपेबिलिटी मेच्योरिटी माडल (सीएमएम) लेवल 5में प्रमाणित 85 कंपनियों से गुणवत्ता प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है--किसी भी देश की तुलना में यह उच्चतर है।

4.4.13 2007-08 में कुल आईटी साफ्टवेयर और सेवा रोजगार बढ़कर 2.01 मिलियन तक पहुंच गया है जबकि 2006-07 में यह 1.62 मिलियन था। आशा है कि 2008-09 में यह 2.23 मिलियन तक पहुंच जाएगा। इसका अर्थ यह है कि लगभग 8 मिलियन अप्रत्यक्ष रोजगार अवसरों के उत्पादन का श्रेय इस क्षेत्रक में हुई उन्नति को दिया जा सकता है।

4.4.14 राष्ट्रीय जीडीपी के एक अनुपात के रूप में आईटी-बीपीओ क्षेत्र का राजस्व जो 2006-07 में 5.2 प्रतिशत था उसके 2007-08 में अनुमानतः 5.5 प्रतिशत तथा 2008-09 में 5.8 प्रतिशत हो जाने की संभावना है।

4.4.15 उद्योग ने 2010-11 तक 60-62 बिलियन अमरीकी डालर के निर्यात राजस्व का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य के संदर्भ में 2008-09 में अनुमानतः 47 बिलियन अमरीकी डालर के निर्यात राजस्व की प्राप्ति होगी।

4.4.16 सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग ने आगे वर्णित क्षेत्रों में कतिपय केन्द्रित पहलें की हैं: अभिशासन, दूर-चिकित्सा, दूर-शिक्षा, भाषा प्रौद्योगिकी विकास, जैव सूचना विज्ञान, नैनो-प्रौद्योगिकी, जम्मू तथा कश्मीर में सामुदायिक सूचना केन्द्रों की स्थापना; जन साधारण के लिए कम लागत के आईसीटी साधनों का प्रसार, आईटी सुरक्षा, साइबर शिक्षा, उच्च निष्पादन कंप्यूटरीकरण तथा विशाल पैमाने के एकीकृत परिपथ डिजाइन के क्षेत्र में जनशक्ति विकसित करना।

4.4.17 वर्ष 2008-09 के दौरान इस प्रभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी) से संबंधित निम्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं/स्कीमों/नीतिगत मुद्दों की जांच की गई:

(i) वार्षिक योजना 2009-10 को अंतिम रूप देना तथा आईटी विभाग की विभिन्न स्कीमों के लिए निधियों का आबंटन।

(ii) योजना आयोग की दो परियोजनाओं अर्थात 600 जिलों का बहुस्तरीय जीआईएस मानचित्रण और 6 शहरों (अहमदाबाद, बंगलौर, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई तथा हैदराबाद) से संबंधित कंप्यूटर सहाय्यित डिजिटल मानचित्रण का एनआईसी द्वारा निष्पादन किया जा रहा है।

(iii) यूआईडी प्राधिकरण के निर्माण के लिए मंत्रियों के उच्चाधिकारप्राप्त समूह (ईजीओएम) की बैठकों का समन्वय किया।

(iv) विभाग के निष्पादन की समीक्षा करने और साथ ही भावी कार्यनीति का निर्धारण करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की छमाही निष्पादन (एचपीआर) बैठक का आयोजन किया गया।

(v) सभी राज्यों और संघशासित क्षेत्रों के वार्षिक योजना 2009-10 प्रस्तावों की जांच

की और जहां तक आईटी क्षेत्रक का संबंध है मूल्यवान सुझाव उपलब्ध कराए गए।

(vi) आईटी निवेश क्षेत्र नीति से संबंधित मंत्रिमंडल टिप्पणी की जांच की गई।

(vii) राष्ट्रीय ई-अभिशासन एजेंसी के प्रस्ताव की जांच की गई।

(viii) एनआईसी की स्टाफ क्षमता को इष्टतम बनाने के प्रस्ताव की जांच की गई।

(ix) भारत के यूआईडी प्राधिकरण के चर्चा कागजात तैयार करना।

(x) आईटी क्षेत्रक के संबंध में पूर्वोत्तर राज्यों से प्राप्त विशेष योजना सहायता (एसपीए) प्रस्तावों की जांच की गई।

IV सूचना और प्रसारण

4.4.18 सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तीन उप-क्षेत्र हैं: सूचना, फिल्म और प्रसारण जोकि लोगों को जानकारी प्रदान करने, उनका मनोरंजन करने और उन्हें शिक्षित करने की दृष्टि से निजी क्षेत्रकों के साथ अत्यंत कड़ी प्रतिस्पर्द्धा का मुकाबला कर रहे हैं। पीएसयू और सरकार के सामने न्यूनतम लागत पर स्वस्थ मनोरंजन के माध्यम से समाजार्थिक विकासात्मक सूचना उपलब्ध कराने का दुष्कर कार्य प्रस्तुत था। परंपरागत मीडिया यूनिटों और प्रसारण स्कंधों की भूमिका इस बात को ध्यान में रखते हुए दूरगामी है कि वे संयुक्त रूप से सेवाओं की एक ऐसी विशाल टोकरी प्रस्तुत करते हैं जोकि जनसाधारण को सेवाओं की पसंद, उनके विचारों और आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति और विभिन्न मीडिया यूनिटों के माध्यम से उन्हें जानकारी प्रदान करके जनसाधारण को सामर्थ्यवान बनाते हैं।

4.4.19 वर्ष 2008-09 ने परंपरागत प्रणाली और प्रौद्योगिकी को विश्वव्यापी प्रवृत्तियों के अनुरूप नवीनतम उभरने वाले सर्वाधिक प्रभावी डिजिटल प्रौद्योगिकीय मार्ग में बदलाव लाने का काम किया है। लक्षित समय-सूची के भीतर यह बदलाव लाने के मुद्दे की ओर ध्यान देने के वास्ते भारी निवेश की जरूरत है। वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए विभिन्न स्कीमों में उपयोग के वास्ते 700.00 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है।

4.4.20 सूचना मीडिया की परंपरागत प्रणाली में आधुनिक आईसीटी आधारित निष्पादनों को शामिल करके उसे अधिक चुस्त बना दिया गया है जिससे कि सामाजिक मुद्दों के बारे में जनसाधारण को और अधिक जानकारी प्रदान की जा सके। जन सूचना अभियान के जरिए सरकार के अग्रणी कार्यक्रमों के बारे में विकासात्मक जानकारी और इस प्रकार 2008-09 के दौरान सामाजिक मुद्दों संबंधी जागरूकता पर बल दिया गया है। लोक और परंपरागत निष्पादन गीत और नाटक प्रभाग का "जीवंत मीडिया" रहा है और समाज के विभिन्न उप-घटकों को सुसंगत रूप में एक-दूसरे से बांधने के लिए इसका प्रभावी प्रयोग किया गया है जिसके फलस्वरूप देश के बाकी हिस्से के साथ सीमा और दूरस्थ क्षेत्रों का सांस्कृतिक एकीकरण हो सका है।

4.4.21 फिल्म क्षेत्रक, दृश्य मीडिया के जरिए सूचना, शिक्षा और अभिप्रेरण प्रदान करने के लिए अपनी पहलों के माध्यम से एक अग्रणी भूमिका निभाता है। पिछले कुछ वर्षों में नई प्रौद्योगिकियों के उभरने के फलस्वरूप मनोरंजन उद्योगों में समूचे विश्व के भीतर भारी उछाल आया है और सरकार के एकाधिकार में जबरदस्त कटौती हुई है। सरकार की भूमिका मुख्यतः अनुकूल नीतिगत मुद्दे, सरकारी-निजी भागीदारी व्यवस्था आदि लागू करने के एक सुसाध्यकारी निकाय के रूप में रही है।

4.4.22 फिल्मोत्सव निदेशालय ने फिल्म शो आयोजित करने, उसके द्वारा आयोजित फिल्मोत्सवों के माध्यम से निदेशालय में निर्मित फिल्मों और विदेशी फिल्मों के विपणन और वितरण पर बल दिया। चिल्ड्रेन फिल्म सोसायटी आफ इंडिया

(सीएफएसआई) लघु फिल्में, वृत्त चित्र बनाती है और उन्हें बच्चों के बीच बांट देती है जिससे कि उन्हें अवांछित वाणिज्यिक फिल्मों से बचाए रखा जा सके। विशेष दृश्य प्रभावों, गेमिंग और एनीमेशन फिल्मों में डिजिटल सामग्री की लागत को न्यूनतम करने की दिशा में विकसित देशों के बीच बढ़ती हुई प्रतियोगिता के फलस्वरूप सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना में एनीमेशन तथा गेमिंग के लिए नेशनल सेंटर आफ एक्सिलेंस स्थापित किया है। इस दिशा में सरकारी-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

4.4.23 **प्रसारण:** प्रसार भारती के दो स्कंधों को अपनी विभिन्न स्कीमों के लिए अर्थात आल इंडिया रेडियो को 195.00 करोड़ रुपए और दूरदर्शन को 280.00 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है।

- सरकारी सेवा प्रसारण में उत्कृष्टता और वाणिज्यिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी-निजी भागीदारी एक प्रभावी माडल है। निजी क्षेत्र की सहभागिता के माध्यम से एफएम प्रसारण के रूप में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। इस माडल के तहत सरकार और निजी कंपनी के बीच एक रियायत करार के अनुसार निजी कंपनियों को मौजूदा एआईआर टावरों का प्रयोग करने की अनुमति दी गई। ऐसी परिकल्पना की गई है कि ऐसा किए जाने से 60 प्रतिशत जनता को उच्च स्तरीय रेडियो प्रसारण से कवर करने के सरकारी-सेवा प्रसारक के लक्ष्य की पूर्ति हो सकेगी। इस स्कीम के अधीन 90 केन्द्रों के माध्यम से 300 चैनल (लगभग) उपलब्ध कराए जाएंगे।
- जम्मू तथा कश्मीर तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों में दूरदर्शन तथा रेडियो प्रसारण के विकास पर, द्विपक्षीय क्षेत्रों सहित, इन राज्यों के लिए विकसित पैकेजों के जरिए, प्रमुख रूप से बल दिया जाता है। जम्मू तथा कश्मीर तथा पूर्वोत्तर विशेष पैकेजों के पहले चरण की परियोजनाएं पूरी हो गई हैं। स्थलीय और उपग्रह पारेषण कवरेज के मिश्रण पर अमल किया जा रहा है। इन क्षेत्रों में कु-बेंड पारेषण परियोजना के फलस्वरूप क्षेत्र और आबादी दोनों दृष्टि से पहुंच और कवरेज का व्यापक प्रसार हुआ है। इन दोनों विशेष पैकेजों ने अपने दूसरे चरण में प्रवेश कर लिया है। इस चरण में, परियोजनाओं का उद्देश्य कवरेज में और अधिक विस्तार करना तथा लोगों की जीवन-शैली को प्रभावित करना है। जम्मू तथा कश्मीर चरण-II के लिए 300.00 करोड़ रुपए की लागत का विशेष पैकेज मुख्यतः साफ्टवेयर के विकास के लिए लाया गया है ताकि इसकी अंतर्वस्तु को और अधिक मनोरंजनात्मक बनाया जा सके। 400.17 करोड़ रुपए की परियोजना लागत के साथ 10वीं योजना स्कीम के रूप में मंजूर किए गए चरण-II एनई पैकेज में कुछेक पार्थिव स्कीमों की बजाय डीटीएच स्कीमों के माध्यम से कवरेज शामिल है। एआईआर स्कीमों के लिए एनई पैकेज चरण-II की संशोधित लागत अनुमानतः 143.32 करोड़ रुपए और दूरदर्शन की 256.85 करोड़ रुपए होगी।
- एआईआर तथा डीडी डिजिटल सामग्री का सृजन करने, डिजिटल प्रसारण सुनिश्चित करने तथा जल्दी से जल्दी 2017 तक एनालॉग ट्रांसमीटरों को बंद करने के लिए भावी मार्ग स्थापित करने के निमित्त जल्दी ही डिजिटल बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं। एआईआर ने डीआरएम एमडब्ल्यू तथा डीआरएम+(एफएम) के साथ ट्रांसमीटरों की स्थापना के लिए तथा 98 स्टूडियो के लिए स्टूडियो उपकरणों के डिजिटलीकरण के लिए 867.20 करोड़ रुपए की लागत की एक समेकित स्कीम प्रस्तुत की है। दूरदर्शन ने भी 919 करोड़ रुपए की लागत पर डिजिटल ट्रांसमीटरों की स्थापना और डिजिटल स्टूडियो उपकरणों की एक समेकित योजना प्रस्तुत की है। यह स्कीम 11वीं योजना के दौरान कार्यान्वित की जाएगी।

4.4.24 पुणे में अक्तूबर, 2008 में युवा राष्ट्रमंडल खेल पहले ही आयोजित किए जा चुके हैं। दिल्ली में मुख्य राष्ट्रमंडल खेल अक्तूबर, 2010 में आयोजित किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एचडीटीवी फीड उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उच्च डेफिनिशन टीवी (एचडीटीवी) फोरमैट में खेलों को कवर करने की दिशा में कार्य प्रगति पर है। सीसीईए ने इस परियोजना के लिए 463 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है।

4.4.25 वर्ष 2008-09 के दौरान इस प्रभाग द्वारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमओआई तथा बी) से संबंधित निम्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं/स्कीमों/नीतिगत मुद्दों की जांच की गई:

(i) वार्षिक योजना 2009-10 को अंतिम रूप देना तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के लिए निधियों का आबंटन।

(ii) डीएवीपी की 101 करोड़ रुपए की लागत वाली अग्रणी स्कीमों का आकलन।

(iii) राष्ट्रमंडल खेलों के लिए सीसीईए की 463.00 करोड़ रुपए की मंजूरी।

(iv) सभी उप-क्षेत्रकों की विभिन्न स्कीमों के अनुमोदन/एसएफसी/ईएफसी प्रोसेसिंग की सिद्धांत रूप में मंजूरी ली जाती है। कुछेक महत्वपूर्ण स्कीमें हैं दूरदर्शन और एआईआर तथा दूरदर्शन के एचडीटीवी के ट्रांसमीटरों और स्टूडियो का डिजिटलीकरण।

V. सी तथा आई प्रभाग के अन्य क्रियाकलाप

सूचना द्वार अथवा साइबर कैफे

4.4.26 प्रभाग 'सूचना द्वार' अथवा 'साइबर कैफे' के प्रबंधन से भी संबद्ध है। इस सुविधा से भ्रमणकारी मीडिया व्यक्तियों को विकास सूचना हेतु इंटरनेट का ब्राउज (पढ़ने) करने में समर्थता प्राप्त होती है। यह आम जनता को सूचना और प्रकाशन भी उपलब्ध कराता है।

आंतरिक सूचना सेवा

4.4.27 यह एक और सेवा है जो इस प्रभाग को सौंपी गई है। इसके अंतर्गत चुनिंदा समाचार मदों का एक कंप्यूटरीकृत दैनिक डाइजेस्ट प्रकाशित करना तथा योजना से संबद्ध मदों की समाचार-पत्र कतरने उपाध्यक्ष, राज्य मंत्री व आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को दैनिक आधार पर उपलब्ध कराई जाती है।

योजना आयोग की वेबसाइट

4.4.28 यह प्रभाग योजना आयोग की वेबसाइट को नियमित रूप से अद्यतन बनाता है। वेब पर योजना आयोग के नवीनतम प्रकाशन रखने के प्रयास किए गए है। सी तथा आई डिवीजन आरटीआई अधिनियम से संबंधित मामलों पर भी कार्रवाई कर रहा है और वह बाहरी व्यक्तियों तथा योजना आयोग के बीच एक इंटरफेस के रूप में काम करता है।

4.5 विकास नीति प्रभाग

4.5.1 विकास नीति प्रभाग मुख्यतः अर्थव्यवस्था के वृहद-आर्थिक प्राचलों के मानीटरन, हित वाले क्षेत्रों में अनुसंधान कराने और नीतिगत सुधार सुझाने से संबंधित हैं। प्रभाग, कृषि लागत और कीमत समिति (सीएसीपी) से प्राप्त होने वाली विभिन्न फसलों की न्यूनतम समर्थन कीमतों (एमएसपी) के संबंध में सिफारिशों की भी जांच करता है। इसके अलावा, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग से संबंधित स्कीमों की भी इस प्रभाग द्वारा जांच की जाती है क्योंकि खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग से संबंधित सभी मामलों के लिए यह प्रभाग एक नोडल प्रभाग है।

4.5.2 वर्ष 2008-09 के दौरान तथा मार्च, 2009 के अंत तक निम्न क्रियाकलाप किए गए:

(i) प्रभाग ने खाद्यान्नों (खरीफ और रबी), तिलहनों, गन्ने, गरी तथा पटसन के न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा की गई सिफारिशों की कृषि मंत्रालय से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर जांच की।

(ii) प्रभाग ने खाद्य और लोक वितरण विभाग के वार्षिक योजना 2008-09 प्रस्तावों की जांच की।

(iii) सेवा क्षेत्र से संबंधित उच्च स्तरीय समूह (एचएलजी) की रिपोर्ट के संपादन और मुद्रण का कार्य किया गया।

(iv) इस प्रभाग में वार्षिक योजना 2008-09 दस्तावेज में शामिल किए जाने के लिए अभिशासन के अध्याय का प्रारूप तैयार किया गया।

(v) आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति के संबंध में उठने वाले विभिन्न मुद्दों की बाबत सार तैयार किए गए और टिप्पणियां प्रस्तुत की गईं।

4.6 शिक्षा प्रभाग

4.6.1 शिक्षा प्रभाग, शिक्षा, कला, संस्कृति, खेलकूद और युवा मामलों के क्षेत्र में विकास आयोजना के सभी पहलुओं से संबंधित हैं। तथापि, यह कृषि और संबद्ध क्षेत्रकों, जन स्वास्थ्य, चिकित्सीय शिक्षा और चिकित्सीय देखभाल से संबद्ध शिक्षा से संबंधित नहीं हैं।

4.6.2 शिक्षा प्रभाग के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित हैं: (1) शिक्षा के विभिन्न स्तर, जैसेकि पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक, मिडिल, औपचारिक तथा गैर-औपचारिक शिक्षा, माध्यमिक, विश्वविद्यालय/उच्चतर और तकनीकी शिक्षा और साथ ही (2) विशेष क्षेत्र भी, जैसेकि लड़कियों; अनुसूचित जातियों; अनुसूचित जनजातियों व अन्य पिछड़े वर्गों के बच्चों की शिक्षा तथा विकलांग बच्चों की शिक्षा। प्रमुख विकास कार्यक्रम निम्नलिखित से संबंधित हैं: प्राथमिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण, माध्यमिक स्तर पर उत्तम शिक्षा की सर्वसुलभता और उसमें सुधार (सक्सेस) जिसमें राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा संस्थान (आरएमएसए) शामिल है, प्रौढ़ शिक्षा, शिक्षा का व्यवसायीकरण, अध्यापक शिक्षा, विज्ञान शिक्षा, शैक्षिक आयोजना, शारीरिक शिक्षा, खेलकूद, छात्रवृत्तियां, भाषा विकास, पुस्तक प्रोन्नयन, पुस्तकालय, युवा सेवा स्कीमें, सांस्कृतिक संस्थान और कार्यकलाप आदि।

4.6.3 वर्ष 2008-09 के दौरान 11वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित मौजूदा और साथ ही नवनिर्मित स्कीमों की समीक्षा और मानीटरन एक प्रमुख क्रियाकलाप था। शिक्षा, संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य मंत्रालयों/विभागों से संबंधित विभिन्न क्षेत्रकों के लिए 11वीं योजना की रिपोर्टों को अंतिम रूप दिया गया और उन्हें व्यापक प्रसार के लिए योजना आयोग की वेबसाइट पर रखा गया।

4.6.4 आलोच्य अवधि के दौरान उपरोक्त के अतिरिक्त, कार्यकलाप योजना स्कीमों के कार्यान्वयन से संबंधित थे, यथा, स्कूली शिक्षा तथा साक्षरता विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन), खेलकूद विभाग, युवा कार्य विभाग तथा संस्कृति मंत्रालय की स्कीमों के संबंध में एसएफसी/ईएफसी/सीसीए प्रस्तावों को 'सिद्धांत रूप में' मंजूरी प्रदान करना और उनकी जांच करने का काम जारी रखा गया। चालू वर्ष 2008-09 के तहत इन विभागों द्वारा व्यय की गति की समीक्षा करने के लिए सदस्य (शिक्षा) की अध्यक्षता में छमाही निष्पादन समीक्षा (एचपीआर) बैठकें आयोजित की गईं। इन एचपीआर ने प्रगति की गहन समीक्षा की, स्कीमों को

कार्यान्वित करने में आने वाली समस्याओं की पहचान की और बेहतर लक्ष्य निर्धारण/निधियों के प्रयोग के लिए उपयुक्त समाधान सुझाए।

4.6.5 वर्ष के दौरान प्रभाग के अधिकारियों ने, राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन विश्वविद्यालय (एनयूईपीए), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई), टीईक्यूआईपी तथा एसएसए के परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) जैसे संस्थानों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों और नीतियों की समीक्षा में भाग लिया।

4.6.6 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के संबंध में, शिक्षा, युवा मामले और खेलकूद तथा संस्कृति के क्षेत्रकों के अंतर्गत आबंटन भी किए गए। इस संदर्भ में, अधिकारियों ने राज्यों के वार्षिक योजना 2008-09 प्रस्तावों को अंतिम रूप देने के लिए कार्यकारी समूहों की अनेक बैठकों में भाग लिया।

4.6.7 वर्ष के दौरान शिक्षा प्रभाग ने नीतिगत मुद्दों पर अनेक पहलें कीं जिनमें निम्न शामिल हैं:

- प्रभाग ने मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की अग्रणी स्कीम पर राष्ट्रीय मानीटरन समिति की बैठक में भाग लिया।
- पूर्वोत्तर राज्यों को अग्रणी कार्यक्रम - सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के अंतर्गत वित्तपोषण के उनके हिस्से की पूर्ति करने के लिए विशेष संवितरण पर प्रभाग द्वारा विचार-विमर्श किया गया, जिसके तहत पूर्वोत्तर राज्य अपने हिस्से के 10% का अंशदान अपने राज्य बजट से तथा शेष 15% का अंशदान संसाधनों के अ-व्यपगत केन्द्रीय समूह (एनएलसीपीआर) से करते हैं।
- प्रभाग ने माध्यमिक शिक्षा "सक्सेस" के अधीन प्रमुख स्कीमों यथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) माडल स्कूलों, माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं को प्रोत्साहनों के लिए राष्ट्रीय स्कीम आदि की जांच की।
- प्रभाग ने अध्यापक शिक्षा स्कीम पर विस्तार से चर्चा करने के लिए एचआरडी मंत्रालय के अधिकारियों और राज्य सरकार के बीच एक बैठक आयोजित की। भारत में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (वीईटी) के कार्यान्वयन के लिए तंत्र पर एमएचआरडी द्वारा 9 अप्रैल, 2008 को एक प्रस्तुति की व्यवस्था की जिससे कि 11वीं योजना अवधि के दौरान स्कूली शिक्षा के उच्च माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा की संशोधित स्कीम लागू की जा सके। एफआईसीसीआई, सीआईएल, एसोचैम, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, पीएसएससीआईवीई, श्रम और रोजगार मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने इन चर्चाओं में भाग लिया।
- प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने और XIवीं योजना के लिए कार्यनीतियों की छंटाई करने के लिए 12 जून, 2008 को एक बैठक आयोजित की। एमएचआरडी ने एक प्रस्तुति की थी जिसमें मोहिम आंदोलन (1960 का दशक) से शुरू करके समग्र साक्षरता अभियान आंदोलन (1990 का दशक) तक प्रौढ़ शिक्षा की क्रमिक उन्नति और विकास पर प्रकाश डाला गया था।
- शिक्षा प्रभाग ने अनुसंधान अध्ययनों/मूल्यांकन अध्ययनों का वित्तपोषण करने के लिए एनजीओ और स्वायत्तशासी निकायों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों की जांच की और सहायता अनुदान समिति में आकलन टिप्पणियां उपलब्ध कराईं।
- शिक्षा प्रभाग ने आलोच्य वर्ष के दौरान राज्यों और संघशासित क्षेत्रों की राज्य विकास रिपोर्टों की जांच की है।

- पूर्ण योजना आयोग ने केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के रूप में "आईसीटी के माध्यम से शिक्षा में राष्ट्रीय मिशन" तथा "कौशल विकास के लिए समन्वित कार्रवाई के तहत पालीटेक्निकों पर उप-मिशन" को मंजूरी प्रदान की और आलोच्य वर्ष के दौरान ये स्कीमें शुरू की गईं।
- इस प्रभाग ने पुणे में 2008 में आयोजित राष्ट्रमंडल युवा खेलों और नई दिल्ली में 2010 में आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए वित्तपोषण तथा अन्य प्रविधियों की जांच की।
- प्रभाग ने उच्चतर और तकनीकी शिक्षा से संबंधित विभिन्न प्रस्तावों की जैसेकि 16 नए केन्द्रीय विश्वविद्यालयो; 370 डिग्री कालेजों; 8 नए आईआईटी; आईआईएसईआर; एसपीए; माल्दा, पश्चिम बंगाल में गनी खान चौधरी इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों की भी जांच की।
- यह प्रभाग उच्चतर और तकनीकी शिक्षा में पीपीपी पर एक परामर्शी लेख पर भी काम कर रहा है और उसने इस विषय पर विशेषज्ञों के साथ परामर्श तथा प्रस्तुतियों की श्रृंखला आयोजित की है।

युवा कार्य और खेलकूद

4.6.8 शिक्षा विभाग युवा कार्य और खेलकूद मंत्रालय की समग्र आयोजना और नीति पर भी कार्रवाई करता है। वर्ष के दौरान इस मंत्रालय के दो अलग-अलग विभाग अर्थात युवा कार्य विभाग और खेलकूद विभाग बना दिए गए।

4.6.9 देश में युवकों की आबादी बहुत विशाल होने के कारण 11वीं योजना में किशोरों और युवकों से संबंधित समस्याओं पर बल दिया गया है। जेडबीबी प्रक्रिया की सिफारिशों के अनुरूप सरकारी तथा गैर-सरकारी एजेंसियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए युवा और किशोर विकास के राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीवाईएडी) के अधीन युवकों और किशोर विकास से संबंधित चार स्कीमें/कार्यक्रम आपस में मिला दिए गए। इस संबंध में युवकों और किशारों के विकास से संबंधित प्रस्तावों पर विचार करने के लिए परियोजना आकलन समिति (पीएसी) की बैठकों में भाग लिया गया। इसी प्रकार राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक स्कीम (एनएसवीसी) तथा राष्ट्रीय सद्भावना योजना (आरएसवाई) को राष्ट्रीय स्वयंसेवक स्कीम के अधीन मिला दिया गया। राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, श्रीपेरुंबदूर में अवर स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर 5 पाठ्यक्रम लागू करने के प्रस्तावों की जांच की गई। एनएसवीएस के संशोधन के लिए ईएफसी प्रस्ताव की जांच की गई।

4.6.10 ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद को ग्रासरूट स्तर पर व्यापक आधार प्रदान करने के लिए "पीवाईकेकेए" नामक एक स्कीम मंजूर की गई। पीवाईकेकेए की कार्यकारी समिति की बैठकों में भाग लिया गया जिससे कि ग्रासरूट स्तर पर खेलकूद की आधारिक सुविधाओं के सृजन के वास्ते वित्तीय सहायता के निमित्त उनके प्रस्तावों पर विचार किया जा सके। सीजी-2010 को सफलतापूर्वक आयोजित करने तथा खेलकूद की आधारिक सुविधाओं को समय पर पूरा करने के लिए अनेक एसएफसी/ईएफसी/मंत्रिमंडल टिप्पणियों पर विचार किया गया। सीजी-2010 से संबंधित सिविल निर्माण कार्य के निष्पादन/प्रगति की समीक्षा के लिए एक बैठक आयोजित की गई। सीजी-2010 के वास्ते अनुमोदित परिव्यय से बढ़कर अतिरिक्त निधियां मांगने के प्रस्तावों की जांच की गई। सीजी-2010 से संबंधित परियोजनाओं की स्थिति की मासिक आधार पर समीक्षा की गई।

कला और संस्कृति

4.6.11 शिक्षा प्रभाग, देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को परिरक्षित और प्रोत्साहित करने के लिए

योजनाएं और कार्यक्रम तैयार करने में समग्र मार्गदर्शन प्रदान करता है। ये, संस्कृति विभाग की योजनाएं और कार्यक्रम होते हैं, जिसके मुख्य कार्यकलापों में सम्मिलित हैं: पुरातात्विक खुदाई, दृश्य तथा साहित्यिक कलाओं का प्रोन्नयन, सामग्री और सामग्री-भिन्न विरासत का परिरक्षण, संग्रहालयों, पुस्तकालयों और संस्थानों का विकास। एक बड़े परिप्रेक्ष्य में, योजना आयोग अनेक अन्य मंत्रालयों/विभागों के तालमेल से जैसेकि पर्यटन, शिक्षा, कपड़ा और विदेश कार्य, राष्ट्रीय अभिज्ञान से संबंधित मुद्दों का भी समाधान करता है।

4.6.12 आलोच्य अवधि के दौरान एसएफसी तथा ईएफसी प्रस्तावों तथा मंत्रिमंडल टिप्पणियों के रूप में विभिन्न योजना स्कीमों को XIवीं योजना के दौरान जारी रखने की जांच की गई।

4.7 प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद

4.7.1 प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी) 3.1.2005 से काम कर रही है। परिषद का गठन निम्नानुसार है:

डॉ. सुरेश तेंदुलकर*	**पूर्णकालिक अध्यक्ष**
दिल्ली स्कूल आफ इकोनामिक्स के पूर्व प्रोफेसर	मंत्रिमंडलस्तर के मंत्री के दर्जे में
प्रोफेसर जी. के. चड्ढा, पूर्व उप-कुलपति, जेएनयू	अंशकालिक सदस्य
डॉ. सौमित्र चौधरी, आर्थिक सलाहकार, आईसीआरए	वही
डॉ. सतीश सी. झा, कार्यकारी मुख्य अर्थशास्त्री, एडीबी	वही
डॉ. एम. गोविंदाराव, निदेशक, एनआईपीएफपी	वही

*1 अप्रैल, 2008 से 5 अगस्त, 2008 के दौरान प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉ. सी. रंगाराजन थे।

4.7.2 ईएसी के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:

- प्रधानमंत्री द्वारा इसे भेजे गए किसी मुद्दे का, आर्थिक अथवा अन्यथा, विश्लेषण करना तथा उस पर सलाह देना।
- वृहद आर्थिक महत्व के मुद्दों पर विचार करना तथा उनके संबंध में अपनी राय प्रधानमंत्री को प्रस्तुत करना। यह स्वमेव हो सकता है अथवा प्रधानमंत्री अथवा किसी अन्य द्वारा भेजा गया कोई संदर्भ।
- आर्थिक नीति के लिए प्रभावों वाले मुद्दे और वृहद आर्थिक घटनाओं के संबंध में प्रधानमंत्री को आवधिक रिपोर्टें प्रस्तुत करना।
- कोई अन्य कार्य करना जैसाकि प्रधानमंत्री द्वारा समय-समय पर इच्छा जाहिर की जाए।

4.7.3 प्रशासनिक व्यवस्था प्रबंध तथा बजट

- योजना आयोग, ईएसी के लिए, प्रशासकीय, संभारतंत्रीय, आयोजना तथा बजटीय प्रयोजनार्थ, नोडल एजेंसी है।
- ईएसी के लिए वर्ष 2008-09 के लिए योजना मंत्रालय के अधीन एक अलग बजट आबंटित किया गया है।
- ईएसी ने अपना कार्यालय विज्ञान भवन एनेक्सी के हाल 'ई' में स्थापित किया है। यह अत्यंत अल्प स्टाफ के साथ कार्य कर रहा है। अधिकारी स्तर पर इसका एक पूर्णकालिक सचिव (सरकार के संयुक्त सचिव के दर्जे का), निदेशक के दर्जे का एक अधिकारी तथा एक वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी है।

किए गए कार्य

4.7.4 विचारार्थ विषयों के अनुसरण में ईएसी ने पीएम/पीएमओ द्वारा भेजे गए अनेक मुद्दों पर प्रधानमंत्री को सलाह दी है। ईएसी द्वारा जिन महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर ध्यान दिया गया है उनमें ये शामिल हैं: लौह अयस्क पर निर्यात शुल्क, शर्करा क्षेत्रक का अविनियमन, वस्तु लेनदेन कर, मुद्रास्फीति तथा वृहद आर्थिक प्रबंध, खरीफ 2008-09 के लिए मूल्य नीति, जम्मू तथा कश्मीर और पूर्वोत्तर के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के वापसी पैकेज पर प्रतिबंध, असंगठित क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यम आयोग को एक स्थायी आयोग के रूप में बदलने का प्रस्ताव, राजकोषीय प्रेरण-चुनिंदा क्षेत्रों पर प्रभाव विश्लेषण। डब्ल्यूपीआई और सीपीआई के बीच असामान्य विचलन तथा मौजूदा स्थिति में मुद्रास्फीति के उपयुक्त संसाधनों की जांच करने की जरूरत। ईएसी ने जुलाई, 2008 में आर्थिक दृष्टिकोण 2008-09 प्रकाशित किया है जिसने उन्नति की संभावनाओं का एक स्वतंत्र आकलन प्रस्तुत किया है। सितंबर, 2008 से अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक वातावरण में आकस्मिक और विषम बदलावों के प्रकाश में जनवरी, 2009 में जुलाई पूर्वानुमान की समीक्षा तथा अर्थव्यवस्था 2008-09 की एक समीक्षा 2009-10 के लिए वृद्धि दर की संभावनाओं के एक संक्षिप्त अनंतिम आकलन के साथ जनवरी, 2009 में प्रधानमंत्री को प्रस्तुत की गई।

4.7.5 टिप्पणियों के माध्यम से औपचारिक सलाह के अलावा परिषद के अध्यक्ष ने समय-समय पर महत्वपूर्ण आर्थिक मुद्दों पर प्रधानमंत्री को अनौपचारिक रूप से सलाह दी है।

4.7.6 परिषद के अध्यक्ष ऊर्जा समन्वय समिति, व्यापार और आर्थिक संबंध समिति, कृषि समन्वय समिति, आधारिक सुविधाओं संबंधी समिति, विनिर्माण संबंधी समिति, शिक्षा के अधिकार संबंधी समिति तथा मौसम बदलाव संबंधी समिति जो सभी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में काम करती हैं के सदस्य हैं। संप्रति, ईएसी के अध्यक्ष लघु और मध्यम उद्यम ज्ञान मंच के अध्यक्ष, ग्रुप इंटरनेशनल ग्रोथ सेंटर, लंदन के सदस्य और उसके साथ-साथ योजना आयोग द्वारा गठित निर्धनता की रेखा के अनुमान संबंधी विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष भी हैं।

4.7.7 आर्थिक नीति के मुद्दों पर चर्चा करने और प्रधानमंत्री को दी जाने वाली सलाह के संबंध में अपने विचारों को ठोस रूप देने के लिए ईएसी की बैठकें सारे वर्ष नियमित रूप से आयोजित की जाती रही हैं।

4.8 राष्ट्रीय ज्ञान आयोग

4.8.1 सरकार की 13 जून, 2005 की अधिसूचना के तहत निम्न विचारार्थ विषयों के साथ राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (एनकेसी) की स्थापना की गई:

- 21वीं शताब्दी में ज्ञान चुनौतियों का सामना करने और ज्ञान के क्षेत्रों में भारत के प्रतिस्पर्द्धात्मक लाभ में वृद्धि करने के लिए शैक्षिक पद्धति में उत्कृष्टता का निर्माण करना।
- विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाओं में ज्ञान के सृजन को प्रोत्साहित करना।
- बौद्धिक संपदा अधिकारों में लगे संस्थानों के प्रबंधन में सुधार करना।
- कृषि और उद्योगों में ज्ञान अनुप्रयोगों को प्रोत्साहित करना।
- सरकार को नागरिकों के लिए एक कारगर, पारदर्शी तथा जवाबदेह सेवा प्रदाता बनाने में ज्ञान क्षमताओं के प्रयोग को प्रोत्साहित करना तथा सार्वजनिक हित को अधिकतम बनाने के लिए ज्ञान की व्यापक हिस्सेदारी को प्रोत्साहित करना।

4.8.2 राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का प्रमुख उद्देश्य एक स्पंदनशील ज्ञान आधारित सोसायटी का निर्माण संभव बनाना है। इसके अंतर्गत विज्ञान पद्धतियों में आमूल सुधार करना और ज्ञान के नए स्वरूप पैदा करने के लिए अवसरों का सृजन करना, दोनों शामिल हैं। इन लक्ष्यों की प्राप्ति में समाज के सभी वर्गों के बीच अधिकाधिक भागीदारी तथा ज्ञान तक और अधिक समतापूर्ण सुलभता अत्यंत महत्वपूर्ण है। तदनुसार एनकेसी आगे बताए गए प्रयोजनों, उपयुक्त संस्थानगत तंत्र विकसित करने का प्रयास करता है: (क) शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाना, घरेलू अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना तथा स्वास्थ्य, कृषि और उद्योग जैसे क्षेत्रकों में ज्ञान के प्रयोग को सुविधापूर्ण बनाना; (ख) अभिशासन और संयोज्यता बढ़ाने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना; (ग) वैश्विक स्तर पर ज्ञान प्रणालियों के बीच आदान-प्रदान तथा वैचारिक आदान-प्रदान के लिए तंत्र तैयार करना।

4.8.3 एनकेसी ने 27 विभिन्न पक्षों के बाबत 260 से अधिक सिफारिशें की हैं। जिन विभिन्न पक्षों की बाबत एनकेसी ने अपनी सिफारिशें की हैं उनमें निम्न शामिल हैं:

I. पुस्तकालय; II. अनुवाद; III. स्कूल में अंग्रेजी भाषा का शिक्षण; IV. एकीकृत राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क; V. पोर्टल; VI. शिक्षा का अधिकार; VII. आईआरएएचएई; VIII. चिकित्सीय शिक्षा; IX. उच्चतर शिक्षा; X. व्यावसायिक शिक्षा; XI. ई-अभिशासन; XII. कानूनी शिक्षा; XIII. मुक्त और दूरस्थ शिक्षा; XIV. मुक्त शैक्षिक संसाधन; XV. प्रबंध शिक्षा; XVI. स्वास्थ्य सूचना नेटवर्क; XVII. राष्ट्रीय विज्ञान और सामाजिक विज्ञान प्रतिष्ठान; XVIII. सरकारी वित्तपोषित अनुसंधान के संबंध में कानूनी तंत्र; XIX. बौद्धिक संपदा अधिकार; XX. परंपरागत स्वास्थ्य प्रणाली; XXI. स्कूली शिक्षा; XXII. प्रतिभाशाली छात्रों को गणित और विज्ञान की ओर आकृष्ट करना; XXIII. नवाचार; XXIV. और अधिक उत्तम पी.एचडी. को आकृष्ट करना; XXV. इंजीनियरी शिक्षा; XXVI. उद्यमशीलता; XXVII. कृषि में ज्ञान का अनुप्रयोग।

4.8.4 यह आयोग 31 मार्च, 2009 को समाप्त कर दिया गया है। एक सेल की स्थापना की गई है जिसे योजना आयोग द्वारा "आयोजना के लिए 50वें वर्ष की पहल" नामक स्कीम के माध्यम से सेवित किया जाएगा जिससे कि एनकेसी की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर नजर रखी जा सके।

4.9 पर्यावरण और वन प्रभाग

4.9.1 ई तथा एफ प्रभाग पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवन और मौसम बदलाव से संबंधित योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों के साथ जुड़ा हुआ है।

4.9.2 आलोच्य वर्ष के दौरान इस प्रभाग ने सभी क्षेत्रकों के नीति निर्माण और कार्यक्रमों की जांच करने के अलावा पर्यावरण और वन मंत्रालय की निष्पादन समीक्षा के उपक्रम के रूप में निम्न कार्यक्रमों और संस्थानगत व्यवस्थाओं का आकलन किया:

(1) आर्द्र भूमि और उत्कृष्टता केन्द्रों की स्कीम, (2) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भारतीय वानिकी परिषद, अनुसंधान और शिक्षा, बोटैनिकल सर्वे आफ इंडिया तथा जूलोजिकल सर्वे आफ इंडिया और रिपोर्टें तैयार की गईं। आर्द्र भूमि और राज्यों द्वारा कार्यान्वित वानिकी विषयक प्रमुख स्कीमों की समीक्षा करने के लिए दो विशेषज्ञ समूहों का गठन किया गया। एक अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में स्कीमों और संस्थानों की समीक्षा संबंधी सिफारिशें पर्यावरण और वन मंत्रालय, संबंधित आर्द्र भूमि अधिकारियों और संस्थानों को सूचित की गईं।

4.9.3 2008-09 के दौरान पर्यावरण, वन और वन्य जीवन क्षेत्रक में निर्णय लेने के लिए निम्न प्रमुख क्षेत्रों पर बल दिया गया:

(क) गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण स्थापित करना, (ख) हरित भारत कार्यक्रम शुरू करना, (ग) मौसम बदलाव पर राष्ट्रीय कार्ययोजना, (घ) एक विशेष बाघ संरक्षण बल की स्थापना, हथियार प्रदान करने और तैनाती और वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के माध्यम से "प्रोजेक्ट टाइगर" स्कीम के सुदृढ़ीकरण को संशोधित करने के लिए एक विधेयक जिससे कि बल की स्थापना संभव हो सके, (ड.) पहले से चली आ रही सीएसएस के कार्यक्षेत्र का विस्तार करना और उसमें अतिरिक्त घटक शामिल करना-राष्ट्रीय पार्कों और अभ्यारण्यों के विकास के लिए सहायता और इसे "वन्य जीवन आवास का एकीकृत विकास" का नया नाम देना, (च) राष्ट्रीय जैव विविधता कार्ययोजना की मंजूरी, (छ) पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, समुद्रतटीय क्षेत्र प्रबंध पर अधिसूचना का प्रारूप तथा जोखिमपूर्ण अपशिष्ट (प्रबंध, संभाल और सीमा पार संचलन) नियमावली, 2008 की अंतिम अधिसूचना, (ज) मौसम बीमा तथा लोक उद्यमों में स्वच्छ विकास तंत्र पर चर्चा को अंतिम रूप देने के लिए दो समितियां स्थापित की गईं। सर्वोच्च न्यायालय के निदेशों के अनुसरण में उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों की गंगा कार्ययोजना में निधियों के उपयोग की समीक्षा करने के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया।

4.9.4 वार्षिक योजना चर्चाओं को संभव बनाने के लिए राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई कि वार्षिक योजना प्रस्ताव प्रदूषण उपशमन संबंधी क्रियाकलापों और बजटों को परिलक्षित करें जिनमें पर्यावरण शीर्ष के अधीन विनियमों और पारिस्थिकी विज्ञान का अनुपालन शामिल हो तथा वानिकी और वन्य जीवन के साथ अलग-अलग व्यवहार किया जाए।

4.9.5 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों जिनके ऊपर वायु अधिनियम, जल अधिनियम तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के कार्यान्वयन का मानीटरन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उन्हें सुदृढ़ बनाने के लिए चुनिंदा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के साथ वैचारिक आदान-प्रदान की सिफारिशें पर्यावरण और वन मंत्रालय, राज्यों के मुख्य सचिवों तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष को उनके विचारार्थ सूचित की गई।

4.9.6 मंत्रालय द्वारा प्रभाग को भेजी गई निम्न नई स्कीमों पर सहमति व्यक्त की गई:

1. राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) के तहत पुरी में मलजल उपचार संयंत्र तथा
2. वन प्रबंध का तीव्रीकरण।

4.9.7 16 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के जरिए राजस्थान राज्य से गोवर्धन ड्रेन के जल को केवलाडियो राष्ट्रीय पार्क, भरतपुर में डालने का एक प्रस्ताव मंजूर किया गया और राज्य को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में वर्ष के दौरान 20 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई।

4.9.8 मौसम बदलाव के संबंध में प्रधानमंत्री द्वारा 30 जून, 2008 को जारी की गई राष्ट्रीय कार्ययोजना के बाद आगे बताए गए विषयों पर 8 राष्ट्रीय मिशनों का गठन किया गया है: (i) सौर ऊर्जा, (ii) संवर्द्धित ऊर्जा प्रभाविता, (iii) संधारणीय आवास, (iv) जल; (v) हिमालयी पारिस्थिकी प्रणाली को बनाए रखना; (vi) हरित भारत; (vii) संधारणीय कृषि तथा (viii) मौसम बदलाव के लिए संधारणीय ज्ञान ये राष्ट्रीय मिशन विभिन्न मंत्रालयों के अधीन गठित किए गए हैं जिनमें योजना आयोग एक सदस्य है। नीतिगत बदलावों, अपेक्षित संसाधनों और योजना आयोग की भूमिका के संबंध में व्यापक आकलन करने और साथ ही मिशन रिपोर्टों के

सुदृढ़ीकरण के लिए सार्थक रूप से योगदान देने के उद्देश्य से प्रधान सलाहकार (कृषि) योजना आयोग की अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया गया जिसमें सलाहकार (डब्ल्यूआर), यूडी, ऊर्जा तथा एस और टी के सलाहकार सदस्यों के रूप में थे और सलाहकार (ई तथा एफ) सदस्य सचिव के रूप में थे। कार्यबल के लिए संभारतंत्र की प्रविधियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

4.9.9 प्रभाग ने 29-30 दिसंबर, 2008 को वार्षिक योजना (2007-08) तथा छमाही (अप्रैल-सितंबर, 2008) समीक्षा बैठक का आयोजन किया। पर्यावरण और वन क्षेत्र--दोनों में वैज्ञानिक अंतर्वस्तु की वृद्धि, अनुसंधान संस्थानों के सुदृढ़ीकरण और आर्द्र जल संबंधी स्कीमों और उत्कृष्टता केन्द्रों के पुनर्निर्माण की जरूरत सुझाई गई।

4.10 वित्तीय संसाधन प्रभाग

4.10.1 राज्यों और केन्द्र के वित्तीय संसाधनों का आकलन आयोजना प्रक्रिया का एक अविभाज्य अंग है। योजना तैयार करते समय संसाधनों की उपलब्धता का गहन मूल्यांकन किया जाता है, संस्थागत तंत्रों का अध्ययन किया जाता है, संसाधन जुटाने की पिछली प्रवृत्ति पर विचार किया जाता है। केन्द्र और राज्यों--दोनों की वार्षिक योजना और पंचवर्षीय योजना के आकार पर निर्णय लेते समय अवशोषी क्षमता का अध्ययन करने के सभी प्रयास किए जाते हैं।

केन्द्रीय क्षेत्रक योजना के वित्तीय संसाधनों का आकलन करने में, सकल बजटीय समर्थन के स्तर पर कामकाज करना और सरकारी क्षेत्रक उद्यमों के आंतरिक और बजट-बाह्य संसाधनों (आईईबीआर) का मूल्यांकन करना शामिल है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के योजना के कुल संसाधनों के अंतर्गत राज्यों के अपने संसाधन (जिनमें उधार शामिल है) तथा केन्द्रीय सहायता सम्मिलित हैं। वित्तीय संसाधन प्रभाग केन्द्रीय योजना के लिए और साथ ही राज्य संघशासित योजनाओं के लिए वित्तीय संसाधनों का आकलन करने के लिए जिम्मेदार है।

आलोच्य अवधि के दौरान वित्तीय संसाधन प्रभाग ने केन्द्र, राज्यों और संघशासित क्षेत्रों की वार्षिक योजना 2008-09 के लिए वित्तीय संसाधनों का आकलन किया है। 2008-09 के लिए वार्षिक योजना तैयार करते समय 2007-08 की वार्षिक योजना के निष्पादन का मूल्यांकन किया गया है।

वार्षिक योजना 2008-09 : केन्द्र

4.10.2 केन्द्र के लिए 2008-09 के संबंध में वार्षिक योजना परिव्यय 3,75,485 करोड़ रुपए तय किया गया। केन्द्रीय योजना की वित्तपोषण पद्धति तालिका 4.10.1 में दी गई है।

वार्षिक योजना 2008-09 (सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र)

4.10.3 सभी राज्यों और विधान सभाओं से युक्त संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक योजना 2008-09 के लिए कुल संसाधन 305413.68 करोड़ रुपए बैठते हैं। योजना के वित्तपोषण की संरचना तालिका 4.10.2 में दी गई है।

तालिका 4.10.1
केन्द्र की वार्षिक योजना के लिए जीबीएस के वित्तपोषण की स्कीम

रुपए करोड़ में

क्रम संख्या	संसाधन	2007-08 बीइ	2007-08 आरई	2007-08 अनंतिम	2008-09 बीई
1	चालू राजस्व से शेष (बीसीआर)	58819	72327	77941	104781
1क	विदेशी अनुदान	2135	2091	2722	1795
2	गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों से शेष	-6802	-10547	-4919	3523
3	राजकोषीय घाटा	150948	143653	129814	133287
4	योजना के लिए सकल बजट सहायता (1+1क+2+ 3)	205100	207524	205558	243386
5	राज्यों और संघशासित क्षेत्र की योजनाओं के लिए सहायता	50161	58855	61674	63432
	(कुल जीबीएस में % हिस्सा)	(24.5)	(28.4)	(30.0)	(26.1)
6	केन्द्रीय योजना के लिए बजट सहायता (4-5)	154939	148669	143884	179954
	(कुल जीबीएस में % हिस्सा)	(75.5)	(71.6)	(70.0)	(73.9)
7	सीपीएसई का आईईबीआर	165053	143668	उपलब्ध नहीं	195531
8	केन्द्रीय योजना परिव्यय (6+7)	319992	€292337	उपलब्ध नहीं	375485

तालिका 4.10.2
राज्यों और संघशासित क्षेत्रों के कुल योजना संसाधन

(रुपए करोड़ में)

वित्तपोषण के स्रोत	2007-08		2008-09
	एपी	आरई/एलई	एपी
राज्य के अपने संसाधन*	186745.96	195278.62	239281.82
(% हिस्सा)	(78.8)	(79.1)	(78.3)
केन्द्रीय सहायता	50227.26	51693.60	66131.86
(% हिस्सा)	(21.2)	(20.9)	(21.7)
कुल संसाधन	236973.22	246972.22	305413.68

** पीएसई और स्थानीय निकायों के आईईबीआर सहित*

वार्षिक योजना 2009-10:

4.10.4 वार्षिक योजना 2009-10 के लिए वित्तीय संसाधन अनुमानों संबंधी सरकारी क्षेत्र की चर्चाएं 5 नवंबर, 2008 से शुरू की जा चुकी हैं। योजना आयोग ने राज्यों की वार्षिक योजना 2009-10 के संबंध में चर्चाएं शुरू कर दी हैं।

रिपोर्टें, समीक्षा टिप्पणियां तथा अन्य क्रियाकलाप

- 2009-10 के केन्द्रीय बजट में शामिल किए जाने के लिए केन्द्र, राज्यों और संघशासित क्षेत्रों की वार्षिक योजना 2009-10 के लिए वित्त मंत्रालय के परामर्श से सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) को अंतिम रूप देना।
- राज्यों की वित्तीय स्थिति तथा वार्षिक योजना 2009-10 के लिए योजना आयोग और राज्य सरकारों के बीच बैठकों के वास्ते योजना वित्तपोषण पर टिप्पणियां तैयार करना।
- आर्थिक सर्वेक्षण तथा भारत के रिजर्व बैंक में शामिल किए जाने के लिए राज्यों की वित्तीय स्थिति तथा वित्त मंत्रालय के प्रयोग के वास्ते योजना वित्तपोषण के संबंध में टिप्पणियां तैयार करना।
- बजट-पूर्व चर्चाओं में भाग लेने के लिए योजना आयोग में क्रियाकलापों का समन्वय करना।
- प्रोफेसर रघुराम जी. राजन की अध्यक्षता में वित्तीय क्षेत्रक सुधारों संबंधी उच्च स्तरीय समिति ने सितंबर, 2008 में सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। समिति ने वृहद-आर्थिक तंत्र, वित्त की सुलभता का विस्तार, और अधिक प्रभावी तथा प्रवाही बाजारों का सृजन, उन्नति-अनुकूल विनियामक तंत्र तथा ऋण के लिए एक सशक्त आधारिक-तंत्र के सृजन जैसे विषयों पर अत्यंत व्यापक सिफारिशें की हैं।

केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम

4.10.5 केन्द्रीय प्रायोजित और केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमों के अधीन प्रदान की जाने वाली निधियां के अभिग्रहण के उद्देश्य से योजना लेखांकन और लोक वित्त प्रबंध प्रणाली नामक एक नई योजना स्कीम 2008-09 में शुरू की गई है। यह स्कीम महालेखा नियंत्रक के कार्यालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। 1258 केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें और केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमों के लिए एक केन्द्रीय मानीटरन और लेखांकन प्रणाली शुरू की गई है। स्कीमों के अधीन केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा जारी की गई सभी मंजूरियां एक अनूठी मंजूरी आईडी द्वारा अभिज्ञात की जाती है जिस कारण विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच उनके लेखांकन बजट शीर्षों के अनुसार प्रदान की गई राशियों का पता लगाया जाना संभव हो पाता है।

4.11 स्वास्थ्य, आयुष, परिवार कल्याण और पोषण

4.11.1 किसी भी राष्ट्र का स्वास्थ्य विकास का एक अनिवार्य घटक होता है, राष्ट्र की आर्थिक उन्नति और आंतरिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण होता है। जनसाधारण के लिए स्वास्थ्य देखभाल का एक न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करना विकास प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक है।

4.11.2 स्वास्थ्य मानकों जैसेकि जीवन संभाव्यता, बाल मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर तथा मातृ मृत्यु दर में सुधार लाने के हमारे प्रयासों में पिछले छः दशकों में उल्लेखनीय उपलब्धियां की गई हैं। चेचक, गिनी-कृमि का उन्मूलन किया जा चुका है और आशा है कि निकट भविष्य में पोलियो पर भी काबू पा लिया जाएगा। इसके बावजूद समस्याएं बनी हुई हैं। कुपोषण बहुत बड़ी संख्या में बच्चों को प्रभावित करता है। मौजूदा, पहले से चले आ रहे और अब प्रस्तुत नए खतरों के अलावा उभरने वाले नए रोगों के कारण बहुत बड़ी संख्या में लोग कष्ट पा रहे हैं

और मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। गर्भावस्था और शिशु के जन्म से संबंधित जटिलताओं ने भी कष्ट और मृत्यु दर में अपना योगदान दिया है।

4.11.3 देश को स्वास्थ्य देखभाल की बढ़ती हुई लागतों और लोगों की बढ़ती हुई अपेक्षाओं से निपटना है। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में उत्तम स्वास्थ्य सेवाओं की चुनौती को तात्कालिक आधार पर पूरा किया जाना है। समस्या के परिमाण को देखते हुए हमें सरकारी स्वास्थ्य देखभाल को 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक जवाबदेह, सुलभ और उत्तम सेवाओं की वहनीय प्रणाली के रूप में बदलना है।

4.11.4 इस प्रभाग पर निम्नलिखित की जिम्मेदारी है:

- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) नामक अग्रणी कार्यक्रम के विशेष संदर्भ में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, आयुष तथा पोषण से संबंधित नीति और कार्यनीति मार्गनिर्देश तैयार करना।
- स्वास्थ्य क्षेत्रक में अर्थात जानपदिकरोग वैज्ञानिक, जनांकिकीय, सामाजिक और प्रबंधकीय चुनौतियों में बदलती प्रवृत्तियों का मानीटरन।
- राज्य और केन्द्रीय क्षेत्रक--दोनों में चालू नीतियों, कार्यनीतियों और कार्यक्रमों की जांच करना और उपयुक्त फेर-बदलों और मध्य मार्ग में किए जाने वाले संशोधनों के सुझाव देना।
- सेवाओं की कार्यकुशलता और गुणवत्ता में सुधार के तरीकों के सुझाव देना।
- जनसंख्या के स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने/तथा त्वरित जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने के लिए जरूरी बुनियादी, नैदानिक तथा प्रचालनात्मक अनुसंधान के लिए प्राथमिकताएं तैयार करना।
- अंतर्क्षेत्रकीय मुद्दों की जांच करना और सेवाओं के अभिसरण के लिए उपयुक्त नीतियां विकसित करना ताकि जनता इस समय चालू कार्यक्रमों से इष्टतम लाभ उठा सके।
- इनमें से प्रत्येक क्षेत्रक के लिए अल्पकालिक, मध्यावधिक और दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य और लक्ष्य तय करना।
- यह प्रभाग निम्न में योजना आयोग का प्रतिनिधित्व करता है:
  i. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, आयुष तथा महिला और बाल विकास मंत्रालय की विभिन्न समितियां।
  ii. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, आयुष तथा महिला और बाल विकास मंत्रालय से संबंधित ईएफसी/एसएफसी।
  iii. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन आफ इंडिया आदि के वैज्ञानिक सलाहकार दल आदि।
- स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और पोषण संसाधनों जिनमें अपेक्षित जनशक्ति और सामग्री, शुरू किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए निर्माण और उपकरण के मानक तथा चिकित्सीय अनुसंधान का विकास आदि शामिल है, से संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों में प्राथमिकताओं और लक्ष्यों के संबंध में योजना आयोग को सलाह देने के लिए समय-समय पर विशेषज्ञ पैनलों का गठन किया जाता है।

कार्यदल चर्चाए

4.11.5 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण प्रभाग ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और साथ ही केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ भी

वार्षिक योजना 2009-10 के संबंध में विस्तृत (कार्यदल) चर्चाए आयोजित की। स्वास्थ्य, आयुष, परिवार कल्याण और पोषाहार क्षेत्रकों में पेश आई समस्याओं, नई पहलों और निष्पादन पर चर्चा की गई। स्वास्थ्य क्षेत्रक के लिए परिव्यय को जीडीपी के 2-3% बढ़ाने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, जैसाकि राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम (एनसीएमपी) में निर्धारित किया गया है, वर्ष 2009-10 के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के वार्षिक योजना परिव्यय में पर्याप्त वृद्धि की गई। राज्यों को भी, आम आदमी को स्वास्थ्य देखरेख सेवाएं प्रदान करने के लिए वर्ष 2009-10 के लिए स्वास्थ्य क्षेत्रक के संबंध में अपने परिव्यय बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। 2009-10 के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का वार्षिक योजना परिव्यय राष्ट्रीय चुनावों की घोषणा के लिए अंतरिम बजट की प्रस्तुति के चलते 2008-09 आबंटन के स्तर पर रखा गया।

4.11.6 एक कार्यकलाप, जो पूरे समीक्षाधीन वर्ष में जारी रहा, योजना स्कीमों को जारी रखने से संबद्ध था, यथा 'सिद्धांततः' अनुमोदन प्रदान करना और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग की स्कीमों के संबंध में एसएफसी/ईएफसी/सीसीईए प्रस्तावों की जांच करना।

4.11.7 योजना आयोग को निम्न प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं:

सिद्धांत रूप में अनुमोदन

- खाद्य और पोषण बोर्ड का सुदृढ़ीकरण।
- चेन्नई के निकट चेंगलापट्टू में एक एकीकृत टीका परिसर (आईवीसी) की स्थापना।
- 11वीं योजना में तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के योजना बजट में देश के चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र के वास्ते एक मेडी-पार्क का विकास।
- प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) का चरण-II जिसमें 2 एआईआईएमएस संस्थान और 6 चिकित्सा कालेज संस्थानों का स्तरोन्नयन शामिल है।
- जलने के कारण पहुंची चोट को रोकने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम।

एसएफसी प्रस्ताव

- राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण कार्यान्वित करने के वास्ते आधारिक-तंत्र का विकास।
- आयुर्वेद में स्नातकोत्तर शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, जामनगर में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण कार्यान्वित करने के वास्ते आधारिक-तंत्र का विकास।
- नर्सिंग कालेजों की तरह 6 एआईआईएमएस की स्थापना।
- राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान (निमहंस) बंगलौर में दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या में 54% की बढ़ोतरी के लिए आधारिक सुविधाओं का विकास।
- नार्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट आफ हेल्थ एंड मेडीकल साइंसेज (एनईआईजीआरआईएचएमएस), शिलांग में एक अवर स्नातक चिकित्सा कालेज की स्थापना।
- क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, जिपमेल, पुडुचेरी को सुसज्जित करना।
- एलआरएस इंस्टीट्यूट आफ टीबी तथा रेसपीरेटरी डिसीसेज, नई दिल्ली में ओबीसी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण का कार्यान्वयन।
- सरकारी संस्थानों में ओबीसी के आरक्षण को कार्यान्वित करने के प्रयोजन से अतिरिक्त सीटें

उपलब्ध कराने के वास्ते राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान का व्यापक प्रस्ताव।

- राजकुमारी अमृतकौर कालेज आफ नर्सिंग, नई दिल्ली में ओबीसी आरक्षण नीति का कार्यान्वयन।
- ओवरसाइट कमिटी के अनुसार 27% ओबीसी आरक्षण को कार्यान्वित करने के वास्ते आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ स्पीच एंड हियरिंग, मैसूर की संकाय और स्टाफ के सुदृढ़ीकरण के वास्ते प्रस्ताव।
- सीजीएचएस औषधालयों/कार्यालयों आदि के कंप्यूटरीकरण का प्रस्ताव।

ईएफसी प्रस्ताव

- XIवीं योजना में नर्सिंग सेवाओं के विकास के लिए मौजूदा स्कीम को जारी रखना।
- सफदरजंग अस्पताल का पुनर्विकास।
- पीएमएसएसवाई के चरण-II के अधीन 2 एआईआईएमएस जैसे संस्थानों की स्थापना तथा 6 मौजूदा चिकित्सीय कालेजों/संस्थानों का स्तरोन्नयन।
- सीआईपी, रांची का विकास।
- राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम।
- एआईआईएमएस जैसे 6 संस्थानों में 6 नर्सिंग कालेजों की स्थापना।
- राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम।
- XIवीं योजना में मेडीकल कालेजों में भौतिक चिकित्सा के विभाग में सुविधाओं का स्तरोन्नयन।
- मधुमेह, कार्डियोवैस्कुलर रोगों और स्ट्रोकों के निवारण और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम।
- फ्लुरोसिस के निवारण और नियंत्रण के लिए कार्यक्रम।
- अंधता का नियंत्रण।
- बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य देखभाल का कार्यक्रम।
- राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन कैंसर रोगी निधियां।
- सफदरजंग अस्पताल में स्पोर्ट्स इंजरी केन्द्र (आर्थोस्कोपी और संधि विकार) की स्थापना।
- राज्य सरकार चिकित्सीय/दंत्य कालेजों का सुदृढ़ीकरण और स्तरोन्नयन।
- 2009-10 से लेकर 2011-12 के दौरान पोलियो उन्मूलन कार्यनीति का कार्यान्वयन।
- इंजेक्शन के माध्यम से नशीली दवाओं का सेवन करने वालों के लिए मुखीय प्रतिस्थापन चिकित्सा।
- राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन।
- वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण।
- यूआईपी के अधीन हेपाटाइटिस बी टीका।
- आयुष अस्पताल और चिकित्सालय।
- सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ साइकेट्री, रांची में 90 आवासीय क्वार्टरों के निर्माण के लिए आरसीई प्रस्ताव।
- XIवीं योजना के दौरान नर्सिंग सेवाओं के स्तरोन्नयन/सुदृढ़ीकरण के तहत एएनएम स्कूल खोलना।
- नर्सिंग सेवाओं के स्तरोन्नयन/सुदृढ़ीकरण के तहत सामान्य नर्सिंग और मिडवाइफरी (जीएनएम) स्कूल खोलना।
- राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान खोलना।

- XIवीं योजना के दौरान 2 राष्ट्रीय अर्द्ध-चिकित्सा विज्ञान संस्थान तथा क्षेत्रीय अर्द्ध-चिकित्सा विज्ञान संस्थान खोलना।
- ओबीसी आरक्षण के अधीन पीजीआई विस्तार के लिए पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ का प्रस्ताव।
- सफदरजंग अस्पताल/वर्धमान महावीर मेडीकल कालेज, दिल्ली में केन्द्रीय शिक्षा संस्थान अधिनियम, 2006 के तहत ओबीसी छात्रों के लिए 27% आरक्षण का कार्यान्वयन।
- एडवांस्ड ट्रामा सेंटर (चरण-II) पीजीआई, चंडीगढ़ के निर्माण के संबंध में पूंजीगत कार्य शुरू करने का प्रस्ताव।

मंत्रिमंडल टिप्पणियां

- ट्रांसफ्यूजन चिकित्सा में उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में मेट्रो ब्लड बैंकों की स्थापना।
- एक प्लाज्मा फ्रैक्सनेशन केन्द्र स्थापित करना।
- पीएमएसएसवाई के अधीन स्थापित किए जा रहे संस्थानों की भांति 6 एआईआईएमएस के लिए 1 निदेशक और चिकित्सा अधीक्षक के पद के सृजन का प्रस्ताव।
- समाज में तंबाकू के प्रयोग को हतोत्साहित करने के लिए एक व्यापक नीति की जरूरत।
- पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट आफ मेडीकल एजूकेशन एंड रिसर्च (पीजीआईएमईआर), चंडीगढ़ अधिनियम, 1966 के खंड 23 तथा 24 का संशोधन।
- केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम (सीजीएचएस चिकित्सालयों) के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा (सीएचएस) के सेवानिवृत्त सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारियों (जीडीएमओ) की संविदा आधार पर नियुक्ति।
- केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम (सीजीएचएस) - प्रत्यायित पत्रकारों के लिए अंशदान की दरों की शर्तें तय करना।
- आधारिक सुविधाओं का सृजन - लेडी हार्डिंग मेडीकल कालेज (एलएचएमसी) तथा संबद्ध अस्पतालों में केन्द्रीय शैक्षिक संस्थान (दाखिले में आरक्षण) अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन।
- आईसीएमआर वैज्ञानिकों की अधिवार्षिकी की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करना।
- सीजीएचएस डाक्टरों के शिक्षण विशेषज्ञों के लिए अधिवार्षिकी की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करना।
- शिलांग में नार्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट आफ आयुर्वेद एंड होम्योपैथी की स्थापनाक का प्रस्ताव।
- औषधीय पौधों के संरक्षण विकास और संधारणीय प्रबंध के लिए स्कीम।
- औषधीय पौधों के लिए राष्ट्रीय मिशन।
- 2008-09 के दौरान मार्गदर्शी परियोजना आधार पर किशोर लड़कियों के लिए पोषण कार्यक्रम जारी रखना।
- 2007-08 तथा 2008-09 वर्षों के लिए पोलियो उन्मूलन कार्यनीतियों का कार्यान्वयन।
- नवनिर्मित स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग में संयुक्त सचिव के एक पद का सृजन।
- वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण।
- राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन।
- स्वास्थ्य विभाग (समूह ए) राजपत्रित, गैर-राजपत्रित वैज्ञानिक और तकनीकी पद नामक पदोन्नति स्कीम का विस्तार आयुष विभाग के अधीन चिकित्सीय और गैर-चिकित्सीय वैज्ञानिकों के लिए करना।

- XIवीं पंचवर्षीय योजना के लिए राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम।
- जवाहर लाल नेहरू इंस्टीट्यूट आफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडीकल एजूकेशन एंड रिसर्च (जिपमेर), पुडुचेरी में शिक्षण ब्लाक, महिला और बाल अस्पताल, नए छात्रावास परिसर की स्थापना तथा विशेषज्ञों का सुदृढ़ीकरण।
- पीएमएसएसवाई के तहत एआईआईएमएस जैसे 2 संस्थानों की स्थापना और 5 मौजूदा राजकीय चिकित्सा संस्थानों का स्तरोन्नयन।
- एनआरएचएम-एनआरएचएम के संस्थान तंत्र का प्रचालन - एनआरएचएम की ईपीसी तथा मिशन संचालन ग्रुप के निर्णय।
- निमहंस बंगलौर के लिए प्रस्ताव।
- इंडियन मेडीसन सेंट्रल काउंसिल अधिनियम, 1970 (आयुष) के सोवा-रिगपा-संशोधन की स्वीकृति।
- केन्द्रीय अधिप्राप्ति एजेंसी (सीपीए) की स्थापना।

बैठकें

- डॉ. सईदा हमीद, सदस्य (स्वास्थ्य) की अध्यक्षता में एचबीएनसीसी के कार्यान्वयन तथा आशा प्रशिक्षण और सहायता तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए 4 अप्रैल, 2008 को एक बैठक आयोजित की गई।
- आयुष विभाग के वर्ष 2007-08 के निष्पादन और 2008-09 के लिए क्रियाकलापों की समीक्षा करने के लिए डॉ. (सुश्री) सईदा हमीद, सदस्य (स्वास्थ्य) की अध्यक्षता में 30.5.2008 को एक बैठक आयोजित की गई।
- डॉ. (सुश्री) सईदा हमीद, सदस्य (स्वास्थ्य) की अध्यक्षता में स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधनों के बारे में 31.5.2008 को एक बैठक आयोजित की गई।
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के वर्ष 2007-08 के निष्पादन और 2008-09 के लिए क्रियाकलापों की समीक्षा करने के लिए डॉ. (सुश्री) सईदा हमीद, सदस्य (स्वास्थ्य) की अध्यक्षता में 5.6.2008 को एक बैठक आयोजित की गई।
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग तथा स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग की छमाही निष्पादन समीक्षा बैठक (2008-09) डॉ. (सुश्री) सईदा हमीद, सदस्य (स्वास्थ्य) की अध्यक्षता में 14 नवंबर, 2008 को आयोजित की गई।
- आयुष विभाग की छमाही निष्पादन समीक्षा बैठक (2008-09) डॉ. (सुश्री) सईदा हमीद, सदस्य (स्वास्थ्य) की अध्यक्षता में 3 दिसंबर, 2008 को आयोजित की गई।
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के लिए डॉ. (सुश्री) सईदा हमीद, सदस्य (स्वास्थ्य) की अध्यक्षता में 29.1.2009 को वार्षिक योजना 2009-10 चर्चा बैठक आयोजित की गई।

प्रस्तुतियां

- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की समीक्षा पर सिविल सोसायटी आर्गेनाइजेशन द्वारा 22 अप्रैल, 2008 को एक प्रस्तुति की गई।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशनः आगे की कार्रवाई के लिए आकलन और विश्लेषण विषय पर वरिष्ठ सलाहकार (स्वास्थ्य) द्वारा श्री एम. एस. अहलूवालिया, उपाध्यक्ष, योजना आयोग को 24.4.2008 को एक प्रस्तुति की गई।
- भारत में पोषण के अधीन समस्या पर डब्ल्यूएचओ तथा अन्य संगठनों द्वारा 21 मई, 2008 को एक प्रस्तुति की गई।

- कुपोषण के विषय पर सचिव पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा 6 जून, 2008 को एक प्रस्तुति की गई।
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शहरी ग्रामीण मिशन पर 23 जून, 2008 को एक प्रस्तुति की गई।
- पीरामल ग्रुप द्वारा चिरकारी रोगों की जागरूकता के संबंध में 1 जुलाई, 2008 को एक प्रस्तुति की गई।
- श्री एन. सी. सक्सेना, पूर्व-सचिव, भारत सरकार द्वारा भारत में भूख/अल्प-पोषण तथा खाद्य सुरक्षा पर 16 दिसंबर, 2008 को एक प्रस्तुति की गई।
- जेनेटिकली इंजीनियर्ड फूड के प्रलेखित स्वास्थ्य जोखिमों के संबंध में जेफरी एम. स्मिथ द्वारा 30 जनवरी, 2009 को एक प्रस्तुति की गई।
- भारत में दंत्य जनशक्ति के सर्वेक्षण के प्रस्ताव पर भारतीय दंत्य परिषद के अध्यक्ष डॉ. अनिल कोहली द्वारा डॉ. सईदा हमीद, सदस्य (स्वास्थ्य), योजना आयोग की अध्यक्षता में 18 मार्च, 2009 को एक प्रस्तुति की गई।

11वीं पंचवर्षीय योजना

4.11.8 11वीं पंचवर्षीय योजना, अधिक तेज, व्यापक और समावेशी विकास पर आधारित एक नई परिकल्पना को साकार करने के लिए नीतियों की पुनर्रचना करने का एक अवसर प्रदान करेगी। 11वीं पंचवर्षीय योजना का एक उद्देश्य लोगों, विशेष रूप से गरीब और सुविधाविहीनों के लिए उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की जरूरत है जिसमें वैयक्तिक स्वास्थ्य देखभाल, जन स्वास्थ्य, स्वच्छता, शुद्ध पेयजल, खाद्य की सुलभता और स्वच्छता तथा खिलाने की परिपाटियों की जानकारी सम्मिलित होगी। यह योजना सरकारी स्वास्थ्य प्रणालियों और सेवाओं जोकि लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों और आकांक्षाओं के प्रति अनुक्रियाशील हैं उनके अभिसरण और विकास को सुविधापूर्ण बनाएगी। वहनीय स्वास्थ्य देखभाल की सुलभता सुनिश्चित करके क्षेत्रों और समुदायों के बीच स्वास्थ्य में विषमताओं को घटाने पर बल दिया जाएगा।

4.11.9 इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए केन्द्र और राज्यों द्वारा स्वास्थ्य पर समेकित व्यय में महत्वपूर्ण वृद्धि करनी होगी जिससे कि सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली के बेहतर कार्य निष्पादन के लिए उसका सुदृढ़ीकरण किया जा सके। साथ ही यह योजना एचआईवी/एड्स जैसे गंभीर क्षेत्रों में स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए आबंटन का एक बड़ा हिस्सा सुनिश्चित करेगी। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेवाएं उपलब्ध कराने में सरकार के साथ भागीदारी सहित विभिन्न उपायों के माध्यम से निजी क्षेत्र के योगदान को बढ़ाया जाएगा। पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) समुदाय और सिविल समाज समूहों के सहयोजन के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति में उत्तम अभिशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। स्वास्थ्य सभी नागरिकों का एक अधिकार है और यह योजना इस लक्ष्य की ओर प्रयासशील रहेगी।

11वीं पंचवर्षीय योजना (स्वास्थ्य क्षेत्रक) के लिए समयबद्ध लक्ष्यः

- मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) को घटाकर प्रति 1000 जीवित जन्मों के पीछे 1 तक लाना।
- शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) को घटाकर प्रति 1000 जीवित जन्मों के पीछे 28 तक लाना।
- समग्र जनन क्षमता दर घटकार 2.1 तक लाना।
- 2009 तक सभी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना और इसमें किसी भी तरह का पिछड़ापन न होने देना सुनिश्चित करना।

- 0-3 आयुवर्ग के बच्चों के बीच कुपोषण की दर मौजूदा स्तर से घटाकर आधी करना।
- महिलाओं और लड़कियों के बीच अरक्तता में 50 प्रतिशत की कमी लाना।
- 0-6 आयुवर्ग के लिए लैंगिक अनुपात 2011-12 तक बढ़ाकर 935 और 2016-17 तक 950 तक लाना।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

4.11.10 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के बीच विषमताओं और समस्याओं की ओर ध्यान देने और स्वास्थ्य प्रणाली में तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। मिशन का उद्देश्य ऐसी सम्यक, वहनीय और उत्तम स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं सर्वसुलभ बनाना है जोकि जवाबदेह हो और साथ ही लोगों की जरूरतों के प्रति अनुक्रियाशील हो। आशा है कि यह मिशन राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति और सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों के अधीन तय किए गए लक्ष्यों की पूर्ति कर लेगा।

4.11.11 इन लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए एनआरएचएम बेहतर सुलभता और सभी के द्वारा उत्तम स्वास्थ्य सेवाओं के उपयोग को सुविधापूर्ण बनाता है, केन्द्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच भागीदारी स्थापित करता है, प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों और आधारिक-तंत्र के प्रबंध में पीआरआई और समुदाय को सहयोजित करने के लिए एक मंच स्थापित करता है और समानता तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए एक अवसर उपलब्ध कराता है। एनआरएचएम राज्यों और समुदाय को स्थानीय पहलों को बढ़ावा देने तथा प्रोन्नायक और निवारक स्वास्थ्य देखभाल के लिए अंतःक्षेत्रीय अभिसरण को बढ़ावा देने के लिए एक तंत्र विकसित करने के निमित्त नमनशीलता प्रदान करने के लिए एक तंत्र स्थापित करता है।

4.11.12 10वीं योजना के अंत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की समीक्षा से यह पता चलता है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य आपूर्ति में सुधार लाने के उद्देश्य से यह जरूरी है कि इस स्थिति में ग्रासरूट स्तर पर एक त्वरित पद्धति से बदलाव लाया जाए। 31.12.2008 को स्थिति इस प्रकार है:

(क) 3,42,801 ग्राम स्वास्थ्य और स्वच्छता समितियों (वीएचएससी) का गठन किया जा चुका है जबकि 2008 तक इस तरह की 6 लाख समितियों के गठन का लक्ष्य रखा गया था।

(ख) 2008 तक पूरी तरह प्रशिक्षित प्रत्यायित 6 लाख सामाजिक स्वास्थ्यकर्मी (आशा) के लक्ष्य के मुकाबले 5,00,532 आशा का चयन किया गया है। इसके अलावा 1,47,984 संपर्क कार्यकर्ताओं का चयन किया गया है। आशा और संपर्क कार्यकर्ताओं के 5 प्रशिक्षण माड्यूलों के तहत 5,63,462 (पहला माड्यूल); 2,57,398 (दूसरा माड्यूल); 1,87,203 (तीसरा माड्यूल); 1,48,401 (चौथा माड्यूल) तथा 3378 (पांचवां माड्यूल) कवर किए गए हैं। इसके अलावा, 4,11,855 आशाओं को दवाई किटों से सुसज्जित किया जा चुका है।

(ग) ऐसी अपेक्षा की गई थी कि 2008 तक दो एएनएम सहित 78,750 उप-केन्द्र (एससी) काम करना शुरू कर देंगे जबकि 25,743 उप-केन्द्रों ने काम करना शुरू किया है।

(घ) निर्धारित किए गए लक्ष्य के अनुसार 2008 तक 3 स्टाफ नर्सों सहित 13,500 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी) काम करना शुरू कर देंगे। इस लक्ष्य के संदर्भ में 5622 पीएचसी ने काम करना शुरू किया है।

(ड.) जिन जिलों में एनआरएचएम के तहत 2008-09 के लिए वार्षिक एकीकृत कार्ययोजना तैयार कर ली गई है, उनकी संख्या 453 है।

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई)

4.11.13 प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) वहनीय/विश्वसनीय तृतीयक स्तर की स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की उपलब्धता में असंतुलनों को सही करने तथा देश के भीतर उत्तम चिकित्सीय शिक्षा की सुविधाओं का संवर्द्धन करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। पीएमएसएसवाई के दो चरण हैं और प्रत्येक चरण के दो घटक हैं:

(i) पीएमएसएसवाई के चरण I के अधीन भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर और ऋषिकेश में एआईआईएमएस जैसे 6 संस्थान स्थापित किए जाएंगे। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा चुकी है, बोली की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और सभी स्थलों पर काम शुरू हो चुका है। जोधपुर में अक्तूबर, 2009 जबकि अन्य जगहों पर मई, 2010 तक काम पूरा हो जाने की संभावना है। चरण II के अधीन मंत्रिमंडल ने 5.2.2009 को उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में एआईआईएमएस जैसे दो संस्थान स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की।

(ii) पीएमएसएसवाई का दूसरा घटक राज्य सरकार मेडीकल कालेज संस्थानों के एआईआईएमएस के स्तर तक स्तरोन्नयन से संबंधित है। इस स्तरोन्नयन में मोटे तौर पर उपकरणों की अधिप्राप्ति के माध्यम से मौजूदा विभागों के सुदृढ़ीकरण की परिकल्पना की गई है। साथ ही इनमें से कई संस्थानों के लिए सुपरस्पेशिलिटी ब्लाक, नर्सिंग कालेज, ओपीडी आदि का निर्माण करने का भी प्रस्ताव है।

चरण I के अधीनः 13 राज्य सरकार मेडीकल कालेज संस्थानों को एआईआईएमएस स्तर तक स्तरोन्नत कर दिया जाएगा। मोहन कुमारमंगलम मेडीकल कालेज तथा अस्पताल, सेलम; तिरुवनंतपुरम मेडीकल कालेज; कोलकाता मेडीकल कालेज; संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट आफ मेडीकल साइंसेज; एनआईएमएस, हैदराबाद; बंगलौर मेडीकल कालेज; जम्मू मेडीकल कालेज में अक्तूबर, 2009 तक तथा श्रीनगर मेडीकल कालेज में मार्च, 2010 तक काम पूरा हो जाने की संभावना है। इंस्टीट्यूट आफ मेडीकल साइंसेज, बीएचयू, वाराणसी में काम पहले ही शुरू किया जा चुका है। पीएमएसएसवाई का 5.2.2009 को मंजूर किए गए चरण II में 6 राज्य सरकार मेडीकल कालेज संस्थानों के स्तरोन्नयन की बात सोची गई है। पीएमएसएसवाई के अधीन जिन 6 राज्य सरकार मेडीकल कालेजों का स्तरोन्नयन किया जाना है वे इस प्रकार हैं - चरण II: राजकीय मेडीकल कालेज, अमृतसर, पंजाब; राजकीय मेडीकल कालेज, टांडा, हिमाचल प्रदेश; राजकीय मेडीकल कालेज, मदुरई, तमिलनाडु; राजकीय मेडीकल कालेज, नागपुर, महाराष्ट्र; अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का जवाहरलाल नेहरू मेडीकल कालेज, अलीगढ़; पंडित बी. डी. शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट आफ मेडीकल साइंसेज, रोहतक।

आयुष

4.11.14 2008-09 के दौरान ध्यातव्य क्षेत्र इस प्रकार रहे हैं: एएसयू तथा एच औषधियों का

गुणवत्ता नियंत्रण और मानकीकरण; कच्चे माल अर्थात औषधीय पौधों, धातुओं, खनिज पदार्थों तथा सामग्री आदि की सतत उपलब्धता सुनिश्चित करना; प्रणालियों की प्रभाविता के संबंध में अनुसंधान और विकास; स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति प्रणाली तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम आदि में आयुष की सहभागिता; आयुष प्रणालियों को बढ़ावा देने और आयुष की विभिन्न प्रणालियों की प्रभाविता कुशलता के संबंध में जनसाधारण के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार जिससे कि अंततः आयुष स्वास्थ्य देखभाल की लाभग्राही तक पहुंच सुलभ, स्वीकार्य, वहनीय और गुणवत्तात्मक ढंग से बढ़ सके।

किशोर लड़कियों के लिए पोषाहार कार्यक्रम

4.11.15 किशोर लड़कियों के लिए एक पोषाहार कार्यक्रम (एनपीएजी) प्रायोगिक आधार पर 2002-03 में 51 जिलों में शुरू किया गया था। महिला और बाल विकास मंत्रालय 2005-06 से यह कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। 2008-09 के दौरान भी एमओडब्ल्यूसीडी द्वारा यह कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है।

पोषण संबंधी एकीकृत बाल विकास सेवाओं का पोषाहार घटक

4.11.16 एकीकृत बाल विकास स्कीम जोकि तीन दशकों से भी अधिक समय से मौजूद रही है उसका उद्देश्य बाल और मातृ कुपोषण की समस्या की ओर ध्यान देना था लेकिन निश्चय ही इसका प्रभाव सीमित रहा है। बाल कुपोषण में एक दशक के भीतर तनिक भी गिरावट नहीं आई है और असलियत यह है कि महिलाओं और बच्चों के बीच अरक्तता बढ़ी है तथा 1990 के दशक के अंत में और साथ ही 2005-06 में भी सभी वयस्क महिलाओं में से एक-तिहाई महिलाएं अल्प-पोषित थीं। इसका कवरेज भी सीमित रहा है। इसलिए इन समस्याओं का समाधान इस प्रकार हैं: त्वरित सर्वसुलभीकरण सुनिश्चित करने के लिए कवरेज को बढ़ाना; डिजाइन में बदलाव लाना तथा कायान्वयन की योजना इतने विस्तृत ब्यौरों सहित बनाना कि कार्यान्वयन के डिजाइन द्वारा लक्ष्य पराजित न हो जाएं। इसके अलावा, इसकी सभी छः मूल सेवाओं की आपूर्ति पूरी तरह की जानी चाहिए जिससे कि कार्यक्रम प्रभावी बन सके; पूरक पोषण, प्रतिरक्षीकरण, स्वास्थ्य जांच, स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा, रेफरल सेवाएं और स्कूल-पूर्व शिक्षा।

4.12 आवास तथा शहरी विकास प्रभाग

4.12.1 भारत में शहरों का जनसांख्यिकीय तथा आर्थिक महत्व बढ़ गया है और इसलिए उनकी तरफ जितना ध्यान अभी तक दिया जा रहा है उससे कहीं अधिक ध्यान दिए जाने की जरूरत है। इस आशय की ऐतिहासिक लोकोक्ति कि 'भारत गांव में बसता है' अब उससे मुक्ति पाए जाने की जरूरत है। देश के जीडीपी में शहरों का योगदान 55-60% जितना अधिक रहा है। इसलिए हमें शहरों में उपयुक्त आधारिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर ध्यान केन्द्रित करना होगा जिससे कि शहरों को रहने योग्य, वहनीय और विश्वसनीय बनाया जा सके। समावेशी विकास की कार्यनीति का एक प्रमुख तत्व यह होगा कि शहरी गरीब व्यक्ति को जल आपूर्ति, सफाई, जल निकासी, परिवहन, वहनीय आवास आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं सुलभ कराने की दिशा में पूरे प्रयास किए जाएं।

4.12.2 हाल के दशकों में भारत में शहरीकरण के मुख्य पक्ष निम्नानुसार रहे हैं:

(i) बड़े शहरों और समूहनों में शहरी जनसंख्या के संकेन्द्रण की प्रवृत्ति अधिक सुदृढ़ बनती जा रही है;

(ii) 1971-1981, 1961-1971 के मुकाबले 1981-1991 तथा 1991-2001 के दौरान शहरीकरण में गिरावट आई है; तथा

(iii) विभिन्न राज्यों और शहरों में शहरीकरण की पद्धतियों में बड़ी भिन्नताएं हैं।

4.12.3 देश के भीतर अपेक्षित त्वरित आर्थिक उन्नति के चलते उदारीकरण की प्रवृत्ति के भविष्य में तीव्र होने की संभावना है। ऐसी आशा की जाती है कि शहरी जनसंख्या का प्रतिशत दिल्ली में 93 से बढ़कर 97.5, तमिलनाडु में 44 से बढ़कर 69, महाराष्ट्र में 42 से बढ़कर 52, पंजाब में 34 से बढ़कर 46, गुजरात में 37 से बढ़कर 45, कर्नाटक में 34 से बढ़कर 42 तथा हरियाणा में 29 से बढ़कर 41 हो जाएगा। 2011 तक 119.2 करोड़ रुपए की कुल जनसंख्या के संदर्भ में शहरी जनसंख्या 35.8 करोड़ हो जाने की संभावना है।

4.12.4 शहरी समूहनों और कस्बों की संख्या जो 1991 में 3768 थी वह 2001 में बढ़कर 5161 हो गई है। इसके अलावा इस शहरीकरण की विशेषता हैः निर्वाचित निकायों को कार्यों का अधूरा प्रत्यायोजन, समुचित वित्तीय संसाधनों की कमी, नगर स्वायत्तता की ओर बढ़ने की अनिच्छा, संपत्ति कराधान के मामले में पुरानी पद्धतियों का अनुपालन, उपभोक्ता प्रभार लगाने में हिचकिचाहट, बुनियादी सेवाओं जैसेकि जल आपूर्ति और स्वच्छता आदि के प्रावधान में परोक्षतः नियंत्रित निकायों की असंतोषपूर्ण भूमिका। इसके अलावा जिला आयोजना समितियों और महानगर आयोजना समितियों के संबंध में 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अधीन अभिशासन अपेक्षाएं अनेक राज्यों में पूरी नहीं की गई हैं।

4.12.5 आवास और शहरी विकास (एचयूडी) प्रभाग के ऊपर शहरी विकास मंत्रालय (एमओयूडी), आवास और शहरी निर्धनता उपशमन (एचयूपीए), गृह मंत्रालय (एमएचए) तथा न्याय विभाग द्वारा कार्यान्वित स्कीमों/कार्यक्रमों की आयोजना, समन्वय, निर्माण, प्रासेसेसिंग, जांच, विश्लेषण और मानीटरन आदि की जिम्मेदारी है। विस्तृत क्षेत्रक में ये शामिल हैंः सामाजिक आवास, शहरी विकास, शहरी परिवहन, शहरी निर्धनता उपशमन, मलिन बस्तियों का स्तरोन्नयन, उच्च न्यायालय और नगर न्यायालय भवनों का प्रावधान, न्यायाधीशों के लिए रिहाशीय आवास, न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण, पुलिस आवास, अपराध/आपराधिक खोज नेटवर्क और प्रणालियां, भारत के महापंजीयक, राष्ट्रीय आपदा प्रबंध आदि।

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम)

4.12.6 सरकार द्वारा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के रूप में दिसंबर, 2005 में एक प्रमुख पहल की गई जिसका उद्देश्य शहरी गरीब व्यक्ति को 7 वर्ष की अवधि के भीतर आवास, जल आपूर्ति, स्वच्छता, मलिन बस्ती सुधार, सामुदायिक टायलेटों/स्नानागारों आदि सहित बुनियादी सेवाओं उपलब्ध कराने पर बल देते हुए शहरी आधारिक सुविधाओं और सेवाओं के एकीकृत विकास पर केन्द्रित ध्यान देना था। मिशन निम्न बातों पर बल देता हैः

(i) 63 अभिज्ञात क्षेत्रों में एकीकृत विकास के लिए शहरी विकास मंत्रालय (एमओयूडी) द्वारा शहरी आधारिक-तंत्र और अभिशासन (यूआईजी) पर संचालित दो उप-मिशन तथा आवास और शहरी निर्धनता उपशमन मंत्रालय (एमओएचयूपीए) द्वारा संचालित शहरी निर्धन को बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी)।

(ii) एमओयूडी के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत लघु और मझोले कस्बों के लिए शहरी आधारिक-तंत्र विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) तथा एमओएचयूपीए के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एकीकृत आवास और मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) ताकि देश के बाकी कस्बों/शहरों की देखभाल की जा सके।

4.12.7 सीसीईए ने शहरी आधारिक-तंत्र और अभिशासन (यूआईजी) के लिए मिशन आबंटन में 6000 करोड़ रुपए की और यूआईडीएसएसएमटी घटक के लिए 5000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की है जिसका उद्देश्य प्रत्येक शहर के लिए एक अथवा जरूरी मामलों में राज्य आबंटन से बढ़कर एक से अधिक परियोजना हाथ में ली जा सके तथा राज्य स्तरीय समितियों द्वारा दिसंबर, 2008 तक मंजूर की गई सभी ऐसी यूआईडीएसएसएमटी परियोजनाओं के लिए निधियां प्रदान करना सुविधापूर्ण हो सके भले ही प्रदान की गई इस तरह की निधियां राज्य आबंटन सीमा से बढ़कर हों। मिशन में वहनीय आवास की स्कीम के लिए 5000 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।

4.12.8 योजना आयोग ने 5043 करोड़ रुपए के बढ़े हुए आबंटन (बीएसयूपी के लिए 2682 करोड़ रुपए तथा आईएसएचडीपी के लिए 2361 करोड़ रुपए) की सिफारिश की है।

4.12.9 2008-09 के लिए जेएनएनयूआरएम आबंटन 6890 करोड़ रुपए है जबकि 2007-08 में आबंटन की राशि 5500 करोड़ रुपए थी। 2008-09 के लिए घटक-वार आबंटन निम्नानुसार है:

(i) यूआईजी	3513.89 करोड़ रुपए
(ii) बीएसयूपी	1880.35 करोड़ रुपए
(iii) यूआईडीएसएसएमटी	881.92करोड़ रुपए
(iv) आईएचएसडीपी	613.84 करोड़ रुपए

4.12.10 यह मिशन सुधार प्रेरित है अर्थात राज्यों और शहरों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों की सुलभता की एक पूर्वापेक्षा के रूप में कतिपय सुधारों को जोकि अनिवार्य अथवा वैकल्पिक हो सकते हैं कार्यरूप देंगे। इन सुधारों का उद्देश्य स्थानीय निकायों के वित्तीय स्थिति में सुधार लाना, सृजित परिसंपत्तियों की संधारणीयता, शहरी अभिशासन और सेवा आपूर्ति में सुधार और ये सुधार मिशन अवधि के भीतर पूरे किए जाने हैं। वार्षिक योजना 2008-09 के लिए यूआईडीएसएसएमटी के वास्ते 2400 करोड़ रुपए, यूआईजी के लिए 1300 करोड़ रुपए तथा आईएचएसडीपी के लिए 500 करोड़ रुपए का पूरक आबंटन भी किया गया।

जेएनएनयूआरएम की कार्यनीति

4.12.11 यह कार्यनीति इस अभिधारणा पर आधारित है कि शहर भारत की आर्थिक उन्नति और निर्धनता कम करने में एक सार्थक योगदान दे रहे हैं। यह कार्यक्रम सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों (एमडीजी) को पूरा करने का प्रयास करता है और ऐसी कल्पना की गई है कि यह कार्यक्रम शहरी आधारिक-तंत्र में निवेश को सुकर बनाकर मिशन पद्धति से संचालित किया जाएगा। यह मिशन 63 मिशन शहरों जिनमें से प्रत्येक शहर को अपनी शहर विकास योजना (सीडीपी) तैयार करनी है के एकीकृत विकास के लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास करता है और ऐसा करते समय शहर के लिए एक दीर्घकालीन परिकल्पना प्रस्तुत करता है और आधारिक-तंत्र परियोजना द्वारा इसके प्रयासों को सहायता उपलब्ध कराता है। मिशन की एक अनिवार्य अपेक्षा मिशन अवधि के भीतर शहरी सुधारों का कार्यान्वयन है। साथ ही इसका उद्देश्य जहां कहीं संभव हो सरकारी-निजी (पीपीपी) भागीदारी के माध्यम से परियोजनाओं के विकास, प्रबंध, कार्यान्वयन और वित्तपोषण में निजी क्षेत्र का लाभ उठाना और उनकी दक्षताओं को समाहित करना है।

जेएनएनयूआरएम के कार्यान्वयन की स्थिति

4.12.12 एचयूडी प्रभाग के अधिकारी संबंधित मंत्रालयों की केन्द्रीय स्वीकृति और मानीटरन समिति की बैठकों/समीक्षा बैठकों में भाग लेते रहे हैं। उप-मिशन I के तहत 461 परियोजनाओं के लिए कुल प्रतिबद्ध एसीए 23411.09 करोड़ रुपए है

और 27.3.2009 की स्थिति के अनुसार 7428.40 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जा चुकी है, उप-मिशन II के तहत 461 परियोजनाओं के लिए कुल प्रतिबद्ध एसीए 12756.64 करोड़ रुपए है जबकि 24.3.2009 की स्थिति के अनुसार प्रदान की गई कुल एसीए 3749.64 करोड़ रुपए है, एकीकृत आवास और मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के अधीन 828 परियोजनाओं के लिए कुल एसीए 5603.94 करोड़ रुपए है तथा 31.3.2009 की स्थिति के अनुसार प्रदान की गई एसीए राशि 2581.06 करोड़ रुपए है तथा लघु और मझोले कस्बों के लिए शहरी आधारिक-तंत्र विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) के अधीन 747 परियोजनाओं के लिए कुल प्रतिबद्ध एसीए 12777.81 करोड़ रुपए है तथा 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार प्रदान की गई एसीए राशि 5820.70 करोड़ रुपए है।

जेएनएनयूआरएम की अपेक्षित उपलब्धियां

(i) बेहतर अभिशासन और सेवा आपूर्ति के लिए वित्तीय रूप से संधारणीय शहर।

(ii) शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सेवाओं की सर्वसुलभता।

(iii) अभिशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही।

(iv) आधुनिक पारदर्शी बजट निर्माण, लेखांकन और वित्तीय प्रबंध प्रणालियां अपनाना।

संचित वित्त विकास निधि (पीएफडीएफ)

4.12.13 सरकार ने एक संचित वित्त विकास निधि स्थापित करने की मंजूरी दे दी है ताकि शहरी स्थानीय निकायों को राज्य स्तरीय वित्तीय तंत्र के माध्यम से, उनकी ऋण विश्वसनीयता के आधार पर बाजार से ऋण उठाने की सुविधा द्वारा उन्हें ऋण संवर्द्धन उपलब्ध कराया जा सके। पीएफडीएफ के मुख्य लक्ष्य इस प्रकार हैं:

(i) उपयुक्त क्षमता निर्माण उपायों और परियोजनाओं की वित्तीय रचना के माध्यम से बैंक योग्य शहरी आधारिक-तंत्र परियोजनाओं के विकास को सुविधापूर्ण बनाना।

(ii) शहरी आधारिक परियोजनाओं में निवेश के लिए एक या एक से अधिक अभिज्ञात यूएलबी की ओर से संचित वित्तपोषी बंध-पत्रों के माध्यम से पूंजी बाजारों का लाभ उठाने के उद्देश्य से राज्य संचित वित्त निकायों (एसपीएफई) को ऋण संवर्द्धन अनुदान प्रदान करके महत्वपूर्ण नगर आधारिक-तंत्र में निवेश के लिए शहरी स्थानीय निकायों को पूंजी बाजार सुलभ कराना सुविधापूर्ण बनाना।

(iii) उपयुक्त ऋण संवर्द्धन उपायों और मौजूदा मंहगे ऋणों की पुनर्रचना के माध्यम से स्थानीय निकायों के लिए ऋण उठाने की लागत कम करना।

(iv) नगर बंध-पत्र बाजार के विकास को सुविधापूर्ण बनाना।

नगरपालिकाओं में ई-अभिशासन

4.12.14 नगरपालिकाओं में ई-अभिशासन पर राष्ट्रीय मिशन पद्धति परियोजना 423 श्रेणी I शहरों में कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है ताकि नागरिकों को एकल खिड़की सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें जिससे कि यूएलबी की प्रभाविता और उत्पादकता में वृद्धि की जा सके। एक मिलियन से अधिक की जनसंख्या वाले कुल मिलाकर 35 शहरों को जेएनएनयूआरएम के एक अंग के रूप में कवर किए जाने का प्रस्ताव है तथा अन्य शहरों के लिए एक नई सीएसएस को फिलहाल तब तक प्रतीक्षा करनी होगी जब तक कि जेएनएनयूआरएम के एक अंग के रूप में 35 शहरों में कार्यान्वयन की परख नहीं कर ली जाती।

उपग्रह कस्बों/काउंटर-मैग्नेट शहरों का विकास

4.12.15 महानगरों और मेगा शहरों जोकि व्यापार और वाणिज्य का केन्द्र बन चुके हैं उन्हें छोटे और मझोले कस्बों तथा विशाल ग्रामीण भीतरी प्रदेश से अक्षुण्ण अंतःप्रवसन की समस्या से जूझना पड़ता है। इनकी आयोजना नगर सीमाओं से बढ़कर की जानी होती है और एकीकृत परिवहन तथा संचार आयोजना को समुचित महत्व दिए जाने की जरूरत है। शहरी विकास मंत्रालय ने 11वीं योजना में उपग्रह कस्बों/काउंटर-मैग्नेट शहरों के विकास के लिए एक नई स्कीम की पेशकश की है। इस स्कीम को मंजूरी देने के लिए इसका अध्ययन किया जा रहा है।

राष्ट्रमंडल खेल

4.12.16 आगामी राष्ट्रमंडल खेल 2010 के लिए खेलगांव, खेलकूद प्रतियोगिताओं जैसेकि टेबल टेनिस, बैडमिंटन, स्क्वैश तथा बिलियर्ड्स और स्नूकर्स आदि के लिए प्रतियोगिता स्थलों के विकास की जिम्मेदारी दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को सौंपी गई है। दिल्ली में खेल परिसरों में अपेक्षित सुविधाएं विकसित करने के प्रयोजन से शहरी विकास मंत्रालय के वास्ते 2008-09 के लिए 125 करोड़ रुपए का और समूची 11वीं योजना के लिए 325 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कार्य के संशोधित कार्यक्षेत्र के कारण इस लागत में वृद्धि होने की संभावना है।

शहरी निर्धनता उपशमन

4.12.17 भारत में शहरी क्षेत्रों में निर्धनता की रेखा से नीचे का जीवन बिताने वाली आबादी का प्रतिशत जोकि 1993-94 में 32.3% था वह 2004-05 (एकसमान प्रत्यावाहन अवधि पर आधारित) में घटकर 25.7% हो गया है। एनएसएसओ का 61वां दौर यह दर्शाता है कि जहां शहरी निर्धनता में प्रतिशत के अर्थों में गिरावट आई है, इसी अवधि के दौरान वास्तविक संख्या की दृष्टि से इसमें 4.4 मिलियन व्यक्तियों की वृद्धि हुई है।

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई)

4.12.18 1997 में शुरू की गई इस केन्द्र प्रायोजित स्कीम का उद्देश्य शहरी बेरोजगार/अल्प-रोजगार (शहरी निर्धनता रेखा से नीचे का जीवन बिताने वाले) व्यक्तियों को निम्न के माध्यम से लाभकारी रोजगार प्रदान करना था:

(i) स्व-रोजगार उद्यमों की स्थापना को बढ़ावा देकर; तथा

(ii) मजदूरी रोजगार की व्यवस्था।

4.12.19 भारत सरकार की शहरी गरीब के प्रति समर्पित एकमात्र स्कीम जोकि स्वयंसेवी समूहों सहित शहरी गरीब के लिए सामुदायिक अभिप्रेरण, रोजगार, कौशल विकास और क्षमता निर्माण के मुद्दों की तरफ ध्यान देती है वह आवास तथा शहरी निर्धनता उपशमन मंत्रालय द्वारा एक एकीकृत पैकेज के रूप में कार्यान्वित की जाने वाली स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) है। योजना आयोग के सुझाव के आधार पर मंत्रालय ने इस स्कीम का मूल्यांकन किया है। इस मूल्यांकन के आधार पर मंत्रालय इस स्कीम में मिशन पद्धति से किए जाने वाले संशोधनों की पेशकश की है। इस स्कीम को 11वीं योजना के दौरान व्यापक रूप से पुनर्रचित किया जा रहा है। *संशोधित मार्गनिर्देश स्वरोजगार उद्यमों का समर्थन करने वाले सूक्ष्म-व्यापार केन्द्रों के इर्दगिर्द संरचित किए जाएंगे और वे बाजार के साथ गहरा तालमेल विकसित करने का प्रयास भी करेंगे। वार्षिक योजना 2008-09 के लिए 515 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है।*

आवास

4.12.20 आवास जहां शहरी निवासियों के लिए एक अत्यंत बुनियादी जरूरत है, वह विकास की गति में तेजी लाने के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। किसी भी अन्य उद्योग की भांति आवास में निवेश का आय और रोजगार पर एक तीव्रकारी प्रभाव पड़ता है। अनुमान है कि आवास/विनिर्माण क्षेत्र में अतिरिक्त निवेश के कारण अर्थव्यवस्था में समग्र रोजगार सृजन प्रत्यक्ष रोजगार की तुलना में आठ गुना होता है। विनिर्माण क्षेत्रक रोजगार में 7% वार्षिक की दर से वृद्धि हो रही है। आवास गृह-आधारित आर्थिक क्रियाकलापों के लिए अवसर उपलब्ध कराता है। साथ ही आवास का इस्पात, सीमेंट, संगमरमर/सिरेमिक टाइलों, विद्युत वायरिंग, पीवीसी पाइपों और विभिन्न प्रकार के फिटिंग पर, उद्योगों जिनका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एक योगदान रहता है सीधा प्रभाव पड़ता है।

4.12.21 XIवीं योजना के आरंभ में ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणियों के लिए मकानों की कमी अनुमानतः 24.71 मिलियन थी। इस संख्या में वर्ष 2007-12 के दौरान 1.82 मिलियन की आवास जरूरतों की अनुमानित वृद्धि जोड़ी जाएगी और इस प्रकार XIवीं योजना अवधि के अंत में कुल मिलाकर 26.53 मिलियन आवासों की कमी रहेगी। क्योंकि यह बात समझ से बाहर है कि यह समूची कमी 2020 या उसके आसपास पूरी कर ली जाएगी इसलिए हमें अगली दो योजना अवधियों के दौरान जोड़ी जाने वाली कमियों को भी जोड़ लेना चाहिए और इस प्रकार आवासों की कुल कमी 30 मिलियन हो जाएगी। हम समुचित रूप से यह आशा कर सकते हैं कि राज्य सरकारें, डेवलपर और लाभग्राही 50 प्रतिशत की पूर्ति कर सकेंगे और गरीबों के लिए 15 मिलियन मकानों का ऐसा अंतराल रह जाएगा जिसकी पूर्ति भारत सरकार की पहल द्वारा की जाएगी। इसमें से कुछ मकानों का निर्माण शहरी गरीबों के आवास के लिए ब्याज सब्सिडी स्कीम (आईएसएसएचयूपी) जोकि भारत सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली ब्याज सब्सिडी स्कीम है के अधीन किया जा सकता है। योजना आयोग ने शहरी क्षेत्रों में ईडब्ल्यूएस/एलआईजी वर्गों की आवास जरूरतों की ओर ध्यान देने के लिए एक अतिरिक्त साधन के रूप में आईएसएसएचयूपी को मंजूरी प्रदान कर दी है। वार्षिक योजना 2008-09 के लिए 95 करोड़ रुपए का परिव्यय उपलब्ध कराया गया जिसे आरई अवस्था में पुनः संशोधित करके 30 करोड़ कर दिया गया। वार्षिक योजना 2009-10 में इस योजना के लिए 30 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

4.12.22 जेएनएनयूआरएम आवास घटक के बिना मलिन बस्तियों में जल और स्वच्छता सेवाओं में सुधार की परिकल्पना करता है। यदि हम मलिन बस्ती मुक्त देश के लक्ष्य को सामने रखें तो 2008 के मूल्यों पर हमें कुल मिलाकर 208333 करोड़ रुपए के कुल निवेश की जरूरत होगी।

4.12.23 मंत्रिमंडल द्वारा निम्न अभिमतों सहित वहनीय आवास के लिए 5000 करोड़ रुपए भी मंजूर कर दिए गए हैं:

(i) मकानों के मिश्रण में ईडब्ल्यूएस के लिए 25% शामिल होगा। 5000 करोड़ रुपए का आबंटन 10 लाख मकानों के निर्माण के साथ जुड़ा होगा और यह कि मार्गनिर्देश समुचित रूप से यह सुनिश्चित करेंगे कि भवन निर्माण का लक्ष्य पूरी तरह पूरा कर लिया जाए।

(ii) केन्द्रीय सरकार का हिस्सा प्रतिपूर्ति आधार पर निर्धारित ईडब्ल्यूएस मकानों का निर्माण कर लिए जाने के बाद प्रदान किया जाएगा।

(iii) एचयूपीए मंत्रालय द्वारा व्यय विभाग तथा योजना आयोग के परामर्श से इस प्रयोजन के लिए मार्गनिर्देशों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

मलिन बस्तियां और मलिन बस्ती पुनर्वास

4.12.24 2001 की जनगणना के आधार पर आरजीआई ने हाल ही में देश में मलिन बस्तियों की आबादी का अनुमान लगाया है। 1991 की जनगणना में केवल ऐसे शहरों/कस्बों को कवर किया गया था जिनकी आबादी 50000 अथवा इससे अधिक थी। 22 राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में 640 शहरों/कस्बों ने अपने यहां मलिन बस्तियों की सूचना दी और आबादी की कुल संख्या 42.6 मिलियन सूचित की। बाद में अन्य शहरों/कस्बों में मलिन बस्तियों की आबादी का अनुमान लगाने के लिए संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों के आधार पर यह निर्णय लिया गया कि 2001 की जनगणना के अनुसार 20000-50000 की आबादी वाले शहरों/कस्बों को कवर किया जाए। फलतः अतिरिक्त रूप से 1103 शहर कस्बे कवर किए गए जिनमें मलिन बस्तियों की कुल संख्या अनुमानतः 9.8 मिलियन थी। अतः देश के भीतर इन विधियों के आधार पर मलिन बस्तियों में कुल अनुमानित आबादी 2001 की जनगणना के अनुसार 52.4 मिलियन है।

शहरी परिवहन

4.12.25 भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति (एनयूटीपी) मंजूर कर दी गई है। एनयूटीपी का एक तत्व जिसे मौसम बदलाव की प्रतिक्रिया और ऊर्जा मूल्यों में अभूतपूर्व वृद्धि के संदर्भ में ऊर्जा के प्रयोग में अधिकतम कुशलता की जरूरत--इन दोनों कारणों से अत्यधिक तात्कालिकता प्राप्त हो गई है वह है प्रभावी और आधुनिक आईटी समर्थित सरकारी परिवहन प्रणाली जिसमें प्रेडस्टेराइजेशन तथा गैर-मोटराइज्ड परिवहन सहित एमआरटीएस शामिल है। प्रेडस्टेराइजेशन तथा गैर-मोटराइज्ड परिवहन क लिए प्राथमिकता सहित एक प्रभावी और आधुनिक आईटीएस समर्थित सरकारी परिवहन प्रणाली की स्थापना तथा व्यक्तिगत वाहनों के प्रयोग में बदलाव लाने के लिए जोकि शहरों में बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं और गंभीर ट्रैफिक जाम पैदा कर रहे हैं एक अंतः माडल एकीकरण एक सर्वोत्तम तरीका है।

4.12.26 सरकार द्वारा 2.1.2009 को घोषित दूसरे प्रेरण पैकेज में कहा गया है कि राज्यों को 30.6.2009 तक एकबारगी उपाय के रूप में अपनी शहरी परिवहन प्रणाली के लिए बसें खरीदने के वास्ते जेएनएनयूआरएम के अधीन सहायता प्रदान की जाएगी। तदनुसार शहरी विकास मंत्रालय की केन्द्रीय स्वीकृति और मानीटरन समिति ने 54 मिशन शहरों के लिए 14,375 बसें मंजूर कर दी हैं। इन 14,375 बसों की कुल लागत 4546.57 करोड़ रुपए बैठेगी जिसमें अनुमत्य एसीए 1978.87 करोड़ रुपए रहेगी और प्रदान की गई राशि की पहली किस्त 980.63 करोड़ रुपए है।

4.12.27 2001 की जनगणना के अनुसार ऐसे शहरों की संख्या 35 से अधिक है जिनकी आबादी एक मिलियन से अधिक है। मुंबई, कोलकाता और दिल्ली को छोड़कर किसी भी मेगा शहर में विशाल त्वरित संचरण प्रणाली (एमआरटीएस) नहीं है। दिल्ली मेट्रो परियोजना समय-सूची के अनुसार प्रगति कर रही है और चरण I पूरी तरह प्रचालनात्मक हो गया है। दिल्ली मेट्रो के चरण II का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

एमआरटीएसः

4.12.28 मेट्रो के विकास का काम शुरू में कोलकाता में किया गया था लेकिन इसके बाद दिल्ली में एक नेटवर्क का निर्माण किया जा चुका है और अब इसका विस्तार केवल यही नहीं कि शहर के एक बड़े भाग को कवर करने के लिए बल्कि नोएडा और गुड़गांव तक कवर करने के लिए किया जा रहा है। बाद में भारत सरकार ने बंगलौर तथा चेन्नई के लिए मेट्रो और कोलकाता मेट्रो के दूसरे चरण के लिए अनापत्ति जारी कर दी। हैदराबाद और मुंबई पीपीपी आधार पर मेट्रो

प्रणालियां विकसित कर रहे हैं। हाल ही में कोच्चि और चंडीगढ़ से भारत सरकार की सहायता के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

अन्य क्रियाकलाप

4.12.29 एचयूडी प्रभाग ने विभिन्न नए प्रस्तावों, मंत्रिमंडल टिप्पणियों, ईजीओएम टिप्पणियों, सीसीईए टिप्पणियों, एसजेएसआरवाई के मार्गनिर्देशों में संशोधन से संबंधित ईएफसी प्रस्तावों, शहरी गली विक्रेताओं के लिए राष्ट्रीय नीति, दिल्ली पुलिस, नेशनल सेंटर फार गुड गवर्नेंस, उत्कृष्टता केन्द्र, राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण, संचार आधारिक सुविधा के स्तरोन्नयन और विस्तार, अवैध व्यापार यूनिटों, पुलिस आवास, पुलिस आधुनिकीकरण, नगरपालिकाओं में ई-अभिशासन, राष्ट्रमंडल खेलों आदि के प्रस्तावों की गहराई से जांच की। राष्ट्रपति के अभिभाषण, आर्थिक सर्वेक्षण, मंत्रिमंडल सचिवालय, पीएमओ के लिए सामग्री/जानकारी भी उपलब्ध कराई गई।

4.12.30 इस प्रभाग ने यूडी, एचयूपीए, एमएचए मंत्रालयों तथा न्याय विभाग के संबंध में वार्षिक योजना 2009-10 के लिए परिव्ययों को अंतिम रूप दिया। अधिकांश राज्यों के मामले में 2009-10 के लिए राज्य योजनाओं को भी अंतिम रूप दिया गया।

4.12.31 इस प्रभाग ने एमओयूडी तथा एचयूपीए के संबंध में वार्षिक योजना 2008-09 की छमाही प्रगति की समीक्षा की।

4.12.32 इस प्रभाग ने 11वीं योजना संबंधी दस्तावेज के लिए शहरी आधारिक-तंत्र, आवास, बुनियादी सेवाएं तथा निर्धनता उपशमन अध्याय को तथा वार्षिक योजना 2007-08 और 2008-09 के दस्तावेजों को अंतिम रूप दिया।

गृह मंत्रालय और न्याय विभाग

4.12.33 वर्ष 2008-09 के दौरान इस प्रभाग ने व्यय विभाग से संबंधित विभिन्न स्कीमों जैसेकि न्यायपालिका के लिए आधारिक सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम जिसमें उच्च न्यायालय भवनों का निर्माण, शहरी न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण शामिल है के अधीन प्रगति की जांच की।

4.12.34 प्रभाग ने गृह मंत्रालय की प्रमुख स्कीमों की भी जांच की और इस बात पर बल दिया कि गृह मंत्रालय की प्लान स्कीम का बल (क) पुलिस आवास से हटकर अपराध और आपराधिक खोज प्रणालियों के स्तरोन्नयन/आधुनिकीकरण पर होना चाहिए, (ख) क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी समावेशन के माध्यम से कार्मिकों की संख्या से हटकर उनकी गुणवत्ता पर होना चाहिए तथा (ग) बड़ी संख्या में छितरी हुई स्कीमों से हटकर कम संख्या में उच्च प्रभाव वाली एकीकृत स्कीमों पर रहना चाहिए। प्रभाग ने यातायात और संचार, अग्नि और आपातिक सेवाओं, बीपीआरडी आदि स्कीमों की भी जांच की। साथ ही इस प्रभाग ने सचिवों की समिति, मंत्रिमंडल टिप्पणियों से संबंधित विषयों पर गृह मंत्रालय के विभिन्न सुझावों की भी जांच की और योजना आयोग के विचार प्रेषित किए।

4.13 उद्योग प्रभाग

4.13.1 उद्योग प्रभाग निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों का नोडल प्रभाग है:

- औद्योगिक नीति और प्रोन्नयन विभाग
- कपड़ा मंत्रालय
- उर्वरक विभाग
- रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग
- फार्मास्यूटिकल विभाग
- भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

- निगमित मामले मंत्रालय
- उपभोक्ता कार्य विभाग
- इस्पात मंत्रालय

उपरोक्त के अलाव, यह प्रभाग निम्नलिखित विभागों के संबंध में उद्योग घटक के कार्य की भी देखभाल करता है:

- जैव-प्रौद्योगिकी विभाग
- परमाणु ऊर्जा विभाग
- वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग
- नौवहन विभाग
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

4.13.2 वार्षिक योजना के स्कीमवार परिव्ययों को अंतिम रूप देने के लिए उपर्युक्त मंत्रालयों/विभागों के साथ चर्चाएं की गईं। उद्योग प्रभाग द्वारा कवर किए गए मंत्रालयों/विभागों के संबंध में वार्षिक योजना 2008-09 के लिए गहन चर्चाएं और सदस्य स्तरीय चर्चाओं की व्यवस्था की गई।

i. विभिन्न स्कीमों और संसाधनों के उपयोग की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों (उद्योग प्रभाग से संबंधित) के संबंध में छमाही निष्पादन समीक्षा (एचपीआर) बैठकें आयोजित की गईं।

ii. उद्योग प्रभाग ने निवेश परियोजनाओं के संबंध में विभिन्न निर्णय लेने/मंजूरी की प्रक्रिया में भाग लिया।

iii. विशषें पहलें की गईं जिससे कि उपभोक्ता मामले विभाग को प्रचार अभियान, उपभोक्ता फोरम के एकीकृत विकास, राष्ट्रीय मानक प्रणाली, भार तथा माप आधारिक सुविधा के सुदृढ़ीकरण आदि के माध्यम से उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न स्कीमें तैयार करने के निमित्त कार्य बिंदु में समर्थ बनाया जा सके। वार्षिक योजना परिव्यय में भारी वृद्धि करके विशिष्ट सहायता प्रदान की गई।

iv. ईएफसी/पीआईबी के लिए निवेश प्रस्तावों की प्रौद्योगिकी-आर्थिक दृष्टि से जांच की गई तथा मूल्यांकन टिप्पणी में शामिल किए जाने के लिए टिप्पणियां उपलब्ध कराई गईं।

v. उद्योग विभाग को फार्मास्यूटिकल, पेट्रो रसायन, इस्पात तथा पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश नीति (एनईआईआईपी) जैसे क्षेत्रकों की नीति के निर्माण में सहयोजित किया गया। प्रतियोगिता आयोग के गठन और नए कंपनी कानून के संशोधन से संबंधित प्रस्ताव की भी जांच की गई।

vi. उद्योग क्षेत्रक के अधिकार क्षेत्र के अधीन विभिन्न विभागों/मंत्रालयों के तत्वावधान में बीआरपीएससी द्वारा यथाअनुशंसित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पुनरुद्धार और पुनर्रचना प्रस्तावों की भी छानबीन/जांच की गई और सीओएस/सीसीईए के विचारार्थ टिप्पणियां प्रस्तुत की गईं।

vii. मंत्रिमंडल/सीसीईए/सीओएस के लिए टिप्पणियों की जांच की गई।

viii. विभिन्न राज्यों से संबंधित विभिन्न बैठकों में भाग लिया जैसेकि वार्षिक योजना, एचपीआर तथा राज्य विकास रिपोर्टें।

ix. 2008-09 के दौरान उद्योग क्षेत्र के क्षेत्राधिकार के अधीन परिव्यय सहित अग्रणी कार्यक्रम।

- एनएटीआरआईपी-आटोमोबाइल में परीक्षण सुविधा: 125 करोड़ रुपए।

- पीएसई की पुनर्रचना-76.00 करोड़ रुपए।
- औद्योगिक संकुल स्कीम का स्तरोन्नयन-180.00 करोड़ रुपए।
- भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम-100.00 करोड़ रुपए।
- एकीकृत कपड़ा पार्कों की स्कीम-425.00 करोड़ रुपए।
- कपास प्रौद्योगिकी मिशन-50 करोड़ रुपए।
- पटसन प्रौद्योगिकी मिशन-72.00 करोड़ रुपए।
- प्रौद्योगिकी स्तरोन्नयन निधि स्कीम (कपड़ा)-1090.00 करोड़ रुपए।
- उपभोक्ता संरक्षण और जागरूकता-106 करोड़ रुपए।
- परमाणु ऊर्जा उद्योग-730.00 करोड़ रुपए।
- नए एनआईपीईआर जैसेकि संस्थानों की स्थापना-35.00 करोड़ रुपए।
- असम गैस क्रैकर परियोजना-100.00 करोड़ रुपए।

4.14 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रभाग

4.14.1 अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था प्रभाग भारत के विदेश व्यापार और भुगतान संतुलन से संबंधित मुद्दों और आयोजना की प्रक्रिया के संदर्भ में विदेशी निवेश से संबंधित मुद्दों के भी अध्ययन के लिए जिम्मेदार है। यह प्रभाग द्विपक्षीय और बहुपक्षीय तकनीकी सहयोग, जिसमें विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि, एशियाई विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन और विश्व व्यापार संगठन जैसे संगठन शामिल हैं, से संबंधित कार्य और क्षेत्रीय प्रबंधों, जैसेकि एशिया के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग और क्षेत्रीय सहयोग के लिए पेसिफिक और दक्षिण एशियाई एसोसिएशन से संबंधित कार्य भी संभालता है। इस संदर्भ में, प्रभाग अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की प्रवृत्तियों और मुद्दों का विश्लेषण करने में लगा हुआ है। यह प्रभाग अन्य कार्यों के साथ-साथ विदेश मंत्रालय की योजना स्कीमों के अंतर्गत बहुत बड़ी परियोजना के लिए योजना आबंटन को भी संभालता है।

4.14.2 ऊपर वर्णित कार्यकलापों के अलावा, वाणिज्य विभाग की विभिन्न योजनागत स्कीमों से संबंधित योजनाएं, जिन्हें पहले उद्योग प्रभाग द्वारा संभाला जाता था, आजकल आईई विभाग द्वारा संभाला जाता है। वाणिज्य विभाग से संबंधित कार्य के अंतर्गत विभिन्न किस्म की योजनागत स्कीमें सम्मिलित हैं, जैसेकि निर्यात अवसंरचनात्मक विकास के लिए सहायता (एएसआईडीई), एपीईडीए, एमपीईडीए, ईसीजीसी, एमएआई, एनईआईए, चाय बोर्ड, काफी बोर्ड, रबड़ व अन्य स्कीमें। एमईए और डीओसी के संबंध में अर्द्धवार्षिक निष्पादन समीक्षा बैठकें आयोजित की गई। यह प्रभाग डीओसी के वार्षिक योजना प्रस्तावों, विभिन्न प्लान स्कीमों की छमाही निष्पादन समीक्षा और प्रत्येक स्कीम के निष्पादन/परिणाम के आधार पर उनके परिव्ययों को अंतिम रूप दिए जाने जैसे विषयों पर भी कार्रवाई करता है।

4.14.3 वर्ष के दौरान अनेक उच्च-अधिकारप्राप्त प्रतिनिधिमंडलों ने माननीय उपाध्यक्ष, योजना आयोग, राज्य योजना मंत्री और सदस्य-सचिव, योजना आयोग के साथ भेंट की।

4.14.4 इस प्रभाग ने विदेश मंत्रालय और वाणिज्य विभाग के परामर्श से एमईए और डीओसी के लिए 2007-08 के वास्ते वार्षिक योजना परिव्यय प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया।

4.14.5 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रभाग द्वारा ईजीओएम, मंत्रिमंडल बैठकों तथा सचिवों की समिति के बैठकों जैसी उच्चस्तरीय बैठकों से संबंधित विभिन्न कागजात पर कार्रवाई की गई:

- विश्व व्यापार संगठन से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए जीओएम बैठकें।
- डब्ल्यूटीओ कार्यक्रम पर बातचीत की मौजूदा स्थिति से संबंधित जानकारी जैसेकि दोहा कार्य कार्यक्रम के लिए टिप्पणियां।
- चाय, रबड़, तंबाकू और मसालों के लिए फसल बीमा स्कीम संबंधी टिप्पणी।
- विशेष आर्थिक जोन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर टिप्पणी।
- जो क्षेत्रक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर ऊपरी सीमा आकृष्ट करते हैं उनमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विदेशी इक्विटी की गणना के लिए मार्गनिर्देश निर्धारित करने के वास्ते मंत्रिमंडल समूह (जीओएम) के विचारार्थ प्रस्ताव।
- व्यापार आर्थिक संबंध समिति की बैठकों से संबंधित कार्यसूची टिप्पणियों की जांच की गई और प्रस्तुत की गईं।

4.14.6 विभिन्न मंत्रिमंडल टिप्पणियों पर कार्रवाई की गई और प्रस्तुत की गईं।

- दोहरे कराधान से बचने (डीटीएए) तथा आय और पूंजी पर कर के संबंध में राजकोषीय अपवंचन के निवारण के संबंध में भारतीय गणराज्य की सरकार तथा अलबेनिया गणराज्य के मंत्रिमंडल के बीच संशोधित करार के प्रमुख प्रावधानों पर प्रकाश डालते हुए मंत्रिमंडल टिप्पणी का प्रारूप।
- इंडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन आफ ओवरसीज इंडियंस (आईडीएफ) की स्थापना के संबंध में प्रवासी भारतीय मामले मंत्रालय से प्रस्ताव।
- दोहा कार्य कार्यक्रम के अधीन डब्ल्यूटीओ में बातचीत के संदर्भ में भारत की कार्यनीति तैयार करने से संबंधित डब्ल्यूटीओ मामलों पर मंत्रिमंडल समिति के लिए टिप्पणी।
- संयुक्त ऊपरी सीमाओं सहित विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेशों के व्यवहार संबंधी मार्गनिर्देशों के प्रस्ताव पर आर्थिक मामले संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) के लिए टिप्पणी का प्रारूप।
- दीर्घकालीन करार के तहत एमएमटीसी लिमिटेड द्वारा जापानी और कोरियाई इस्पात बिलों को लौह अयस्क की आपूर्ति के संबंध में सीसीईए के लिए टिप्पणी का प्रारूप।
- विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में ऊपरी सीमा आकृष्ट करने वाले क्षेत्रकों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विदेशी इक्विटी की गणना के लिए मार्गनिर्देशों पर सीसीईए टिप्पणी।
- मूल्य स्थिरता निधि (पीएसएफ) की स्कीम के सदस्यों तथा बागान कामगारों के लिए संशोधित व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा स्कीम पर सीसीईए के लिए टिप्पणी का प्रारूप--बीमा किस्त में वृद्धि।
- विदेशी प्रौद्योगिकी सहयोग संबंधी नीति की समीक्षा के लिए सीसीईए के वास्ते टिप्पणी का प्रारूप।
- आफ सेटों (औद्योगिक सहयोग) पर राष्ट्रीय नीति के संबंध में मंत्रिमंडल के लिए टिप्पणी का प्रारूप।
- विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संबंधी नीति के उदारीकरण और युक्तियुक्तकरण पर सीसीए टिप्पणी का प्रारूप।
- दोहरे कराधान से बचने (डीटीए) तथा आय पर कर के संबंध में राजकोषीय अपवंचन के निवारण के लिए भारतीय गणराज्य की सरकार तथा ईरान के इस्लामिक गणराज्य की सरकार

के बीच समझौते और प्रोटोकाल पर सहमति के लिए मंत्रिमंडल टिप्पणी का प्रारूप।

- काफी ऋण राहत पैकेज 2008 के संबंध में आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति के लिए टिप्पणी का प्रारूप।
- राष्ट्रीय निर्यात बीमा लेखा (एनईआईए) के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने और इसकी अक्षय निधि का प्रयोग निर्यात क्षेत्र की सहायता के लिए करने के संबंध में इसमें संशोधन के वास्ते मंत्रिमंडल टिप्पणी का प्रारूप।
- डब्ल्यूटीओ पर दोहा कार्य कार्यक्रम के तहत बातचीत की स्थिति तथा कृषि और एनएएमए में प्रविधियों को अंतिम रूप देने के लिए संभावित लघु-मंत्रालयी बैठक के वास्ते कृषि और गैर-कृषि बाजार सुलभता पर भारतीय कार्यनीति का निर्माण करने के संबंध में सीसीईए डब्ल्यूटीओ के लिए टिप्पणी।
- विकासशील देशों के बीच ग्लोबल सिस्टम आफ ट्रेड प्रिफरेंसेज (जीएसटीपी) के अधीन बातचीत के तीसरे दौर के दौरान बाजार सुलभता प्रविधियों और नियम निर्माण से संबंधित मुद्दों को अंतिम रूप देने के लिए संशोधित अधिदेश मांगने के वास्ते सीसीईए के लिए टिप्पणी।
- दोहरे कर से बचने तथा आय और पूंजी पर कर के संबंध में राजकोषीय अपवंचन के निवारण के लिए भारतीय गणराज्य की सरकार तथा लिथुएनिया गणराज्य की सरकार के बीच करार और प्रोटोकाल की सहमति के लिए टिप्पणी।
- XIवीं पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित किए जाने के लिए एपीडा आधारिक तंत्र विकास तथा परिवहन सहायता स्कीम के संबंध में सीसीईए टिप्पणी का प्रारूप।
- भूटान की 10वीं पंचवर्षीय योजना (2008-13) के लिए भारत सरकार की सहायता के संबंध में मंत्रिमंडल टिप्पणी का प्रारूप।

4.14.7 **सचिवों की समिति (सीओएस):** निम्न विषयों के संबंध में सचिवों की समिति की बैठक में जिन कागजात और संगत मुद्दों पर चर्चा की जानी है उनके संबंध में टिप्पणियां प्रस्तुत की गईं।

- एक तरफ भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच तथा भारत में विदेशी सरकारों या उनके मिशनों के बीच, दूसरी तरफ विदेशों में भारतीय डिप्लोमैटिक मिशनों और पोस्ट्स के अध्यक्षों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच संचार का चैनल।
- "घरेलू ब्याज से बचने के लिए गैर-टैरिफ उपाय लागू करने" पर सीओएस टिप्पणी।

आईई प्रभाग के अधिकारियों द्वारा निम्न बैठकों में भाग लिया गया:

- वाणिज्य विभाग की बाजार सुलभता पहल स्कीम की उप-समिति की बैठक।
- वाणिज्य विभाग के सचिव की अध्यक्षता में बाजार सुलभता पहल स्कीम की उच्चाधिकारप्राप्त समिति की बैठकें।
- विदेशी मंत्रालय और वाणिज्य विभाग के 2007-08 के निष्पादन की समीक्षा करने के लिए वार्षिक समीक्षा बैठकें।
- प्राकृतिक वनीला के घरेलू उपभोग को बढ़ावा देने के प्रस्ताव पर एसएफसी बैठक।
- आईबीएसए त्रिपक्षीय आयोग बैठकों के मौके पर अपनाई जाने वाली फोकल मंत्रालयी घोषणा को अंतिम रूप देने के लिए आईबीएसए कार्यदल की बैठक।
- 11वीं पंचवर्षीय योजना के अधीन फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (एफडीडीआई) नोएडा के अधीन सूचना प्रौद्योगिकी सेवा केन्द्र (आईटीएससी) तथा

छात्रावास के निर्माण के बारे में एसएफसी बैठक।

- फोकल प्वाइंट बैठक के लिए रिपोर्ट तैयार करने के वास्ते आईबीएसए कार्यदल की बैठक।
- आईसीएसएसआर के मेजबानी में आयोजित संगोष्ठी और जिसमें दक्षिण अफ्रीका तथा ब्राजील के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था उसकी अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में सामाजिक मुद्दों संबंधी कार्यदल की बैठक।
- विदेश कार्य मंत्रालय तथा वाणिज्य विभाग की वार्षिक योजना 2008-09 के लिए संशोधित अनुमानों को अंतिम रूप देने के लिए बैठक।
- विदेश कार्य मंत्रालय तथा वाणिज्य विभाग की छमाही निष्पादन (2008-09) की समीक्षा करने के लिए समीक्षा बैठक।
- विदेश कार्य मंत्रालय द्वारा भूटान में कार्यान्वित की जा रही निम्न परियोजनाओं के लिए वार्षिक समीक्षा बैठकें।
  - टाला हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना तथा
  - पुनातसंचू हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना।
- विदेश कार्य मंत्रालय और भारतीय प्रवासी मामले मंत्रालय के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए सीएनई बैठकें।
- आईबीएसए कार्यदलों के लिए एमईए के सचिव की अध्यक्षता में अंतःमंत्रालयी बैठकें।
- वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के सचिव की अध्यक्षता में डीओसी तथा एमईए के संशोधित अनुमानों को अंतिम रूप देने के लिए बैठक।

4.14.8 सिद्धांत रूप में मंजूरी मांगने के लिए वाणिज्य विभाग और एमईए से प्राप्त निम्न प्रस्तावों पर विचार करने के लिए आईई प्रभाग द्वारा जांच की गई।

- प्राकृतिक वनीला के घरेलू उपभोग को बढ़ावा देने के लिए एसएफसी टिप्पणी-से संबंधित बैठक।
- कॉफी के लिए विकासात्मक सहायता की 11वीं योजना स्कीम।
- इंडिया इंस्टीट्यूट आफ पैकेजिंग (आईआईपी) की 11वीं पंचवर्षीय योजना स्कीम।
- केरल में इंडियन इंस्टीट्यूट आफ फारेन ट्रेड (आईआईएफटी) का एक केन्द्र स्थापित करने के लिए एसएफसी प्रस्ताव।
- लैंड पोर्ट्स अथारिटी आफ इंडिया (एलपीएआई) की स्थापना से संबंधित प्रस्ताव।
- सूचना प्रौद्योगिकी सेवा केन्द्र (आईटीएससी) की स्थापना और छात्रावास के निर्माण के लिए प्रस्ताव।
- मूल्यसंवर्द्धित उत्पादों के निर्यात के लिए कच्चे माल के निर्यात के संबंध में समुद्री भाड़ा सहायता पर एमपीईडीए का ईएफसी प्रस्ताव।
- कृषि पोषण और स्वास्थ्य प्रबंध के लिए एमपीईडीए प्रस्ताव।
- टी-बोर्ड की चाय बागान कामगार सामाजिक कल्याण विकास स्कीम पर ईएफसी प्रस्ताव।
- चिल्ड फिश ट्यूना हैंडलिंग तथा डिब्बाबंदी निर्यात के लिए बुनियादी सुविधाओं के सृजन के वास्ते वित्तीय सहायता के लिए प्रस्ताव।
- आंध्र प्रदेश में एबंडंस फार्मों के पुनरुद्धार के लिए वित्तीय सहायता का विस्तार करने का प्रस्ताव।
- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की काजू निर्यात प्रोत्साहन परिषद तथा कृषि मंत्रालय के काजू और कोको विकास निदेशालय के क्रियाकलापों को मिलाकर काजू बोर्ड के गठन का प्रस्ताव।

- मछली के संरक्षण के लिए उत्तम बर्फ की आपूर्ति के वास्ते आधुनिककृत संयंत्रों की स्थापना/मौजूदा बर्फ संयंत्रों के नवीकरण के लिए वित्तीय सहायता की संशोधित स्कीम।
- समुद्री सजावटी मत्स्य पालन तथा मल्टीप्लीकेशन केन्द्र की स्थापना के लिए प्रस्ताव।
- टी रिसर्च एसोसिएशन के लिए 20 करोड़ रुपए के विशेष शताब्दि अनुदान के लिए प्रस्ताव।
- समुद्री उत्पादों के लिए ब्रैंड इक्विटी के विकास पर एमपीईडीए की नई प्लान स्कीम।
- गुजरात, महाराष्ट्र तथा उड़ीसा राज्यों में मिशन पद्धति में हैचरी स्थापित करने के लिए संवर्द्धित सब्सिडी उपलब्ध कराने के वास्ते प्रस्ताव।
- भंडारण के लिए फिश क्योरिंग/ड्राई/पैकिंग/भंडारण के वास्ते बुनियादी सुविधाएं सृजन करने के लिए सहायता प्रदान करने के वास्ते एमपीईडीए प्रस्ताव।
- बागान कामगारों के संबंध में सामाजिक कल्याण के लिए प्रस्ताव।
- काली मिर्च के पुनर्रोपण और नवीकरण संबंधी प्रस्ताव।

4.14.9 आईई प्रभाग द्वारा विदेश कार्य मंत्रालय के परामर्श से तैयार किए गए और हस्ताक्षरित सहमति-ज्ञापन पर अनुवर्ती कार्रवाई, जैसेकि सामाजिक विकास पर आईबीएसएएमओयू तथा भारत के योजना आयोग और चीन के राष्ट्रीय विकास सुधार आयोग के बीच सहयोग के लिए एमओयू:

इस प्रभाग द्वारा जिन अन्य कागजात की जांच/प्रासेसिंग की गई वे इस प्रकार हैं:

- आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणात्मक आंकड़ों से संबंधित सूचना के प्रसार के माध्यम से भारत तथा अन्य सदस्य देशों के बीच निवेश के सहयोग में आर्गेनाइजेशन फार इकोनामिक कोपरेशन एंड डेवलपमेंट (ओईसीडी) वार्ता से संबंधित कागजात।
- नेपाल के मैदानी क्षेत्र में सड़कों, पुलों, आधारिक-तंत्र का सुदृढ़ीकरण।
- मालदीव के योजना और राष्ट्रीय विकास मंत्री द्वारा भारत का एक अध्ययन दौरा।
- जी. बी. पंत यूनिवर्सिटी आफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलाजी, पंतनगर द्वारा खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता आश्वासन और वैश्विक व्यापार--समस्या और कार्यनीतियां विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई।
- क्षेत्र में सामाजिक, राजनैतिक, अर्थव्यवस्था और संस्कृति में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत अरब-ईरान संबंधों पर संगोष्ठी।
- वैश्विक मंदी-परिस्थितियों से निबटने के उपाय।
- एसपीएस/टीबीटी/एनटीबी पर कार्रवाई के लिए तकनीकी समिति।
- मूल्यांकन पर अंतर्राष्ट्रीय विकास (डीएफआईडी) नीति के लिए नया विभाग।
- जिनेवा में वैश्विक आर्थिक संकट पर संसदीय सम्मेलन।
- इंडोनेशिया के पालीमरों पर आयात शुल्क बढ़ाया गया।

4.14.10 वाणिज्य विभाग, विदेश मंत्रालय, भारतीय प्रवासी कार्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय से संबंधित मंत्रिमंडल टिप्पणियों के लिए सार। विषय श्रृंखला में ये शामिल हैं: व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीईसीए), दोहरे कराधान से बचाव के लिए करार और आयकर के संबंध में राजकोषीय वंचना के निवारण, वीसा अपेक्षाओं से छूट संबंधी करार, प्रत्यावर्तन संधि, भारतीय विश्व

कार्य परिषद अधिनियम, 2001 के संशोधन का प्रस्ताव, द्विपक्षीय निवेश प्रोत्साहन और संरक्षण करार, दोहा कार्य कार्यक्रम के अधीन डब्ल्यूटीए बातचीत आदि।

4.15 श्रम रोजगार और जनशक्ति प्रभाग

4.15.1 एलईएम प्रभाग में रोजगार नीतियों और कार्यनीतियों, श्रम कल्याण तथा श्रम कार्यक्रम से संबंधित मामलों और सामाजिक सुरक्षा तथा जनशक्ति आयोजना के मुद्दे पर कार्रवाई की जाती है।

रोजगार और बेरोजगारी

4.15.2 श्रम, रोजगार और जनशक्ति प्रभाग श्रमशक्ति, कार्यशक्ति, रोजगार तथा बेरोजगारी के अधीन लोगों की संख्या का अनुमान लगाता है। रोजगार संबंधी अनुमान जनगणना आंकड़ों के साथ एनएसएस डाटा पर आधारित होते हैं। एनएसएस ग्रामीण-पुरुषों, ग्रामीण-महिलाओं, शहरी-पुरुषों तथा शहरी-महिलाओं के संबंध में अलग-अलग रूप में श्रम शक्ति सहभागिता दरें (एलएफपीआर) तथा कार्यशक्ति सहभागिता दरें (डब्ल्यूएफपीआर) प्रदान करता है। प्रति वर्ष कुल श्रम शक्ति तथा कुल कार्यशक्ति से संबंधित अनुमान अंतः-जनगणना वर्षों के लिए इंटरपोलेशन से प्रत्येक श्रेणी के लिए प्राप्त कुल जनसंख्या पर एलएफपीआर तथा डब्ल्यूएफपीआर लागू करके प्राप्त किए जाते हैं। एलईएम प्रभाग पंचवर्षीय योजनाओं में रोजगार के जितने अवसरों के उत्पन्न किए जाने की संभावना है उसके अनुमान भी प्रस्तुत करता है। रोजगार संबंधी अनुमान अर्थव्यवस्था में क्षेत्रक-विशिष्ट उन्नति तथा रोजगार गहनता के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

4.15.3 एनएसएसओ के सबसे ताजा पंचवर्षीय दौर (61वां दौर) के अनुसार करंट डेली स्टेटस (सीडीएस) आधार पर श्रम शक्ति और कार्य शक्ति अनुमानतः क्रमशः 419.65 मिलियन और 384.91 मिलियन मानी गई है। इसी प्रकार, 2004-05 के दौरान बेरोजगार व्यक्तियों तथा बेरोजगारी की दर अनुमानतः 34.74 मिलियन तथा 8.28% समझी गई है।

कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण

4.15.4 योजना आयोग को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 2007 में अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में की गई घोषणाओं को कार्यरूप देना अर्थात कौशल प्रशिक्षण क्षमता के संवर्द्धन तथा औपचारिक धारा में सीटों की क्षमता जिसका मौजूदा स्तर 2.5 मिलियन है उसे चार गुना बढ़ाकर अर्थात 10 मिलियन प्रति वर्ष किए जाने और साथ ही पालीटेक्निकों, आईटीआई, व्यावसायिक स्कूलों और कौशल विकास केन्द्रों के विस्तार के लिए एक तंत्र स्थापित करने को कार्यरूप देना है। जिसके संबंध में आयोग ने मई, 2008 में **"कौशल विकास के लिए समन्वित कार्य"** के विषय पर मंत्रिमंडल की मंजूरी प्राप्त कर ली। अनुमोदित समन्वित कार्रवाई की परिकल्पना के अनुसार कौशल विकास के लिए एक तीन स्तरीय तंत्र अर्थात प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीतिनिर्देश के लिए कौशल विकास पर प्रधानमंत्री की परिषद जिसे 17 केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के बीच फैले कौशल विकास के निमित्त सरकारी पहलों के समन्वय तथा सुमेलन के लिए योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कौशल विकास समन्वय बोर्ड (एनएसडीसीडी) द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी और कौशल विकास में निजी पहलों को सुकर बनाने के लिए वित्त मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। समन्वित कार्रवाई में यह परिकल्पना की जाती है कि कुशल जनशक्ति का सृजन समावेशी ढंग से किया जाएगा जिससे कि लैंगिक, ग्रामीण/शहरी, संगठित/असंगठित, रोजगार तथा परंपरागत/समकालीन कार्यस्थल के बीच विषमताओं के साथ निपटा जा सके। प्रधानमंत्री परिषद ने कौशल विकास के लिए शासी

सिद्धांत निर्धारित किए हैं। राज्य सरकारों को कौशल विकास के निमित्त इसी प्रकार के तंत्र गठित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

4.15.5 एनएसडीसीबी के मुख्य कार्यों में ये शामिल हैं: कौशल विकास पर प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय परिषद में निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए कार्यनीतियों की गणना, समावेशी ढंग से कौशल विकास के लिए समाधान और कार्यनीतियां शुरू करना, राष्ट्रीय कौशल सामान सूची तथा कौशलों की कमी के मानचित्रण के लिए राष्ट्रीय डाटाबेस का सृजन, विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों की उपलब्धियों का मानीटरन, मूल्यांकन और विश्लेषण तथा शीर्षस्थ परिषद को अवगत कराना आदि। बोर्ड ने कौशल विकास के विभिन्न पक्षों पर ध्यान देने के लिए 5 उप-समितियों का गठन किया है अर्थात

(1) कौशल विकास के लिए पाठ्यचर्या के दिशा-अनुकूलन पर सतत आधार पर उप-समिति।

(2) कार्यस्थल प्रशिक्षण की एक अन्य पद्धति के रूप में प्रशिक्षु प्रशिक्षण की रीमाडलिंग संबंधी उप-समिति।

(3) शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण की स्थिति की परिकल्पना तैयार करने के लिए उप-समिति।

(4) वास्तविक समय आधार पर कौशल सामान सूची और कौशल मानचित्रों संबंधी सूचना उपलब्ध कराने के लिए संस्थानगत तंत्र स्थापित किए जाने संबंधी उप-समिति।

(5) प्रत्यायन तथा प्रमाणन प्रणाली में सुधार के लिए उप-समिति।

इन उप-समितियों की सिफारिशें कौशल विकास के लिए कार्यनीतियां तैयार करने को सुविधापूर्ण बनाएंगी जिसके फलस्वरूप समावेशी उन्नति होगी।

4.15.6 कौशल विकास के संबंध में समन्वित कार्रवाई संबंधी कार्य शुरू करने के अलावा योजना आयोग ने श्रम और रोजगार मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों को मंजूरी प्रदान की है यथा (i) न्यून शैक्षिक अर्हता रखने वाले युवकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के वास्ते कौशल विकास पहल स्कीम जिससे कि उनकी रोजगार संभावनाओं में सुधार लाया जा सके। घरेलू (100) तथा विश्व बैंक (400) सहायता के जरिए 500 आईटीआई का उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में और विशिष्ट वृत्तियों और कौशलों में 1396 सरकारी आईटीआई को 2.5 करोड़ रुपए का ब्याजमुक्त ऋण मंजूर करके सरकारी-निजी भागीदारी के तहत स्तरोन्नयन।

श्रम कल्याण

4.15.7 योजना आयोग ने श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए नए प्रस्तावों का मूल्यांकन किया और उनके संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कीं जैसेकि अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के वास्ते प्रशिक्षु अधिनियम, 1961, मातृ लाभ अधिनियम, 1961 जिससे कि चिकित्सीय बोनस को 250 से बढ़ाकर 1000 किया जा सके और साथ ही केन्द्रीय सरकार को प्रत्येक तीन वर्ष से पहले समय-समय पर इसमें बढ़ोतरी करने का जोकि अधिक से अधिक 20000 रुपए तक की होगी अधिकार देना जैसे श्रम कानूनों का मूल्यांकन किया और उनके संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कीं। कामगार प्रतिपूर्ति अधिनियम, 1923 में "कामगार" शब्द के स्थान पर "कर्मचारी" शब्द रखना जिससे कि अधिनियम को लिंग-निरपेक्ष बनाया जा सके तथा अधिनियम की अनुसूची 1 में प्रतिबंधक धाराओं को समाप्त करने के लिए प्रावधानों को शामिल करना जिससे कि अधिनियम को कामगारों के लिए अधिक अनुकूल बनाया जा सके, शैक्षिक संस्थानों में कार्यरत अध्यापकों को कवर करने के लिए उपदान भुगतान अधिनियम, 1972, अक्तूबर, 2007 में पात्रता सीमा 3500

रुपए से बढ़ाकर 10000 रुपए प्रति माह किए जाने के लिए तथा गणना की ऊपरी सीमा 2000 रुपए से बढ़ाकर 3500 रुपए किए जाने के लिए अक्तूबर, 2007 में बोनस भुगतान अधिनियम, 1965, लागू ऊपरी सीमा 1600 रुपए से बढ़ाकर 6500 रुपए प्रति माह तथा 10000 रुपए किए जाने और इस अधिनियम को लागू करने के लिए और अधिक कठोर शिकायत निवारण तंत्र निर्धारित करने और विकलांग व्यक्तियों के रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936। दोनों अधिनियमों को समुचित रूप से संशोधित करके संगठित क्षेत्र में कार्यरत और 25000 रुपए तक की मासिक मजदूरी प्राप्त करने वाले शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों के मामले में पहले तीन वर्षों के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा निगम में नियोक्ता योगदान की प्रतिपूर्ति के लिए प्रावधान। निर्धनता की रेखा से नीचे का जीवन बिताने वाले परिवारों के मामले में असंगठित क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा को सुविधापूर्ण बनाने के लिए योजना आयोग ने असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा विधेयक 2008 तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) का समर्थन किया।

4.15.8 संगठित क्षेत्र में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) स्कीम के अधीन लाभ के लिए मजदूरी की ऊपरी सीमा 6500 रुपए से बढ़ाकर 10000 रुपए कर दी गई है जिससे कि और अधिक कामगारों को ईएसआई स्कीम के तहत लाया जा सके और साथ ही भौगोलिक तथा क्षेत्रीय कवरेज का भी विस्तार कर दिया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) स्कीम भी संशोधित की गई है जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय कामगारों को कवर किया जा सके ताकि सरकार को विभिन्न देशों के साथ सामाजिक सुरक्षा करार निष्पादित करने में समर्थ बनाया जा सके जिससे कि भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशों में तैनात किए गए भारतीय कामगारों के मामले में सामाजिक सुरक्षा योगदान से छूट प्राप्त की जा सके ताकि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से और अधिक प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाया जा सके।

अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान

4.15.9 प्रशिक्षण और अनुसंधान क्रियाकलापों में कार्यरत आईएएमआर जोकि एक स्वायत्तशासी संस्थान है वह एलईएम प्रभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है। इस संस्थान को योजना आयोग द्वारा सहायता अनुदान प्रदान करके समर्थन दिया जाता है। इस संस्थान ने अनुसंधान, परामर्श, सूचना प्रणाली, प्रशिक्षण और कार्यशालाओं, संगोष्ठियों तथा सम्मेलनों सहित मानव संसाधन आयोजना और विकास के क्षेत्र में शैक्षणिक क्रियाकलापों की एक श्रृंखला विकसित की है। इस संस्थान ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से मैनपावर प्रोफाइल इंडिया इयरबुक, 2008 भी प्रकाशित की है जोकि तकनीकी जनशक्ति संबंधी सूचना का सकलन है।

4.16 एमएलपी प्रभाग

4.16.1 एमएलपी प्रभाग पंचायती राज मंत्रालय के विशेष क्षेत्र कार्यक्रम, विकेन्द्रीकृत आयोजना और कार्यक्रमों से संबंधित है।

पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एचएडीपी)/पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम (डब्ल्यूजीडीपी) :

4.16.2 पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एचएडीपी) असम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के नामोद्दिष्ट पर्वतीय क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है। पश्चिमी घाट क्षेत्र विकास कार्यक्रम (डब्ल्यूजीडीपी) पश्चिमी घाट क्षेत्र के 171 तालुकों में, जिनमें महाराष्ट्र (63 तालुक), कर्नाटक (40 तालुक), तमिलनाडु (33 तालुक), केरल (32 तालुक) और गोवा (3 तालुक) के भाग शामिल है। इस कार्यक्रम

के अंतर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता 90 प्रतिशत अनुदान और 10 प्रतिशत ऋण के रूप् में दी जाती है। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध धनराशि इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नामोद्दिष्ट पर्वतीय क्षेत्रों के बीच और पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कवर हुए, तालुकों के बीच 60:40 के अनुपात में बांटी जाती है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि जैव-विविधता के परिरक्षण और पर्वतीय-पारिस्थितिकी के कायाकल्प पर बल देते हुए पारिस्थितिकी का परिरक्षण किया जाए और उसकी बहाली की जाए।

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ)

4.16.3 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) ने राष्ट्रीय सम-विकास योजना (आरएसवीवाई) का स्थान ले लिया है जिससे कि पंचायती राज संस्थानों के सहयोजन के जरिए और अधिक सहभागितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जा सके। स्थानिक कवरेज का भी विस्तार किया गया और अब यह स्कीम 250 जिलों (आरएसवीवाई द्वारा कवर किए गए 147 जिले) को कवर करती है। इस स्कीम का उद्देश्य भारत निर्माण और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जैसे अन्य कार्यक्रमों में जोकि स्पष्टतः ग्रामीण आधारिक जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किए गए हैं लेकिन जिन्हें महत्वपूर्ण अंतरालों की ओर ध्यान दिए जाने के लिए संपूरण की जरूरत है के साथ अभिसरण तथा मूल्य संवर्द्धन में मदद करना है।

4.16.4 इस स्कीम के दो घटक हैं अर्थात (क) 250 जिलों को कवर करने वाला जिला घटक जिसे जनसहभागिता के माध्यम से चुनी गई स्कीमों के साथ एक सुविचारित सहभागितापूर्ण जिला योजना के साथ स्थिर किया जाएगा जिसके लिए और जिसके तहत आयोजना और कार्यान्वयन के लिए ग्राम से लेकर जिला स्तर तक पंचायती राज संस्थान (पीआरआई) अधिकारी होंगे तथा (ख) बिहार और उड़ीसा के कालाहांडी-बोलनगीर-कोरापुट (केबीके) जिले। बिहार के लिए बिहार की राज्य सरकार के साथ परामर्श करके विशेष योजना तैयार कर ली गई है जिससे कि विद्युत, सड़क संयोज्यता, सिंचाई, वानिकी और जल विभाजक विकास जैसे क्षेत्रकों में सुधार लाया जा सके। केबीके जिलों के लिए विशेष योजना स्थानीय प्राथमिकताओं के अनुसार सूखारोधन, आजीविका सहयोग, संयोज्यता, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि जैसी मुख्य समस्याओं को हल करने पर ध्यान केन्द्रित करती है।

4.16.5 बीआरजीएफ का जिला घटक पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शासित किया जाता है तथा बिहार तथा उड़ीसा के केबीके जिलों के लिए विशेष योजनाएं योजना आयोग द्वारा संचालित की जाती हैं।

पंचायती राज

4.16.6 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों ने पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया और देश के शासन में उनकी भूमिका का स्पष्टतः वर्णन किया। राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की गई थी कि वे पंचायती राज तंत्र के प्रत्येक स्तर के लिए आबंटित कार्यों के अनुरूप उपयुक्त कार्य, कार्मिक और वित्तीय संसाधन विकसित करके पंचायती राज संस्थानों को सामर्थ्यवान बना देंगी।

4.16.7 पीआरआई को सामर्थ्यवान बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए स्थापित किए गए पंचायती राज मंत्रालय ने अपने क्रियाकलाप के क्षेत्र में पंचायत की केन्द्रीय भूमिका को स्वीकार किए जाने और अपने कार्यक्रमों में पीआरआई को मौके प्रदान करने की जरूरत के संबंध में केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों को संवेदनशील बनाने में एक सक्रिय भूमिका निभाई है।

जिला आयोजना

4.16.8 73वें और 74वें संविधान संशोधनों ने ग्राम पंचायत, माध्यमिक पंचायत और जिला पंचायत स्तरों और साथ ही शहरी स्थानीय निकायों में स्थानीय आयोजना तथा प्रत्येक जिले में जिला आयोजना समिति (डीपीसी) द्वारा उनके जिला योजना के रूप में समेकन का अधिदेश दिया है। तथापि, इस संशोधन के 15 वर्ष बाद भी कुछेक राज्यों द्वारा डीपीसी का गठन नहीं किया गया और जिला योजनाएं तैयार नहीं की गईं। इसलिए योजना आयोग ने जिला योजनाएं तैयार करने के लिए तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना तथा वार्षिक योजना 2007-08 में शामिल किए जाने के लिए मार्गनिर्देश तैयार किए और उन्हें अगस्त, 2006 में राज्य सरकारों के बीच परिचालित किया। राज्यों से प्राप्त फीडबैक से यह पता चला कि इस तरह की आयोजना प्रक्रिया के लिए साधन सीमित थे। इसलिए ऐसा महसूस किया गया कि जिला आयोजना के लिए एक नियमपुस्तिका तैयार की जाए। जिला आयोजना के लिए नियमपुस्तिका की जरूरत पूरा करने के उद्देश्य से एक कार्यबल का गठन किया गया। यह नियमपुस्तिका जिला आयोजना के लिए कदम-वार मार्गदर्शिका है जोकि स्थानीय, जिला और राज्य स्तरों पर योजना निर्माताओं की मदद करेगी। 16.1.2009 को आयोजित जिला आयोजना समितियों के अध्यक्षों के सम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री ने इस नियमपुस्तिका का विमोचन किया।

4.17 योजना समन्वय प्रभाग

4.17.1 योजना समन्वय प्रभाग

4.17.1 यह प्रभाग योजना आयोग के सभी प्रभागों की कार्रवाइयों को समन्वित करता है। विशेष रूप् से इस पर पंचवर्षीय योजनाओं, वार्षिक योजनाओं को तैयार करने के काम को समन्वित करने की जिम्मेदारी है, जिसमें केन्द्रीय क्षेत्रक की योजना के क्षेत्रकीय आबंटन, योजना आयोग की वार्षिक रिपोर्ट और संसदीय कार्य के समन्वय की विशिष्ट जिम्मेदारी भी शामिल है। योजना आयोग की आंतरिक बैठकों, संपूर्ण योजना आयोग की बैठकों और राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों का आयोजन और समन्वय भी योजना समन्वय प्रभाग द्वारा किया जाता है।

4.17.2 सभी मंत्रालयों/विभागों की केन्द्र प्रायोजित और केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों के लिए 11वीं योजना के वास्ते अप्रैल-जून, 2008 में गहन जेडबीबी कार्रवाई की गई। जेडबीबी बैठकें 11वीं योजना प्रक्रिया से जुड़े 3 प्रमुख मुद्दों अर्थात (क) विभाग के योजना क्रियाकलापों और स्कीमों के लिए शून्य आधारित बजट निर्माण ताकि उन्हें और अधिक केन्दित और प्रभावी बनाने के लिए उन्हें युक्तियुक्त बनाया जा सके, (ख) 11वीं योजना और वार्षिक योजना (2009-10) के दौरान ऐसे क्रियाकलापों के वित्तपोषण के लिए सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) की जरूरतों का अनुमान लगाना तथा (ग) ऐसा अंतःमंत्रालयी मुद्दा यदि कोई हो तो जिसमें योजना आयोग का हस्तक्षेप जरूरी है, पर विचार करने के लिए आयोजित की गई थी।

4.17.3 केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपने योजना प्रस्ताव तैयार करते समय जिन मार्गनिर्देशों को ध्यान में रखना है उन्हें तैयार करने सहित वार्षिक योजना 2009-10 के लिए प्रक्रिया केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से प्रस्ताव आमंत्रित करके केन्द्रीय क्षेत्रक के लिए निर्धारित समय के अनुसार अक्तूबर, 2008 में शुरू कर दी गई। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के परिव्ययों को अंतिम रूप देने के लिए वार्षिक योजना 2009-10 संबंधी चर्चाएं योजना आयोग के सदस्य (सदस्यों) की अध्यक्षता में दिसंबर, 2007 में शुरू कर दी गई और जनवरी, 2008 के आरंभ में पूरी कर ली गईं। केन्द्रीय क्षेत्रक योजना के क्षेत्रकीय आबंटन के लिए योजना आयोग की सिफारिशें वित्त मंत्रालय को सूचित किए जाने का विचार है ताकि उन्हें केन्द्रीय बजट में शामिल किया जा सके।

4.17.4 इस प्रभाग ने वार्षिक योजना दस्तावेज, 2008-09 तैयार करने के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों से संबंधित जानकारी और सामग्री का संकलन और समेकन किया।

4.17.5 योजना आयोग की वार्षिक रिपोर्ट प्रति वर्ष लोक सभा के पटल पर रखनी जरूरी होती है। 2007-08 की वार्षिक रिपोर्ट 21 मार्च, 2008 को सभा पटल पर रख दी गई। वार्षिक रिपोर्ट 2008-09 के लिए सामग्री प्रभागों से प्राप्त की गई, उसका संकलन और संपादन किया गया। इसे दोनों भाषाओं (अंग्रेजी तथा हिंदी) में छपवाकर और उसे इससे पहले कि अनुदानों की मांग विभागीय रूप से संबद्ध स्थायी समिति को विचारार्थ भेजी जाए उसी समय संसद सदस्यों को उपलब्ध करा दिया जाएगा तथा अपेक्षित संख्या में रिपोर्ट की प्रतियां संसद के दोनों सचिवों को भेज दी जाएंगी ताकि उन्हें संसद के दोनों सदनों में रखी जा सके।

4.17.6 वित्त विषयक स्थायी समिति द्वारा अनुदानों की मांग से संबंधित मांगी गई जानकारी प्रदान की गई ताकि योजना आयोग के वार्षिक योजना प्रस्तावों पर विचार किया जा सके। लोक सभा की लाभ के पद संबंधी संयुक्त समिति द्वारा मांगी गई जानकारी भी लोक सभा सचिवालय को भेज दी गई।

4.17.7 प्रेस सूचना ब्यूरों ने 24 से 26 नवंबर, 2008 के दौरान आर्थिक संपादक सम्मेलन का आयोजन किया। योजना समन्वय प्रभाग ने आर्थिक संपादक सम्मेलन, 2008 जिसका उद्घाटन माननीय वित्त मंत्री ने 24 नवंबर, 2008 को किया था उससे संबंधित नवीनतम घटनाओं और नीतिगत मुद्दों के बारे में पृष्ठभूमि सामग्री का संकलन किया। योजना आयोग का स्लाट योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में 25.11.2008 को रखा गया था।

4.17.8 योजना समन्वय प्रभाग ने सामाजिक क्षेत्रक मुद्दों पर संपादक सम्मेलन-2009 के लिए नवीनतम घटनाओं और नीतिगत मुद्दों पर पृष्ठभूमि सामग्री का संकलन किया है। यह सामग्री विषय प्रभागों से प्राप्त की गई, उसका संकलन और संपादन किया गया तथा सामाजिक क्षेत्रक मुद्दों पर संपादक सम्मेलन-2009 के लिए पृष्ठभूमि सामग्री तैयार की गई। यह सम्मेलन 3 और 4 फरवरी, 2009 को आयोजित किया गया।

4.17.9 योजना समन्वय प्रभाग ने उपाध्यक्ष, योजना आयोग की अध्यक्षता में 13 शीर्षस्थ केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों की समीक्षा के लिए 24.3.2009 को एक बैठक आयोजित की। संबंधित विभागों के सभी संयुक्त सचिवों ने इस बैठक में भाग लिया।

4.17.10 आलोच्य अवधि के दौरान योजना आयोग ने केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा राज्यों और संघशासित क्षेत्रों के लिए छमाही निष्पादन समीक्षा बैठकों का आयोजन जारी रखा। इस तरह की समीक्षाएं समय तथा लागत वृद्धि को कम से कम करके स्कीमों और परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में मदद करती हैं।

4.17.2 संसद अनुभाग

4.17.2.1 संसद अनुभाग, योजना समन्वय प्रभाग के एक भाग के रूप में कार्य करता है और निम्नलिखित के संबंध में कार्रवाई करता है: संसद प्रश्न, ध्यानाकर्षण नोटिस, आधे घंटे की चर्चा, संकल्प, निजी सदस्यों के बिल, 'कोई भी दिन तय नहीं' प्रस्ताव, राज्य सभा में विशेष उल्लेख के रूप में और नियम 377 के अंतर्गत लोकसभा में उठाए गए मामले, संसदीय आश्वासन, संसदीय समितियों की बैठकें, संसद के दोनों सदनों में कागजात और रिपोर्टें रखना, योजना आयोग के अधिकारियों के लिए सत्र-वार सामान्य और अधिकारिक गैलरी पासों की व्यवस्था करना, तथा संसद से संबंधित योजना आयोग के अन्य कार्य, जिसमें संसद में संभावित

रूप् से उठाए जाने वाले मुद्दे और बजट दस्तावेज, रेल बजट, आर्थिक सर्वेक्षण तथा दोनों सदनों के समक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण की प्रतियां, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्यों और अधिकारियों के बीच वितरित करनी होती है, मंगाना शामिल है।

4.17.2.2 आलोच्य अवधि के दौरान वित्त संबंधी स्थायी समिति की बैठक के लिए आवश्यक व्यवस्था की गई। इंस्टीट्यूट आफ इकोनामिक ग्रोथ की 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12), वार्षिक रिपोर्ट 2007-08, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल (सीआईडीसी) की वर्ष 2007-08 की वार्षिक रिपोर्ट तथा आईएएमआर की वार्षिक रिपोर्ट 2006-07 संसद के दोनों पटलों पर रखी गई। 11वीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज (2007-12) तथा वार्षिक योजना दस्तावेज (2006-07) प्रकाशन काउंटरों के माध्यम से संसद के दोनों सदनों के संसद सदस्यों के बीच परिचालित किए गए। आलोच्य अवधि के दौरान लोक सभा में दिए गए 12 आश्वासन और राज्य सभा में दिए गए 4 आश्वासनों की संसद अनुभाग के माध्यम से पूर्ति की गई। साथ ही इसने लोक सभा में नियम 377 के अधीन उठाए गए 5 मामलों में और राज्य सभा में विशेष उल्लेख के रूप में उठाए गए 5 मामलों में उत्तर भेजने के कार्य का समन्वय किया।

4.18 विद्युत युनिट

- विद्युत मंत्रालय द्वारा परिचालित अनेक कार्यसूचियों के बारे में मंत्रियों के अधिकारप्राप्त दल द्वारा विचार किए जाने के लिए सार तैयार किए गए। कुछेक प्रस्ताव अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट, सीपीएसयू के आईपीओ मुद्दों, वित्तीय मुद्दों संबंध उप-समिति आदि के बारे में थे।
- इस यूनिट ने सदस्य (विद्युत) की अध्यक्षता में स्थापित विभिन्न समितियों जैसेकि "ईंधन आधारिक-तंत्र", "राष्ट्रीय विद्युत निधि" तथा "एनटीपीसी द्वारा 660/800 एनडब्ल्यू यूनिटों की बल्क टेंडरिंग के जरिए सुपर टेक्नोलाजी का प्रवेश" में उनकी सहायता की।
- इस यूनिट ने "एकीकृत ऊर्जा नीति" विषयक मंत्रिमंडल टिप्पणी तैयार करने में विद्युत क्षेत्रक के संबंध में इन्पुट उपलब्ध कराए।
- "भूटान में विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रविधियां" विषय पर विदेश कार्य मंत्रालय (एमईए) द्वारा विद्युत प्रभाग को सौंपे गए कार्य के आधार पर प्रधान सलाहकार (ऊर्जा) की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई जिससे कि भूटान में भावी हाइड्रो परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए टैरिफ सूत्र तैयार किया जा सके।
- इस यूनिट के अधिकारियों ने निष्पादन समीक्षा, क्षेत्रक की एमओयू बैठकों, त्वरित विद्युत विकास संबंधी संचालन समिति और सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) तथा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) की बैठकों में भाग लिया। इस यूनिट ने पहले से चली आ रही प्रमुख परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति की जांच की और संबंधित मंत्रालयों को योजना आयोग के मतों से अवगत कराया।
- इस यूनिट के अधिकारियों ने वित्तीय संसाधन और कार्यदल बैठकों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं तथा सम्मेलनों में भाग लिया।
- इस यूनिट ने संचरण, उप-संचरण और वितरण के सुदृढ़ीकरण के लिए व्यापक स्कीम तैयार करने के वास्ते डोनर मंत्रालय को इन्पुट प्रदान किए।

एकीकृत ऊर्जा नीति

योजना आयोग ने एक एकीकृत ऊर्जा नीति तैयार की। इस एकीकृत ऊर्जा नीति के पीछे व्यापक परिकल्पना यह है कि देश के सभी भागों में

कमजोर परिवारों की जीवनरेखा ऊर्जा जरूरतों सहित सभी क्षेत्रकों के लिए ऊर्जा सेवाओं की मांग कम से कम लागत पर सुरक्षित, स्वच्छ और सुविधापूर्ण ऊर्जा उपलब्ध कराके पूरी की जाए।

नीति की मुख्य विशेषताएं

- अतिरिक्तताओं का ध्यान रखने के लिए उपयुक्त राजकोषीय नीतियां उपलब्ध कराना तथा स्वतंत्र विनियमन जिससे कि प्रतियोगिता विरोधी बाजार व्यवहार से निपटा जा सके।
- ऐसी प्रौद्योगिकियों को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना जोकि ऊर्जा प्रभाविता, मांग पक्ष प्रबंध, संरक्षण और ऊर्जा सुरक्षा को अधिकतम करती हों और यह काम अनिवार्यतः ऐसी प्रौद्योगिकियों में घरेलू अनुसंधान को प्रोत्साहित करके तथा विदेशों में उपलब्ध उपयुक्त ऊर्जा संबंधी प्रौद्योगिकियों की निःशुल्क सुलभता प्राप्त करके किया जाना चाहिए।
- ऐसे सभी वाणिज्यिक प्राथमिक ऊर्जा स्रोतों जोकि बिक्री स्थल पर व्यापार समता मूल्यों पर व्यापार योग्य हैं उनके मूल्य निर्धारित करना।
- कोयले के मूल्यों को उपयोगी ऊष्मा मान के ब्राडबैंडों के आधार पर लागत निर्धारण की मौजूदा प्रणाली की बजाय सकल कैलोरिफिक मूल्य (जीसीवी) तथा अन्य गुणवत्ता प्राचलों के आधार पर पूरी तरह परिवर्ती बनाना।
- ऊर्जा क्षेत्रक में आर तथा डी का वित्तपोषण करने के लिए एक राष्ट्रीय ऊर्जा निधि (एनईएफ) स्थापित करना।
- निम्न द्वारा ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना
  - ऊर्जा की जरूरत कम करना,
  - आयातित ईंधनों की जगह वैकल्पिक ईंधन रखना,
  - घरेलू ऊर्जा स्रोत आधार का विस्तार करना,
  - 90 दिनों के तेल आयात के समतुल्य रिजर्व रखना,
  - अंतर्राष्ट्रीय ईंधन आपूर्ति में गड़बड़ी के जोखिम से निपटने के लिए न्यूक्लियर ईंधन की कार्यनीतिक स्टाक पाइल का निर्माण करना,
  - विदेशों में ऊर्जा परिसंपत्तियों का अभिग्रहण करना तथा ऊर्जा समृद्ध देशों में उर्वरक संयंत्रों जैसे ऊर्जा का प्रयोग करने वाले उद्योग स्थापित करना।
- राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के माध्यम से सभी ग्रामीण परिवारों को 10 वर्षों के भीतर विद्युत तथा एलपीजी, एनजी, बायोगैस अथवा मिट्टी का तेल जैसी खाना पकाने की स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराना।

4.19 परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभाग (पीएएमडी)

कार्य

4.19.1 भारत सरकार में परियोजना मूल्यांकन की पद्धति को संस्थागत बनाने के लिए योजना आयोग में परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभाग की स्थापना 1972 में की गई थी। परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभाग के कार्य इस प्रकार से हैं:

- परियोजना और कार्यक्रमों के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए उनके तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए मार्गनिर्देश निर्धारित करना और फार्मेट विकसित करना।
- परियोजना और कार्यक्रमों को आंकने के लिए कार्य प्रणाली और प्रक्रिया में सुधार करने के उद्देश्य से अनुसंधान अध्ययन हाथ में लेना।

- सरकारी क्षेत्र की प्रमुख परियोजनाओं और कार्यक्रमों के तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन का काम हाथ में लेना।
- परियोजनाओं और कार्यक्रमों की रिपोर्टें तैयार करने के लिए उचित प्रक्रिया निर्धारित करने में केन्द्रीय मंत्रालयों की सहायता करना।

मूल्यांकन कार्य

4.19.2 प्रौद्योगिकी-आर्थिक मूल्यांकन के भाग के रूप में, परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभाग 50 करोड़ रुपए और उससे अधिक की लागत वाली योजना स्कीमों और परियोजनाओं का व्यापक रूप से मूल्यांकन करता है। पीएएमडी द्वारा मूल्यांकन टिप्पणी जारी किए जाने के लिए निर्धारित समय-सीमा ईएफसी/पीआईबी ज्ञापन की प्राप्ति की तारीख से **छः सप्ताह** है। पीएएमडी द्वारा आकलन किए जाने से, प्रस्तावों के आकार और प्रकृति के आधार पर, सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआइबी), व्यय वित्त समिति (ईएफसी) और सार्वजनिक निवेश बोर्ड समिति (सीपीआईबी) द्वारा विचार किए जाने वाली स्कीमों/परियोजनाओं के संबंध में निर्णय लेने में सुविधा होती है। प्रभाग ने रेल मंत्रालय के 100 करोड़ रुपए और उससे अधिक की लागत वाले प्रस्तावों का मूल्यांकरन करना भी शुरू किया है, जिन पर विस्तारित रेलवे बोर्ड (ईबीआर) द्वारा विचार किया जाना है। संशोधित लागत अनुमान (आरसीई) प्रस्तावों का भी इस प्रभाग द्वारा मूल्यांकन किया जाता है ताकि लागत और समय में वृद्धि के कारकों का विश्लेषण किया जा सके।

4.19.3 मूल्यांकन फोरमों और अनुमोदन प्राधिकरण की वित्तीय सीमाएं निम्न प्रकार संशोधित कर दी गई हैं:

मूल्यांकन फोरम (सीमा-करोड़ रुपए में)

< 15.0 सामान्य रूप से मंत्रालय

≥ 15.0 और < 50.0 स्थायी वित्त समिति (एसएफसी)

≥ 50.0 और < 150.0 - व्यय वित्त समिति (ईएफसी)

- प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव की अध्यक्षता में

≥ 150.0 सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी/व्यय वित्त समिति (ईएफसी) - सचिव (व्यय) की अध्यक्षता; जहां, वित्तीय प्रतिफल की मात्रा तय हो सकती है। उन परियोजनाओं/स्कीमों पर पीआईबी द्वारा व अन्यों पर ईएफसी द्वारा विचार किया जाएगा।

अनुमोदन फोरम की सीमा (करोड़ रुपए)

< 15.0 प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग का सचिव

≥ 15.0 और < 75.0 - मंत्रालय/विभाग का प्रभारी मंत्री

≥ 75.0 और < 150.0 - मंत्रालय/विभाग का प्रभारी मंत्री/वित्त मंत्री

> 150.0 मंत्रिमंडल/आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए)

टिप्पणी: उपरोक्त वित्तीय सीमाएं परियोजना/योजना के कुल आकार की दृष्टि से हैं, जिसमें बजटयी सहायता, आंतरिक संसाधन, विदेशी सहायता, ऋण आदि शामिल हो सकते हैं।

मुख्य-मुख्य बातें

- 1.4.2008 से 31.3.2009 की अवधि के बीच 571717.20 करोड़ रुपए के परिव्यय वाले ईएफसी/पीआईबी प्रस्तावों पर 246 मूल्यांकन टिप्पणियां जारी की जा चुकी हैं।

- अप्रैल, 2008 से मार्च, 2009 के दौरान पीएएमडी में सिद्धांत रूप में स्वीकृति के 6 मामलों की जांच की गई।
- 22 विभागों/मंत्रालयों द्वारा समय तथा लागत बढ़ जाने की जांच करने और जिम्मेदारी तय करने के लिए स्थायी समितियों का गठन किया गया। पीएएमडी के अधिकारियों ने स्थायी समिति की 7 बैठकों में एक सदस्य के रूप में चर्चा की।
- पीएएमडी अधिकारियों ने प्रस्तावों की गुणवत्ता सुधारने के लिए 6 प्री-पीआईबी बैठकों में भाग लिया।
- अप्रैल, 2008-मार्च, 2009 के दौरान 117 ईएफसी/पीआईबी बैठकें आयोजित की गईं जिनमें सलाहकार (पीएमडी अथवा पीएएमडी) के नामित अधिकारियों ने भाग लिया।

सिद्धांततः प्रस्तावों की जांच-पड़ताल

4.19.4 मंत्रालय/विभाग की योजना में शामिल किए जाने हेतु परियोजना/स्कीम को समर्थ बनाने के वास्ते प्रशासनिक मंत्रालय के प्रस्तावों को (यदि लागत 50 करोड़ रुपए से अधिक है, तो व्यवहार्यता रिपोर्ट), योजना आयोग में विषय प्रभाग को 'सिद्धांततः' अनुमोदन (सचिव से) हेतु सभी नई केन्द्रीय क्षेत्रक तथा केन्द्र प्रायोजित स्कीमों को, उनमें अंतर्निहित परिव्यय पर ध्यान दिए बिना, भेजना होता है। मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, दिनांक 5 सितंबर, 2005 के अ. शा. पत्र सं. एम. 12043/10/2005-पीसी के अनुसार विद्युत और कोयला परियोजनाओं के संबंध में योजना आयोग के 'सिद्धांततः' अनुमोदन की जरूरत को समाप्त कर दिया गया है।

4.19.5 पीएएमडी ने 'सिद्धांततः' अनुमोदन पद्धति की समीक्षा की थी तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना से नई योजना स्कीमों को शामिल करने के लिए विद्यमान 'सिद्धांततः' अनुमोदन में संशोधन का सुझाव दिया था, जिसे योजना आयोग के अध्यक्ष ने अनुमोदित कर दिया था। योजना आयोग ने भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को दिनांक 29 अगस्त, 2006 के यूओ नोट सं. एन-11016/4/2006 के द्वारा संशोधित मार्गनिर्देश जारी किए हैं। संशोधित मार्गनिर्देशों के अनुसार यदि स्कीम/परियोजनाएं योजना दस्तावेज में उल्लिखित हैं और परियोजना/स्कीम के लिए वित्तीय संसाधनों की पूर्ण रूप में व्यवस्था कर दी गई है तो उसके संबंध में योजना आयोग के सिद्धांततः अनुमोदन की जरूरत नहीं होगी। किंतु, यदि किसी स्कीम/परियोजना को किसी विद्यमान स्कीम में अतिरिक्त संघटक को पर्याप्त प्रावधान के साथ पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं किया जा सका तो उसके संबंध में मंत्रालय/विभाग द्वारा स्कीम/परियोजना को योजना में शामिल करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारियों की मंजूरी प्राप्त करने से पहले योजना आयोग का सिद्धांततः अनुमोदन आवश्यक होगा।

4.19.6 पीएएमडी ने योजना आयोग में प्रभागाध्यक्षों को मार्गनिर्देश जारी किए हैं, जिनमें दिनांक 22 नवंबर, 2007 के यू. ओ. संख्या ओ-14015/1/2006-पीएएमडी के अनुसार सिद्धांततः अनुमोदन के संबंध में प्रस्तावों की जांच करने के लिए प्रक्रियाएं दी गई हैं। मार्गनिर्देशों में व्यवस्था है कि योजना आयोग का विषय प्रभाग, मंत्रालय से प्राप्त प्रस्ताव की योजना आयोग के अन्य संबद्ध विषय प्रभाग के साथ परामर्श करके, सचिव, योजना आयोग का 'सिद्धांततः' अनुमोदन मांगे जाने से पहले, जांच करेगा, जिसमें पीएएमडी अनिवार्य रूप से शामिल होगा। 11वीं योजना प्रलेख में जो परियोजनाएं/स्कीमें सम्मिलित नहीं हैं, उनके संबंध में 'सिद्धांततः' अनुमोदन आवश्यक है। 'सिद्धांततः' अनुमोदन के लिए समय-सीमा चार सप्ताह है।

ईएफसी/पीआईबी प्रस्तावों की जांच

4.19.7 योजना आयोग ने, परियोजना प्रस्तावों के मूल्यांकन में विलंब होने को कम करके यह सुनिश्चित करने के लिए कि विभागों/मंत्रालयों से पीआईबी/ईएफसी ज्ञापन के प्राप्त होने के बाद 6 सप्ताहों में पीआईबी/ईएफसी का फैसला हो जाए, पीएएमडी ने दिनांक 22.11.2007 के यू. ओ. नं. ओ-14015/1/2006-पीएएमडी के अनुसार योजना आयोग में ईएफसी/पीआईबी प्रस्तावों की जांच पड़ताल करने के लिए संशोधित प्रक्रिया जारी की। संशोधित प्रक्रिया की निम्नलिखित विशेषताएं हैं:

(क) परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभाग, ईएफसी/पीआईबी ज्ञापन प्राप्त होने के बाद पीआईबी, ईएफसी के प्रबंध सलाहकार के रूप में कार्य करेगा और पीआईबी/ईएफसी ज्ञापन में शामिल सूचना व प्राप्त अन्य सूचना के आधार पर, यह मूल्यांकन पूरा कर लेगा और पीआईबी/ईएफसी को प्रबंधन संबंधी सलाह देगा।

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि पीएएमडी द्वारा किया गया मूल्यांकन व्यापक और सार्थक हो, परियोजना प्राधिकारियों/प्रशासनिक मंत्रालयों से अनुरोध किया गया है कि वे केवल ऐसे प्रस्ताव प्रस्तुत करें जो हर पहलू से पूरे हैं, तथापि जहां ईएफसी/पीआईबी ज्ञापन में संगत सूचना नहीं दी गई है तो पीएएमडी ऐसी कमियों का विनिर्धारण करेगा और मंत्रालय/विभाग से ऐसी सूचना मंगाएगा।

(ग) **पीएएमडी द्वारा प्रबंधन सलाह देने के लिए अधिकतम सीमा पीआईबी/ईएफसी प्रस्ताव के प्राप्त होने की तारीख से छः सप्ताह तय की गई है।** यदि पीएएमडी निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रस्ताव का मूल्यांकन करने में असफल रहता है तो पीआईबी/ईएफसी की बैठक तय की जा सकती है और उनके विचार बैठक में प्राप्त किए जा सकते हैं।

4.19.8 वर्ष 2007-08 के दौरान प्रभाग में कुल 372603 करोड़ रुपए की लागत वाले 310 ईएफसी/पीआईबी प्रस्तावों का मूल्यांकन किया गया। वर्ष 2008-09 (1.4.208 से 31.3.2009 तक) में 571717 करोड़ रुपए की लागत वाले 246 ईएफसी/पीआईबी प्रस्तावों का मूल्यांकन किया गया, जिनमें नए और संशोधित लागत अनुमानों (आरसीई) वाले प्रस्ताव भी शामिल थे।

2008-09 के संबंध में **तथ्य और आंकड़े**
(मार्च 2009)

ए. मूल्यांकन की गई परियोजनाओं की संख्या	246
बी. पूंजीगत लागतः	571717.20 करोड़ रुपए
सी. निम्न क्षेत्रकों की मूल्यांकित परियोजनाओं की संख्या-	
- कृषि	58 (23.6%)
- ऊर्जा और परिवहन	34 (13.8%)
- उद्योग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	39 (15.9%)
- सामाजिक क्षेत्र	69 (28.0%)
- संचार	16 (6.5%)
- अन्य	30 (12.2%)
योग	**246(100%)**

मूल्यांकन प्राचलों की समीक्षाः

4.19.9 योजना स्कीमों/परियोजनाओं की नोडल मूल्यांकन एजेंसी होने के नाते पीएएमडी, समय-समय पर, मूल्यांकन हेतु राष्ट्रीय प्राचलों की समीक्षा भी करता है। 'भारत में परियोजना मूल्यांकन हेतु राष्ट्रीय प्राचलों के अनुमान' के संबंध में एक अध्ययन मूल्यांकन प्राचलों, जैसेकि सामाजिक बट्टा

दर, वित्तीय तथा आर्थिक आईआरआर, विदेशी मुद्रा पर सामाजिक प्रीमियम, छाया मजदूरी आदि का पुनः अनुमान लगाने के लिए एक अध्ययन, आर्थिक विकास संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय से कराया गया था। अध्ययन रिपोर्ट में यथा सिफारिश किए गए संशोधित प्राचलों पर आंतरिक योजना आयोग की बैठक में विचार किया जाएगा तथा अनुमोदन के पश्चात अंतिम सिफारिशें सरकार के अनुमोदनार्थ वित्त मंत्रालय को भेजी जाएगी।

4.19.10 **वार्षिक योजना तैयार करना:** पीएएमडी, समग्र आयोजना प्रक्रिया के एक भाग के रूप में कार्मिक/लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित वार्षिक योजना तैयार करने के कार्य में लगा है। पीएएमडी ने वर्ष 2007-08 और 2008-09 के लिए मंत्रालय के वार्षिक योजना परिव्ययों की जांच की और उन्हें अंतिम रूप दिया।

4.19.11 पीएएमडी के अधिकारियों को राज्यों के अधिकारियों को परियोजना मूल्यांकन पद्धति में प्रशिक्षण प्रदान करने के वास्ते, सांख्यिकी और कार्यक्रम, कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा देहरादून (उत्तराखंड) और जम्मू (जम्मू तथा कश्मीर) भेजा गया।

4.19.12 वर्ष 2007-08 और 2008-09 के दौरान जिन परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया (अप्रैल, 2008-मार्च, 2009) उनका क्षेत्रकीय विभाजन संलग्न तालिका में दर्शाया गया है। प्रमुख क्षेत्रक समूहों से संबंधित जानकारी संक्षेप में नीचे दी गई है:

क्र.सं.	क्षेत्र	2007-08			2008-09		
		सं.	लागत (करोड़ रुपए)	%	सं.	लागत (करोड़ रुपए)	%
1	कृषि	20	17687	**4.75**	58	37732.92	**6.6**
2	ऊर्जा	21	98111	**26.36**	15	35645	**6.2**
3	परिवहन	59	43898	**11.78**	19	14582.01	**2.5**
4	उद्योग	46	56990	**15.29**	18	3449.64	**0.6**
5	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	20	2821	**0.75**	21	9543.88	**1.7**
6	सामाजिक सेवाएं	90	131639	**35.32**	69	453201.36	**79.2**
7	संचार	8	2580	**0.69**	16	3957.74	**0.7**
8	अन्य	46	18877	**5.06**	30	13604.47	**2.5**
	जोड़	**310**	**372603**	**100.0**	**246**	**571717.20**	**100.0**

संलग्नक 4.19.1

पीएएमडी मूल्यांकित में ईएफसी/पीआईबी प्रस्तावों की क्षेत्रक-वार संख्या और लागतें (करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	क्षेत्रक	2007-08		2008-09	
		सं.	लागत (करोड़ रुपए)	सं.	लागत (करोड़ रुपए)
1	**कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रक**	**20**	**17687.32**	**58**	**37732.92**
	ऊर्जा	**21**	**98110.61**	**15**	**35645.18**
2	विद्युत और कोयला	21	98110.61	13	34501.68
3	पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस	0	0	2	1143.5
	परिवहन	**59**	**43897.71**	**19**	**14582.01**
4	रेलवे	32	37279.59	3	4270.5
5	सतही परिवहन	10	939.31	2	395.8
6	नागर विमानन	1	121.39	6	5412.5
7	नौवहन	16	5557.43	8	4503.21
	उद्योग	**46**	**56990.37**	**18**	**3449.64**
8	उद्योग व एसएसआई	18	31363.18	9	1567.22
9	इस्ताप व खान	0	0	1	118
10	पेट्रो रसायन एवं उर्वरक	2	1203	1	340
11	इलेक्ट्रोनिक	0	0	0	
12	कपड़ा	18	17407.06	6	1335.93
13	खाद्य प्रसंस्करण	8	7017.13	1	88.49
	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी	**20**	**2820.97**	**21**	**9543.88**
14	बायो टेक्नोलॉजी	4	1073.75	5	1764.33
15	विज्ञान व प्रोद्योगिकी	1	144.5	5	5101.5
16	वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान	13	587.45	3	971.97
17	महासागर विकास	1	95.27	0	
18	भू विज्ञान	1	920	8	1406.08
	सामाजिक सेवाएं	**90**	**131638.98**	**69**	**453201.36**
19	मानव संसाधन विकास/संस्कृति	19	53008.13	17	124589.40
20	युवा मामले व खेल	3	7248.4	2	2595.05
21	स्वास्थ्य	24	10091.48	22	31319.85
22	महिला व बाल विकास	3	4085.11	4	127541.8
23	श्रम	2	5211.17	1	2890
24	सामाजिक न्याय	20	7972.9	5	6273.48
25	शहरी विकास	12	17026.29	10	17878.62

क्र. सं.	क्षेत्रक	2007-08		2008-09	
		सं.	लागत (करोड़ रुपए)	सं.	लागत (करोड़ रुपए)
26	ग्रामीण विकास	7	26995.5	8	140113.16
	संचार	**8**	**2580.03**	**16**	**3957.74**
27	सूचना एवं प्रसारण	6	794.1	6	1433.37
28	डाक	0	0	10	2523.37
29	सूचना प्रौद्योगिकी	2	1785.93	0	
30	संचार	0	0	0	
	अन्य	**46**	**18876.94**	**30**	**13604.47**
31	गृह कार्य एवं कामिक विभाग	1	500	10	6691.65
32	पर्यटन	0	0	2	729
33	वाणिज्य	22	3660.76	1	95
34	पर्यावरण एवं वन	3	1470.78	3	1397.29
35	विधि और न्याय	0	0	0	
36	जल संसाधन	9	3757.51	2	200.55
37	पूर्वोत्तर क्षेत्र	3	197.33	4	190.37
38	उपभोक्ता मामले	2	508.6	0	
39	वित्त/कंपनी मामले	1	211	0	
40	रक्षा	0	0	0	
41	प्रशासनिक सुधार	0	0	1	128.42
42	अल्पसंख्यक आयोग	5	8570.96	1	196
43	**योजना आयोग**	0	0	4	2067.50
44	विदेशी मंत्रालय	0	0	2	1795.00
	जोड़	**310**	**372602.93**	**246**	**571717.20**

4.20 भावी योजना प्रभाग

4.20.1. भावी योजना प्रभाग के कार्य का संबंध योजना को समूचे रूप से वृहद-आर्थिक ढांचे में एकीकृत करना है, जिसमें संभावनाओं और बाधाओं की रूपरेखा दी गई हो और संभाव्यताओं, बाधाओं और महत्वपूर्ण मुद्दों के रूप में विकास का दीर्घकालिक दृश्य प्रस्तुत किया गया हो।

4.20.2. यह प्रभाग, आयोग को योजना और नीति संबंधी मुद्दों में सहायता देता है, जो अर्थव्यवस्था के बहुविध क्षेत्रकों, जैसे कृषि, उद्योग, बुनियादी ढांचा, वित्तीय संसाधन, भुगतान संतुलन, सामाजिक सेवाएं, जनांकिकी, गरीबी और रोजगार से संबंधित हैं। योजनाओं में अंतर्क्षेत्रकीय संगति लाने के लिए योजना माडलों, उप-माडलों और सामग्री संतुलन की प्रणाली का उपयोग किया जाता है। प्रभाग में किए जाने वाले प्रयास से उपभोग, निवेश, आयात, निर्यात तथा साथ ही सामाजिक विकास संकेतकों, राजकीय वित्त आदि को प्रस्तुत करने संबंधी समग्र वृहद आर्थिक रूपरेखा (मैक्रो फ्रेमवर्क) तैयार करने में सहायता मिलती है।

4.20.3. प्रभाग अपनी नियमित कार्रवाइयों के एक अंग के रूप में :

(i) विकास की उपयुक्त कार्यनीति के लिए दीर्घकालिक उद्देश्यों के निहितार्थों का विश्लेषण करने के जरिए मध्यावधिक और दीर्घकालिक योजनाओं के लिए एक समग्र ढांचा (फ्रेमवर्क) तैयार करता है।

(ii) अंतर्कालिक (इंटर टेम्पोरल), अन्तर्क्षेत्रीय और अंतक्षेत्रकीय संदर्भ में चालू नीतियों और कार्यक्रमों की जांच करता है।

(iii) योजना के उद्देश्यों और योजना आबंटन के बीच संगति, विकास की क्षेत्रीय आवश्यकताओं के साथ सरकारी क्षेत्र के परिव्यय के क्षेत्रीय वितरण की अनुरूपता, विभिन्न आय समूहों के लोगों के उपभोग के स्तर पर कीमतों की वृद्धि से पड़ने वाले प्रभाव, अर्थव्यवस्था में बचत, निवेश और संवृद्धि की प्रवृत्तियों, लोक निवेश के लिए अर्थव्यवस्था की बहुविध घटनाओं का अध्ययन करता है।

(iv) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा किए गए पारिवारिक उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षणों का उपयोग करके राज्यवार गरीबी अनुपातों का अनुमान लगाना और गरीबी के सूचकांकों में हुए परिवतनों का विश्लेषण करना।

(v) भारत व अन्य विकासशील देशों के हित को ध्यान में रखते हुए डब्ल्यूटीओ में बातचीत के लिए कार्यनीति के संबंध में सलाह देता है।

(vi) आयोजन की प्रक्रिया, सरकारी क्षेत्रक के कार्यक्रम को सरकारी व्यय के योजना-भिन्न पक्ष से योजना पक्ष में अथवा विपर्ययेन अंतरित करने से संबंधित तकनीकी मुद्दों के बारे में योजना आयोग को अपने विचार बनाने में सहायता देता है।

(vii) संसद, अर्थशास्त्रियों के मंच, राज्यों में आर्थिक आयोजन अभिकरणों, अन्य देशों से आए राष्ट्रीय योजना आयोगों के प्रतिनिधियों और सरकार के संबंधित नोडल मंत्रालयों के माध्यम से अन्य देशों एवं बहुराष्ट्रीय संस्थानों द्वारा "आयोजन की प्रक्रिया" के बारे में उठाए गए मुद्दों के संबंध में योजना आयोग के प्रत्युत्तर में योगदान करता है।

(viii) सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के योजना प्रस्तावों के लिए योजना आयोग में नोडल प्रभाग।

4.20.4. प्रभाग, निम्नलिखित में योजना आयोग का प्रतिनिधित्व करता है :

(i) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की शासी परिषद ।

(ii) भारतीय सांख्यिकीय संस्थान की शासी परिषद ।

(iii) नेशनल अकाउंट्स आफ सीएसओ की सलाहकार समिति ।

(iv) राष्ट्रीय सांख्यिकी सलाहकार बोर्ड ।

(v) आर्थिक विकास संस्थान में स्नविकास योजना केन्द्र- की शासी परिषद ।

(vi) योजना और नीति अनुसंधान यूनिट (पीपीआरयू) भारतीय सांख्यिकी संस्थान की सलाहकार समिति, दिल्ली केन्द्र ।

(vii) संयुक्त राष्ट्र संघ के समाज विकास आयोग से संबंधित कार्य के लिए योजना आयोग में नोडल प्रभाग ।

(viii) डब्ल्यूटीओ के कृषि संबंधी करार के विषय में बातचीत हेतु वाणिज्य मंत्रालय की अंतर-मंत्रालयीय समिति ।

(ix) विश्व बैंक सहाय्यित रू भारत सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण परियोजना- के राज्य सांख्यिकीय ब्यूरो को सुदृढ़ करने की विशिष्ट आवश्यकता का घटक विनिर्धारण करने के लिए कार्य दल।

(x) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा गठित सहस्राब्दि विकास संकेतकों के संकलन और रिपोर्ट करने के संबंध में रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए अंतर-मंत्रालयीय विशेषज्ञ समिति।

4.20.5. प्रभाग के अधिकारीगण निम्नलिखित कार्यकलापों से जुड़े रहे हैं :

(I) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए इन्पुट प्रदान किए :

i. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए एक बृहद आर्थिक संगति रूपरेखा के भीतर लक्षित वृद्धि दर के बृहद आर्थिक और साथ ही क्षेत्रकीय प्राचलों का विकास।

ii. राष्ट्रीय उन्नति लक्ष्यों को राज्यवार उन्नति लक्ष्यों में पृथक्कृत करना और उनका क्षेत्रकीय वितरण।

iii. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्यातों, आयातों में वृद्धि, चालू खाता सन्तुलन और विदेशी निवेशों सहित विदेशी क्षेत्रक आयामों के लिए अनुमान।

iv. राष्ट्रीय स्तर पर निर्धनता अनुपात को राज्य स्तर पर पृथक्कृत करना।

v. केन्द्रीय और राज्य सरकारों के वित्तीय संसाधनों का आकलन।

vi. योजनागत व्यय के राजस्व-पूंजी योग मिश्रण पर तकनीकी टिप्पणी तैयार की।

vii. योजना आयोग द्वारा गठित गरीबी का अनुमान लगाने के लिए समीक्षा हेतु विशेषज्ञ समूह के लिए सेवा प्रभाग ।

viii. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के लिए नोडल प्रभाग ।

(II) भावी आयोजना प्रभाग का प्रतिनिधित्व किया और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए कार्यकारी समूहों/उपसमूहों को तकनीकी इन्पुट उपलब्ध कराए।

i. बचत सम्बन्धी कार्यकारी समूह।

ii. न्यायसंगत विकास पर विशेषज्ञ समूह।

iii. जनसंख्या स्थिरीकरण पर कार्यकारी समूह।

(III) अन्य समितियों की सदस्यता

i. व्यापार सूचकांकों के लिए आधार वर्ष संशोधित करने सम्बन्धी तकनीकी समिति।

ii. डब्ल्यूटीओ बातचीत के कृषि विषयक समझौते पर अंतर्मंत्रालयी समिति।

iii. डब्ल्यूटीओ द्वारा भारत के लिए व्यापार नीति की समीक्षा

4.20.6.संगोष्ठियां/ सम्मेलन/ प्रशिक्षण

प्रभाग के अधिकारियों ने निम्नलिखित कार्यकलापों में भाग लिया :

i. श्री अरविन्दर एस. सचदेव, निदेशक, को भारत की ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने में उपयोगार्थ सामान्य संतुलन माडल और दीर्घावधि में सामान्य रूप से नीतिगत माडल के विकास के संबंध में चर्चा करने हेतु 23 से 30 अप्रैल, 2007 तक विश्व खाद्य अध्ययन केन्द्र,

व्रिज़े यूनिवर्सिटेट, अम्सटर्डम, नीदरलैंड्स भेजा गया ।

ii. डॉ0 अर्चना एस. माथुर ने डीजीसीआई एंड एस, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की तकनीकी समिति की 3 और 4 जनवरी, 2008 को कोलकाता में बैठक में भाग लिया ।

4.21 ग्रामीण विकास प्रभाग

ग्रामीण विकास प्रभाग, निर्धनता उन्मूलन, रोजगार सृजन, परती भूमि तथा अवक्रमित भूमि के विकास से सम्बन्धित मामलों पर योजना आयोग में एक नोडल प्रभाग है। यह प्रभाग सम्बन्धित विकासात्मक मुद्दों पर ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग और भू-संसाधन विभाग) के साथ वैचारिक आदान-प्रदान करता है ।

4.21.2. ग्यारहवीं योजना के निर्माण के लिए स्थापित विभिन्न कार्य दलों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसरण में निर्धनता उन्मूलन और स्थानीय क्षेत्र विकास के विषय में संचालन समिति का गठन किया गया । समिति की सेवा के लिए ग्रामीण विकास प्रभाग नोडल प्रभाग था ।

4.21.3. ग्रामीण विकास प्रभाग द्वारा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना, 2007-12, योजना आयोग के लिए "त्वरित निर्धनता कटौती, ग्रामीण आजीविका तथा खाद्य और पोषाहार सुरक्षा सुनिश्चित करना" विषय संबंधी अध्याय, तैयार किया गया ।

4.21.4. ग्रामीण विकास प्रभाग द्वारा वार्षिक योजना प्रलेख, 2007-08, योजना आयोग के लिए "ग्रामीण भारत में निर्धनता उन्मूलन - कार्यनीतियां और कार्यक्रम तथा परती भूमि व अवनत भूमि का विकास" विषय संबंधी अध्याय, तैयार किया गया ।

4.21.5 वार्षिक योजना 2008-09 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के वार्षिक योजना प्रस्तावों और संशोधित अनुमानों की ग्रामीण विकास प्रभाग द्वारा विस्तार से जांच की गई । इसके अलावा, ग्रामीण विकास क्षेत्रक के तहत वार्षिक योजना प्रस्तावों के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों की जांच की गई तथा उनके वार्षिक योजना परिव्ययों को अंतिम रूप देने के लिए संबंधित राज्य सरकार अधिकारियों के साथ चर्चा आयोजित की गईं ।

4.21.6 ग्रामीण विकास मंत्रालय की स्कीमों के लिए अर्ध-वार्षिक निष्पादन समीक्षा (एचपीआर) बैठकों का आयोजन सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास प्रभाग द्वारा किया गया।

4.21.7 ग्रामीण विकास प्रभाग, राज्य स्तर पर एशियाई विकास बैंक के भाग-II तथा विश्व बैंक में सहभागी निर्धनता मूल्यांकन के संबंध में भारत को तकनीकी सहायता के विषय में भी एक कार्यकारी एजेंसी है ।

4.21.8 प्रभाग संसद प्रश्न, संसदीय मामलों, वीआईपी संदर्भों व प्राप्त अन्य अभ्यावेदनों से संबंधित कार्य की भी देखभाल करता है ।

4.21.9 वरि. सलाहकार (आर डी) ने अनेक समितियों में प्रतिनिधित्व किया, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं : (त) सदस्य, शासी बोर्ड, मानव विकास संस्थान, नई दिल्ली, (त्त) सदस्य, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करने संबंधी (पीयूआरए), संचालन समिति (त्त्त) सदस्य, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अधीन केन्द्रीय स्तर समन्वय समिति, (त्थ) सदस्य, एसजीएसवाई, विशेष परियोजनाओं हेतु परियोजना अनुमोदन समिति, (थ) सदस्य, केन्द्रीय रोजगार गारंटी अवधारणा ।

4.21.10 निदेशक (आर डी) निम्नलिखित समितियों के सदस्य हैं : (त) परियोजना समीक्षा समिति, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना

(एसजीएसवाई), विशेष परियोजनाएं, (त्त) स्थायी समिति, समुदाय-आधारित गरीबोन्मुखी पहल कार्यक्रम, (त्त्त) पंचायतों को सीधे ही निधियां प्रदान करने के लिए स्कीमें तैयार करने हेतु समिति ।

4.21.11 वरि. सलाहकार (आर डी), मंत्रिमण्डल सचिव की अध्यक्षता में गठित वामपंथी उग्रवाद (एल डब्ल्यु ई) संबंधी कार्यदल के एक सदस्य हैं । दिसम्बर 2008 के दौरान प्रभाग ने एल डब्ल्यु ई के संबंध में 2 दिन की एक कार्यशाला आयोजित की जिसमें 33 सर्वाधिक प्रभावित जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों व अन्य शीर्ष स्तर अधिकारियों ने भाग लिया । कार्यदल ने योजना आयोग को, अन्य बातों के साथ-साथ मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से, विकास में महत्वपूर्ण अंतरों का पता लगाने तथा 33 एल डब्ल्यु ई जिलों के लिए विशेष विकास योजना तैयार करने में जिला प्राधिकारियों का मार्गदर्शन करने के लिए एक अन्तर-मंत्रालयीय समूह (आई एम जी) के गठन का कार्य सौंपा । 8 आई एम जी का गठन किया जा चुका है तथा राज्य योजनाएं तैयारी के विभिन्न चरणों पर हैं । सलाहकार (आर डी), सर्वाधिक उग्रवाद प्रभावित जिलों (एमईएडीएस) के बीआरजीएफ के तहत निधियों के आवंटन के लिए पंचायती राज मंत्रालयों द्वारा गठित समिति का भी सदस्य है ।

4.22 विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रभाग

4.22.1 एस एण्ड टी प्रभाग, केन्द्रीय वैज्ञानिक मंत्रालयों/विभागों, नामतः विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग (डी एस टी), वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डी एस आई आर), सी एस आई आर सहित, जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (डी बी टी), परमाणु ऊर्जा विभाग (डी ए ई), अंतरिक्ष विभाग (डी ओ एस) और मृदा विज्ञान विभाग (एम ओ ई एस) आदि के विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के माध्यम से देश के समग्र विकास के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी आधार को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । इन विभागों के कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रमुख रूप से सामाजिक लाभ के लिए एस एण्ड टी का दोहन करने, विज्ञान में आजीविका हेतु युवा वैज्ञानिकों को आकर्षित करने और अनुसंधान संस्थानों/प्रयोगशालाओं और उद्योग के बीच संयोजनों को सुदृढ़ करने पर बल दिया जाता है ।

4.22.2 वर्ष 2008-09 के दौरान एस एण्ड टी प्रभाग द्वारा आयोजित कार्यकलाप निम्नलिखित से संबंधित थे :

- केन्द्रीय वैज्ञानिक विभागों/एजेंसियों, अर्थात् डी एस टी, डी एस आई आर, डी बी टी, डी ए ई, डी ओ एस और एम ओ ई एस आदि के वार्षिक योजना (2008-09) प्रस्तावों की जाँच की गई तथा अस्थाई वार्षिक योजना परिव्यय तैयार करने के लिए संबंधित विभागों/एजेंसियों के साथ गहन चर्चाएं आयोजित की गई । वार्षिक योजना परिव्यय के बारे में निर्णय लेते समय प्रमुख रूप से इन विभागों की नई पहलों और प्रतिबद्ध देनदारियों पर बल दिया गया । इसके बाद, वार्षिक योजना (2008-09) परिव्ययों को अंतिम रूप देने के लिए संबंधित एस एण्ड टी विभागों के सचिवों के साथ स्तरीय बैठकें आयोजित की गई ।
- वैज्ञानिक जनशक्ति के पूल का विस्तार करने, एस एण्ड टी अवस्थापना को सुदृढ़ करने, वैश्विक प्रतिस्पर्धी वैज्ञानिक सुविधाएं और उत्कृष्टता केन्द्र कायम करने के लिए उच्च शिक्षा में निजी सरकारी भागीदारियों के नए माडलों का विकास करने, उद्योग-शिक्षाविद सहयोग उत्प्रेरित करने, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अन्य देशों के साथ मजबूत संयोजनों को प्रोत्साहित करने की ग्यारहवीं योजना की आकांक्षा को पूरा करने के लिए वैज्ञानिक विभागों और एजेंसियों द्वारा अनेक नई पहल शुरू की गई हैं जिनमें विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की विभिन्न विधाओं का सृजन सम्मिलित है ।

4.22.3 इन पहलों से संबंधित ई एफ सी/मंत्रिमंडल टिप्पणियों/सी सी ई ए टिप्पणियों का आकलन किया गया तथा उनके प्रभाव में सुधार करने के लिए अनेक सुझाव/टिप्पणियां की गईं । जिन प्रमुख स्कीमों का आकलन किया गया उनमें सम्मिलित थीं : प्रेरित अनुसंधान हेतु विज्ञान खोज में नूतनता (इंसपायर), वेक्सीन ग्रान्ड चेलेंज प्रोग्राम, डी बी टी-वेलकम ट्रस्ट फैलोशिप कार्यक्रम, एयरबोर्न तथा ग्राउन्ड भू-भौतिकी क्षमताओं का सुदृढ़ीकरण तथा अंतरिक्ष विज्ञान, वायुमंडलीय तथा समुद्रीय विज्ञान और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान । उनमें सम्मिलित प्रमख/महत्वपूर्ण परियोजनाएं थीं : पोलर सेटेलाइट लॉच वेहिकिल (पी एस एल वी), आपरेशनल उड़ान सी 14 से सी 28; जिओ-सिंक्रोनस सेटेलाइट लॉच वेहिकिल (जी एस एल वी) उड़ान-एफ 11 से एफ 16; लूनर मिशन-चंद्रयान-2 और सम्बद्ध विद्यमान ग्राउण्ड सेगमेंट का उन्नयन; सेमी-क्रायोजेनिक इंजिन प्रौद्योगिकी का विकास; मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, 4000 मी. जल गहराई के लिए मेन्ड सबमर्सिबिल का विकास ; एनटार्कटिका के लिए पोलर साईंस एक्सपीडिशन; एंटार्कटिका में तृतीय स्टेशन की स्थापना; अल्पावधि जलवायु पूर्वानुमान; अर्थक्वेक प्रीकर्सर्स; जलवायु परिवर्तन अनुसंधान; जलवायु परिवर्तनशीलता और गतिकी; नई सहस्राब्दि भारतीय प्रौद्योगिकी नेतृत्व पहल (एन एम आई टी एल आई), स्पीयरहेडिंग स्माल सिविलियन एयरक्राफ्ट डिजाइन, डवलपमेंट एण्ड मेन्युफेक्चर; डवलपमेंट एण्ड कामर्शियलाइजेशन आफ इन्वेंशन्स एण्ड इन्नोवेशन्स; एनहांसमेंट आफ नोलिज बेस इन एयरोस्पेस साइंस एण्ड डवलपमेंट आफ कटिंग एज टेक्नोलाजीज ।

4.22.4 उपरोक्त के अलावा, विभिन्न नए संस्थानों की स्थापना के लिए प्रस्तावों का भी आकलन किया गया, इनमें सम्मिलित थेः इंस्टिट्यूट आफ नैनो साइंस एण्ड टेक्नालोजी (आईएनएसटी), मोहाली, विज्ञान तथा इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड (एस ई आर बी) की स्थापना, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी उच्च अध्ययन संस्थान (आईएएसएसटी), गुवाहाटी, जो इस समय असम सरकार (जीओए) के अधीन है, को विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग (डी एस टी) के अधीन भारत सरकार के एक स्वायत्त सहायता-अनुदान संस्थान के रूप में बदलना, ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एण्ड टेक्नालॉजी संस्थान (टी एच एस टी आई), फरीदाबाद, इंस्टिट्यूट आफ स्टेम सैल बायोलॉजी एण्ड रीजेनेरेटिव मेडिसिन्स, बंगलौर, सेन्टर फार प्लाज़मा फिजिक्स (सी पी पी), गुवाहाटी का, जो इस समय असम सरकार (जी ओ ए) के अधीन एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान है, इंस्टिट्यूट फार प्लाज़मा रीसर्च (आई पी आर) गांधीनगर के साथ, जो परमाणु ऊर्जा विभाग (डी ए ई) के अधीन एक स्वायत्त संस्थान है, विलयन, कृषि-खाद्य जैव-प्रौद्योगिकी संस्थान, मोहाली, यूनेस्को जैव प्रौद्योगिकी शिक्षा, प्रशिक्षण और नूतनता क्षेत्रीय केन्द्र, फरीदाबाद, कल्याणी, प.बंगाल में बायोमेडिकल जेनोमिक्स राष्ट्रीय संस्थान और भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान (आई आई एस एस टी) तिरूवनन्तपुरम ।

- उपरोक्त के अलावा, इन विभागों की योजनाओं/कार्यक्रमों का मानीटरन करने के लिए वार्षिक योजना 2007-08 और 2008-09 की अर्ध-वार्षिक निष्पादन समीक्षा की गई तथा आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई भी आयोजित की गई, विशेष रूप से परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा विकसित भाभाट्रोन और सीवेज हाइजेनाइजेशन प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाने के संबंध में ।
- वार्षिक योजना (2008-09) के लिए नूतनता तथा प्रौद्योगिकी अध्याय तैयार किया गया ।
- विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्रक से संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वार्षिक योजना (2008-09) प्रस्तावों की विस्तारपूर्वक जाँच की गई तथा एस एण्ड टी क्षेत्रक के अंतर्गत वार्षिक

योजना 2008-09 परिव्यय को अंतिम रूप देने के लिए कार्य समूह बैठकों में चर्चा की गई । राज्यों/संघ क्षेत्रों में एस एण्ड टी अवस्थापना को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ क्षेत्रों को अनेक महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए गए ।

4.22.5 चर्चाओं के दौरान, एस एण्ड टी विशिष्ट कार्यक्रमों का पता लगाने, वित्त पोषण हेतु केन्द्रीय वैज्ञानिक मंत्रालयों को प्रस्तुत करने के लिए परियोजना प्रस्तावों के निर्माण में वैज्ञानिकों/प्रौद्योगिकीविदों और शिक्षाविदों को शामिल करके स्थानीय विशेषज्ञता को प्रोत्साहित करने, विज्ञान के प्रति युवा प्रतिभा को आकर्षित करने, केन्द्रीय वैज्ञानिक मंत्रालयों/विभागों के साथ लगातार अन्योन्यक्रिया करके राज्य एस एण्ड टी परिषदों के कार्यकलापों को सुदृढ़ करने पर प्रमुख रूप से बल दिया गया ।

उपरोक्त के अलावा, संसदीय प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विभिन्न एजेंसियों को सामग्री उपलब्ध कराई गई ।

4.23 अवस्थापना संबंधी समिति के लिए सचिवालय

4.23.1 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इस बात पर बल दिया गया है कि अर्थव्यवस्था की 9% वृद्धि दर बनाए रखने के लिए पर्याप्त, कम लागत वाली और उत्तम अवस्थापना एक पूर्वापेक्षा है जो अगले दस वर्षों के दौरान जीवन की कोटि में महत्त्वपूर्ण बदलाव लाने और गरीबी को दूर करने के लिए आवश्यक है । तदनुसार, भौतिक अवस्थापना में कुल निवेश लक्ष्य 2006-07 (दसवीं योजना का अंतिम वर्ष) में प्राप्त जी डी पी के लगभग 5.7 प्रतिशत से बढ़ाकर 2011-12 में इसके अंतिम वर्ष में जी डी पी का 9% कर दिया गया ।

4.23.2 बहुत से देशों में जहाँ सरकारी क्षेत्रक की अवस्थापना निवेशों में बहुलता है, अब यह समझा जाने लगा है कि सीमित उपलब्धता, घटिया कोटि, अविश्वसनीय आपूर्ति और अवस्थापना सेवाओं की ऊँची यूनिट लागतों की समस्याओं का समाधान करने के लिए अवस्थापना के विकास और अनुरक्षण में निजी क्षेत्रक की भूमिका में वृद्धि की जानी चाहिए । अवस्थापना संबंधी जरूरतों और सरकार द्वारा इन जरूरतों को पूरा करने के लिए किए गए निवेशों के बीच विशाल और बढ़ते अंतर के साक्ष्य सभी जगह मौजूद हैं : भीड़-भाड़ वाली सड़कें, मरम्मत चाहने वाले पुल; घटिया रखरखाव वाली रेल और मार्गस्थ प्रणालियाँ; विद्युत आपूर्ति में उतार-चढ़ाव और कमियाँ; विकासशील देशों में पाँच व्यक्तियों में से एक व्यक्ति के पास पहुँचने वाला पाइप का पानी, दस व्यक्तियों में से एक से भी कम के पास पर्याप्त स्वच्छता की सुलभता और घटती जल उपचार सुविधाएं, सभी के पुर्नस्थापन और मरम्मत की सख्त जरूरत है । बदले में ये समस्याएं समाज पर भारी लागतों का बोझ डालती हैं ; कम उत्पादकता से लेकर घटी प्रतिस्पर्धात्मकता और बड़ी संख्या में दुर्घटनाएं पैदा करती हैं । वस्तुतः उत्तम अवस्थापना की उपलब्धता को विकास को तेज करने और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए उतनी ही अधिक समझा जाने लगा है जितना कि ग्रामीण अवस्थापना गरीबी कम करने के लिए महत्त्वपूर्ण है । इन बड़े अवस्थापना संबंधी अंतरालों को, सतत विकास को और गरीबी कम करने के प्रयासों को समर्थन प्रदान करने के लिए दूर किया जाना चाहिए । एशिया में, अनुमान लगाया गया है कि आने वाले दशक में अवस्थापना में 3 ट्रिलियन से भी अधिक अमरीकी डालर के निवेश की जरूरत होगी तथा भारत के लिए 1.5 ट्रिलियन अमरीकी डालर की जरूरत होने का अनुमान है, निवेश के वर्तमान स्तर से पर्याप्त रूप में अधिक तथा मात्र सरकारी क्षेत्रक की क्षमता से कहीं अधिक । 1997 के एशियाई वित्तीय संकट की शुरूआत से पहले, लगभग 150 बिलियन अमरीकी डालर का चीन, मलेशिया, कोरिया गणराज्य, फिलिपीन्स और इंडोनेशिया जैसे देशों में निवेश किया गया । यद्यपि इस वित्तीय

संकट ने पूंजी प्रवाह को बाधित कर दिया और सरकारी-निजी व्यवस्था में अनेक खामियों का पता चला जिनकी वजह से टैरिफों में संशोधन किया गया तथा संविदाएं रद्द हो गई, अनुभवी देशों ने तब से अपने संस्थानों और विनियामक परिवेश में सुधार किए जिससे कि सही व्यवसाय माहौल कायम किया जा सके तथा निवेशकों का विश्वास प्राप्त किया जा सके । अन्य देशों ने भी, अवस्थापना विकास की चुनौती का समाधान करने के लिए एक उपाय के रूप में सरकारी-निजी भागीदारी को अपनाना शुरू कर दिया ।

4.23.3 वित्त के क्षेत्र में हाल ही की विश्व वित्तीय मंदी को देखते हुए सरकारी बजटों पर दबाव के कारण इन बढ़ती अवस्थापना जरूरतों में विश्व की सभी सरकारों ने नए अवस्थापना निवेश के भार के एक भाग में बदलाव किया है, जिसमें निजी क्षेत्रक के लिए क्षेत्रीय और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्राप्त करने के लिए सीमा-पार निवेश सम्मिलित है । एक समय कुछेक देशों तक सीमित सरकारी-निजी भागीदारी (पी पी पी) अब एक सबसे महत्त्वपूर्ण माडल के रूप में उभरी है जिसका सरकारें उभरते बाजारों में अवस्थापना संबंधी अंतर को पाटने में उपयोग कर सकती हैं । ऐसी सम्भावना कम है कि पी पी पी, अवस्थापना के पारम्परिक वित्त पोषण और विकास का स्थान ले लेगी किंतु जो सरकार तथा उपभोक्ताओं के लिए संधारणीय, वहनीय तथा निवेशकों के लिए लाभप्रद है, अवस्थापना कमियों को पूरा करने अथवा अपने संगठनों की कार्यकुशलता सुधारने का प्रयास करने वाली सरकारों को अनेक लाभ प्रदान करती है ।

4.23.4 पी पी पी के अनेक स्वरूप हो सकते हैं किंतु सामान्य रूप से इसकी परिभाषा कंसेशनों के रूप में अथवा संविदात्मक व्यवस्थाओं की अन्य किस्मों के रूप में की जा सकती है, जिसके तहत सरकारी क्षेत्रक निजी क्षेत्रक को, अन्य बातों के साथ, सामान्य जनता के लिए प्रचालित, निर्मित, प्रबंध और/अथवा सेवा प्रदान करने का अधिकार देने के लिए सहमत होता है । पी पी पी में, या तो "निजीकरण " के दृष्टिकोण अथवा सेवाओं की एकमात्र सरकारी क्षेत्रक सुपुर्दगी की कमियों को सीमित करते हुए, सरकारी और निजी क्षेत्रक सेवाओं का एक मिश्रण है । सरकार इनका उपयोग निजी पूँजी जुटाने के लिए कर रही है जिससे अपने नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने में उनकी क्षमता में वृद्धि होती है । पी पी पी प्रणाली के तहत, सरकार की भूमिका एक सुविधाकर्ता और समर्थनकर्ता के रूप में तीव्र होती है, जबकि निजी भागीदारी वित्तपोषक, निर्माता और सेवा अथवा सुविधा के प्रचालक के रूप में भूमिका निभाता है, सरकार भागीदारी की सेवा कोटि, कीमत अनिश्चितता तथा मितव्ययिता (धन के लिए मूल्य) के लिए जिम्मेदार रहती है । इस प्रकार सरकारी क्षेत्रक स्थिर शासन, नागरिक समर्थन, वित्त पोषण की दृष्टि से आश्वासन का योगदान करता है तथा सामाजिक, पर्यावरणीय व राजनीतिक जोखिम भी उठाता है । निजी क्षेत्रक अपने साथ नूतन प्रौद्योगिकियां, प्रबंधकीय प्रभावशीलता, प्रचालनात्मक कार्यकुशलता, अतिरिक्त वित्त की सुलभता और निर्माण व वाणिज्यिक जोखिम भागीदारी कायम करता है । सामाजिक क्षेत्रक में भी, पी पी पी ने पुलिस, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में सुधारों में योगदान किया है ।

4.23.5 अन्य देशों के अनुभव से पता चलता है कि पी पी पी केवल तभी सफल हो सकती है यदि उनकी संरचना और योजना विस्तारपूर्वक की जाए तथा उसका प्रबंधन विशेषज्ञों दलों द्वारा किया जाए । सरकार द्वारा भी, जहाँ आवश्यक हो निजी क्षेत्रक के लाभों के अनुरूप, विशेष रूप से बड़े कार्यक्रमों में, तकनीकी, कानूनी और वित्तीय सलाहकारों का समावेश करने की जरूरत होगी । सरकार द्वारा परियोजना विकास करने की जरूरत है तथा उसे समर्पित निधियां कायम करके निवेश किया जा सकता है । परियोजना करारों और साथ ही

कनसेशन प्रदान के लिए बोली प्रक्रिया भी सामान्यतः जटिल होती है क्योंकि जोखिमों की प्रकृति और अनेक पणधारियों की भागीदारी, जैसे कि परियोजना प्रायोजक, उधारकर्ता, सरकारी एजेंसियां, विनियामक प्राधिकारी और उपभोक्ता । इसलिए, मानक दस्तावेजों के उपयोग से परियोजना प्राधिकारियों द्वारा एक पारदर्शी और उचित ढंग से एक प्रतिस्पर्धी परिवेश में निर्णय निर्माण में चुस्ती और तेजी आती है । यह भी व्यापक रूप से स्वीकारा जाता है कि कानूनी और विनियामक प्रणालियों को, प्रत्येक परियोजना के साथ उत्पन्न सामाजिक कार्यनीति और सफल पी पी पी परियोजनाएं कार्यान्वित करने की सरकारी क्षेत्रक की क्षमता में सुधार किया जाना चाहिए ।

4.23.6 भारत में सरकार, आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए बाधाओं को कम करने के वास्ते अवस्थापना संबंधी सेवाओं में सुधार और विस्तार करने के लिए गंभीर रूप से प्रयास कर रही है । अवस्थापना संबंधी समिति (सी ओ आई) की, जिसका गठन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सरकार द्वारा 31 अगस्त 2004 को किया गया था और जिसके सदस्यों में वित्त मंत्री, उपाध्यक्ष, योजना आयोग और अवस्थापना मंत्रालयों के प्रभारी मंत्री सम्मिलित हैं, ऐसी नीतियां और कार्यनीति तैयार करने के लिए अब तक 17 बैठकें हो चुकी हैं जिससे कि सुसमन्वित, समयबद्ध विश्व स्तर की अवस्थापना सुनिश्चित होगी, अन्तर्राष्ट्रीय मानव वाली सेवाओं का विकास, ऐसी प्रणालियों का विकास होगा जिससे पी पी पी की भूमिका अधिकतम होगी और प्रमुख अवस्थापना परियोजनाओं की प्रगति का मॉनीटरन होगा ।

4.23.7 सी ओ आई के कार्यकरण को सुकर बनाने के लिए योजना आयोग के उपाध्यक्ष के अधीन 16 मई 2005 को सी ओ आई की एक अधिकार-प्राप्त उप-समिति भी गठित की गई थी जिसमें योजना आयोग के सम्बद्ध सदस्य और सभी संबंधित मंत्रालयों के सचिव भी सम्मिलित हैं । अधिकार-प्राप्त उप-समिति की 21 बैठकें हो चुकी हैं जिनमें से 7 बैठकें 2008-09 में आयोजित की गई (अंतिम बैठक 13 अप्रैल 2009 को आयोजित हुई थी) ।

4.23.8 सीओआई और अधिकार-प्राप्त उपसमिति की सेवा, सीओआई के लिए सचिवालय के माध्यम से की जाती है, जिसे निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं :

(1) सीओआई की बैठकों की सेवा करना तथा उनमें लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित करने के संबंध में, संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से सीओआई की अधिकार-प्राप्त उपसमिति के माध्यम से अनुवर्ती कार्रवाई करना ।

(2) सीओआई द्वारा अपेक्षित, विशेष रूप से अवस्थापना क्षेत्रक में पीपीपी परियोजनाओं से संबंधित (स्वतंत्र विशेषज्ञों और पणधारियों की सहायता सहित), नीतिगत पत्र तैयार करना, अनुसंधान आयोजित करना, परामर्श प्रारंभ करना और सेमिनार आयोजित करना ।

सी ओ आई द्वारा पहल

4.23.9 सरकार, पीपीपी के माध्यम से अवस्थापना में निजी निवेशों को व्यवस्थित ढंग से मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयास करने के लिए समर्थनकारी उपाय कर रही है । इन प्रयासों का उद्देश्य निम्नलिखित चार पहलुओं को कवर करते हुए अवस्थापना विकास में निजी क्षेत्रक भागीदारी से जुड़ी दीर्घावधिक अनिश्चितताओं और व्यापक जोखिम पोर्टफोलियों के साथ, बहुआयामीय पहलुओ का समाधान करना है: (i) सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी जोखिम; (ii) प्रतिकूल आर्थिक और वाणिज्यिक स्थितियां; (iii) अकुशल सार्वजनिक

प्रापण फ्रेमवर्क; और (iv) परिपक्व वित्तीय इंजीनियरी तकनीकों का अभाव ।

4.23.10 उनके तहत किए गए उपायों में सम्मिलित हैं : नीतिगत रूपरेखा में सुधार करना, प्रेरक किंतु जोरदार विनियमन विकसित करना, सम्भाव्यता और पारदर्शिता सुधारने और प्रक्रियाओं को चुस्त बनाने के लिए उपयुक्त संस्थागत पद्धतियां कायम करना और प्रक्रियाओं को चुस्त बनाना, अधिक इष्टतम आवंटन प्राप्त करना तथा पीपीपी के लिए जोखिमों को कम करना, कारोबारी लागत और प्रसंस्करण समय में कटौती करना, सर्वोत्तम प्रथाएं अपनाना और मॉडल करार विकसित करना तथा नए क्षेत्रों और स्थानों के संबंध में डील करना और क्षमता निर्माण सामग्री में वृद्धि करना ।

4.23.11 सामान्य तौर पर, ऐसी पहलों का उल्लेख सी ओ आई के लिए सचिवालय की रिपोर्टों में किया गया है जिन्हें सीओआई द्वारा, नीचे दी गई सूची के अनुसार, विचार और अनुमोदन के पश्चात् प्रकाशित किया जाता है :

i. विद्युत क्षेत्रक में खुली पहुँच प्रचालित करने के लिए उपायों के संबंध में कार्य बल, जनवरी 2009 ।

ii. अवस्थापना के विनियमन के संबंध में दृष्टिकोण, सितम्बर 2008 ।

iii. ग्यारहवीं योजना के दौरान अवस्थापना में निवेशों का पूर्वानुमान-अगस्त 2008 ।

iv. सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन संबंधी विशेषज्ञ समिति, जनवरी 2008 ।

v. बंदरगाहों पर रुकने के समय के संबंध में रिपोर्ट, सितम्बर, 2007 ।

vi. प्रमुख बंदरगाहों में पीपीपी के लिए टैरिफ निर्धारण और बोली प्राचलों के संबंध में कार्य बल, अगस्त, 2007 ।

vii. बंदरगाह टर्मिनलों के लिए टैरिफ निर्धारण संबंधी रिपोर्ट, अगस्त 2007 ।

viii. भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पुनर्गठन के संबंध में अन्तर-मंत्रालयीय समूह, जुलाई 2007 ।

ix. बंदरगाहों के लिए वित्त पोषण योजना के संबध में कार्य बल, जून 2007 ।

x. एयर कार्गों और एयरपोर्टों पर सीमा शुल्क प्रक्रियाओं के सरलीकरण के संबंध में अन्तर-मंत्रालयीय समूह, जनवरी 2007 ।

xi. हवाई अड्डों के लिए वित्तीय योजना के संबंध में कार्य बल, जून 2006 ।

xii. राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम (एन एच डी पी) के वित्त पोषण के संबंध में कोर समूह, अप्रैल, 2006 ।

xiii. सीमाशुल्क प्रक्रियाओं और कन्टेनर फ्रेट स्टेशनों तथा बंदरगाहों के संबंध में अन्तर-मंत्रालयीय समूह, फरवरी 2006 ।

xiv. दिल्ली-मुम्बई और दिल्ली-हावड़ा भाडा कोरिडोर के संबंध में कार्य बल, फरवरी 2006 ।

xv. प्रमुख बंदरगाहों की सड़क-रेल संयोजकता के संबंध में सचिवों की समिति, फरवरी 2006 ।

xvi. इण्डिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कं. लि. (आई एफ सी एल) के माध्यम से अवस्थापना परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए स्कीम, जनवरी 2006 ।

4.23.12 पीपीपी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए, कन्सेशन दस्तावेजों और बोली प्रक्रिया के संबंध में मानकीकृत व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा रहा है ताकि सरकारी और निजी पूँजी से जुड़े जोखिम को कम किया जा सके तथा निर्णय लेने में सरलता और तेजी आ सके । माडल दस्तावेज

अपनाना, मॉडल कन्सेशन करार (एम सी ए) सहित, सी ओ आई द्वारा अनिवार्य बना दिया गया है । इसके अनुक्षरण में निम्नलिखित एम सी ए और मार्गनिर्देश, जिनमें पी पी पी परियोजनाओं के लिए बोली प्रक्रिया से संबंधित प्रमुख सिद्धांत समाहित किए गए हैं, सी ओ आई के तत्वावधान में विकसित और प्रकाशित किए गए हैं :

i). पी पी पी परियोजनाओं के लिए माडल आर एफ क्यु दस्तावेज में संशोधन, अप्रैल 2009।

ii). विद्युत क्षेत्रक में पारेषण पद्धतियों के लिए तकनीकी परामर्शदाता की नियुक्ति के संबंध में माडल आर एफ पी, अप्रैल 2009।

iii). एक व्यावहार्यता रिपोर्ट हेतु तकनीकी परामर्शदाता की नियुक्ति के संबंध में माडल आर पी एफ, जनवरी 2009 ।

iv). विनिर्देशों और मानकों का मैनुअलः राजमार्गों को चार लेन वाला बनाना, मार्च 2008 ।

v). बोलीदाताओं के लिए अर्हता-पूर्व के संबंध में मार्गनिर्देश, पीपीपी परियोजनाओं के लिए अर्हताओं (आर एफ क्यु) हेतु माडल अनुरोध सहित, बोलीदाताओं के अर्हता-पूर्व हेतु मार्गनिर्देश, दिसम्बर, 2007 ।

vi). वित्तीय बोलियों के लिए, पीपीपी परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव हेतु माडल अनुरोध सहित (आर पी एफ) मार्गनिर्देश, नवम्बर 2007 ।

vii). विनिर्देशों और मानकों का मैनुअलः पीपीपी के माध्यम से राजमार्गों को दो लेन वाला बनाना, मई 2007 ।

viii). कंटेनर ट्रेन आपरेशन हेतु एम सी ए, जनवरी 2007 ।

ix). राज्य राजमार्गों में पीपीपी के लिए एमसीए, अक्तूबर 2006 ।

x). राजमार्गों के प्रचालन और अनुरक्षण में पीपीपी के लिए एम सी ए, अक्तूबर 2006।

xi). बंदरगाह टर्मिनलों के लिए एम सी ए, अक्तूबर 2006 ।

xii). राष्ट्रीय राजमार्गों में पीपीपी के लिए एमसीए, सितंबर, 2006 ।

xiii). पीपीपी के निर्माण, आकलन और अनुमोदन के संबंध में मार्गनिर्देश, जनवरी 2006 ।

xiv). अवस्थापना में पीपीपी के लिए वित्तीय समर्थन हेतु मार्गनिर्देश, जनवरी 2006 ।

4.23.13 सी ए तथा अन्य मानकीकृत दस्तावेजों में, जिन्हें 2008-09 में शुरू किया गया है तथा जिन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है उनमें सम्मिलित हैं :

i). शहरी रेल परिवहन पद्धतियों के लिए (मेट्रो रेल) एम सी ए ।

ii). मेट्रो-भिन्न हवाई अड्डों के लिए एम सी ए ।

iii). ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के लिए एम सी ए ।

iv). रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए एम सी ए ।

v). विद्युत लोकोमोटिव के प्रापण-सह-अनुरक्षण के लिए एम सी ए ।

vi). मॉडल पारेषण सेवा करार ।

vii). राजमार्ग क्षेत्रक में निर्माण कार्य प्राप्त करने के लिए माडल संविदा ।

viii). कानूनी सलाहकारों की नियुक्ति के लिए माडल आर पी एफ ।

4.23.14 अवस्थापना में निवेश में वृद्धि करने के लिए ग्यारहवीं योजना उद्देश्यों के लिए भी शासन की कोटि में महत्वपूर्ण सुधार करने की जरूरत होगी । सरकार ने, उसके द्वारा पहले निष्पादित किए जाने वाले कुछेक कार्यों को निष्पादित करने के लिए स्वतंत्र विनियामक गठित किए हैं । स्वतंत्र विनियामकों की भूमिका अवस्थापना क्षेत्रों में विशेष रूप से स्पष्ट है जहाँ आर्थिक नीति में परिवर्तनों के फलस्वरूप पिछली पद्धति से बदलाव, जहाँ अवस्थापना की व्यवस्था लगभग मात्र रूप से सरकारी क्षेत्रक द्वारा की जाती थी, एक ऐसी पद्धति के प्रति आया है, जहाँ निजी इकाइयों द्वारा अवस्थापना सेवाओं की व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जाता है । प्रमुख बंदरगाहों के संबंध में टैरिफ प्राधिकरण का मुख्य कार्य टैरिफ निर्धारण करना है तथा अक्तूबर 2007 में स्थापित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, पेट्रोलियम उत्पादों के परिशोधन, प्रसंस्करण भण्डारण, परिवहन, वितरण और विपणन को विनियंत्रित करता है । 2008-09 में संसद ने, हवाई सेवाओं के लिए टैरिफ अनुमोदित करने के लिए तथा हवाई अड्डों के निष्पादन मानकों का मानीटरन करने के लिए हवाई अड्डा आर्थिक विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करने के लिए एक कानून अधिनियमित किया जो जून 2009 तक प्रचालनात्मक हो जाएगा।

4.23.15 देश में विनियमों के प्रति एक सम्भव एकसमान दृष्टिकोण के संबंध में नीति का उद्देश्य, सम्भव सीमा तक, पारस्परिक विनियामकों के संबंध में मुद्दों के लिए एक एकसमान मं. कायम करना है जैसे कि विनियामक के लिए चयन प्रक्रिया, पात्रता, क्षतिपूर्ति पैकेज, बजट और शुल्क तथा सरकार के साथ संबंध निर्माणाधीन है । ग्यारहवीं योजना के अंतर्गत भी अवस्थापना क्षेत्रकों को विनियंत्रित करने के उद्देश्य से एकसमान विनियामक फ्रेमवर्क पर दिया गया है जिससे कि विभिन्न क्षेत्रकों में विद्यमान विविध अधिदेशों को समाप्त किया जा सके । "अप्रोच टू रेगुलेशन आफ इन्फ्रास्ट्रक्चरः इश्यूज एण्ड आपशन" पर परामर्श पत्र को विभिन्न मंत्रालयों और उपभोक्ता निकायों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर संशोधित किया गया तथा सितम्बर 2008 में सी ओ आई की वेबसाइट www.infrastructure.gov.in में प्रस्तुत किया गया । इसके अंतर्गत प्रमुख अवस्थापना क्षेत्रकों के लिए लागू भारत में विनियामक कानून और नीति की स्थिति का विश्लेषण किया गया है । इसके अंतर्गत, प्रतिस्पर्धा को समर्थ बनाते हुए, और उपभोक्ता हितों को संरक्षण प्रदान करते हुए, अवस्थापना सेवाओं के व्यवस्थित विकास के लिए एक महत्वपूर्ण दर्शन पर अमल करने के लिए एक नए विधान का सुझाव दिया गया है ।

4.23.16 सरकार ने पत्र में दिए गए सिद्धांतों को अनुमोदित कर दिया है तथा यह निर्णय लिया है कि की गईं सिफारिशों को संहिताबद्ध करने के उद्देश्य से, एक महत्वपूर्ण विनियामक सुधार विधेयक का मसौदा तैयार किया जाना चाहिए जिसे विद्यमान क्षेत्रक-विशिष्ट विधान द्वारा पूरक बनाया जाएगा । तदनुसार, एक ड्राफ्ट विनियामक सुधार विधेयक 20** तैयार किया गया है जिसका उद्देश्य "सार्वजनिक यूटिलिटियों के लिए विनियामक आयोगों के गठन, शक्तियों और कार्यकरण को शासित करने के लिए और सामान्यतः सार्वजनिक यूटिलिटी उद्योगों के विकास के लिए प्रेरक, टैरिफ के निर्धारण, निष्पादन मानकों के प्रवर्तन, निवेश और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने तथा उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षण प्रदान करने के लिए तथा उससे संबंधित व प्रासंगिक मामलों के" प्रयोजनार्थ एकसमान विनियामक दर्शन स्थापित करना है । विधेयक के मसौदे को केन्द्रीय और राज्य सरकारों, पणधारियों, विशेषज्ञों और उपभोक्ता निकायों के पास व्यापक परामर्शों हेतु भेजा गया है।

4.23.17 सचिव समिति के अप्रैल 2007 के निर्णयानुसार संगत विभागीय संसदीय स्थायी समिति द्वारा विनियामक के मानीटरन और नजर रखने के

लिए मार्गनिर्देश भी संसदीय कार्य मंत्रालय और योजना आयोग द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किए जा रहे हैं ।

4.23.18 बिजली (उत्पादन, पारेषण और वितरण सहित), गैर-पारम्परिक ऊर्जा (पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा सहित) और विद्युत स्टेशनों के नवीकरण और आधुनिकीकरण, दूर संचार, सड़कों और पुलों, रेलवे (रोलिंग स्टॉक और मास ट्रांजिट सिस्टम), बंदरगाह, अन्तर्देशीय जलमार्ग, हवाई अड्डे, सिंचाई (वाटरशेड विकास सहित), जलापूर्ति स्वच्छता (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, नाली व्यवस्था और सीवरेज) और सड़क रोशनी, भण्डारण और तेल और गैस पाइपलाइन नेटवर्क को शामिल करने के लिए, अवस्थापना संबंधी समिति की अधिकार-प्राप्त उप-समिति द्वारा यथा अनुमोदित, भौतिक अवस्थापना की परिभाषा को 11 जनवरी 2008 और 2 अप्रैल 2008 को हुई बैठक में अपनाया गया ।

4.23.19 सरकार ने निजी क्षेत्रक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सड़क निर्माण उपस्कर और मशीनरी के ड्यूटी-मुक्त आयात और कर में छूट जैसे अनेक प्रोत्साहन प्रदान किए हैं । अवस्थापना परियोजनाओं पर 10 वर्ष की अवधि के लिए आयकर की भी 100% छूट प्रदान की गई है ।

4.23.20 क्षमताएं निर्मित करने की दिशा में, विशेष रूप से राज्यों में, योजना आयोग में 21 जुलाई 2007 को "पीपीपी पर मुख्य सचिवों का एक सम्मेलन" आयोजित किया जिससे केन्द्र और राज्यों को अवस्थापना में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई नीतियों के बारे में एक दूसरे के साथ विचार-विमर्श करने के लिए नीति-निर्माताओं को एक मंच उपलब्ध हुआ । यह उन सम्मेलनों की एक अनुवर्ती कार्रवाई भी थी जो विगत में पीपीपी के संबंध में आयोजित किए गए हैं । परियोजना निर्माण और अवार्ड की गति को और चुस्त बनाने व तेज करने की भी जरूरत महसूस की गई क्योंकि इन परियोजनाओं से सरकार के लिए कम लागत पर सड़क उपयोगकर्ता लाभान्वित होंगे । सफल पीपीपी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय और राज्य सरकारों के अधिकारियों के लिए कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं । योजना आयोग राज्यों में चुनिंदा पीपीपी परियोजनाओं के लिए वित्तीय तथा तकनीकी सहायता भी प्रदान कर रहा है जैसे कि हरियाणा राज्य में बिजली की निकासी के लिए दो पारेषण पद्धतियों का विकास । क्षेत्रकीय पहलों में सम्मिलित हैं : (i) विद्युत और डीजल लोकोमोटिवों के लिए विनिर्माण इकाइंयाँ, (ii) दिल्ली पुलिस मुख्यालय परिसर, और (iii) दिल्ली पुलिस रिहायशी परिसर का विकास ।

4.23.21 सीओआई के महत्वपूर्ण अवस्थापना क्षेत्रक-विशिष्ट निर्णयों और उनके कार्यान्वयन का ब्यौरा नीचे "क्षेत्रक-वार पहल" पर उप-खण्ड में दिया गया है:

अवस्थापना निवेश

4.23.22 ग्यारहवीं योजना के दौरान अवस्थापना में निवेश के पूर्वानुमानों पर एक पत्र को अंतिम रूप दिया गया और अगस्त 2008 में सी ओ आई की वेबसाइट पर प्रस्तुत किया गया । इसमें जी डी पी में 9 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर बनाए रखने के लिए दस प्रमुख भौतिक अवस्थापना क्षेत्रकों में अपेक्षित निवेश का आकलन किया गया है । दृष्टिकोण के अंतर्गत क्षेत्रक-वार पाइपलाइन परियोजनाओं का उपयोग किया गया जिसमें विगत प्रवृत्तियों को भी शामिल किया गया तथा ग्यारहवीं योजना के अंतिम वर्ष में बाजार कीमतों पर जी डी पी के 9% लक्षित सकल पूंजी निर्माण के साथ भी तालमेल बिठाया गया । इसमें अवस्थापना में 20,56,150 करोड़ रुपए अथवा 514.04 बिलियन अमरीकी डालर (2006-07 सतत कीमतों पर 40 रुपए अमरीकी डालर) का पूर्वानुमान लगाया गया है जिसका अर्थ होगा पाँच वर्ष की योजना अवधि के

दौरान जी डी पी के 7.6 प्रतिशत का निवेश । इसमें से 435.349 करोड़ रुपए (कुल का 21 प्रतिशत) ग्रामीण अवस्थापना को सुधारने पर खर्च किए जाएंगे ।

4.23.23 दसवीं योजना में प्राप्त लगभग 887,842 करोड़ रुपए अथवा 221.96 बिलियन अमरीकी डालर के निवेश स्तर के मुकाबले, जो जी डी पी का 5.07 प्रतिशत था, ग्यारहवीं योजना में पूर्वानुमानित अवस्थापना निवेश दसवीं योजना का 2.36 गुणा है । सार्वजनिक क्षेत्र केन्द्र द्वारा 765.622 करोड़ रुपए के निवेश और राज्यों द्वारा 670.937 करोड़ रुपए के निवेश के साथ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा । निजी क्षेत्रक द्वारा निवेश, जिसमें पीपीपी परियोजनाएं सम्मिलित हैं; शेष 6,19,591 करोड़ रुपए का योगदानकर्ता है, जो ग्यारहवीं योजना के दौरान अपेक्षित कुल निवेश का 30% (दसवीं योजना के दौरान प्राप्त 20% के मामले) । सरकारी और निजी क्षेत्रक द्वारा 988.035 करोड़ रुपए के ऋण वित्तपोषण की कुल आवश्यकता के मुकाबले 825539 करोड़ रुपए की उपलब्धता का अनुमान लगाया गया है, जिससे 162,496 करोड़ रुपए अथवा 40.62 बिलियन अमरीकी डालर के वित्त पोषण का अंतर रह जाएगा । अवस्थापना में अपेक्षित निवेश तभी सम्भव होगा जब आंतरिक सृजन में और बजट बाह्य संसाधनों में पर्याप्त वृद्धि होगी जो निजी निवेश में महत्वपूर्ण वृद्धि के अलावा है जो समर्थनकारी नीति और विनियामक परिवेश में वाणिज्यिक सिद्धांतों पर संरचित बड़ी अवस्थापना परियोजनाओं पर किया जाएगा ।

4.23.24 वैश्विक मंदी को देखते हुए, जिसके प्रमुख रूप से पूंजी प्रवाहों, वित्तीय बाजारों और अवस्थापना के महत्वपूर्ण इनपुटों में व्यापार में साधारणीकरण के माध्यम से, भारत में अवस्थापना के विकास पर कुछ निहितार्थ होंगे, अनेक उपाय किए गए, विशेष रूप से 7 दिसम्बर 2008 और 2 जनवरी 2009 को जबकि बैंकिंग सिस्टम में नकदी समाविष्ट करने और गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एन बी एफ सी) को पेश आने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए उपाय किए गए । योजना खर्च के माध्यम से कोन्ट्रा-साइक्लिकल बढ़ावा देने के लिए 20,000/- करोड़ रुपए के अतिरिक्त योजना व्यय की घोषणा की गई जो मुख्यतः महत्वपूर्ण ग्रामीण स्कीमों, अवस्थापना (विशेष रूप से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना/पी एम जी एस वाई), जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे एन एन यू आर एम और त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम) और सामाजिक सुरक्षा स्कीमों के लिए था । सरकार ने आई आई एफ सी एल को, पात्र अवस्थापना परियोजनाओं के लिए, विशेष रूप से राजमार्गों और बंदरगाहों क्षेत्रकों में लंबी परिपक्वता अवधि के बैंक उधार के पुनर्वित्त के लिए विदेशी वाणिज्यिक उधारों तक पहुँच को और अधिक उदार बना दिया गया ताकि विदेश से निधियां प्राप्त करने मे समर्थ उधारकर्ता ऐसा कर सकें और रुपया प्रभुत्व वाले कारपोरेट बांडों में एफ आई आई निवेश सीमा को बढ़ाकर 6 बिलियन अमरीकी डालर से 15 बिलियन अमरीकी डालर कर दिया गया । राज्यों को अपनी शहरी परिवहन प्रणालियों के लिए बसें खरीदने के वास्ते जे एन एन यू आर एम के तहत सहायता प्रदान की गई ।

4.23.25 ग्यारहवीं योजना के पहले वर्ष (2007-08) में, जी डी पी के लगभग 6.00 प्रतिशत का निवेश अवस्थापना विकास में किया गया । प्रमुख अवस्थापना क्षेत्रकों, जैसे कि परिवहन, विद्युत, बंदरगाह, शहरी अवस्थापना और पर्यटन में, रेलवे सहित, सरकार द्वारा पीपीपी को सक्रिय प्रोत्साहन दिए जाने के फलस्वरूप 20 राज्यों में 300 परियोजनाओं में 1,35,876 करोड़ रुपए का कुल अनुमानित निवेश हुआ । केन्द्र और राज्य यूटिलिटियों के बीच पीपीपी के प्रमुख उपयोगकर्ता

की संख्या परियोजनाओं की संख्या की दृष्टि से क्रमशः 37, 36, 28 और 26 परियोजनाओं के साथ राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु हैं जो सभी सड़क क्षेत्रक में थी तथा लगभग 77 परियोजनाएं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन एच ए आई) के संबंध में थी । परियोजनाओं का क्षेत्रकवार ब्यौरा उनके मूल्य के साथ नीचे तालिका 4.23.1 में दर्शाया गया है:

तालिका 4.23.1:
परियोजनाओं का क्षेत्रक-वार विवरण

क्षेत्रक	परियोजनाओं की कुल संख्या	संविदाओं का मूल्य (करोड़ रुपए)
हवाई अड्डे	6	20,041
बंदरगाह	38	43,053
रेलवे	3	1007
सड़कें	186	47,756
शहरी विकास	35	6218
ऊर्जा	32	17802
जोड़	**300**	**1,35,876**

4.23.26 परियोजनाओं की संख्या की दृष्टि से सड़क क्षेत्रक की प्रधानता है, जो परियोजनाओं की कुल संख्या का 62% है (किंतु कुल परियोजना निवेश का 35%), जिसका कारण परियोजनाओं का औसत आकार छोटा होना है । परियोजनाओं की संख्या की दृष्टि से बंदरगाहों का हिस्सा 13% है तथा परियोजनाओं का कुल मूल्य 32% है । इसके साथ ही ऊर्जा क्षेत्रक में 32 परियोजनाओं में से 28 "बूट" आधार पर पन-आधारित विद्युत परियोजनाएं हैं जो संबंधित राज्य और निजी पक्षकारों के बीच परक्राम्य सहमति ज्ञापन के साथ है ।

4.23.27 समुच्चय स्तर पर, घरेलू निजी फर्मों का 1,34,146 करोड़ रुपए के निवेश के साथ इन पीपीपी परियोजनाओं का प्रभुत्व है । दूसरी ओर, पीपीपी परियोजनाओं में 27 विदेशी कंपनियों की विदेशी इक्विटी भागीदारी 1,725.85 करोड़ रुपए अथवा कुल परियोजना निवेश का एक प्रतिशत है । जिन प्रमुख पीपीपी परियोजनाओं में विदेशी कंपनियों की इक्विटी हिस्से में मुम्बई और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों, बंगलौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली-नौएडा चुंगी पुल, पिपाबाव बंदरगाह और जे एन पी टी कंटेनर टर्मिनल सम्मिलित है ।

सरकारी निजी भागीदारी आकलन समिति (पीपीपीएसी) और पीपीपी आकलन यूनिट (पीपीपीएयू)

4.23.28 केन्द्रीय सरकार की सभी पीपीपी परियोजनाओं का आकलन करने के लिए एक कारगर, सुपरिभाषित, सतत और समयबद्ध प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु 12 जनवरी 2006 को स्थापित पीपीपी आकलन समिति (पीपीपीएसी) के अध्यक्ष आर्थिक कार्य विभाग के सचिव हैं जिसमें योजना आयोग, संबंधित प्रशासनिक विभाग और व्यय तथा विधिक मामले विभागों के सचिव इसके सदस्य हैं । संबंधित मंत्रालयों से 100 करोड़ रुपए और उससे कम के निवेश के पीपीपी परियोजना प्रस्तावों पर अनुमोदनार्थ पीपीपीएसी द्वारा और 100 करोड़ रुपए से अधिक निवेश वाले प्रस्तावों पर विद्यमान व्यय वित्त समिति (ई एफ सी)/लोक निवेश बोर्ड (पी आई बी) पद्धति द्वारा विचार किया जाता है । एम सी ए के यथापूर्वक अनुमोदन पर आधारित परियोजनाओं के लिए, रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करने से पहले पीपीपीएसी से सिद्धांततः स्वीकृति की जरूरत नहीं होती । वर्ष 2008-09 के दौरान, 1,17,622.8 करोड़ रुपए के निवेश वाली सड़क परिवहन, नौवहन, रेलवे, पर्यटन और नागर विमानन में 74 पीपीपी परियोजनाओं का आकलन किया गया जैसा कि नीचे तालिका 4.23.2 में दर्शाया गया है ।

तालिका 4.23.2:
2008-09 के दौरान आकलित पीपीपी परियोजनाओं का क्षेत्रक-वार विवरण

(करोड़ रुपए)

क्षेत्रक	परियोजनाओं की संख्या	निवेश
सड़कें	60	65,675.5
नौवहन	7	16,798.5
रेलवे	4	35,000.0
पर्यटन	1	148.8
नागर विमानन	2	0.0
जोड़	**74**	**1,17,622.8**

4.23.29 अवस्थापना में पीपीपी के लिए वित्तीय सहायता हेतु स्कीम के अंतर्गत व्यवहार्यता अन्तर वित्तपोषण (वी जी एफ) हेतु केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों से प्राप्त पीपीपी परियोजनाओं के सभी पहलुओं का आकलन करने के लिए सी ओ आई सचिवालय के अंदर एक पीपीपी आकलन यूनिट (पीपीपीएयू) की स्थापना की गई है । वी जी एफ स्कीम के अंतर्गत, परियोजना पूंजी लागत के 20% तक का सहायता अनुदान केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया जा सकता है तथा परियोजना लागत के 20% तक का अतिरिक्त अनुदान प्रायोजक मंत्रालय अथवा राज्य सरकार द्वारा दिया जा सकता है । ऐसे प्रस्तावों पर अपर सचिव, आर्थिक कार्य विभाग की अध्यक्षता वाली अधिकार-प्राप्त संस्थान (ई-I) द्वारा (100 करोड़ रुपए के वी जी एफ अनुदान वाली परियोजनाओं के संबंध में) और सचिव, आर्थिक कार्य विभाग की अध्यक्षता वाली अधिकार-प्राप्त समिति (ई सी) द्वारा (100 करोड़ रुपए और उससे अधिक के वी जी एफ अनुदान वाली परियोजनाओं के संबंध में) विचार किया जाता है ।

4.23.30 वर्ष 2008-09 के दौरान 39,024.1 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 32 पी पी पी परियोजनाओं का वी जी एफ के अनुदान हेतु आकलन/जाँच की गई । परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे तालिका 4.23.3 में दिया गया है:

तालिका 4.23.3:
वर्ष 2008-09 में वी जी एफ के अनुदान हेतु आकलित पीपीपी परियोजनाओं में परिकल्पित राज्य-वार/क्षेत्रक-वार निवेश

(करोड़ रुपए)

राज्य	सड़क क्षेत्रक		शहरी अवस्थापना		सभी परियोजनाएं	
	परियोजनाओं की संख्या	परिकल्पित निवेश	परियोजनाओं की संख्या	परिकल्पित निवेश	परियोजनाओं की संख्या	परिकल्पित निवेश
आंध्र प्रदेश	8	3881.6	2	24143.0	10	28024.6
बिहार	2	1179.2	-	-	2	1179.2
गुजरात	3	1,238.4	-	-	3	1,238.4
मध्य प्रदेश	4	486.4	-	-	4	486.4
महाराष्ट्र	12	2568.5	1	5527.0	13	8095.5
सभी राज्य	**29**	**9354.1**	**3**	**29670.0**	**32**	**39024.1**

भारत अवस्थापना वित्त कंपनी लिमिटेड (आई आई एफ सी एल)

4.23.31 जिन अवस्थापना परियोजनाओं के लिए विशिष्ट रूप से लंबी परिपक्वनावधि की जरूरत होती है उन्हें दीर्घावधि ऋण प्रदान करने के लिए सरकार ने एक पूर्णतः स्वामित्व वाला एस पी वी, भारत इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लि. (आई आई एफ सी एल) 2006 में स्थापित किया । योजना आयोग के सदस्य-सचिव इसके बोर्ड में एक निदेशक हैं । सी ओ आई के लिए सचिवालय, व्यवहार्य अवस्थापना परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए स्कीम के साथ उनकी अनुरूपता की दृष्टि से सावधि ऋणों के लिए आई आई एफ सी एल को प्राप्त प्रस्तावों की जाँच करता है । आई आई एफ सी एल, वाणिज्यिक व्यवहार्य परियोजनाओं की पूंजी लागतों के 20% तक सीधे ही उधार दे सकता है । यह, दस वर्ष से अधिक अवधि के ऋणों के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों को पुनर्वित्त भी उपलब्ध करा सकता है । प्रतिस्पर्द्धात्मक रूप से चुनी गई पीपीपी परियोजनाओं को आई आई एफ सी एल द्वारा उधार देने में प्राथमिकता प्रदान की जाती है । आई आई एफ सी एल सरकारी गारंटियों के बलबूते पर देशज और समुद्रपार बाजारों से निधियां जुटा सकता है । 31 मार्च 2009 तक आई आई एफ सी एल ने 1,47,092 करोड़ रुपए की राशि की परियोजना लागत के साथ 88 प्रस्ताव अनुमोदित किए जिनमें से आई आई एफ सी एल द्वारा 18,720 करोड़ रुपए की राशि उधार दी जाएगी जैसा कि नीचे तालिका 4.23.4 में दिया गया है । इन 88 परियोजनाओं में से 78 परियोजनाओं में वित्तीय समापन हो गया है जिनमें 1,15,689 करोड़ रुपए का निवेश अन्तर्निहित था तथा इसने मार्च 2009 तक 4,891 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की ।

तालिका 4.23.4: आई आई एफ सी एल द्वारा मंजूर ऋणों का क्षेत्रक-वार ब्यौरा
(31 मार्च, 2009 की स्थिति)

(करोड़ रुपए)

क्षेत्रक	परियोजनाओं की संख्या	परियोजना की लागत	मंजूर ऋण
सड़कें	57	35,293	6,063
बंदरगाह	5	3,772	580
हवाई अड्डे	2	14,716	2,150
विद्युत	23	93,241	9,913
शहरी अवस्थापना	1	70	14
जोड़	**101**	**1,47,092**	**18,720**

परामर्शी सेवाएं

4.23.32 पीपीपी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए परियोजना करार तैयार करने, परियोजनाओं की संरचना आदि की दृष्टि से उपयुक्त परामर्शी सेवाओं की जरूरत है । योजना आयोग ने परियोजनाओं के लिए परामर्शदाता उपलब्ध कराकर परियोजना प्राधिकारियों को तकनीकी सहायता के लिए एक स्कीम चालू की है । 2008-09 के दौरान, हरियाणा राज्य में पारेषण पद्धति विकास परियोजनाओं के लिए विधिक परामर्शदाताओं की सेवा लेने की मंजूरी प्रदान की । वित्त मंत्रालय ने, विकास खर्च वहन करने के लिए, पीपीपी परियोजनाओं के लिए परामर्शदाता नियुक्त करने की लागत सहित, ऋण प्रदान करने के वास्ते एक इण्डिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डवलपमेंट फंड (आईआईपीडीएफ) भी कायम किया है ।

क्षेत्रक-वार पहल

राष्ट्रीय राजमार्ग (एन एच)

4.23.33 दसवीं योजना के दौरान सड़क क्षेत्रक के लिए 59,490 करोड़ रुपए के परिव्यय के विरूद्ध

42,577 करोड़ रुपए का निवेश किया गया । कुल 66,590 कि.मी. की लंबाई के साथ राष्ट्रीय राजमार्गों के क्रमिक विकास के लिए स्थापित राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के अंतर्गत ग्यारहवीं योजना के दौरान 145,853 करोड़ रुपए के निवेश की परिकल्पना की गई है । 2008-09 के दौरान अवार्ड हेतु शुरू की गई पीपीपी परियोजनाओं के अंतर्गत सड़कों की लंबाई नीचे तालिका 4.23.5 में दर्शाई गई है ।

तालिका 4.23.5: वर्ष 2008-09 के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग लक्ष्य और उपलब्धियां

(कि.मी.)

एनएचडीपी चरण	पूरी हो गई	चुंगी वाली	कंसेशन अवार्ड करना	उपलब्धि
I	220	2,003	-	-
II	2,522	-	801	30
III	659	-	6,047	589
IV	-	-	-	-
V	118	-	3,754	-
VI	-	-	-	-
VII	-	-	40	19

4.23.34 एन एच डी पी को इस समय चार चरणों I, II, III क और V में, कार्यान्वित किया जा रहा है । चरण I, II और III क के अंतर्गत 25,785 कि.मी. से अधिक के उन्नयन की परिकल्पना की गई है । 31 मार्च 2009 तक एन एच डी पी चरण I, II, III क और V का परियोजना-वार ब्यौरा नीचे तालिका 4.23.6 में दिया गया है ।

स्वर्ण चतुर्भुज और एन एस-ई डब्ल्यु गलियारों (एनएचडीपी-I और II) को चार लेनों वाला बनाना

4.23.35 एन एच डी पी-**I** और **II** के अंतर्गत, दिल्ली-मुम्बई-चेन्नई-कोलकाता को जोड़ते हुए स्वर्ण चतुभुर्ज (जी क्यु), श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ते हुए उत्तर-दक्षिण (एन एस) गलियारा और सिल्चर से पोरबन्दर को जोड़ते हुए पूर्व-पश्चिम (ई-डब्ल्यु) गलियारा सम्मिलित है, जो बंदरगाह संयोजकता व कुछ अन्य परियोजनाओं के अलावा है । मार्च 2009 तक, जी क्यु को चार लेन वाला बनाने का 96 प्रतिशत और एन एच डी पी-। के अंतर्गत कुल 7,498 कि.मी. में से 7188 कि.मी. का निर्माण कार्य पूरा हो गया था । 2008-09 के दौरान, 2003 कि.मी. के लक्ष्य के मुकाबले केवल 1,263 कि.मी. का टोल किया गया । एन एच डी पी-**II** के अंतर्गत परिकल्पित कुल 6647 कि.मी. के मुकाबले मार्च 2009 तक 2828 कि.मी. का निर्माण पूरा हो गया । 2008-09 में 1534 कि.मी. का कार्य पूरा किया गया यद्यपि लक्ष्य 2522 कि.मी. का था । एन एस, ई डब्ल्यु गलियारों के लगभग 20% को चार लेनों वाला बना दिया गया है तथा परियोजना को दिसम्बर 2009 तक पूरा किया जाना है ।

तालिका 4.23.6: 31मार्च, 2009 को एन एच डी पी परियोजनाओं की स्थिति

	एनएचडीपी-I	एनएचडीपी-II	एनएचडीपी-III	एनएचडीपी-IV	एनएचडीपी-V	एनएचडीपी-VI	एनएचडीपी-VII	एनएचडीपी-जोड़
कुल लंबाई	7,498	6,647	12,109	20000	6,500	1000	700	54454
पूरी हो गई लंबाई	7,188	2,828	787	-	106	-	-	10,909
कार्यान्वयन के अधीन	304	3,008	1,876	119	924	-	19	6,250
अवार्ड हेतु शेष लंबाई	6	811	9,446	19881	5,470	1000	681	37,295

12,109 कि.मी. को चार लेनों वाला बनाना (एनएचडीपी-III)

4.23.36 बीओटी (चुंगी) विधि के जरिए एनएचडीपी-**III** के अंतर्गत, एनएचडीपी-**I** और एनएचडीपी-**II** नेटवर्क के साथ राज्य राजधानियों को जोड़ने वाले उच्च ट्रैफिक घनत्व वाले खंडों के 12,109 कि.मी. को चार लेनों वाला बनाने और आर्थिक, वाणिज्यिक तथा पर्यटन महत्व के स्थानों के लिए संयोजकता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है । 4815 कि.मी. को कवर करते हुए इसका पहला घटक दिसम्बर, 2009 तक पूरा होना है ।

20,000 कि.मी. को दो लेनों वाला बनाना (एनएचडीपी-IV)

4.23.37 एन एच डी पी-IV के अंतर्गत ऐसे राजमार्ग के 20,000 कि.मी. को 27,800 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश के साथ दो लेन वाला बनाने की परिकल्पना है । इससे यह सुनिश्चित होगा कि उनकी क्षमता, गति और सुरक्षा राष्ट्रीय राजमार्गों के संबंध में न्यूनतम बैंचमार्क के साथ मेल खाए । सी ओ आई द्वारा अनुमोदित वित्त पोषण योजना के अनुसार एन एच डी पी-**IV** को पाँच-पाँच हजार कि.मी. के चार भागों में विभाजित किया गया है जिसे संसाधन उपलब्धता के अनुसार आयोजित किया जाएगा । 5000 कि.मी. के पहले घटक को जुलाई 2008 में बी ओ टी (टोल) आधार पर अवार्ड किया गया । सड़क परिवहन तथा राजमार्ग विभाग और राज्य पी डब्ल्यु डी ने 44 परियोजनाओं के संबंध में व्यवहार्यता अध्ययन की तैयारी प्रारंभ की है ।

6500 कि.मी. को 6 लेन वाला बनाना (एनएचडीपी-V)

4.23.38 एनएचडीपी-**V** के अंतर्गत जी क्यु के चार लेन वाले सेक्शन तथा कतिपय अन्य उच्च धनत्व वाले टुकड़ों को पीपीपी के माध्यम से बी ओ टी आधार पर छः लेन वाला बनाने का प्रस्ताव है । एन एच डी पी-**V** के तहत प्रस्तावित 6,500 कि.मी. में से सी ओ आई ने जी क्यु के 5700 कि.मी. का अनुमोदन कर दिया है तथा शेष 800 कि.मी. का चयन अनुमोदित पात्रता मापदण्ड के आधार पर किया जाएगा । 1030 कि.मी. के लिए संविदा 2008-09 में अवार्ड किया गया ।

1000 कि.मी. एक्सप्रेसवेज का विकास (एनएचडीपी-VI)

4.23.39 पहुँच नियंत्रित एक्सप्रैसवेज के 15,600 कि.मी. के विकास के लिए एक मास्टर योजना तैयार की गई है । सी सी ई ए ने 16,680 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बी ओ टी आधार पर 1000 कि.मी. का विकास अनुमोदित किया गया है । बडोदरा-मुम्बई एक्सप्रैस वे के 400 कि.मी. के संबंध में व्यवहार्यता अध्ययन अवार्ड कर दिया गया है और कोलकाता-धनबाद, बंगलौर-चेन्नै और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे के संबंध में व्यवहार्यता अध्ययन अवार्ड करने की प्रक्रिया शुरू की गई है ।

अन्य राजमार्ग परियोजनाएं (एन एच डी पी -VII)

4.23.40 राजमार्ग क्षमता के पूर्ण उपयोग और संवर्धित सुरक्षा और कार्यकुशलता हेतु, 16,680 करोड़ रुपए की लागत पर 700 कि.मी. रिंग रोड, बाइपास, ग्रेड सेपेरेटरों और सेवा सड़कों के निर्माण के लिए एक कार्यक्रम सी ओ आई द्वारा अनुमोदित किया गया है । 2008-09 के दौरान 40 कि.मी. कनसेशन अवार्ड करने के लक्ष्य के मुकाबले 19 कि.मी. का निर्माण अवार्ड किया गया है ।

संस्थागत पहल

4.23.41 जुलाई 2007 में, सरकार ने एन एच ए आई के पुनर्निर्माण और सुदृढ़ीकरण को मंजूरी प्रदान की । पर्यावरणीय निकासी, भू-अधिग्रहण आदि में देरी से उत्पन्न बाधाओं का समाधान करने के

लिए संस्थागत पद्धतियां कायम की गई हैं । प्रस्तावित सुरक्षा और यातायात प्रबंधन निदेशालय यातायात प्रबंधन तथा सुरक्षा सम्बद्ध मुद्दों पर विशेष बल देगा ।

4.23.42 अन्तर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं और उचित तथा पारदर्शी आधार पर आधारित एक आम विनियामक रूपरेखा प्रदान करने के लिए मानकीकृत माडल दस्तावेज भी विकसित किए गए हैं । चार लेनों के संबंध में मैनुअल को आई आर सी को भेजा गया है तथा उम्मीद है कि संशोधित मैनुअल मई 2009 तक प्रकाशित हो जाएगा । इसके अनुसरण में राजमार्ग क्षेत्रक में निर्माण कार्य प्राप्त करने के लिए माडल संविदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है । इन पहलों से परियोजना अवार्ड करने की गति में वृद्धि होगी, जोखिमों और प्रतिफलों का इष्टतम संतुलन सुकर होगा और देश भर में सुचारू और सुरक्षित राजमार्ग नेटवर्क उपलब्ध होगा ।

हवाई अड्डे

4.23.43 सी ओ आई ने, भारत में विश्व स्तर के हवाई अड्डों का एक समयबद्ध निर्माण सुनिश्चित करने के लिए कुछ नीतिगत उपाय शुरू किए हैं । एक व्यापक राष्ट्रीय नागर विमानन नीति तैयार की जा रही है, जिसका मसौदा मई 2007 से मंत्रियों के एक समूह के विचाराधीन है । एक स्वतंत्र आर्थिक विनियमन हेतु हवाई अड्डा आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ए ई आर ए) विधेयक लोकसभा में अक्तूबर 2008 में पारित किया गया था तथा ए ई आर ए अधिनियम को दिसम्बर 2008 में अधिसूचित किया गया था । उम्मीद है कि प्राधिकरण जून 2009 तक प्रचालनात्मक हो जाएगा।

4.23.44 "ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के लिए नीति" मंत्रिमण्डल द्वारा 24 अप्रैल 2008 को अनुमोदित की गई थी । उसके अनुसरण में, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा स्थापित करने के लिए अपेक्षित विभिन्न मंजूरियों को समन्वित व उनका मॉनीटरन करने के लिए एक संचालन समिति गठित की गई है । ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के लिए एक एम सी ए तैयार किया जा रहा है ।

4.23.45 हैदराबाद में (23 मार्च 2008) और बंगलौर में (24 मई 2008) ग्रीनफील्ड अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे क्रमशः 2920 करोड़ रुपए और 1930 करोड़ रुपए के निवेश के साथ चालू किए गए हैं । इनके अलावा, केन्द्रीय सरकार द्वारा दिसम्बर 2008 तक दस अन्य ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे मंजूर किए गए हैं जिनमें गोआ, नवी मुम्बई, कन्नूर, बीजापुर, शिमोगा, हासन, गुलबर्गा, सिंधुदुर्ग, डाबरा और दुर्गापुर सम्मिलित हैं ।

4.23.46 पीपीपी के माध्यम से दिल्ली और मुम्बई हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण/विस्तार का काम एक प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर अवार्ड किया गया था । दिल्ली हवाई अड्डे पर रनवे-3 को पूरा करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल और देशज पहुँच टर्मिनल के आधुनिकीकरण पर 2008-09 के दौरान 4018 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई । कार्य का यह चरण मार्च 2010 तक पूरा किया जाना है । मुम्बई हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण का पहला चरण दिसम्बर 2012 तक पूरा किया जाना है । 2008-09 के दौरान, मुख्य रूप से नए देशज टर्मिनल के विकास, अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल के पुनरूद्धार और टेक्सीवे डेल्टा आवश्यकता प्रोजेक्ट पर 936 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई । भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा कोलकाता हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण और विस्तार का कार्य 1,941.25 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया जा रहा है जिसमें से 2008-09 तक 133.18 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई । कार्य को, नवम्बर 2008 में इसके अवार्ड किए जाने से 30 महीने के अंदर पूरा किया जाना है । ए ए आई द्वारा चेन्नै हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण के संबंध में कार्य 1808.25 करोड़ रुपए की कुल लागत से

30 महीने के अंदर पूरा करने के लिए अक्तूबर 2008 में अवार्ड किया गया था । 2008-09 के दौरान 63.41 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई ।

4.23.47 ग्यारहवीं योजना का उद्देश्य 35 गैर-मेट्रो हवाई अड्डों (जिनमें से चार पूर्वोत्तर में हैं) व 13 अन्य हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण और विकास करना है जिनमें से 37 हवाई अड्डों का विकास मार्च 2009 तक तथा शेष का मार्च 2010 तक पूरा हो जाएगा । वर्ष 2008-09 में टर्मिनल इमारतों पर कार्य 12 हवाई अड्डों के संबंध में पूरा हो गया । उम्मीद है कि 25 हवाई अड्डों का काम 2009-10 में पूरा हो जाएगा । 4 हवाई अड्डों की योजना तैयार करने का काम चल रहा है तथा शेष 7 हवाई अड्डों के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है । पूर्वोत्तर में, ए ए आई द्वारा उन्नयन हेतु 11 प्रचालनात्मक हवाई अड्डों का काम शुरू किया जा रहा है । तीन ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों में से, सिक्किम में पाकयोंग हवाई अड्डे के मामले में 36 महीने में पूरा किए जाने के लिए 309 करोड़ रुपए की कुल लागत पर जनवरी 2009 में कार्य पहले ही शुरू हो चुका है तथा अरूणाचल प्रदेश में ईटानगर हवाई अड्डे के लिए एक प्रस्ताव पी आई बी के विचाराधीन है ।

4.23.48 पीपीपी के माध्यम से गैर-मेट्रो हवाई अड्डों के नगर की ओर विकास हेतु एम सी ए को, सी ओ आई की अधिकार-प्राप्त उप समिति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है । सी ओ आई द्वारा, हवाई अड्डों की टर्मिनल क्षमता तय करने के लिए मानदण्डों और मानकों की सिफारिश करने के लिए नागर विमानन मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में, सी ओ आई द्वारा गठित अन्तर-मंत्रालयीय समूह की रिपोर्ट को सी ओ आई की अधिकार प्राप्त उप-समिति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है । मार्च 2008 में, ए ए आई के पुनरूद्धार के संबंध में सिफारिशें करने के वास्ते, नागर विमानन मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में, एक आई एम जी का गठन किया गया, जिसके अंतर्गत हवाई अड्डों पर हवाई यातायात नियंत्रण (ए टी सी) का उन्नयन सम्मिलित है । 10 चुनिंदा हवाई अड्डों की नगर संयोजकता के लिए एक योजना तैयार करने के वास्ते एक कार्य दल का गठन अप्रैल 2007 में किया गया । 4 हवाई अड्डों (दिल्ली, मुम्बई, बंगलौर और हैदराबाद) के संबंध में नगर संयोजकता के संबंध में नागर विमानन मंत्रालय से प्राप्त प्रस्तावों पर कार्य बल द्वारा विचार किया गया जिसकी रिपोर्ट 2009-10 में जारी की जाएगी ।

रेलवे

4.23.49 क्षमता का निर्माण करने और सेवाओं की कोटि सुधारने के उद्देश्य से, पश्चिमी और पूर्वी उच्च धनत्व वाले मार्गों पर 28,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से "डेडिकेटिड रेलवे फ्रेट कोरिडोर प्रोजेक्ट्स" का निर्माण कार्य किया जा रहा है । 1483 कि.मी. का पश्चिमी कोरिडोर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को उत्तर में दादरी और तुगलकाबाद को जोड़ेगा । 1279 कि.मी. का पूर्वी कोरिडोर लुधियाना को दादरी और खुर्जा के जरिए सोननगर से जोड़ेगा । इस प्रकार एक कोरीडोर से दूसरे कोरीडोर में हस्तांतरण सुकर होगा । पूर्वी कोरिडोर को क्षेत्र में प्रस्तावित गहरे-समुद्र बंदरगाह से जोड़ने के लिए, उसका कोलकाता तक और विस्तार किया जाएगा । "डेडिकेटिड फ्रेट कोरीडोर" के संबंध में कार्य बल रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया है तथा "डेडिकेटिड फ्रेडिट कोरीडोर कारपोरेशन आफ इण्डिया लि. (डी एफ सी सी आई एल) " नामक एक एस पी वी की अक्तूबर 2006 में स्थापना की गई । इन दो कोरिडोरों में संभावित सहायता के संबंध में जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) ने अपना अध्ययन पूरा कर लिया है तथा प्रारंभिक इंजीनियरी सर्वेक्षण "राइट्स " द्वारा किया गया है । उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम और पूर्व-दक्षिण तथा दक्षिण-दक्षिण गलियारों के संबंध में व्यावहार्यता-पूर्व सर्वेक्षण पूरा हो गया है । 60,000 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी और

पश्चिमी डेडिकेटिड फ्रेट कोरीडोर का निर्माण पूरा हो गया है ।

4.23.50 कार्गो के बढ़ते कनटेनीकरण के कारण, रेल द्वारा इसके संचलन के लिए मांग में तेजी से वृद्धि हुई है । अभी तक कनटेनर संचलन पर सरकारी क्षेत्रक इकाई "कानकॉर" का एकाधिकार था । अब निजी क्षेत्रक इकाइयों को कंटेनर रेल चलाने की अनुमति दे दी गई है । कन्टेनर रेल चलाने के लिए 16 आपरेटरों को लाइसेंस दिए गए हैं और कन्सेशन करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं । कानकॉर के अलावा, जिसके पास पहले से ही 152 रेक्स हैं, आपरेटरों द्वारा 58 रेक्स प्राप्त किए गए हैं । प्रतिस्पर्धी आपरेटरों द्वारा तीन नए द्वीपसमूह कन्टेनर डिपो (आई सी डी) भी चालू किए गए हैं । इसके अलावा, रेल मंत्रालय को 80 अतिरिक्त रेक्स खरीदे जाने की उम्मीद है तथा 2009 तक 9 आई सी डी चालू किए जाने की उम्मीद है । स्कीम के दो साल के प्रचालन के दौरान निजी आपरेटरों ने बाजार का 25% हिस्सा प्राप्त कर लिया है और आर्थिक मंदी के दौरान भी उन्होंने सकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित की है ।

4.23.51 ट्रैफिक को युक्तिसंगत बनाने तथा एक प्रभावी लागत आवंटन पद्धति भी विकसित की जा रही है । इसके अंतर्गत लाइन-हॉल लागतों के अनुरूप भाड़ा संरचना की इंडेक्सिंग के लिए एक क्रियाविधि सम्मिलित है, जिसके संबंध में एक अध्ययन भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता को सौंपा गया है । सितम्बर, 2008 तक वाणिज्यिक लेखा पद्धति और सूचना प्रौद्योगिकी लागू करने के लिए एक विस्तृत कार्रवाई योजना तैयार की गई है तथा एक परामर्शदाता नियुक्त किया गया है ।

4.23.52 नई दिल्ली सहित 26 चुनिन्दा रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास और आधुनिकीकरण पीपीपी माध्यम से करने का प्रस्ताव है । जर्मनी और चीन के साथ द्विपक्षीय सहयोग द्वारा चार स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा । निजी क्षेत्रक से एक लाख करोड़ रुपए प्राप्त होने की उम्मीद है जिसमें से 25,000 करोड़ रुपए इस वर्ष 2008-09 में प्रतिबद्ध किए जाएंगे । नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के संबंध में व्यवहार्यता रिपोर्ट पूरी हो गई है तथा पटना रेलवे स्टेशन के संबंध में व्यवहार्यता अध्ययन चल रहा है और अंतिम बोली जून 2009 तक करने का प्रस्ताव है । चंडीगढ़ और जयपुर रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास कार्य, जिसे पहले जर्मन रेलवे द्वारा किया जाना था, अब रेल मंत्रालय द्वारा किए जाने का प्रस्ताव है । बाईपनहल्ली और भुवनेश्वर स्टेशनों का पुनर्विकास कार्य, जिसे पहले जर्मन रेलवे द्वारा कराए जाने का प्रस्ताव था अब रेलवे मंत्रालय द्वारा किया जाएगा । बाइपनहल्ली और भुवनेश्वर का पुनर्विकास कार्य चीनी रेलवे के माध्यम से कराने का प्रस्ताव है । मुम्बई में उपनगरीय रेलवे प्रणाली, जो अत्यंत भीड़-भाड़ वाली है और जिसका विश्व भर में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है 319 रूट कि.मी. में फैली है, इस प्रणाली के तहत 2,226 रेलगाड़ियां चलाई जाती हैं जो प्रतिदिन 6.3 मिलियन यात्रियों को ढोती है। रेल मंत्रालय ने चर्च गेट से विरार स्टेशनों के बीच 60 कि.मी. उत्थापित पूर्णत-वातानुकूलित प्रणाली लागू करने के लिए एक व्यवहार्यता अध्ययन चालू किया है । परियोजना को डिजाइन, निर्मित, वित्त, आपरेट और हस्तान्तरण आधार पर पीपीपी के माध्यम से कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है ।

4.23.53 सी ओ आई को प्रस्तुत करने के लिए एम सी ए की जाँच व उसे अंतिम रूप देने के लिए एक अन्तर-मंत्रालयीय समूह गठित किया गया है । समय-समय पर उठने वाले मुद्दों का समाधान करने और कार्यान्वयन में प्रगति का मॉनीटरन करने के लिए मंत्रिमण्डल सचिव की अध्यक्षता में, एक अधिकार प्राप्त समिति गठित की गई है । दसवीं योजना में 29.91 बिलियन अमरीकी डालर के निवेश की तुलना में भारतीय रेलवे में ग्यारहवीं योजना के दौरान 65.45 बिलियन अमरीकी डालर के निवेश का अनुमान लगाया है ।

4.23.54 विभिन्न नगरों में एक बहु-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के विकास के लिए एक व्यापक नीति तैयार की जा रही है । रेलवे मंत्रालय ने पीपीपी के माध्यम से मॉडल लाजिस्टिक्स पार्क स्थापित करने के लिए रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की हैं । विद्युत लोकोमोटिव फैक्टरी यूनिटों के लिए आर एफ पी दस्तावेज जारी किया गया है । मंत्रिमण्डल ने डीजल और विद्युत लोकोमोटिवों के विनिर्माण के लिए विभागीय यूनिट की स्थापना करने के लिए प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है । प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी पी आर) तैयार की जा रही है ।

बंदरगाह

4.23.55 भारत में प्रमुख बंदरगाहों पर पीपीपी के माध्यम से बर्थ आपरेट करने के सकारात्मक अनुभव को देखते हुए कार्यक्रम का नई बर्थ आबंटित करने के लिए विस्तार किया गया है जिनका निर्माण पीपीपी के माध्यम से किया जएगा। 2006-12 में 52 बर्थ अवार्ड करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के मुकाबले वर्ष 2006-07 के दौरान छः बर्थ अवार्ड की गई तथा वर्ष 2008-09 के दौरान नौवहन विभाग द्वारा 3390.39 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 9 बर्थ अवार्ड करने का प्रस्ताव है। सात परियोजनाओं के लिए आरएफपी दस्तावेज जारी किए गए हैं। विद्यमान कंटेनर बर्थों को पीपीपी मोड में क्रमिक रूप से हस्तांतरित करने के प्रस्ताव पर प्रत्येक मामले के आधार पर निर्णय लेने को मंजूरी दी गई। पीपीपी मोड के जरिए प्रमुख बंदरगाहों पर नई बर्थों के निर्माण के लिए नौवहन विभाग द्वारा 20 पीपीपी परियोजनाओं के लिए आरएफक्यू जून, 2009 तक और आरएफपी दिसंबर, 2009 तक जारी किए जाने का प्रस्ताव है।

4.23.56 समुद्री कारगो की हैंडलिंग में प्रमुख-भिन्न बंदरगाहों द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाए जाने की उम्मीद है। प्रमुख-भिन्न/ निजी बंदरगाहों पर यातायात में 11.74 प्रतिशत सीएजीआर की दर से वृद्धि हो रही है तथा कुल यातायात में इनकी हिस्सा क्षमता को 228 एमएमटी से 575 एमएमटी तक दुगना करते हुए 2011-12 तक 30 प्रतिशत तक पहुंच जाने की उम्मीद है। प्रमुख-भिन्न बंदरगाहों में परिकल्पित कुल निवेश की राशि 35,933 करोड़ रुपए है जिसमें निजी क्षेत्रक का हिस्सा अनुमानतः 28,664 करोड़ रुपए होगा।

4.23.57 सरकार ने 12 बड़े बंदरगाहों को विश्व श्रेणी के मानक प्राप्त करने में समर्थ बनाने का भी निर्णय लिया है। प्रत्येक बंदरगाह के संबंध में 20 वर्ष के लिए एक भावी योजना और सात वर्ष के लिए एक व्यवसाय योजना तैयार की गई है जिस पर सीओआई की अधिकारप्राप्त उप-समिति द्वारा विचार किया जा रहा है। बड़े बंदरगाहों के लिए भावी योजना संबंधी रिपोर्ट में 72000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है जबकि वित्तपोषण योजना में पहले 57,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव था।

4.23.58 इस बात को समझते हुए कि नौवहन उद्योग बड़े पोतों की दिशा में आगे बढ़ रहा है, सदस्य (परिवहन), योजना आयोग की अध्यक्षता में, ड्रेजिंग योजना को अंतिम रूप देने के लिए, एक कार्यदल गठित किया गया है। ड्रेजिंग परियोजनाएं अनुमोदन और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों पर हैं। एक उच्चस्तरीय समिति ने, तीन वर्षों की अवधि के अंदर बड़े बंदरगाहों को रेल-सड़क संयोजकता (चार लेन वाली सड़कों और दोहरी लाइन रेल संयोजकता) में सुधार रकने के लिए योजना को अंतिम रूप दिया है तथा अधिकांश परियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन हैं। पर्यावरणीय मंजूरियों से संबंधित मुद्दों का भी समाधान किया गया। इसके अलावा, सीमाशुल्क प्रक्रियाओं में परिवर्तन किए गए हैं ताकि ठहरने के समय और कारोबार की लागतों को कम किया जा सके। बंदरगाहों पर ठहरने के समय में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कमी लाने के लिए नौवहन विभाग के सचिव की अध्यक्षता

वाले अंतर्मंत्रालयी समूह की रिपोर्ट सीओआई द्वारा स्वीकार कर ली गई है। बंदरगाहों और सीमाशुल्क प्राधिकारियों के नियंत्रण से बाहर कार्यकलापों से संबंधित ठहरने के समय में कटौती पर विचार करने के लिए सीओआई ने वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक अंतर्मंत्रालयी दल का गठन किया है।

4.23.59 सरकार ने, शीघ्र निर्णय निर्माण और कार्यान्वयन को सुकर बनाने के लिए संबधित बंदरगाह न्यासों को शक्तियां भी प्रत्यायोजित की है। राजस्व विभाग के सचिव की अध्यक्षता में, सीओआई द्वारा गठित एक अंतर्मंत्रालयी समूह ने, सीमाशुल्क प्रक्रियाओं को सरल बनाने तथा कंटेनर फ्रेट स्टेशनों के कामकाज में तेजी लाने के संबंध में अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है तथा इसे सीओआई द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

4.23.60 बंदरगाहों के विकास के लिए वित्तपोषण योजना के अनुसार प्रमुख बंदरगाहों के विकास के लिए 2006-07 और 2011-12 के बीच 57,452 करोड़ रुपए के निवेश की आवश्यकता होगी तथा अन्य बंदरगाहों (अर्थात जिन पर केन्द्रीय सरकार का स्वामित्व नहीं है) इसी अवधि के दौरान 35,933 करोड़ रुपए की जरूरत होगी जो कुल मिलाकर 93,385 करोड़ रुपए बैठते हैं। इसमें से, पीपीपी से लगभग 68,835 करोड़ रुपए का निवेश अनुमानित है। टैरिफ निर्धारण पद्धति और बोली प्राचलों के संबंध में कार्यदल की रिपोर्ट सीओआई की अधिकारप्राप्त उप-समिति द्वारा स्वीकार कर ली गई है। नौवहन विभाग, सभी परियोजनाओं के लिए बंदरगाह न्यासों द्वारा निश्चित करेगा जिसके लिए 2009-10 में आरएफक्यू जारी किए जाने की उम्मीद है। उसके अंतर्गत परिकल्पित भारतीय बंदरगाह अवस्थापना के पैमाने और कोटि में सुधार से अधिकाधिक वैश्वीकृत विश्व में भारत के प्रतिस्पर्द्धात्मक लाभ में पर्याप्त रूप से सुधार होने की उम्मीद है।

विद्युत

4.23.61 11वी योजना के दौरान विद्युत क्षेत्रक में (गैर-परंपरागत ऊर्जा सहित) 2006-07 की कीमतों पर कुल 666,525 करोड़ रुपए अथवा 166.63 बिलियन अमरीकी डालर के निवेश का अनुमान है। यह निवेश 10वीं योजना में प्रत्याशित निवेश का लगभग 2.3 गुणा होगा तथा यह 10वीं योजना में प्रत्याशित स्तर के 2.36 गुणा के मुकाबले 11वीं योजना के लिए पूर्वानुमानित निवेश के समग्र औसत के साथ तुलनीय है।

4.23.62 यूटिलिटियों की अखिल भारतीय स्थापित उत्पादन क्षमता 31 मार्च, 2009 को बढ़कर 1,47,965.41 मेगावाट हो गई। इसमें 93,725.24 मेगावाट ताप विद्युत 36,877.76 मेगावाट पन विद्युत तथा 4,120.00 मेगावाट नाभिकीय और 13,242.41 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रक सम्मिलित है। 11वीं योजना के लिए 78,700 मेगावाट का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जबकि पिछली तीन योजना अवधियों के दौरान 16,000-21,000 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि प्राप्त् हुई थी। चालू पांच वर्षीय योजना के पहले दो वर्षों में 2733 मेगावाट अतिरिक्त कैप्टिव क्षमता के साथ 13,174 मेगावाट की क्षमता पहले ही प्राप्त की जा चुकी है। प्रगति के वर्तमान स्तर पर, 11वीं योजना के दौरान कुल 65,000-70000 मेगावाट का अतिरिक्त उत्पादन होने की उम्मीद है। 31 मार्च, 2009 को उत्पादनकर्ता परियोजनाओं की स्थिति नीचे तालिका 8 में दी गई है:

तालिका 8 : परियोजनाओं की स्थिति

(मेगावाट)

स्थिति	केन्द्र	राज्य	निजी	योग
चालू	3,990	7,094	1,933	13,467
निर्माणाधीन	17,457	12,919	14,294	44,670

4.23.63 2003 के बाद से कुल 22038 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता के साथ 30 निजी वित्तीय परियोजनाएं वित्तीय समापन प्राप्त कर चुकी हैं। वर्ष 2008-09 में निजी क्षेत्रक ने 3454 मेगावाट की कुल क्षमता अभिवृद्धि में 883 मेगावाट का योगदान दिया। उनके कार्यकुशलता सुधारों की दृष्टि से, निजी ताप विद्युत संयंत्र अपने संयंत्र भार कारक में 2008-09 में 91.00 प्रतिशत तक सुधार प्राप्त कर सकते हैं जो राज्यों और केन्द्रीय विद्युत संयंत्रों के क्रमशः 71.2 प्रतिशत और 84.3 प्रतिशत के मुकाबले तुलनीय है।

4.23.64 विद्युत क्षेत्रक में सुधारों के लिए अन्य पहलों के साथ-साथ, आजकल बिजली अधिनियम, 2003 के तहत मुक्त पहुंच के प्रावधान के कार्यान्वयन पर बल दिया जा रहा है। मुक्त पहुंच को प्रचालनात्मक बनाने के लिए विद्युत क्षेत्रक के लिए उपायों के संबंध में एक अंतर्मंत्रालयी कार्यदल, सदस्य (विद्युत), योजना आयोग, की अध्यक्षता में 8 फरवरी, 2008 को सीओआई के सचिवालय द्वारा गठित किया गया। कार्यदल ने राज्यों में मुक्त पहुंच को कार्यान्वित करने में मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 28 नवंबर, 2008 को बिजली विनियामकों के साथ एक बैठक आयोजित की। विनियामकों के सुझावों को समाविष्ट कर लिया गया है तथा रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है। अंतर्राज्य मुक्त पहुंच विनियम जारी कर दिए गए हैं किंतु 21 राज्य विनियामकों में से, जिन्होंने पारेषण और वितरण के लिए अंतर्राज्य मुक्त पहुंच विनियम जारी किए हैं, 19 विनियामकों ने 1 मेगावाट के बराबर अथवा उससे अधिक जुड़े भार के साथ उपभोक्ताओं को मुक्त पहुंच की अनुमति दी है तथा अभी तक एक भी मुक्त पहुंच का मामला दर्ज नहीं किया गया है। निजी क्षेत्रक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, सरकार पीपीपी परियोजनाओं में प्रवेश कर रही है जिसके लिए, सदस्य (विद्युत), योजना आयोग की अध्यक्षता में गठित, पारेषण पद्धतियों में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए कार्यदल द्वारा जनवरी, 2008 में की गई सिफारिश "पारेषण पद्धतियों के लिए तकनीकी परामर्शदाता" के संबंध में माडल आरएफपी दस्तावेज को 13 अप्रैल, 2009 को आयोजित अपनी बैठक में ईएससीओआई द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। "पारेषण पद्धतियों और माडल पारेषण सेवा करार" के लिए कानूनी परामर्शदाता के लिए माडल आरएफपी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अंतर्राज्य पारेषण पद्धतियों में पीपीपी मोड के जरिए निजी भागीदारी भी शुरू की गई है जिसके संबंध में 2008-09 में हरियाणा राज्य में मोहिंदरगढ़ में अदानी 1424 मेगावाट अदानी विद्युत की और झज्जर में 2x 660 मेगावाट ताप विद्युत परियोजना से निकासी के लिए आरएफक्यू जारी कर दिया गया है। कुछ अन्य राज्य भी पारेषण में निजी निवेश को आकर्षित करने की संभावनाओं का पता लगा रहे हैं।

4.23.65 2005 में शुरू किए गए 4000 मेगावाट की प्रारंभिक क्षमता के साथ नौ अत्याधुनिक वृहद विद्युत संयंत्र (यूएमपीपी) से उम्मीद है कि 160-200 बिलियन रुपए का निजी निवेश आकर्षित होंगे। चार यूएमपीपी अवार्ड किए गए हैं जिनमें से तिलैया (झारखंड), सासन (मध्य प्रदेश) और कृष्णापटनम (आंध्र प्रदेश) के संबंध में तीन रिलाएंस पावर लि. को अवार्ड किए गए हैं। गुजरात में मुंद्रा यूएमपीपी टाटा पावर कंपनी लि. द्वारा विकसित किया जा रहा है।

दूरसंचार

4.23.66 भारत में 430 मिलियन कनेक्शनों के साथ वर्ष 2008-09 में लगभग 43 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि के साथ बढ़ने वाला विश्व में तीसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम नेटवर्क है। दूर घनत्व व अन्य विकास संकेतकों की स्थिति नीचे तालिका 9 में दर्शाई गई है:

तालिका 9:

भारत में दूरसंचार स्थिति, मार्च, 2009

टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या (मिलियन)	429.72
दूर घनत्व (%)	36.98
ब्राडबैंड अभिदाता (मिलियन)	6.22
वायरलैस अभिदाता (मिलियन)	391.76
वायरलाइन अभिदाता (मिलियन)	37.96

4.23.67 टेलीफोन की कुल संख्या में वायरलैस का हिस्सा 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार 91.17 प्रतिशत (391.76 मिलियन) है जिसमें निजी क्षेत्रक का हिस्सा लगभग 85% है। शीर्ष तीन निजी क्षेत्र प्रदाता, अर्थात भारती, रिलाएंस और वोडाफोन का हिस्सा, 346.9 मिलियन वायरलैस ग्राहक आधार का 60 प्रतिशत है। इस घटक में बाजार नेता भारती का हिस्सा 24.69 प्रतिश्त है।

4.23.68 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार फिक्स्ड (वायरलाइन) लाइनों का कुल अभिदाता आधार 3.80 करोड़ रुपए है। सरकारी क्षेत्र बीएसएनएल और एमटीएनएल का हिस्सा क्रमशः 77.84 प्रतिशत और 9.32 प्रतिशत है जबकि शेष 12.83 प्रतिशत पांच निजी प्रचालकों के पास है।

4.23.69 11वीं योजना में दूरसंचार क्षेत्रक में कुल निवेश अनुमानतः 2,58,439 करोड़ रुपए अथवा 64.61 बिलियन अमरीकी डालर है जिसमें से 68.75 प्रतिशत निजी क्षेत्रक से आने की उम्मीद है। 2008-09 के दौरान 38,134 करोड़ रुपए का निवेश होने का अनुमान है।

4.23.70 2005 में शुरू किए गए ग्रामीण अवस्थापना के उन्नयन के लिए भारत निर्माण नामक विशेष कार्यक्रम का उद्देश्य शेष बचे हुए 66,822 गांवों को 16,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ, 11वीं योजना में टेलीफोन से जोड़ना है।

4.23.71 2008 की अंतिम तिमाही के लिए दूरंसचार उद्योग का सकल राजस्व 39,408.16 करोड़ रुपए है जिसने 5.95 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित की है। दिसंबर, 2008 को समाप्त तिमाही के लिए सरकारी और निजी क्षेत्रक का समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) हिस्सा क्रमशः 28.75 प्रतिशत और 71.25 प्रतिशत है।

4.23.72 2जी मोबाइल सेवाओं में भीड़भाड़ को कम करने के लिए और प्रतिस्पर्द्धात्मक बढ़ाने के लिए भारत में 3जी मूल्यवर्द्धित सेवाएं लागू की गई हैं ताकि सजीव टीवी, हाई-स्पीड मोबाइल ब्राडबैंड, मूवी डाउनलोड और अन्य जेन-नेक्स्ट सेवाएं सुकर हो सकें। स्पेक्ट्रम की नीलामी चार चरणों में आयोजित की जाएगी। बीएसएनएल और एमटीएनएल ने 13 नगरों में, दिल्ली और मुंबई सहित, पहले ही 3जी सेवाएं प्रारंभ कर दी हैं।

4.23.73 क्षेत्रक की भावी चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकार ने चुनिंदा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी), आईआईएम, अहमदाबाद और भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), बंगलौर और पीपीपी मोड में उद्योगों में दूरसंचार उत्कृष्टता केन्द्र (टीसीओई) स्थापित करने की एक अनूठी पहल आरंभ की है।

4.24 समाजार्थिक अनुसंधान प्रभाग

सामाजिक-आर्थिक अनुसंधान के लिए सहायता अनुदान

4.24.1 समाजार्थिक अनुसंधान प्रभाग विश्वविद्यालयों/अनुसंधान संस्थानों को अनुसंधान अध्ययन करने और संगोष्ठियों, सम्मेलनों के आयोजन के लिए सहायता अनुदान की स्कीम से संबंधित है, जो योजना आयोग के कार्यक्रमों और नीतियां के लिए संगत हों।

4.24.2 वर्ष 2007-08 के दौरान 199.84 लाख रुपए के सहायता-अनुदान जारी कए गए जिनमें

अध्ययनों के लिए 167.38 लाख रुपए सेमिनारों/कार्यशालाओं के लिए 32.46 लाख रुपए सम्मिलित हैं। वर्ष 2007-08 के लिए सं. अ. 200.00 लाख रुपए था।

4.24.3 जीओए द्वारा 19 अध्ययनों और 23 सेमिनारों के लिए सहायता-अनुदान हेतु प्रस्ताव अनुमोदित किए गए। वर्ष 2007-08 के दौरान 27 चल रहे अध्ययनों के संबंध में अंतिम रिपोर्टें प्राप्त हुईं। इनकी सूची संलग्नक 4.24.1 में दी गई है।

4.24.4 वर्ष 2008-09 के दौरान 146.58 लाख रुपए का सहायता-अनुदान जारी किया गया जिसमें 102.58 लाख रुपए अध्ययनों के लिए और 44.00 लाख रुपए सेमिनारों/कार्यशालाओं के लिए थे।

(लाख रुपए में)

सहायता-अनुदान (2008-09)	**अनुमोदित (बीई)**	**जारी**
योग	210.00	146.58
अध्ययन		102.58
सेमिनार		44.00

4.24.5 वर्ष 2008-09 के लिए 15 अध्ययनों और 36 सेमिनारों के लिए सहायता-अनुदान के प्रस्ताव जीओए (सलाहकार समूह) द्वारा अनुमोदित किए गए। इनकी सूची संलग्नक 4.24.2 और संलग्नक 4.24.3 में दी गई है।

संलग्नक 4.24.1

वर्ष 2007-08 के दौरान निम्नलिखित अध्ययन योजना आयोग की एसईआर स्कीम के अंतर्गत पूरे किए गए:

क्रम संख्या	अध्ययन का शीर्षक	संस्थान/अनुसंधानकर्ता
1.	भारत में परियोजना आकलन के लिए राष्ट्रीय प्राचलों का अनुमान	आर्थिक विकास संस्थान दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
2.	उड़ीसा वैचारिक संस्थागत तथा सहभागी मुद्दों में वन संरक्षण की दिशा में जेएफएम को कार्य करने के लिए तैयार करना	नवकृष्ण चौधरी विकास अध्ययन केन्द्र, भुवनेश्वर, उड़ीसा
3.	डब्ल्यूटीओ में भारत और चीन--विदेश व्यापार खंड में प्रतिस्पर्द्धात्मकता की पूरकताएं	औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली
4.	कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से म. प्र. में कृषि और संबद्ध कार्यकलापों में विकास और परिवेश के संबंध में प्रभाव अध्ययन	ग्रामीण विकास और पर्यावरण केन्द्र, नई दिल्ली
5.	ग्रेटर मुंबई में वैश्वीकरण-पश्चात अवधि में रोजगार सृजन	ईएमआई सामाजिक और श्रम अनुसंधान फाउंडेशन, मुंबई
6.	संघ राज्य क्षेत्रों में योजनागत परियोजनाओं के निष्पादन और कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) की भूमिका	सामाजिक विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली
7.	उ. प्र., म. प्र., प. बं., उड़ीसा, उत्तराखंड, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हि. प्र., बिहार राज्यों में किशोर लड़कियों की समाजार्थिक स्थितियां	मथुरा कृष्णा आर्थिक और सामाजिक संसाधन विकास, फाउंडेशन, बिहार
8.	समाजार्थिक निर्धारक-मृत्यु और मातृ मृत्यु के संबंध	भारतीय सामाजिक परिवर्तन नूतनता ट्रस्ट, नई दिल्ली
9.	उड़ीसा के केबीके जिलों में खाद्य संबद्ध पोषण न्यूनता का एक अध्ययन	कृषि और ग्रामीण विकास परामर्श सोसायटी, भुवनेश्वर
10.	भूखे लोग और खाली हाथ-बिहार में एनपीपी-2000 का कठोरतापूर्वक कार्यान्वयन - एक आनुभाविक अध्ययन	बीआरए बिहार विश्वविद्यालय, (प्रो. चक्रधर सिन्हा (सेवानिवृत्त), अर्थशास्त्र विभाग, मुजफ्फरपुर, बिहार
11.	भारत में अनुसूचित जाति व्यक्तियों के लिए उद्यमशीलता चुनौतियां : बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, उ. प्र. और प. बंगाल का अध्ययन	भारतीय शिशु एवं महिला विविध विकास समिति (भारतीय एकीकृत महिला और बाल विकास सोसायटी, नई दिल्ली
12.	भारत में स्वः शक्ति और स्वयंसिद्धा परियोजनाओं का कार्यकरण और निष्पादन - उ.	सोलिडरिटी आफ दि नेशन सोसायटी, गोंडा (उ. प्र.)

क्रम संख्या	अध्ययन का शीर्षक	संस्थान/अनुसंधानकर्ता
	प्र. म. प्र., उत्तराखंड, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश	
13.	नार्थ कछार पर्वतों, असम के जिलों में महिलाओं और बच्चों पर आतंकी हिंसा कार्यकलापों का मनः सामाजिक प्रभाव और बगावत, जैसाकि अल्फा और बोडो द्वारा असम राज्य में प्रदर्शित है	एस. पी. मेमोरियल शिक्षा निकेतन समिति, दिल्ली
14.	महिला साक्षरता के विकास के लिए न्यून साक्षरता पाकेटों में शैक्षिक परिसर स्थापित करने की स्कीम - आंध्र प्रदेश, म. प्र., उड़ीसा और राजस्थान राज्यों के संबंध में आकलन रिपोर्ट	"संकल्प", अखिल भारतीय एकीकृत सहभागी विकास संगठन, नई दिल्ली
15.	मध्य प्रदेश के चुनिंदा ब्लाकों में एसजीएसवाई का मूल्यांकन	"एकतारा", सोसायटी फार डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्ज फार वीमेन, नई दिल्ली
16.	भारत में एक प्रमुख सूखा प्रधान राज्य में सूखे का बहुप्रभाव और सूखा नीति का आकलन : गुरजात का एक आनुभाविक अध्ययन	विकास विकल्प केन्द्र, अहमदाबाद
17.	आजीविका विकल्प, विशेष घटक योजना (एससीपी) में से परिसंपत्ति निर्माण तथा जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) स्कीम और कार्यक्रम तथा उ. प्र., बिहार, गुजरात व छत्तीसगढ़ राज्यों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बीच इसका प्रभाव	सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक विकास सोसायटी, नई दिल्ली
18.	म. प्र. के मांडला और दिनधोरी जिलों में जनजातीय विकास के प्रति पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम, 1996 के प्रावधानों का प्रभाव	संसाधन एकीकरण तथा विकास कार्रवाई सोसायटी, जबलपुर (म. प्र.)
19.	अवस्थापना क्षेत्रक में विनियामक रूपरेखा का एक तुलनात्मक अध्ययन : भारत के लिए पाठ	कन्ज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसायटी (सीयूटीएस), जयपुर
20.	भारतीय कृषि का विकास : एक जिला स्तरीय अध्ययन	अर्थशास्त्र विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़
21.	बौद्धिक संपदा अधिकार और भारतीय पेटेंट कानून के संदर्भ में ट्रिप्स करार का प्रभाव	कार्पोरेट सेक्रेटरीशिप डिपार्टमेंट, अल्गप्पा विश्वविद्यालय, कराइकुडी
22.	आंध्र प्रदेश में सहभागी सिंचाई प्रबंधन	डेवलपमेंट सपोर्ट सेंटर, अहमदाबाद, गुजरात

क्रम संख्या	अध्ययन का शीर्षक	संस्थान/अनुसंधानकर्ता
23.	विगत दशक के दौरान ग्रामीण अर्थव्यवस्था का परिवर्तन और असगंठित क्षेत्रक में इसका प्रभाव	मराठवाड़ा प्रशिक्षण अनुसंधान शिक्षा और बेरोजगारी संस्थान, औरंगाबाद
24.	दूरवर्ती जनजातीय क्षेत्रों में चिरकालिक गरीबी	म. प्र. समाज विज्ञान अनुसंधान संस्थान, म. प्र.
25.	बिहार में कृषि परिप्रेक्ष्य योजना	तकनीकी-आर्थिक अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली
26.	बिहार में ग्रामीण औद्योगीकरण	एशियन सोसायटी फार एंट्रीप्रेन्योरशिप एजूकेशन एंड डेवलपमेंट, एशियाड हाउस, नई दिल्ली
27.	राजस्थान में झाड़ूकशों के समाजार्थिक सुधार पर प्रशिक्षण और पुनर्वास स्कीम का प्रभाव	सामाजिक विकास संस्थान, उदयपुर

संलग्नक 4.24.2

वर्ष 2008-09 के दौरान निम्नलिखित अनुसंधान अध्ययन अनुमोदित किए गए

क्रम संख्या	अध्ययन का शीर्षक	संस्थान/अनुसंधानकर्ता
1.	विगत तीन दशकों के दौरान तमिलनाडु के नदी बेसिन में कृषि का निष्पादन एक समग्र कारक उत्पादकता दृष्टिकोण	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कृषि और ग्रामीण विकास अध्ययन केन्द्र, कोयम्बटूर
2.	प. बंगाल में स्थानीय आयोजना और वित्त के विकेन्द्रीकरण की सीमा	ग्रामीण विकास सेवा संस्था, प. बंगाल
3.	आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और प. बंगाल में अनुसूचित जाति परिवारों को आबंटित भूमि की वर्तमान स्थिति और उपयोग - इसका प्रभाव	हरियाली ग्राम विकास केन्द्र, नई दिल्ली
4.	भारत में गैर-सरकारी विकास क्षेत्रक : इसकी संरचना, संयोजन और अवसरों के संबंध में एक राष्ट्रीय अध्ययन	लघु उद्यम और विकास संस्थान, कोचीन
5.	भारत में एसएमई संकुल : समावेशी विकास के लिए हस्तक्षेप के क्षेत्रों का विनिर्धारण करना	औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली
6.	नए तथा उभरते अवसरों के लिए छत्तीसगढ़, झारखंड, म. प्र. और उड़ीसा के जनजातीय क्षेत्रों से जनजातीय महिलाओं के निकास के नैतिक, भौतिक और आर्थिक शोषण के आयाम - एक गहन अध्ययन	क्षेत्रीय अनुसंधान और विश्लेषण सोसायटी, नई दिल्ली
7.	उड़ीसा के कंधमाल और केबीके जिलों में भौगोलिक रूप से पृथक्कृत जनजातीय समुदाय की बदलती समाजार्थिक स्थिति और आजीविका	एमिटी विश्वविद्यालय, नोएडा
8.	पंचायत का अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार की स्थिति	पी. आर. मेमोरियल फाउंडेशन, नई दिल्ली
9.	म. प्र. और छत्तीसगढ़ राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए वन ग्राम विकास कार्यक्रम	नोबल सामाजिक और शैक्षिक सोसायटी, तिरुपति
10.	ग्रामीण भारत का शासन और विकास - उत्तराखंड राज्य का एक मामला अध्ययन	मेजर डी. एस. बिष्ट (रिटायर्ड), केन्द्रीय हिमालय संस्थान, 37/3, नेहरू रोड, देहरादून-248001
11.	पीआरआई के अंतर्गत निचले स्तर पर योजना का प्रभाव और झारखंड, छत्तीसगढ़, म. प्र., गुजरात, महाराष्ट्र और उड़ीसा राज्य में महिला भागीदारी	जनजातीय महिला विकास सोसायटी, नई दिल्ली
12.	हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में खाद्य, पोषण और अजीविका सुरक्षा के लिए संधारणीय उत्पादन पद्धति	सीएसके एच. पी. कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर
13.	उड़ीसा के केबीके जिलों में गरीब और मार्जिनकृत की आजीविका पर बाह्य सहाय्यित परियोजनाओं (ईएपी) का प्रभाव आकलन	ग्रामीण विकास केन्द्र, भुवनेश्वर
14.	म. प्र., उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उ. प्र. राज्यों में केन्द्र प्रायोजित बंधुआ मजदूर प्रणाली अधिनियम, 1976 के तहत बंधुआ श्रमिक पुनर्वास स्कीम	समाजार्थिक और शैक्षिक विकास सोसायटी, आरएफजेड 754/29, राजनगर-II, पालम कालोनी, नई दिल्ली
15.	भारत में सड़क उपभोक्ता कर - कर नीति और शासन में मुद्दों का एक विश्लेषण	लोक अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान फाउंडेशन, दिल्ली

संलग्नक - 4.24.3

वर्ष 2008-09 के दौरान निम्नलिखित सेमिनार आयोजित किए गए:

क्रम संख्या	सेमिनार का शीर्षक	संस्थान का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा तथा घरेलू हिंसा अधिनियम की भूमिका	पंडित जी. बी. पंत ग्रामीण विकास अध्ययन संस्थान
2.	पशुपालन और जानवरों के लिए गतिविधियों में लगे पशुपालकों के लिए दूरवर्ती शिक्षा	भारतीय पशु उत्पादन एसोसिएशन, नोएडा
3.	"भारत के देशज और जनजातीय लोगों की समाजार्थिक स्थिति पर एनसी"	भारतीय देशज और जनजातीय लोगों का संघ, नई दिल्ली
4.	पर्यावरण, जनसंख्या और संधारणीय विकास, एचआईवी/एड्स, मद्यपान, औषधि दुरुपयोग और मानवाधिकार" चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	औषधि दुरुपयोग, सूचना, पुनर्वास और अनुसांधन केन्द्र, मुंबई
5.	"लिंग बजट व्यवस्था तथा महिला सशक्तीकरण" पर एनएस	सुपथ ग्रामोद्योग संस्थान, गुजरात
6.	माइक्रो और लघु उद्यमों के जरिए मणिपुर में आर्थिक पुनरुद्धार	भारतीय लघु उद्योग परिषद, कोलकाता
7.	"महिला सेवक के रूप में महानगरों तक महिलाओं और बच्चों के व्यापार" पर एनएस	वैश्विक पर्यावरण और कल्याण सोसायटी, नई दिल्ली
8.	भावी पारि-अनुकूल कृषि और संबद्ध व्यवसाय - बीपीएल और एपी समूह के बीच रोजगार सृजन	हल्डाने सोसायटी फार इकोनामिक रिसर्च एंड इंटरप्राइज डेवलपमेंट, कोलकाता
9.	व्यवसाय और सोसायटी में परिवर्तनशील सहयोग की गतिकी पर सेमिनार : एक सहस्राब्दि चुनौती	बीआईटीएस, पिलानी
10.	भारतीय कृषि विपणन सोसायटी का 22वां एसी	भारतीय कृषि विपणन सोसायटी, नागपुर
11.	उड़ीसा में खनिज गृह विकास की पर्यावरणीय और सामाजिक चुनौतियां	विकस पहल एसोसिएशन, नई दिल्ली
12.	झारखंड में मानव विकास : परिदृश्य और नीतियां	मानव विकास संस्थान, नई दिल्ली
13.	कृषि विकास पर माइक्रो वित्त का प्रभाव	हरिडंग रामकृष्ण विववेकानंद संघ, कोलकाता
14.	मीन और शैलफिश की कोटि और सुरक्षा में उभरते मुद्दे	तमिलनाडु पशुचिकित्सा तथा पशुविज्ञान विश्वविद्यालय, थुतुकुडी
15.	10वां डी. टी. लाकडावाला स्मारक व्याख्यान	समाज विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली
16.	स्वयंसेवी प्रोन्नयन संस्थानों के लिए आर्थिक उद्यम विकास पर क्षेत्रीय कार्यशाला	विकास अनुसंधान संचार और सेवा केन्द्र, कोलकाता
17.	वाम प्रभावित क्षेत्र में विकास चुनौतियों पर विशेषज्ञ	मानव विकास संस्थान, नई दिल्ली

क्रम संख्या	सेमिनार का शीर्षक	संस्थान का नाम
	समूह की रिपोर्ट पर राष्ट्रीय गोलमेज चर्चा	
18.	कृषि नूतनताओं में सरकारी-निजी भागीदारी को मुख्यधारा से जोड़ने पर कार्यशाला	राजगिरी आउटरीच सर्विस सोसायटी (आरओएसएस), केरल
19.	मानव विकास तथा क्षमता एसोसिएशन (एचडीसीए) का पहला वार्षिक सम्मेलन, 11-13 सितंबर, 2008 को नई दिल्ली में आयोजित	मानव विकास संस्थान, नई दिल्ली
20.	खाद्य सुरक्षा तथा संधारणीय कृषि विकास पर क्षेत्रीय सम्मेलन	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू), नई दिल्ली
21.	11वी पंचवर्षीय योजना में सिविल सेसायटी की भूमिका पर राष्ट्रीय परामर्श नवंबर-दिसंबर, 2008 में नई दिल्ली में	बजट और शासन दायित्व केन्द्र, नई दिल्ली
22.	मात्स्थिकी विकास के लिए विस्तार कार्यनीतियां : सेवा सुपुर्दगी का पुनः अनुस्थापन और समर्थन पद्धति पर एनडब्ल्यू	केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा केन्द्र, मुंबई
23.	"भारत और मध्य तथा पश्चिम एशिया चुनौतियां तथा अवसर" पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली
24.	प. बंगाल में बाल श्रम की रोकथाम और पुनर्वास कार्यनीतियों पर सेमिनार	तुतेपाडा ग्रामीण विकास सोसायटी, तुतेपाड़ा
25.	"राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एनआरईजीएस) का सामाजिक आडिट और उ. प्र. में पीआरआई/सिविल सोसायटियों की भूमिका" पर राष्ट्रीय समिनार	"एनओवीए", लखनऊ
26.	"भारत में ग्राम अर्थशास्त्र का अध्ययन" पर भारत-जापानी कार्यशाला	भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कोलकाता
27.	चालू कृषि मुद्दे : कृषि सूचना प्रणाली पर क्षेत्रीय सेमिनार	अंतर्राष्ट्रीय विस्तार फोरम, तमिलनाडु
28.	50वां वार्षिक सम्मेलन	आईएसएलई, नई दिल्ली
29.	अर्थशास्त्र, अव्यवस्था और न्याय पार भरत राम स्मारक सेमिनार	श्री भरत राम औद्योगिक संबंध और मानव संसाधन केन्द्र, नई दिल्ली
30.	"क्षेत्र में सामाजिक, राजीनतिक, अर्थव्यवस्था और संस्कृति में सहयोग प्रोत्साहित करने के लिए भारत-अरब-ईरान" पर आईसी	गुवाहाटी विश्वविद्यालय
31.	एनआरईजीएस समस्याओं और संभावनाओं के जरिए महिलाओं की आर्थिक आजादी पर क्षेत्रीय कार्यशाला	केरल शैक्षिक विकास तथा रोजगार सोसायटी, तिरुवनंतपुरम

क्रम संख्या	सेमिनार का शीर्षक	संस्थान का नाम
32.	भारतीय इकोनामिक सोसायटी का 44वां वार्षिक सम्मेलन	भारतीय इकोनामिट्रिक सोसायटी, नई दिलली
33.	''स्वास्थ्य में सरकारी-निजी भागीदारी का सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा, साम्यता और कोटि'' पर क्षेत्रीय सेमिनार	बस्ती क्षेत्र विकास परिषद, बालासोर (उड़ीसा)
34.	होमा खेती को भारतीय कृषि पद्धति की मुख्यधारा में शामिल करना	फाइव फोल्ड पथ मिशन, महाराष्ट्र
35.	जनजातीय पारिवारिक तथा स्वास्थ्य जागरूकता मूल्यों पर एनएस	बी. पी. ग्राम विकास सोसायटी, मेघालय
36.	राज्यों के लिए वंचित वन कटाई प्रोत्साहन पद्धति के संबंध में पत्रों को अंतिम रूप देने के लिए कार्यशाला	डीजी - आईसीएफआरई

4.24.6 वर्ष 2008-09 के दौरान 20 चालू अध्ययनों के संबंध में अंतिम रिपोर्टें प्राप्त हुई। इनकी सूची संलग्नक 4.24.4 में दी गई है।

4.24.7 अभी तक कुल 156 अध्ययन रिपोर्टें अनुसंधान और योजना विकास में व्यापक उपयोगार्थ योजना आयोग की वेबसाइट पर प्रस्तुत की गई हैं।

4.24.8 योजना आयोग को अध्ययन रिपोर्टें हार्ड प्रतियों में और साथ ही सीडी/फ्लापी में भी प्राप्त होती हैं। सहज सुलभता हेतु तथा विचारों के आदान-प्रदान और बेहतर उपयोग हेतु इन रिपोर्टों को योजना आयोग की वेबसाइट पर डाल दिया जाता है। रिपोर्टों की प्रतियां केन्द्र और राज्यों में तथा योजना आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच भी परिचालित की जाती हैं। योजना आयोग में संबंधित प्रभाग, नीतियों और कार्यक्रमों के लिए उनकी प्रासंगिकता की दृष्टि से अध्ययन रिपोर्टों की जांच करता है।

संलग्नक - 4.24.4

वर्ष 2008-09 के दौरान निम्नलिखित अध्ययन पूरे हो गए

क्रम संख्या	अध्ययन का शीर्षक	संस्थान/अनुसंधानकर्ता
1.	भारत में राज्य वित्त-हाल ही की घटना	राष्ट्रीय वित्त तथा नीति संस्थान, 18/2, सत्संग विहार मार्ग, विशेष संस्थागत क्षेत्र, नई दिल्ली
2.	आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और प. बंगाल राज्यों में मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (पीएमएस) स्कीम और अनुसूचित जाति छात्रों पर इसका प्रभाव	पी. आर. मेमोरियल फाउंडेशन, नई दिल्ली
3.	जिला योजना स्थिति तथा भावी मार्ग	डा. अविनाश चंद्र (वैयक्तिक अनुसंधानकर्ता), नई दिल्ली
4.	उड़ीसा के बालासोर जिले में शिशु मृत्यु दर के संबंध में तुलनात्मक अध्ययन तथा ग्रामीण, जनजातीय मलिन बस्ती आबादी के बीच उर्वरता	बस्ती क्षेत्र विकास परिषद, बालासोर, उड़ीसा
5.	उत्तराखंड राज्य में एआईबीपी के अंतर्गत सिंचाई और लघु सिंचाई का प्रभाव	वैकल्पिक नीति विकास केन्द्र, नई दिल्ली
6.	ग्रामीण अवस्थापना का प्रभाव	यूओ कोलकाता, प्रेसीडेंसी कालेज (डॉ. समित कार), कोलकाता
7.	एमएसपी का विस्तार : राजकोषीय तथा कल्याण निहितार्थ	एकीकृत अनुसंधान और आईआरएडीई विकास कार्रवाई, नई दिल्ली
8.	पंचायती राज संस्थान में भागीदारी के जरिए महिलाओं का सशक्तीकरण : कुछ संरचनात्मक बाधाएं तथा प्रशिक्षण कार्यनीति	सामाजिक विकास संस्थान, उदयपुर, राजस्थान
9.	24 परगना दक्षिण जिला (प. बंगाल में) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) की संरचना और कार्यकरण का मध्यावधि मूल्यांकन	लोक कल्याण परिषद (प्रोफेसर दुर्गा दास राय, कोलकाता
10.	भारत में ग्रामीण खेल कार्यक्रमों का मूल्यांकन/प्रभाव आकलन	बाजार अनुसंधान और सामाजिक विकास केन्द्र, नई दिल्ली
11.	बाल-अनुकूल पंचायत-तमिलनाडु में ग्रामीण बाल विकास संकेतकों का एक अध्ययन	शान्ति आश्रम, कोयम्बटूर
12.	सुपर-चक्रवात-पश्चात, उड़ीसा में पुनर्वास और पुनर्निर्माण का प्रभाव अध्ययन	ग्रामीण विकास सेवा संस्था, पश्चिम बंगाल
13.	केरल राज्य में ओबीसी आरक्षण की पद्धति	डॉ. एम. शिवरामन, प्रबंधन विकास केन्द्र, त्रिवेंद्रम

क्रम संख्या	अध्ययन का शीर्षक	संस्थान/अनुसंधानकर्ता
14.	तमिलनाडु राज्य में ओबीसी आरक्षण की पद्धति	प्रो. एम. आनंद कृष्णन, मद्रास विकास अध्ययन संस्थान, चेन्नई
15.	भारत में शहरी गरीबों का नीति निष्कासन	साम्य-समता अध्ययन केन्द्र, नई दिल्ली
16.	बिहार के बाढ़ प्रधान क्षेत्रों में, कोसी नदी प्रणाली के विशेष संदर्भ में - मत्स्य पालन का अर्थशास्त्र	चाणक्य शैक्षिक न्यास (अंग अनुसंधान, आयोजना और कार्रवाई संस्थान) भागलपुर, बिहार
17.	कुदम्बश्री परियोजना के निष्पादन, प्रभाव और अनुकरणीयता का एक अध्ययन : केरल में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम	केरल विकास सोसायटी, नई दिल्ली
18.	मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति	"मानस" फाउंडेशन, नई दिल्ली
19.	अन्य पिछड़े वर्गों के मुसलमानों बीच सामाजिक-आर्थिक अयोग्यता और बेरोजगारी समस्याएं	विश्व पर्यावरण और कल्याण सोसायटी, नई दिल्ली
20.	आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तमिलनाडु में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	श्री वेंकटेश्वर, विश्वविद्यालय, तिरुपति

4.25 राज्य योजना प्रभाग

4.25.1 योजना आयोग में राज्य योजना प्रभाग को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक योजनाओं और पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप देने में सहायता करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह प्रभाग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के निर्माण से संबंधित सभी कार्यकलापों का समन्वय करता है, जैसेकि मार्गनिर्देश जारी करना, योजना का आकार तय करने के लिए उपाध्यक्ष और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों/राज्यपालों/उप-राज्यपालों के बीच बैठकों का आयोजन और साथ ही राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के क्षेत्रकीय परिव्ययों को अंतिम रूप देने के लिए कार्यकारी दल की बैठकों का आयोजन करना। यह प्रभाग विशिष्ट स्कीमों/परियोजनाओं के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मंजूर करने से संबंधित मामलों और विदेश सहाय्यित परियोजनाओं से संबंधित मामलों पर भी कार्रवाई करता है। अंतर्राज्यीय परिषद द्वारा योजना के बारे में भेजे गए अंतर्राज्यीय और केन्द्र-राज्य से संबंधित मामलों, प्राकृतिक आपदाओं और वित्त आयोग की सिफारिशों पर भी इस प्रभाग में कार्रवाई की जाती है। यह प्रभाग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के योजना परिव्ययों और व्यय से संबंधित विस्तृत सूचना का एक संग्रह स्थल है।

4.25.2 वर्ष 2008-09 के दौरान, उपरोक्त कार्य करने के अलावा प्रभाग ने वीआईपी संदर्भों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित संसद प्रश्नों, वार्षिक योजना परिव्ययों, संशोधित परिव्ययों, व्यय, विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं इत्यादि से संबंधित कार्य भी किया।

वार्षिक योजना 2008-09

4.25.3 वर्ष 2007-08 के दौरान, विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक योजनाओं पर चर्चा करने के लिए उपाध्यक्ष के साथ राज्यों तथा संघ

राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों की बैठक आयोजित की गई, ताकि अनुमोदित योजना, 2008-09 के लिए राज्यों के बजटों को सामयिक और उपयोगी इन्पुट प्रदान कर सके।

4.25.4 वर्ष 2008-09 के लिए बजट अनुमानों में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में कुल 63431.50 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए थे जिसमें से 17991.98 करोड़ रुपए सामान्य केन्द्रीय सहायता के रूप में, 4550.00 करोड़ रुपए विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में शेष 40789.52 करोड़ रुपए विशेष कार्यक्रमों, जैसेकि पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन आदि के लिए थे।

4.25.5 योजना उद्देश्यों के अनुसार प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्रकों में निवेश सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चुनिंदा स्कीमों/परियोजनाओं के अंतर्गत परिव्ययों के विनिश्चन की प्रथा को जारी रखा गया और किशोरियों के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, जैसी विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत परिव्ययों, अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास के लिए तथा अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन में सुधार करने के लिए प्रदत्त निधियों, त्वरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा विशिष्ट स्कीमों के लिए दी गई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का भी विनिश्चयन किया गया।

मानव विकास हेतु राज्य योजनाओं का सुदृढ़ीकरण (एसएसपीएचडी)

4.25.6 योजना आयोग ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की सहायता से राज्य मानव विकास परियोजना के पश्चात् " मानव विकास हेतु राज्य योजनाओं का सुदृढ़ीकरण " - नामक एक परियोजना जुलाई, 2004 में शुरू की थी। योजना आयोग निष्पादन एजेंसी है जबकि राज्य सरकारें परियोजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसियां हैं। यह परियोजना आठ राज्यों के साथ शुरू की गई थी जिसका विस्तार ऐसे और सात राज्यों में कर दिया गया जिन्होंने अपनी एसएचडीआर पूरी कर ली थी। इसकी अवधि दिसंबर, 2007 से बढ़ाकर दिसंबर, 2009 कर दी गई है।

परियोजना के अधीन प्रमुख क्रियाकलाप इस प्रकार हैं:

(क) तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण के माध्यम से राज्य योजना प्रभागों/बोर्डों का क्षमता निर्माण।

(ख) मानव विकास वित्तपोषण के लिए कार्यनीतिक विकल्पों की पहचान करना।

(ग) उपयुक्त क्षमता निर्माण पहलों के जरिए राज्य/जिला सांख्यिकीय प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण करना।

(घ) एचडी संदेशों के प्रसार के लिए समर्थन प्रयासों को मजबूत करना।

(ड.) मानव विकास कार्यक्रमों और स्कीमों का मानीटरन और मूल्यांकन करने के लिए अधिकारियों हेतु राज्य स्तर पर क्षमता आकलन और क्षमता विकास।

(च) कार्यक्रमों का डिजाइन, कार्यान्वयन और मानीटरन करने के लिए योजनाकारों और नीति-निर्माताओं का क्षमता विकास, जिससे कि महिलाओं और पुरुषों के बीच संसाधनों और लाभों की समतापूर्ण सुलभता हो सके।

4.25.7 आशा है कि इस परियोजना से मानव विकास के संदर्भ में अधीनस्थ विभागों सहित सभी स्तरों पर जिला प्रशासन और स्थानीय निकायों की समझ का सुदृढ़ीकरण होगा। इसका उद्देश्य डाटा

प्रणाली की सीमा की ओर ध्यान देना तथा मानव विकास के लिए वित्तपोषण के संधारणीय स्रोतों का संवर्द्धन करना है। यह एचडी अवधारणाओं और मुद्दों का सभी स्तरों पर प्रसार करेगी जिसके फलस्वरूप एचडी अधारित राज्य और जिला आयोजना तैयार होगी तथा साथ ही आयोजना तंत्र के भीतर लैंगिक चिंताओं के संवर्द्धित समावेशन के लिए समर्थनकारी वातावरण भी तैयार होगा।

राज्य विकास रिपोर्ट (एसडीआर)

4.25.8 विकास रूपरेखा पर एक गुणवत्ता संदर्भ दस्तावेज उपलब्ध कराने तथा राज्यों की वृद्धि दर में तेजी लाने के वास्ते कार्यनीतियां निर्धारित करने के प्रयोजन से योजना आयोग, राज्य सरकारों तथा स्वतंत्र संस्थानों और विशेषज्ञों के समन्वय से राज्य विकास रिपोर्टें तैयार कर रहा है। अप्रैल, 2009 तक 14 राज्यों, यथा असम, पंजाब, उड़ीसा, जम्मू तथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक की एसडीआर जारी कर दी गई। केरल, सिक्किम, लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह की एसडीआर मार्च, 2009 तक जारी कर दी जाएगी।

द्वीप विकास प्राधिकरण (आईडीए)

4.25.9 प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित द्वीपसमूह विकास प्राधिकरण और उपाध्यक्ष, योजना आयोग की अध्यक्षता में इसकी स्थायी समिति के सचिवालय के रूप में द्वीपसमूह विकास प्राधिकरण प्रकोष्ठ कार्य करता है। द्वीपसमूह विकास प्राधिकरण द्वीपसमूहों के पर्यावरणीय संरक्षण के सभी पहलुओं और उनकी तकनीकी व वैज्ञानिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अंडमान व निकोबार द्वीपसमूहों और लक्षद्वीप के एकीकृत विकास हेतु नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में निर्णय लेता है और विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और प्रभाव की प्रगति की समीक्षा करता है।

4.25.10 प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आईडीए की 12वीं बैठक 19 जनवरी, 2009 को हुई थी। इस बैठक में अंडमान तथा निकोबर द्वीपसमूह और लक्षद्वीप में कृषि, मत्स्य उद्योग, पर्यावरण, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और नागर विमानन क्षेत्रों में हुई प्रगति पर चर्चा की गई और सचिवों की समिति को निदेश दिया कि वे द्वीपसमूह के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों की समीक्षा करें और समय-सीमा तय करें।

आपदा प्रबंधन एवं प्राकृतिक आपदा सहायता

4.25.11 राज्य योजना प्रभाग के अधिकारी उस अंतर्मंत्रालयी केन्द्रीय दल में शामिल थे, जिसे विपत्ति के बाद स्थिति का जायजा लेने के लिए राज्यों का दौरा करने के लिए गठित किया गया था। वर्ष के दौरान केन्द्रीय दलों ने आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मिजोरम, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और सिक्किम राज्यों का दौरा किया। वर्ष के दौरान राज्य योजना प्रभाग ने 2005 के दौरान प्राकृतिक विपत्ति के कारण क्षतिग्रस्त आधारिक ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम तथा तमिलनाडु के वास्ते राज्य सरकारों के सहायता मांगने संबंधी प्रस्तावों की जांच की तथा गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) को योजना आयोग की सिफारिशें भेजी गई। यह प्रभाग आपदा प्रबंधन के संबंध में गृह मंत्रालय नीति प्रस्तावों की विकास परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से भी जांच और संवीक्षा करता है।

4.26 पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास

4.26.1 एक समग्र राज्योन्मुखी दृष्टिकोण के भीतर राज्यों के आर-पार तथा राज्यों के भीतर कतिपय क्षेत्र ऐतिहासिक तथा विशेष कारणों से एक संकेन्द्रित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण की अपेक्षा करते हैं। यह एक उद्देश्य प्राप्त करने के लिए विगत में

बहुत-सी नीतिगत पहल विकसित की गई हैं, जिनमें राजकोषीय प्रोत्साहन तथा लक्षित कार्यक्रम शामिल हैं। इस संबंध में योजना आयोग की कार्यनीति पूंजीगत निवेशों के लिए निधियों सहित ऐसे सुविधावंचित क्षेत्रों को लक्षित करते हुए राज्य सरकारों के प्रयासों को संपूरित करने की रही है।

4.26.2 पूर्वोत्तर क्षेत्र में असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल है। विकासात्मक प्रयोजनों के लिए सिक्किम को भी पूर्वोत्तर क्षेत्र के एक अंग के रूप में शमिल कर लिया गया है। दुष्कर भौगोलिक स्थिति, परिवहन कठिनाइयों, प्राकृतिक आपदाओं आदि ने पूर्वोत्तर क्षेत्र की उन्नति बाधित कर दी है। पिछली आयोजना अवधियों में सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक विकास पर विशेष बल दिया गया था और आधारतंत्रीय कठिनाइयां दूर करने, बुनियादी न्यूनतम सेवाएं उपलब्ध कराने तथा निजी निवेश के लिए एक समग्र माहौल तैयार करने के लिए कार्यनीतियां अपनाई गई। भारत सरकार के विकासात्मक प्रयासों को समन्वित करने तथा उन्हें गति प्रदान करने के उद्देश्य से एक पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की स्थापना की गई है।

4.26.3 पूर्वोत्तर के विशेष श्रेणी राज्यों को उदार शर्तों पर केन्द्रीय सहायता योजना की एक विशेषता रही है। इसके अलावा, क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता प्रदान करने के लिए अनेक विशेष व्यवस्थाएं और पहलें की गई हैं। क्षेत्रीय प्राथमिकताओं वाली परियोजनाएं शुरू करके पूर्वोत्तर क्षेत्र का संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए 1972 में स्थापित पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) एक क्षेत्रीय योजना निकाय है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डीओएनईआर) की भूमिका सहक्रिया उत्पन्न करने और केन्द्रीय एजेंसियों तथा राज्य सरकारों, दोनों के प्रयासों में समन्वय स्थापित करके तथा परियोजनाओं की पूर्ति के लिए अंतिम मील तक की संसाधन जरूरतों की पूर्ति करके कार्यक्रमों का अभिसरण सुनिश्चित करने की है। विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मंत्रालय को एक प्रेरक के रूप में कार्य करना है। नीचे दी गई तालिका में पूर्वोत्तर राज्यों और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के वर्ष 2007-08 और 2008-09 के वार्षिक योजना परिव्यय हेतु सम्मत परिव्यय दर्शाया गया है।

4.26.4 पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 11वी योजना के लिए योजना आयोग द्वारा यथाअनुमोदित पूर्वानुमानित परिव्यय नीचे तालिका में दर्शाया गया है।

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 11वां योजना पूर्वानुमानित परिव्यय

क्रम संख्या	राज्य	करोड़ रुपए
1	अरुणाचल प्रदेश	7901.00
2	असम	23954.00
3	मणिपुर	8154.00
4	मेघालय	9185.00
5	मिजोरम	5534.00
6	नागालैंड	5978.00
7	सिक्किम	4720.00
8	त्रिपुरा	8852.00
	योग	74278.00

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए वर्ष 2007-08 और 2008-09 के लिए वार्षिक योजना परिव्यय

(रुपए करोड़ में)

राज्य	वार्षिक योजना 2007-08	वार्षिक योजना 2008-09
अरुणाचल प्रदेश	1320.00	2065.00
असम	3800.00	5011.51
मणिपुर	1374.31	1660.00
मेघालय	1120.00	1500.00
मिजोरम	850.00	1000.00
नागालैंड	900.00	1200.00
सिक्किम	691.14	852.00
त्रिपुरा	1220.00	1450.00
योग	**11275.45**	**14738.51**

4.26.5 राज्यों को उनकी योजनाओं के अधीन दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता मे ऐसे कार्यक्रमों के लिए निधियां शामिल हैं जैसेकि सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी), पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एचएडीपी) झूम खेती, त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी), शहरी नवीकरण मिशन, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी), मध्याह्न भोजन (एमडीएम), सड़कें और सेतु, शहरी आधारिक-तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए पहलें (आईएसयूआई अनुच्छेद 275(1) के अधीन सहायता अनुदान, विदेश सहाय्यित परियोजनाएं (ईएपी) आदि। विशिष्ट परियोजनाओं के लिए भी विशेष योजना सहायता (एसपीए) /अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) प्रदान की जाती है।

4.26.6 पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की केन्द्रीय स्कीमों में समर्थन, क्षमता निर्माण, एनईडीएफआई, पूर्वोत्तर राज्य सड़क परियोजना एनईआर, जीवन यापन परियोजनाएं और राज्य क्षेत्रक स्कीमों में (राज्य योजना के लिए केन्द्रीय सहायता) के अंतर्गत पूर्वोत्तर परिषद के योजना कार्यक्रम तथा संसाधनों के अव्यपगत केन्द्रीय पूल (एनएलसीपीआर) के तहत परियोजना वित्तपोषण और बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद (बीटीसी) सम्मिलित है।

4.27 परिवहन प्रभाग

4.27.1 परिवहन प्रभाग, मुख्य रूप से देश में बढ़ती यातायात मांग को पूरा करने के लिए परिवहन क्षेत्रक के संबंध में आयोजना और विकास की प्रक्रिया में शामिल है। यह परिवहन नेटवर्क में उचित अंतर - माडल मिश्रण प्राप्त करने के लिए परिवहन को भिन्न-भिन्न माध्यमों के संबंध में समग्र बजटीय आयोजना से भी संबंधित है। शुरू किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यकलाप इस प्रकार हैं:

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के लिए वर्ष 2007-08 और 2008-09 के लिए वार्षिक योजना परिव्यय

(करोड़ रुपए)

	ए. केन्द्रीय स्कीमें	2007-08	2008-09
1,	एनईडीएफआई	60.00	60.00
2.	समर्थन	6.50	6.50
3,	क्षमता निर्माण	12.00	12.50
4.	पूर्वोत्तर राज्य सड़क परियोजनाएं (एडीबी सहाय्यित)	0.01	1.00
5.	एनईआर आजीविका परियोजना (विश्व बैंक सहाय्यित)	-	1.00
6.	पूर्वोत्तर क्षेत्र में अंतर्गत जलमार्गों का विकास	1.49	--
	उप-योग (केन्द्रीय स्कीम)	**80.00**	**81.00**
	बी. केन्द्रीय सहायता (राज्य योजना)		
1	एनईसी	600.00	624.00
2	एनएलसीपीआर	636.00	650.00
3	बीटीसी (विशेष पैकेज)	100.00	100.00-
	उप-योग (राज्य योजना)	**1336.00**	**1374.00**
	कुल योग (ए+बी)	**1416,00**	**1455.00**

- यात्री और माल यातायात की परिवहन सेवाओं के संबंध में मांग आकलन।
- विभिन्न माध्यमों की विद्यमान क्षमता का मूल्यांकन तथा योजना के लिए संसाधनों की आवश्यकता का अनुमान।
- सरकारी प्रयासों के पूरक के रूप में आधारभूत और परिवहन सेवाओं में निजी क्षेत्रक निवेश की भूमिका का विनिर्धारण।
- देश में परिवहन क्षेत्रक की समग्र आयोजना।
- परिवहन के विभिन्न माध्यमों के संबंध में वार्षिक योजना परिव्यय को अंतिम रूप देना।
- राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के संसाधनों को आंकना।
- प्रमुख परिवहन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा।

वर्ष के दौरान परिवहन प्रभाग द्वारा किए गए महत्वपूर्ण क्रियाकलाप हैं:

1. 11वीं योजना दस्तावेज के लिए परिवहन क्षेत्रक अध्याय (अंग्रेजी और हिंदी) की जांच की गई।
2. वार्षिक योजना 2008-09 दस्तावेज के लिए परिवहन क्षेत्रक संबंधी अध्याय को अंतिम रूप दिया गया।
3. वार्षिक योजना 2009-10 के लिए 38 राज्य सड़क परिवहन निगमों के संसाधनों का मूल्यांकन किया गया, जिसमें संबंधित राज्य सरकारों की वार्षिक योजना में सृजित संसाधनों को शामिल करने के प्रयोजनार्थ उपक्रमों द्वारा यात्री और माल सेवा प्रचालन के भौतिक और वित्तीय प्राचल सम्मिलित हैं। चर्चाओं के दौरान उपक्रमों को अपना कार्य-निष्पादन सुधारने और वर्षानुवर्ष बढ़ती हानियों को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय करने की भी सलाह दी गई।
4. वार्षिक योजना 2009-10 के लिए कुछेक राज्यों के बाह्य सहायताप्राप्त परियोजना प्रस्तावों पर चर्चा की गई तथा व्यापक रूप से जांच के बाद सिफारिशें की गई।
5. राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्रों के संबंध में वार्षिक योजना 2009-10 प्रस्तावों पर चर्चा की गई तथा व्यापक रूप से जांच के बाद सिफारिशें की गई।
6. केन्द्रीय मंत्रालयों की वार्षिक योजना 2009-10 के प्रस्तावों पर चर्चा की गई तथा व्यापक रूप से जांच के बाद सिफारिशें की गईं।
7. रेलवे, सड़क, परिवहन तथा राजमार्ग, नौवहन और नागर विमानन के केन्द्रीय मंत्रालयों से प्राप्त निवेश प्रस्तावों पर व्यय वित्त समिति (ईएफसी), लोक निवेश बोर्ड (पीआईबी) तथा रेलवे के विस्तारित बोर्ड (ईबीआर) द्वारा विचार किए जाने से पहले, उनकी परियोजना मूल्यांकन तथा प्रबंधन प्रभाग के सहयोग से जांच की गई।
8. विभिन्न योजना स्कीमों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए मानीटरन पद्धति के रूप में छमाही निष्पादन समीक्षा (एचवाईपीआर) बैठकों की एक पद्धति प्रारंभ की गई है। विभिन्न योजना स्कीमों और क्षेत्रक परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के लिए विभिन्न परिवहन क्षेत्रक मंत्रालयों की एचवाईपीआर बैठकें आयोजित की गईं।
9. रेलवे, सड़कों, पत्तनों तथा हवाई अड्डों से संबंधित आधारिक-तंत्र विषयक समिति की बैठकों में भाग लिया तथा महत्वपूर्ण योगदान दिया ताकि ऐसी नीतियों की शुरूआत की जाए जिनसे विश्वस्तरीय आधारिक सुविधाओं का सृजन सुनिश्चित हो सके, ऐसी संरचनाएं तैयार की जा सकें जिससे कि सरकारी-निजी भागीदारी की भूमिका अधिकतम हो और

आधारभूत परियोजनाओं का मानीटरन किया जाए।

10. निर्माण उद्योग विकास परिषद के शासी बोर्ड की बैठकों में भाग लिया।

11. विभिन्न समितियों/समूहों की बैठकों में भाग लिया, जिनमें पीएमओ द्वारा भारत निर्माण के संबंध में स्थापित ग्रामीण आधारिक-तंत्र विषयक समिति तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित पीएमजीएसवाई संबंधी अधिकारप्राप्त समिति सम्मिलित है।

12. वर्ष के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के बोर्ड की कई बैठकें आयोजित की गई। कार्यसूची मदें जिनमें ठेका प्रदान करने के लिए एनएचडीपी के विभिन्न खंडों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टें शामिल थी, जांच के लिए प्राप्त हुई तथा एनएचएआई बोर्ड बैठकों में निर्णय लेने के लिए टिप्पणियां इन्पुट के रूप में प्रस्तुत की गई।

13. देश के भीतर एक इष्टतम, प्रभावी, लचीली, पर्यावरण अनुकूल और सुरक्षित संभारतंत्रीय प्रणाली तैयार करने के लिए संभारतंत्र संबंधी एक कार्यकारी दल का गठन किया। कार्यदल की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया।

14. पूर्वोत्तर में परिवहन संयोजकता पर एक प्रस्तुतीकरण तैयार किया गया।

15. सदस्य श्री अनवारुल होडा की अध्यक्षता में गठित संचालन समिति की चौथी बैठक, मे. रेल इंडिया टेक्निकल इकोनामिक सर्विसेज (राइट्स) द्वारा आयोजित किए जा रहे समग्र परिवहन पद्धति अध्ययन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए आयोजित की गई।

16. विभिन्न अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रस्तावों और राज्य योजना प्रभाग से प्राप्त राज्य विकास रिपोर्टों की जांच की गई और पर्याप्त टिप्पणियां प्रदान की गई।

17. बिहार में विशेष योजना के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही सड़क और रेल परियोजनाओं की समीक्षा बिहार सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग तथा रेलवे बोर्ड के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित की गई।

18. दिल्ली और गुड़गांव के बीच नए सड़क संयोजन के विकास के लिए सदस्य सचिव की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा गठित उच्चस्तरीय समन्वय समिति के लिए सचिवालय का कार्य क्रिया।

19. भारत को "अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच" का एक सदस्य बनने में समर्थ बनाने के लिए प्रक्रिया संबंधी क्रियाविधि पूरी की गई।

4.28 पर्यटन प्रकोष्ठ

4.28.1 पर्यटन प्रकोष्ठ प्रमुख रूप से पर्यटन क्षेत्रक के विकास, आयोजना और प्रोत्साहन की प्रक्रिया में लगा है जिससे विदेश में पर्यटन का संतुलित और संधारणीय विकास सुनिश्चित हो सके। यह, पर्यटन क्षेत्रक से संबंधित नीतिगत मुद्दों के निर्माण/कार्यान्वयन से भी संबंधित है जिससे कि इसे देश की वर्तमान और भावी आवश्यकताओं के प्रति और अधिक प्रतिक्रियाशील बनाया जा सके। वर्ष 2008-09 के दौरान आयोजित महत्वपूर्ण कार्यकलाप निम्न प्रकार हैं:

- देश के पर्यटन क्षेत्रक का समग्र आयोजन।
- पर्यटन क्षेत्रक के लिए वार्षिक योजना परिव्यय को अंतिम रूप देना।
- प्रमुख पर्यटन परियोजनाओं/स्कीमों की प्रगति की समीक्षा करना।
- सरकारी प्रयासों को पूरक बनाने के लिए अवस्थापना और पर्यटन सेवाओं में निजी क्षेत्रक निवेश की भूमिका का निर्धारण।

4.28.2 पर्यटन प्रकोष्ठ द्वारा वर्ष के दौरान आयोजित महत्वपूर्ण कार्यकलाप निम्नलिखित थे-

- 11वीं योजना दस्तावेज के लिए पर्यटन क्षेत्रक संबंधी अध्याय (अंग्रेजी और हिंदी) की जांच की गई।
- वार्षिक योजना 2008-09 दस्तावेज के लिए पर्यटन क्षेत्रक संबंधी अध्याय को अंतिम रूप दिया गया।
- राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में वार्षिक योजना 2009-10 प्रस्तावों पर चर्चा की गई और व्यापक रूप से जांच करने के बाद सिफारिशें की गईं।
- पर्यटन मंत्रालय की वार्षिक योजना 2009-10 प्रस्तावों पर चर्चा की गई और व्यापक रूप से जांच करने के बाद सिफारिशें की गई।
- पर्यटन मंत्रालय में चार वर्षों की अवधि के लिए 31.3.2011 तक एक अपर सचिव का अस्थायी पद सृजित करने के प्रस्ताव की जांच की गई और टिप्पणियां की गईं।
- विद्यमान स्कीमों, अर्थात आईएचएम/एफसीआई/आईआईटीटीएम/एनआईडब्ल्यूएस के मार्गनिर्देशों में संशोधन, सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण, आवास अवस्थापना के लिए प्रोत्साहन और बड़ी राजस्व अर्जक परियोजनाओं के लिए सहायता संबंधी प्रस्तावों की जांच की गई और टिप्पणियां प्रदान की गई।
- पर्यटन मंत्रालय से प्राप्त निवेश प्रस्तावों की स्थायी वित्त समिति (एसएफसी), व्यय वित्त समिति (ईएफसी) और सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) द्वारा जांच किए जाने से पहले जांच की गई।
- पर्यटन क्षेत्रक के संबंध में अर्द्धवार्षिक निष्पादन समीक्षा (एचवाईपीआर) बैठक विभिन्न पर्यटन क्षेत्रक परियोजनाओं/स्कीमों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए आयोजित की गई।
- राज्य योजना प्रभाग से प्राप्त विभिन्न अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रस्तावों की जांच की गई और पर्याप्त रूप से टिप्पणियां की गई।

4.29 ग्राम तथा लघु उद्यम

ग्राम और लघु उद्यम प्रभाग निम्नलिखित मंत्रालयों के साथ डील करता है:

- लघु, छोटे और मझोले उद्यम मंत्रालय।
- कपड़ा मंत्रालय - हथकरघा, हस्तशिल्प, रेशमपालन, विद्युत करघा और ऊन।
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय।

4.29.1 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वार्षिक योजना 2008-09

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित 2008-09 प्रस्तावों के लिए वार्षिक योजना पर चर्चा की गई तथा वीएसई क्षेत्रक के लिए योजनाओं को अंतिम रूप देने के वास्ते उपयुक्त सिफारिशें की गईं। अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के लिए विभिन्न राज्यों से प्राप्त बाह्य सहायताप्राप्त परियोजनाओं/स्कीमों की जांच की गई तथा कार्यान्वयन और आवश्यक कार्रवाई के वास्ते आवश्यक टिप्पणियां, सुझाव और सिफारिशें की गईं।

4.29.2 केन्द्रीय मंत्रालयों के लिए वार्षिक योजना 2008-09

लघु, छोटे और मझोले उद्योग, कपड़ा (वीएसई) व खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालयों के वार्षिक योजना 2008-09 प्रस्तावों पर मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ चर्चा की गई और समुचित परिव्ययों की सिफारिश की गई। वर्ष के दौरान केन्द्रीय मंत्रालयों की छमाही प्रगति की समीक्षा की गई।

4.29.3 प्रभाग के अन्य प्रमुख कार्यकलाप

वीएसई क्षेत्रक की जो विकासात्मक स्कीमें/कार्यक्रम विभिन्न मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे हैं, वे अनिवार्य अपेक्षाओं के अनुसार महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों आदि की जरूरतें पूरी कर रहे हैं।

प्रभाग ने संबंधित मंत्रालयों से प्राप्त प्रस्तावों पर टिप्पणियां भी प्रदान की तथा सीसीईए/ईएफसी/एसएफसी टिप्पणियों की सिद्धांततः अनुमोदन हेतु जांच की।

वार्षिक योजना 2008-09 दस्तावेज के लिए वीएसई क्षेत्रक से संबंधित अध्याय को अंतिम रूप दिया।

4.30 स्वैच्छिक कार्रवाई प्रकोष्ठ

4.30.1 स्वैच्छिक क्षेत्रक 2007 के संबंध में राष्ट्रीय नीति पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में निम्नलिखित विषयों पर स्थापित तीन विशेषज्ञ समूहों की अनेक बैठकें हुई थीं:

1. विकेन्द्रीयकृत वित्तपोषण पद्धतियों के अनुभव की समीक्षा करने और केन्द्रीय एजेंसियों को उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए।
2. एक सरल और उदार केन्द्रीय कानून अधिनियमित करने की संभाव्यता की जांच करना जो स्वैच्छिक संगठन पंजीकृत कराने के लिए अखिल भारतीय संविधि के विकल्प के रूप में कार्य करेगा; और
3. स्वैच्छिक क्षेत्रक के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्रीय स्तर स्वःविनियामक एजेंसी विकास को प्रोत्साहित करना और बाद में उसे मान्यता प्रदान करना।

4.30.2 बेहतर रूप से ध्यान देने और समूह की विशेषज्ञता का लाभ उठाने के उद्देश्य से तीन कार्यदल गठित किए गए हैं- सिफारिशें करने के मुद्दे की गहराई से जांच करने के लिए प्रत्येक विशेषज्ञ समूह के सदस्यों के बीच से एक-एक समूहः प्रथम और द्वितीय विशेषज्ञ समूह के कार्यदलों की बैठक अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अनेक बार आयोजित की गई।

4.30.3 स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों के संबंध में योजना आयोग डाटा आधार को सतत रूप से अद्यतन बनाया जा रहा है और वर्ष 2008-09 के दौरान स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न विकास संबद्ध विषयों पर योजना भवन में "सिविल सोसायटी" के अंतर्गत चार प्रस्तुतीकरण आयोजित किए गए।

4.31 जल संसाधन प्रभाग

4.31.1 योजना आयोग के जल संसाधन प्रभाग को जल संसाधनों से संबंधित योजना, कार्यक्रमों और नीतियों के निर्माण और मानीटरन की जिम्मेदारी सौंपी गई है जिसके अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ बड़ी, मझोली और लघु परियोजनाएं, बाढ़ नियंत्रण (समुद्र कटावरोधी कार्यों सहित) और कमान क्षेत्र विकास सम्मिलित है। यह प्रभाग ग्रामीण और शहरी जल आपूर्ति और स्वच्छता तथा ठोस अवशिष्ट प्रबंधन की योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों के लिए भी जिम्मेदार है।

4.31.2 सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और कमान क्षेत्र विकास

(i) विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वार्षिक योजना 2008-09 के निर्माण का कार्य पूरा किया गया। इसके साथ ही जल संसाधन मंत्रालय और पेयजल आपूर्ति विभाग की वार्षिक योजना 2008-09 को भी पूरा किया गया। विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वार्षिक योजना 2009-10 का निर्माण प्रगति पर है।

(ii) जल संसाधन मंत्रालय और पेयजल आपूर्ति विभाग के लिए आऊटकम बजट को संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से अंतिम रूप दिया गया।

(iii) एनडीसी की बैठक में प्रधानमंत्री के निर्देशों पर योजना आयोग ने सिंचाई क्षेत्रक से संबंधित विभिन्न मुद्दों का समाधान करने और साथ ही क्षेत्रक के वित्तपोषण का भी विनिर्धारण करने के उपायों की सिफारिश करने के वास्ते सदस्य (जल और ऊर्जा) की अध्यक्षता में सिंचाई के संबंध में एक कार्यदल गठित किया।

(iv) जल संसाधन प्रभाग, ग्रामीण अवस्थापना के विकास के लिए भारत निर्माण कार्यक्रम के साथ निकटतः संबद्ध था। भारत निर्माण का ब्यौरा रिपोर्ट में अलग से अन्यत्र दिया गया है।

(v) योजना आयोग ने 20 बड़ी और मझोली सिंचाई परियोजनाओं और 34 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के लिए कुल मिलाकर 54 परियोजनाओं के लिए निवेश जारी की। परियोजनाओं की सूची संलग्नक में दी गई है।

(vi) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2008-09 में 5,550 करोड़ रुपए के आबंटन की व्यवस्था की गई है जबकि 2007-08 के दौरान 3,580 करोड़ रुपए (अनुदान) की व्यवस्था की गई थी।

(vii) जल संसाधन मंत्रालय की सभी केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमों का 11वीं पंचवर्षीय योजना में उनके जारी रखने की दृष्टि से प्रभाग में आकलन कराया गया। इसके साथ ही राज्य क्षेत्रक स्कीमों, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, राष्ट्रीय परियोजनाओं सहित, समान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन, जल निकायों का, विदेशी सहाय्यित और देश समर्थित दोनों प्रकार के निकायों की मरम्मत, पुनरुद्धार और बहाली के संबंध में भी प्रभाग में आकलन किया गया।

(viii) जल संसाधन प्रभाग के अधिकारी उस केन्द्रीय दल के सदस्य थे जिसमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, पुडुचेरी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था।

(ix) सिंचाई और जल आपूर्ति संबंधी वार्षिक योजना 2008-09 अध्याय तैयार किए जा रहे हैं। अध्याय के अंतर्गत क्षेत्रक के लिए कार्यनीति और भावी मार्ग को सम्मिलित किया गया।

संलग्नक - 4.31.1

जनवरी से दिसंबर, 2008 तक अवधि के दौरान बाढ़ नियंत्रण और बड़ी तथा मझोली सिंचाई परियोजनाओं के लिए मंजूर निवेश

क्रम संख्या	राज्य का नाम	परियोजना/स्कीम का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रुपए)	मंजूरी का माह/वर्ष
बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं				
1	असम	ब्रह्मपुत्र के कटाव से सियालमरी क्षेत्र का संरक्षण कार्य	14.2917	जनवरी, 2008/ मार्च, 2008
2	असम	ब्रह्मपुत्र के कटाव से भोजयीखाती, डोलोई गांव और उलुबारी क्षेत्र का संरक्षण कार्य	14.5267	जनवरी, 2008/ मार्च, 2008
3	असम	पुत्रीमारी नदी के दोनों किनारों को संरक्षण प्रदान करने के लिए कटावरोधी उपाय	9.76	फरवरी 2008/ मार्च, 2010
4	असम	पगलादिया नीद के दोनों किनारों के विभिन्न मुहानों पर पगलादिया नदी के किनारा कटाव के विरुद्ध कटावरोधी कार्य	8.952	अप्रैल, 2008/ मार्च, 2010
5	असम	तारापुर शवबारी को संरक्षण प्रदान करने क लिए कटावरोधी उपाय	14.8848	अगस्त, 2008/ 2011-2012
6	असम	विश्वनाथ से पनपुर तक ब्रह्मपुत्र डाई के का संरक्षण	14.24	नवंबर, 2008/ 2009-10
7	बिहार	उत्तरी बिहार में बागमती नदी के साथ तटों को ऊंचा उठाना और सुदृढ़ीकरण	135.16	फरवरी, 2008/ मार्च, 2010
8	बिहार	बिहार में कमला नदी के साथ तटों को ऊंचा उठाना और सुदृढ़ीकरण	52.0926	फरवरी, 2008/ मार्च, 2010
9	बिहार	बांका जिले और भागलपुर में गेरूआ नदी के साथ विद्यमान बाएं तट को ऊंचा उठाना, सुदृढ़ीकरण और विस्तार	12.3610	मार्च, 2008/ मार्च, 2010
10	बिहार	दरभंगा बागमती दाहिने तट को ऊंचा उठाना और सुदृढ़ीकरण	10.60	जून, 2008/ मार्च, 2010
11	बिहार	दानापुर दियरा में हेतमपुर और कासीमेचक के निकट गंगा दी के वाम किनारे पर कटावरोधी कार्य, जिले में पुनरुद्धार कार्य सहित	12.3047	जून, 2008/ मार्च, 2010
12	बिहार	पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में गंडक नदी के वाम किनारे के चंपारण तट के शीर्ष पर ईंट सड़क का निर्माण	14.9281	जून, 2008/ मार्च, 2010

क्रम संख्या	राज्य का नाम	परियोजना/स्कीम का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रुपए)	मंजूरी का माह/वर्ष
13	बिहार	दरभंगा नगर संरक्षण को ऊंचा उठाना और सुदृढ़ीकरण	9.3340	जून, 2008/ मार्च, 2010
14	बिहार	सारण में गंडक नदी के दाएं किनारे पर सारण तट के शीर्ष पर ईंट सड़क का निर्माण	9.5753	जून, 2008/ मार्च, 2010
15	बिहार	गंडक नदी पर पिपरासी-पिपराघाट के दाएं तट पर कटावरोधी कार्य	9.2097	जून, 2008/ मार्च, 2010
16	बिहार	पिपरासी-पिपराघाट तट को ऊंचा उठाना और सुदृढ़ीकरण	14.7160	जून, 2008/ मार्च, 2010
17	बिहार	चनहा नाला के साथ दाएं जमीनदारी तट के डिजाइन ख्डों का पुनरुद्धार	13.3918	जून, 2008/ मार्च, 2010
18	बिहार	मब्बी से एकमी तट तक दरभंगा नदी संरक्षण प्रतिधारण दीवार की विशेष मरम्मत और अनुरक्षण तथा ऊंचा उठाना	14.16	जून, 2008/ मार्च, 2010
19	बिहार	दाएं बुरही गंडक तट को ऊंचा उठाना और सुदृढ़ीकरण	12.00	जून, 2008/ मार्च, 2010
20	बिहार	चनहा नाला के साथ दाएं जमीनदारी तट के डिजाइन खंडों का पुनरुद्धार	11.1878	जून, 2008/ मार्च, 2010
21	बिहार	बागमती नदी के बाएं तट के साथ संरक्षण कार्य	8.3072	जून, 2008/ मार्च, 2010
22	बिहार	गंगा नदी पर कटावरोधी स्कीम	23.5581	अगस्त, 2008/ मार्च, 2012
23	बिहार	गंडक के बाएं किनारे पर तिरहुट तट को ऊंचा उठाना और सुदृढ़ीकरण	26.2765	फरवरी, 2008/ 2011-12
24	जम्मू तथा कश्मीर	जम्मू तथा कश्मीर के जिले में तवी नदी पर बाढ़ संरक्षण कार्यों के लिए मास्टर योजना	22.82	फरवरी, 2008/ 2011-12
25	जम्मू तथा कश्मीर	जम्मू तथा कश्मीर में चिनाव नदी पर बाढ़ संरक्षण कार्यों के लिए मास्टर योजना	19.45	फरवरी, 2008/ 2011-12
26	जम्मू तथा कश्मीर	उज्ह नदी के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग केयू/एस और डी/एस भेद्य स्थलों पर बाढ़ संरक्षण कार्यों के निर्माण के लिए स्कीम	14.6303	मार्च, 2008/ मार्च, 2010
27	जम्मू तथा कश्मीर	चिनाव नदी (डेराबाबा बंदा) त्रियूटरी हलियान (डोडा) तवी, सेतु जम्मू तथा कश्मीर पर महत्वपूर्ण कटावरोधी कार्य	14.93	मार्च, 2008/ मार्च, 2010
28	झारखंड	गेरूआ नदी के साथ विद्यमान दाएं तट को ऊंचा उठाना सुदृढ़ीकरण और विस्तार	20.12296	जुलाई, 2008/ मार्च, 2010

क्रम संख्या	राज्य का नाम	परियोजना/स्कीम का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रुपए)	मंजूरी का माह/वर्ष
29	पंजाब	जिला अमृतसर और गुरदासपुर में सक्की/किरण नालों की नालाबंदी	118.05	जून, 2008/ मार्च, 2010
30	उत्तर प्रदेश	सदानगर से आयरा सेतु तक शरदा नदी के बाएं किनारे के साथ सीमा तट वन का निर्माण	14.45	जनवरी, 2008/ मार्च, 2010
31	उत्तर प्रदेश	शारदा नदी के घाघरा नदी के दाएं किनारे और बाएं किनारे पर सीमा तटबंध का निर्माण	46.52	जनवरी, 2008/ मार्च, 2009
31	उत्तर प्रदेश	सिद्धार्थ नगर जिले में कुनरा नदी के दाएं किनारे पर महादेव उसका बंध का निर्माण	10.44	मार्च, 2008/ मार्च, 2010
33	उत्तर प्रदेश	जिला बलरामपुर में ताप्ती नदी के दाएं किनारे पर बलरामपुर - भदरिया बंध का निर्माण	12.51	मार्च, 2008/ मार्च, 2010
34	उत्तर प्रदेश	जिला बिजनौर में बालावती से सिमली तक गंगा के बाएं किनारे पर कटावरोधी कार्य	8.9887	सितंबर, 2008/ 2008-09
बड़ी और मझोली सिंचाई परियोजनाएं				
35	**छत्तीसगढ़**	महानदी जलाशय परियोजना	845.00 (संशोधित)	फरवरी, 2008/ मार्च 2008-09
36	हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में चनगेर क्षेत्र मझोली लिफ्ट सिंचाई परियोजना	88.09 (संशोधित)	अप्रैल, 2008/ 2009-10
37	हिमाचल प्रदेश	सहानेहर सिंचाई परियोजना हि. प्र.	310.89 (संशोधित)	जनवरी, 2008/ 2009-10
38	जम्मू तथा कश्मीर	परकाचिक हवास सिंचाई नहर, जिला कारगिल लद्दाख	35.44	जनवरी, 2008/ 2010-11
39	जम्मू तथा कश्मीर	रफियाबाद उच्च लिफ्ट सिचांई स्कीम ज और काश	63.61 (संशोधित)	फरवरी, 2008/ 2008-09
40	जम्मू तथा कश्मीर	बड़गांव जिला जम्मू तथा कश्मीर की अहजी नहर का आधुनिकीकरण	20.51	फरवरी, 2008/ 2009-10
41	जम्मू तथा कश्मीर	न्यू प्रताप नहर का आधुनिकीकराण (मझोली सिंचाई परियोजना)	47.60	सितंबर, 2008/ मार्च, 2010
42	केरल	कनहीरा पुज्हा मझोली सिंचाई परियोजना	30.00	अगस्त, 2008/ 2009-10
43	कर्नाटक	भाद्रा जलाशय परियोजना (बड़ी) की नहर पद्धति का आधुनिकीकराण्	951.00	मार्च, 2008/ 2009-10
44	कर्नाटक	हियारगी सिंचाई परियोजना (बड़ीड़ी	1521.78	अप्रैल, 2008/ 2010-11
45	मध्य प्रदेश	पुनासा लिफ्ट सिंचाई परियोजना	185.03 (संशोधित)	फरवरी, 2008/ 2007-08

क्रम संख्या	राज्य का नाम	परियोजना/स्कीम का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रुपए)	मंजूरी का माह/वर्ष
46	मध्य प्रदेश	लोअर गोई सिंचाई परियोजना	360.37	अगस्त, 2008-2012-2013
47	महाराष्ट्र	दूधगंगा सिंचाई परियोजना (महाराष्ट्र और कर्नाटक की संयुक्त उद्यम परियोजना)	1460.57	अप्रैल, 2008/ 2011-12
48	महाराष्ट्र	पूर्णा मझोली सिंचाई परियोजना	213.10 (संशोधित)	अप्रैल, 2008-2008-09
49	महाराष्ट्र	गोसी खुर्द सिंचाई परियोजना	7777.85 (संशोधित)	मई, 2008/ 2012-13
50	महाराष्ट्र	लोअर पेधी सिंचाई परियोजना	283.10	अगस्त, 2008/ मार्च, 2011
51	महाराष्ट्र	अपर कुंडली की मझोली सिंचाई परियोजना	72.70 (संशोधित)	सितंबर, 2008/ 2009-10
52	उड़ीसा	उड़ीसा एकीकृत सिंचित कृषि और जल प्रबंधन निवेश कार्यक्रम (ओआईआईएडब्ल्यूएमआईपी) खंड-2 उड़ीसा	627.48	अगस्त, 2008/मार्च, 2013
53	उत्तर प्रदेश	वन सागर नहर परियोजना	1674.11 (संशोधित)	अप्रैल, 2008/ 2009-10
54	उत्तर प्रदेश	मध्य गंगा नहर परियोजना चरण-2	1060.76	दिसंबर, 2008/ 2011-2012

जलापूर्ति एवं स्वच्छता

4.31.3 जल आपूर्ति तथा स्वच्छता क्षेत्र के बारे में विभिन्न राज्यों/संघशासित क्षेत्रों और पेयजल आपूर्ति विभाग तथा शहरी विकास विभाग के लिए वार्षिक योजना 2008-09 तैयार करने की कार्रवाई प्रगति पर है।

4.31.4 वार्षिक योजना 2008-09 दस्तावेज में शामिल किए जाने के लिए जल आपूर्ति तथा सफाई संबंधी अध्याय को अंतिम रूप दिया गया।

4.31.5 2005-06 से 2008-09 तक भारत निर्माण के ग्रामीण जलापूर्ति घटक के लक्ष्य/उपलब्धियां निम्न प्रकार हैं:

इस स्कीम का वित्तपोषण भारत सरकार द्वारा 50% के आधार पर किया जा रहा है और त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) के लिए पेयजल आपूर्ति विभाग (डीडब्ल्यूएस विभाग) के बजट में किए गए 7300 करोड़ रुपए के समग्र योजना परिव्यय का प्रयोग कर लिए जाने की संभावना है।

4.31.6 डीडब्ल्यूएस विभाग की वार्षिक योजना 2008-09 में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज में सुधार लाने के वास्ते केन्द्र प्रायोजित समग्र स्वच्छता अभियान (टीएससी) के लिए वार्षिक योजना 2007-08 में 1060 करोड़ रुपए की राशि के मुकाबले 1200 करोड़ रुपए की राशि शामिल है।

वार्षिक योजनाएं	लक्ष्य	उपलब्धि
भारत निर्माण के लक्ष्य (2005-06 से 2008-09 तक)	55067 कवर न की गई, 3.31 लाख पिछड़ गई, 2.17 लाख बस्तियां जल की गुणवत्ता से जुड़ी समस्याओं से प्रभावित थी	
वार्षिक योजना 2005-06		
सीएपी 99 के अनुसार	11897	13121
पिछड़ गई	34373	79544
गुणवत्ता प्रभावित	10000	4550
योग	**56270**	**97215**
वार्षिक योजना 2006-07		
सीएपी 99 के अनुसार	18120	12440
पिछड़ गई	40000	89580
गुणवत्ता प्रभावित	15000	5330
योग	**73120**	**107350**
वार्षिक योजना 2007-08		
सीएपी 99 के अनुसार	20931	11457
पिछड़ गई	84915	75201
गुणवत्ता प्रभावित	49653	94130
योग	**155499**	**180788**
वार्षिक योजना 2006-07		
सीएपी 99 के अनुसार	16774	15022
पिछड़ गई	103606	101756
गुणवत्ता प्रभावित	99402	155618
योग (अक्तूबर, 2008 तक)	**219782**	**272396**

परिणामी बजट 2008-09 में निर्धारित लक्ष्यों के संदर्भ में परिणामों की समीक्षा

4.31.7 **एआरडब्ल्यूएसपी** के अंतर्गत 7300 करोड़ रुपए के परिव्यय के मुकाबले वार्षिक योजना 2007-08 के परिणाम ये हैं कि "कवर न की गई (एनसी) 16774 बस्तियों, शेष 27664 बस्तियों, 103606 पिछड़ गई बस्तियों, 99402 जल गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों (कुल 219782 बस्तियों) को कवर किया जाए। मार्च, 2009 तक की उपलब्धि है: 15022 एनसी, 101756 पिछड़ गई, 155618 जल गुणवत्ता प्रभावित बस्तियां (कुल 272396 बस्तियां)।

4.31.8 **टीएससी के अधीन** 2008-09 के लिए 1200 करोड़ रुपए का परिव्यय है। मांग चालित स्कीम होने के कारण पहले से कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। तथापि 2008-09 के अंत तक 578 जिलों को कवर करने का प्रस्ताव है। अक्तूबर, 2008 तक सभी जिले मंजूर किए जा चुके हैं। उपलब्ध कराने का भी लक्ष्य रखा गया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 100% स्वच्छता कवरेज का लक्ष्य है।

4.31.9 समग्र स्वच्छता अभियान (टीएससी) के अंतर्गत (बीपीएल) परिवारों के लिए वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों के लिए प्रोत्साहन और यूनिट लागत के संशोधन के लिए मंत्रिमंडल अनुमोदन

समग्र स्वच्छता अभियान (टीएससी) के अंतर्गत (बीपीएल) परिवारों के लिए वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों के लिए प्रोत्साहन और यूनिट लागत के संशोधन के संबंध में मंत्रिमंडल की एक बैठक 14 अगस्त, 2008 को हुई थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आईएचएचएल की यूनिट लागत 2500/- रुपए (पर्वतीय क्षेत्रों में 3000 रुपए) प्रस्तावित की थी वित्तपोषण पद्धति बदलकर 60.28:12 (केन्द्रः राज्यः लाभार्थ) में बदल गई। प्रस्ताव, सुपर संरचना और एसबेस्टोज-भिन्न कवरिंग के साथ दो गड्ढों के लिए एक शौचालय की व्यवस्था करने का है। स्कीम का लक्ष्य 3.29 करोड़ रुपए बीपीएल परिवारों का है।

4.31.10 जल संसाधन प्रभाग ने आंध्र प्रदेश और केरल की विदेश सहाय्यित जल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजनाओं का आकलन किया तथा अपनी टिप्पणियां आर्थिक कार्य विभाग के माध्यम से विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषण हेतु पेयजल आपूर्ति विभाग को भेज दी।

4.32 महिला और बाल विकास

4.32.1 योजना आयोग में महिला और बाल विकास प्रभाग, महिला और बाल विकास मंत्रालय के निकट सहयोग से कार्य करता है, और 11वीं योजना के दृष्टिकोण पत्र में की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने और आलोच्य अवधि के दौरान महिलाओं की समग्र उत्तरजीविता, विकास, संरक्षण और भागीदारी व राष्ट्र के बच्चों का विकास सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। वर्ष 2008-09 के दौरान प्रभाव के प्रमुख कार्यकलापों का सारांश में उल्लेख निम्नलिखित पैराग्राफों में किया गया है।

4.32.2 प्रभाग ने, वार्षिक योजना 2008-09 दस्तावेज में समावेशन हेतु महिला और बाल विकास के संबंध में अध्याय का मसौदा भी तैयार किया जो चल रहे कार्यक्रम और नीतियों को ध्यान में रखते हुए 11वीं योजना में महिलाओं के सशक्तिकरण और बच्चों के विकास पर आधारित था।

4.32.3 प्रभाग ने महिला और बाल विकास मंत्रालय के वार्षिक योजना प्रस्ताव 2009-10 की जांच की और वित्तीय वर्ष के दौरान स्कीम-वार वित्तीय जरूरतों का जायजा लिया। प्रभाग ने मंत्रालय के वार्षिक योजना 2009-10 प्रस्तावों को अंतिम रूप देने के लिए सदस्य स्तर की बैठकों के वास्ते सार भी तैयार किया। प्रभाग ने विभिन्न राज्यों/संघशासित क्षेत्रों की वार्षिक योजना 2008-09 को अंतिम रूप देने के लिए मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के दौरान उपाध्यक्ष के प्रयोग के लिए महिला और बाल विकास से संबंधित क्षेत्रीय टिप्पणियां भी तैयार कीं। इसके बाद प्रभाग ने प्रत्येक राज्य/संघशासित क्षेत्र की वार्षिक योजना 2009-10 में महिला और बाल क्षेत्रक से संबंधित क्षेत्रीय परिव्यय को अंतिम रूप देने के लिए राज्य/संघराज्य क्षेत्र-वार कार्यकारी दलों की बैठकें आयोजित कीं। कार्यकारी दलों ने राज्य क्षेत्र नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की। मौजूदा अंतरालों, और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कमियों पर काबू पाने तथा नीतियों और कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए, विशेष रूप से स्वयंसेवी समूहों के गठन के माध्यम से स्व-रोजगार के निमित्त उनके कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए अपनी योजनाओं में उपयुक्त कार्यक्रम शामिल करने को प्रोत्साहित किया गया। राज्यों को लिंग बजट पद्धति और महिला घटक योजना अपनाने की भी सलाह दी गई।

4.32.4 प्रभाग ने संसद प्रश्नों का कार्य किया और योजना आयोग के अन्य विषय प्रभागों तथा मंत्रालयों/विभागों को उन संसद प्रश्नों के उत्तर

तैयार करने के लिए संगत सूचना प्रदान की जो उन्हें प्राप्त हुए थे। इसी प्रकार प्रभाग में अतिविशिष्ट व्यक्तियों से प्राप्त पत्रों का निपटान किया गया। साथ ही प्रभाग ने आर्थिक सर्वेक्षण 2007-08, संसद के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति के अभिभाषण, प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस पर भाषण में शामिल किए जाने के लिए महिलाओं और बच्चों के क्षेत्रक से संबंधित आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाई और उपाध्यक्ष, योजना आयोग तथा क्षेत्रक प्रभारी सदस्य के लिए भाषण और संदेश तैयार किए।

4.32.5 प्रभाग ने, वर्ष के दौरान महिला तथा बाल विकास मंत्रालय द्वारा विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालय/विभागों के लिए और राज्य सरकारों के लिए उन्हें लैंगिक बजटिंग के प्रति संवेदी बनाने के लिए आयोजित कार्यशालाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया। प्रभाग ने राष्ट्रीय महिला कोष (आरएमके) के शासी निकाय, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड (सीएसडब्ल्यूबी) के साधारण निकाय और राष्ट्रीय जन सहयोग तथा बाल विकास संस्थान (एनआईपीसीसीडी) के साधारण निकाय और कार्यकारी परिषद के सदस्य के रूप में योजना आयोग का प्रतिनिधित्व भी किया। प्रभाग ने, महिला और बाल विकास मंत्रालय की अनुसंधान सलाहकार समिति और 'स्टेप' परियोजना की संस्वीकृति समिति में भी भाग लिया। प्रभाग ने, राष्ट्रीय बाल नीति, 1974 की समीक्षा करने के लिए सलाहकार समूह में भाग लिया। प्रभाग ने, विभिन्न मंत्रालयों द्वारा लैंगिक समानता और सामाजिक बुराइयों से संघर्ष करने के लिए सरकारी कार्यक्रमों के अभिसरण और समन्वय और महिला तथा बाल विकास मंत्रालय द्वारा गठित लघुपोषण/कुपोषण पर काबू पाने के लिए कार्रवाई हेतु उपाय सुझाने के लिए कार्यदल की बैठक में भी सक्रिय रूप से भाग लिया।

4.32.6 महिला और बाल विकास क्षेत्रक के बारे में अनुसंधान अध्ययनों, संगोष्ठियों, सम्मेलनों आदि के लिए जो प्रस्ताव समाजार्थिक अनुसंधान प्रभाग (एसईआर, के माध्यम से प्राप्त हुए थे उनकी जांच की गई और उन पर टिप्पणियां प्रस्तुत की गईं।

4.32.7 वर्ष के दौरान प्रभाग ने परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभाग (पीएएमडी) के निकट सहयोग से, कार्यान्वयन जारी रखने हेतु ईएफसी ज्ञापनों के संबंध में महिला और बाल विकास मंत्रालय के विभिन्न प्रस्तावों की जांच की/मंजूरी प्रदान की तथा ग्यारहवीं योजना के दौरान वर्तमान एवं नए अंतःक्षेपों के संशोधित लागत मानको के अनुसार एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीमों के तीसरे चरण का विस्तार किया गया, काम करने वाली महिलाओं के बच्चों के लिए डे-केयर केन्द्र के निर्माण/विस्तार हेतु सहायता स्कीम को नए सिरे से बनाना तथा ग्यारहवीं योजना में महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम (स्टेप) के लिए सहायता जारी रखना।

4.32.8 प्रभाग ने प्रियदर्शिनी नामक एक नई स्कीम (सीएस) और एकीकृत बाल संरक्षण स्कीम (सीएसएस), आंतरिक योजना आयोग और साथ ही पूर्ण योजना आयोग के अनुमोदन के लिए एजेंडा पत्र की जांच की और उन्हें तैयार किया, जिसे अंततः सीसीईए ने अनुमोदित कर दिया।

4.32.9 प्रभाग ने, महिलाओं के शीघ्र समाजार्थिक विकास और सशक्तिकरण के लिए कार्यनीतियों की सिफारिश करने के लिए मंत्रियों के समूह को इन्पुट भी उपलब्ध कराए। दुग्धपान कराने वाली और गर्भवती महिलाओं के लिए सशर्त नकद मातृत्व लाभ स्कीम के लिए एक नई स्कीम तैयार करने के वास्ते भी पहल की गई।

4.32.10 **महिलाओं और बाल विकास क्षेत्रक का फ्लैगशिप कार्यक्रमः** एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम (आईसीडीएस) इस क्षेत्रक की एकमात्र फ्लैगशिप केन्द्र प्रायोजित स्कीम है जिसे वर्ष के दौरान संशोधित कया गया। 11वीं योजना के लिए स्कीम के लिए परिव्यय को 42,400 करोड़ रुपए से

बढ़ाकर 44,400 करोड़ रुपए कर दिया गया है। संशोधित आईसीडीएस के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और आंगनवाड़ी सहायकों (एडब्ल्यूएच) के लिए मानदेय की राशि बढ़ाकर क्रमशः 1000 रुपए से 1500 रुपए और 500 रुपए से 750 रुपए कर दिया गया है। उन्हें अब साड़ियां और बैज भी उपलब्ध कराए जाएंगे। सभी घटकों के लिए, पूर्वोत्तर के लिए पूरक पोषाहार सहित, केन्द्र और राज्यों के बीच लागत हिस्सेदारी अनुपात 90:10 और पूरक पोषाहर के लिए 50:50 तथा पूर्वोत्तर को छोड़कर, सभी राज्यों के लिए सभी अन्य घटकों के लिए 90:10 है। बच्चों (6-72 मास) के लिए पूरक पोषाहार का लागत मानदंड, दो रुपए प्रति दिन से बढ़ाकर चार रुपए, गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों (6-72 मास) के लिए 2.70 से बढ़ाकर 6.00 रुपए और गर्भवती व दुग्धपान कराने वाली माताओं के लिए 2.30 रुपए से 5.00 रुपए कर दिया गया।

4.32.11 वार्षिक योजना 2008-09 के लिए स्कीम के कारण परिव्यय की राशि 6300 करोड़ रुपए थी जिसमें से आईसीडीएस सामान्य और पूरक पोषाहार के लिए स्कीम के अंतर्गत जारी राशि 6294.50 रुपए है।

आईसीडीएस की भौतिक उपलब्धि की वर्तमान स्थिति इस प्रकार हैः

31.3.2009 को स्वीकृत आईसीडीएस परियाजनाओं की संख्या	7073
दिसंबर, 2008 को पूर्णतः चालू आईसीडीएस परियोजनाओं की संख्या	6120
दिसंबर, 2008 को रिपोर्ट करने वाली आईसीडीएस परियोजनाओं संख्या	6110
31.3.2009 को स्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या	13,56,027
दिसंबर, 2008 को चालू आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या	1,03,338
दिसंबर, 2008 को पूरक पोषाहार प्रदान करने वाली आंगनवाड़ियों की संख्या	908075
दिसंबर, 2008 तक पूरक पोषाहार प्राप्त करने वाले बच्चों (0-3) की संख्या	37493463
दिसंबर 2008 तक पूरक पोषाहार प्राप्त करने वाले बच्चों (0-6) की संख्या	33729429
दिसंबर, 2008 को पूरक पोषाहार प्राप्त करने वाली माताओं की संख्या	86053714
स्कूल-पूर्व शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों (0-3) की संख्या	33033645

4.33 प्रशासन एंव अन्य सेवाएं

4.33.1 प्रशासन

4.33.1.1 योजना आयोग का स्तर भारत के एक विभाग का स्तर है इसलिए कार्मिक और प्रशिक्षण के नोडल विभाग के माध्यम से भारत सरकार द्वारा जारी किए गए समस्त अनुदेश तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए विभिन्न सेवा नियमावली के तहत प्रावधान भी योजना आयोग में कार्यरत कर्मचारियों पर भी लागू होते हैं। प्रशासन, सामान्यतया इन मार्गदर्शी सिद्धांतों और विभिन्न सेवा नियमों के अनुसार कार्य करता है। योजना आयोग प्रशासन, योजना आयोग में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की जीवन-वृत्ति आकांक्षाओं के प्रति भी संवेदनशील रहा है और इस संबंध में समय-समय पर पर्याप्त कार्रवाई करता रहा है। इसके साथ ही प्रशासन अपनी स्टाफ संख्या को सही आकार देने की अपेक्षा की ओर भी विशेष ध्यान देता है और सिविल पदों में सीधी भर्ती के इष्टतमीकरण पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का निष्ठापूर्वक पालन करता है। योजना आयोग ने स्नातकोत्तर/अनुसंधान मांगों को योजना प्रक्रिया में अवगत करने के लिए एक इनटर्नशिप स्कीम भी प्रारंभ की है।

4.33.2 जीवन-वृत्ति प्रबंधन कार्यकलाप

4.33.2.1 वित्त वर्ष 2008-09 (अप्रैल से मार्च) के दौरान 51 अधिकरियों को अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं/संगोष्ठियों/बैठकों आदि में योजना आयोग/भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने अथवा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, जैसेकि विश्व बैंक, आईएपएफ, एपीओ आदि द्वारा विभिन्न देशों मे आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भेजा गया। इस अवधि के दौरान कैरियर प्रबंधन डेस्क द्वारा योजना आयोग के उपाध्यक्ष के विदेशी दौरों, सदस्यों के 11 दौरों संबंधी प्रस्तावों पर भी कार्रवाई की गई।

4.33.2.2 योजना आयोग और कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पीईओ) के आईईएस, आईएसएस, जीसीएस, पुस्तकालय स्टाफ आदि के लगभग 35 अधिकारियों को आर्थिक मामले विभाग, सांख्यिकी विभाग, आरबीआई-सीएबी, पुणे तथा विभिन्न अन्य सरकारी और सर्वायत्त संस्थानों/संगठनों द्वारा देश में विभिन्न स्थानों पर प्रायोजित/आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भेजा गया। उपर्युक्त के अलावा, सीएसएस, सीएससीएस तथा सीएसएसएसएस के लगभग 14 और अधिकारियों/कर्मचारियों को डीओपीटी विभाग और सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान (आईएसटीएम) नई दिल्ली द्वारा आयोजित अनिवार्य व अन्य विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भेजा गया।

4.33.2.3 आलोच्य अवधि में योजना आयोग ने उच्चतर रक्षा प्रबंध पाठ्यक्रम (एचडीएमसी), रक्षा प्रबंधन कालेज, सिकंदराबाद के अधिकारियों, भारतीय रेलवे विद्युतीय इंजीनियरी, नासिक के तीन संकाय सदस्यों के साथ 2006 बैच के 21 परिवीक्षार्थियों के लिए परिचय कार्यक्रम भी आयोजित किया। श्री के. एल. दत्ता, सलाहकार के नेतृत्व में एक चार सदस्यीय प्रतनिधिमंडल को नाइजीरिया सरकार के संघीय तथा राज्य वरिष्ठ योजना अधिकारियों को, 5 से 15 अक्तूबर, 2008 तक "विकास योजनाओं के प्रभावी निर्माण" पर एक कार्यशाला में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नाइजीरिया भेजा गया। प्रेजीडेन्ट्स आफिस, प्लानिंग कमीश्न, तन्जानिया, से दो तन्जानियाई अधिकारियों ने भी योजना आयोग की योजना प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करने के लिए 18 मई, 2009 को योजना आयोग का दौरा किया।

4.33.3 संगठन और पद्धति तथा समन्वय अनुभाग

ओ एंड एम समन्वय कार्य

4.33.3.1 वर्ष 2008-09 के दौरान सभी अनुभागों/प्रभागों का ओ एंड एम निरीक्षण करने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया गया है। कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पीईओ) के सभी 15 क्षेत्र कार्यालयों का भी निरीक्षण करने की योजना तैयार की गई है।

(i) योजना मंत्रालय की अनुदान मांगों के संबंध में वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों पर की गई कार्रवाई का समन्वय और संकलन।

(ii) योजना आयोग और कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन में वित्तीय तथा प्रशासनिक शक्तियों का प्रत्यायन।

(iii) संवीक्षा समिति द्वारा मंजूरी के लिए वार्षिक प्रत्यक्ष भर्ती योजना की जांच।

(iv) विभिन्न आवधिक विवरणियों का मंत्रिमंडल सचिवालय, सं. लो. से. आ./डीओपीटी आदि के लिए संकलन/समेकन और प्रस्तुतीकरण।

लोक/स्टाफ शिकायत समाधान तंत्र

4.33.3.2 योजना आयोग अपने दिन-प्रतिदिन के कामकाज में जनता के साथ कोई अन्योन्यक्रिया नहीं करता है। फिर भी, आयोग ने, जनता की और अपने सेवारत व साथ ही सेवानिवृत्त अधिकारियों

की, कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन व प्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान के कर्मचारियों सहित, शिकायतों से निपटने के लिए, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार एक आंतरिक शिकायत समाधान तंत्र की स्थापना की है। सलाहकार (प्रशासन), निदेशक शिकायत के रूप में कार्य करता है जिसकी निदेशक/उप-सचिव रैंक के तीन स्टाफ शिकायत अधिकारियों द्वारा सहायता की जाती है। लोक शिकायतों के प्रभावी मानीटरन और उनके शीघ्र निपटान हेतु योजना आयोग के इंटरनेट पर एक परस्पर सक्रिय वेब-समर्थित लोक शिकायत और मानीटरन पद्धति (पीजीआरएएमएस) कायम की गई है। शिकायतों के समाधान की स्थिति के संबंध में जानकारी नियमित आधार पर प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग को भेजी जाती है। 1 अप्रैल, 2008 से 31 मार्च, 2009 तक की अवधि के दौरान इस अनुभाग में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

4.33.4 हिंदी अनुभाग

4.33.4.1 वार्षिक योजना 2007-08 और 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) से संबंधित अनुवाद का पर्यवेक्षण और प्रूफ रीडिंग तथा एनडीसी व इसकी उप5समितियों की बैठकों से संबद्ध एजेंडा, कार्यवृत्त व अन्य सामग्री का अनुवाद कार्य हिंदी अनुभाग ने किया।

4.33.4.2 योजना आयोग के अनुभागों/प्रभागों से प्राप्त राजभाषा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 3(3) के अंतर्गत, विभिन्न प्रलेखों/पत्रों का अनुवाद करने के अलावा, हिंदी अनुभाग ने आश्वासनों, संसद प्रश्नों, स्थायी समिति से संबद्ध सामग्री, अनुदान मांगों, वार्षिक रिपोर्ट, मंत्रिमंडल टिप्पणी, प्रोटोकाल व अन्य करारों, फार्मों और प्रारूपों आदि का भी अनुवाद किया।

4.33.4.3 त्रैमासिक हिंदी प्रगति रिपोर्टें और वार्षिक कार्यक्रम की मूल्यांकन रिपोर्ट जैसी रिपोर्टें योजना आयोग के अनुभागों और अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त की गई तथा समुचित रूप से समीक्षा के बाद समेकित रिपोर्टें राजभाषा विभाग को भेजी गई।

4.33.4.4 योजना आयोग के प्रभागों, अनुभागों, अधिकारियों और स्टाफ तथा इसके यूनिट-कार्यालयों को अधिकतम कार्य हिंदी में करने के लिए प्रेरित किया गया। मार्च, 2009 में कोलकाता में एक संयुक्त हिंदी कार्यशाला भी आयोजित की गई जिसमें 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसके अलावा हिंदी कार्यान्वयन प्रकोष्ठ द्वारा हिंदी में सरकारी कार्य करने में हिचकिचाहट को दूर करने के लिए अनुभाग अधिकारियों/अधिकारियों के लिए अलग-अलग दो हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

4.33.4.5 योजना आयोग में और साथ ही इसके नियंत्रणाधीन कार्यालयों में भी विभिन्न सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग को तेज करने के लिए वर्ष के दौरान प्रयास किए गए। त्रिवेंद्रम और कोलकाता कार्यालय में रा. भा. निरीक्षण अयोजित किए गए। परिणामस्वरूप, पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष हिंदी के प्रयोग में वृद्धि हुई।

4.33.4.6 हिंदी टंकण और आशुलिपि में प्रशिक्षित कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग करने पर बल दिया गया। योजना आयोग के कंप्यूटरों से ई-मेल संदेश और अधिकारिक सूचना भी जारी की गई।

4.33.4.7 योजना आयोग ने "कौटिल्य पुरस्कार योजना" शुरू की है ताकि योजना आयोग के कार्य से संबंधित तकनीकी विषयों के बारे में उच्च कोटि के मूल हिंदी साहित्य लोख्न को बढ़ावा दिया जा सके।

4.33.4.8 "हिंदी दिवस" के अवसर पर गृहमंत्री और मंत्रिमंडल सचिव से संदेश प्राप्त हुए। इन संदेशों को योजना आयोग के स्टाफ के बीच तथा

इसके नियंत्रणाधीन अन्य कार्यालयों के बीच भी व्यापक रूप से परिचालित किया गया।

4.33.4.9 योजना आयोग और इसके अधीनस्थ कार्यालयों में हिंदी पखवाड़ा आयोजित किया गया, जिसमें हिंदी टंकण, हिंदी निबंध, हिंदी टिप्पण/प्रारूप में सफलतापूर्वक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। विजेताओं को नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए सभी को सांत्वना पुरस्कार दिए गए।

4.33.4.10 राजभाषा अधिनियम, नीति व विभिन्न अन्य प्रावधानों के संबंध में जानकारी को ठोस बनाने के लिए संयुक्त सचिव (प्रशासन) की अध्यक्षता में एक अंतर्मंत्रालयी राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस पर हिंदी के संबंध में एक संवाद भी आयोजित किया, जिसमें 30 से अधिक अधिकारियों ने भाग लिया।

4.33.5 पुस्तकालय तथा प्रलेखन केन्द्र

4.33.5.1 योजना आयोग का पुस्तकालय योजना भवन में स्थित कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, ईएसी, पश्चिमी घाट सचिवालय और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के अधिकारियों सहित, योजना आयोग के सभी स्टाफ सदस्यों को संदर्भ सेवा और पुस्तकें प्रदान करने की सुविधाएं उपलब्ध कराता रहा। इसने भारत सरकार के लगभग सभी पुस्तकालयों को अंतःपुस्तकालय ऋण सेवाएं भी मुहैया की हैं। अन्य विभागों के अधिकारियों तथा संस्थानों/विश्वविद्यालयों में पंजीकृत शोधकर्ताओं को परिसर के भीतर परामर्श और संदर्भ सुविधा प्रदान की गई।

4.33.5.2 पुस्तकालय ने अपने लगभग सभी क्रियाकलापों का कंप्यूटरीकण कर दिया। इन क्रियाकलापों के लिए अब लिबसिस प्राइमा नामक एक पुस्तकालय आटोमेशन साफ्टवेयर का प्रयोग किया जा रहा है। पुस्तकालय में इंटरनेट सुविधा भी उपलब्ध है जिसके जरिए आयोग के अधिकारियों को सूचना प्रदान की जाती है।

4.33.5.3 पुस्तकालय अपने प्रकाशन भी निकाल रहा है, जैसेकि (i) 'डाकप्लान' : पुस्तकालय में प्राप्त होने वाली चुनी हुई पत्रिकाओं से निकाले गए/चुने हुए लेखों की मासिक सूची, (ii) रिसेंट लिस्ट आफ एडीशंस (पुस्तकालय में शामिल की गई नई पुस्तकों की सूची), (iii) योजना आयोग के पुस्तकालय द्वारा मंगाई जा रही पत्र/पत्रिकाओं की एक सूची। पुस्तकालय ने योजना आयोग के अधिकारियों की मांग पर ग्रंथसूची भी उपलब्ध कराई।

4.33.5.4 रिपोर्टोधीन अवधि में, पुस्तकालय के संग्रह में अंग्रेजी की 876 और हिंदी की 223 पुस्तकें जोड़ी गई हैं। इसके अलावा पुस्तकालय में 210 पत्रिकाएं प्राप्त हुईं। पुस्तकालय ने संदर्भ संबंधी लगभग 8000 प्रश्नों के उत्तर में जानकारी प्रदान की और व्यक्तियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा किया। लगभग 13565 पाठक पुस्तकालय में परामर्श और संदर्भ कार्य के लिए आए।

4.33.5.5 शैक्षिक कार्यकलापः पुस्तकालय ने मीराबाई पालिटेक्निक, नई दिल्ली द्वारा प्रतिनियुक्त पुस्तकालय विज्ञान के 5 छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान किया।

4.33.5.6 कार्यशालाएं, संगोष्ठियां और सम्मेलन, सहायक पुस्तकालय तथा सूचना अधिकारी सहित पुस्तकालय के स्टाफ ने देश के विभिन्न भागों में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलनों, कार्यशालाओं और प्रशिक्षणों में भाग लिया।

4.33.6 राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र - योजना भवन यूनिट - योजना आयोग सूचना विज्ञान प्रभाग

4.33.6.1 योजना आयोग, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आधारभूत ढांचे संबंधी समिति (सीओआई), राष्ट्रीय ज्ञान आयोग तथा प्रधानमंत्री की आर्थिक

सलाहकार परिषद (ईएसी) की सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) आधारिक हार्डवेयर, साफ्टवेयर नेटवर्क संबद्ध वेब-आधारित प्रबंधन सूचना पद्धति (एमआईएस) और डाटाबेस विकास संबंधी सभी जरूरतें योजना आयोग में स्थित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, योजना भवन यूनिट द्वारा पूरी की जा रही हैं। 2008-09 के दौरान 31.3.2009 तक विभिन्न क्रियाकलापों का संक्षिप्त ब्यौरा नीचे प्रस्तुत है:

4.33.6.2 आधारिक ढांचा विकास

(i) **हार्डवेयर:** योजना आयोग द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आधारभूत ढांचा संबंधी समिति (सीओआई) तथा प्रधानमंत्री की विज्ञान भवन स्थित आर्थिक सलाहकार समिति (ईएसी) को कंप्यूटर हार्डवेयर और निकनेट (इंट्रानेट तथा इंटरनेट--दोनों से संबंधित नेटवर्क) की आवश्यक कंप्यूटर जरूरत सहायता प्रदान की जाती है। नई प्राप्तियों को न्यूनतम जीबी रैम और 19 टीएफटी स्क्रीन के साथ नवीनतम पीआईबी दोहरी कोर पद्धतियों के अनुरूप मानकीकृत किया गया है।

(ii) **लैन:** स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क (लैन) की पीजीसीआईएल 34 एमबीपीएस आप्टिकल फाइबर संपर्क, स्टैंड-बाई आरएफ संपर्क तथा 2 एमबीपी की तीन पट्टाशुदा लाइनों के जिरए निकनेट और इंटरनेट के साथ जोड़ा गया है। **पावर ग्रिड कार्पोरेशन लिमिटेड (पीजीसीएल) की मौजूदा पट्टाशुदा लाइन को योजना भवन प्रयोक्ताओं के लिए एड-आन 34 एमबीपीएस एमटीएनएल अतिरिक्त फाइबर कनेक्टिविटी के साथ 10 एमबीपीएस से 34 एमबीपीएस के रूप में स्तरोन्नत कर दिया गया है।** एलसी से आरसी पिचकोडों के माध्यम से सभी स्विचों को आप्टिकल फाइबर संयोज्यता से जोड़कर आंतरिक लैन का भी स्तरोन्नयन कर दिया गया है। आंतरिक नेटवर्क निर्माण भी विभिन्न "वीलैंस" के जरिए स्तरोन्नत कर दिया गया है और 'प्राक्सी' नए लेआउट के अनुसार अधिक तेज और सुरक्षित नेटवर्क संयोज्यता सहित पुनः संरूपित कर दी गई है। इस समय योजना आयोग के इंटरनेट में लगभग 650 ग्राहक, विभिन्न सर्वर और नेटवर्क प्रिंटर हैं।

(iii) **"वीलैन" कार्यान्वयन:** बेहतर, तेज और सुरक्षित नेटवर्क के लिए "वीलैन" को योजना भवन में कार्यान्वित कर दिया गया है तथा सभी कंप्यूटरों को एक नेटवर्क नेबरहुड में एकीकृत करने के वास्ते उसके लिए वीलैन पर एक **वेब-आधारित नेटशेयर** अनुप्रयोग विकसित किया गया है ताकि फाइलों/फोल्डरों का आदान-प्रदान किया जा सके; स्पैम/वाइरस आक्रमण को रोकने तथा इसे एक सुरक्षित नेटवर्क बनाने के लिए प्रत्येक मंजिल पर अप्रयुक्त पोर्टों को निष्क्रिय कर दिया गया।

(iv) **वीफी समर्थित वायरलैस इंटरनेट एक्सेस नेटवर्क कनेक्टिविटी:** पहले चरण में, "विलैन" 4400 सीरीज नियंत्रक के माध्यम से "सिस्को" प्रबंधित एक्सेस पाइंटों के जरिए विज्ञान भवन में पहली और दूसरी मंजिल के प्रयोक्ताओं के लिए एक कुशल आधुनिकतम तीव्र और सुरक्षित वीफी समर्थित वायरलैस इंटरनेट एक्सेस नेटवर्क स्थापित किया गया है, जिससे कि सभी वरिष्ठ अधिकारी बैठकों में भाग लेते समय अपने लैपटाप पर डाटा आसानी से प्राप्त कर सकें। इसके साथ ही पहली और दूसरी मंजिल पर सभी समिति कक्ष पूर्णतः वीफी हैं। इस कंट्रोलर का यह लाभ है कि इन एक्सेस पाइंटों का प्रबंधन किसी भी

निश्चित पूर्व-परिभाषित पाइंट से किया जा सकता है, जहां इसे नेटवर्क पर दूरस्थ वायरलैस के जरिए कायम किया जा सकता है। "लैप्स", सिस्को यूनिफाइड वायरलैस नेटवर्क आर्किटेक्चर का भाग है। इसके साथ, उपाध्यक्ष, राज्यमंत्री, सदस्यों, सभी प्रधान सलाहकारों/वरिष्ठ सलाहकारों, सलहाकारों के चेंबर और पहली व दूसरी मंजिल पर समिति कक्ष पूर्णतः वीफी समर्थित है।

(v) निकनेट के साथ वीपीएन (वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क) संयोज्यता का सुदृढ़ीकरणः

वीपीएन पर फाइल अंतरण प्रोटोकाल (एफटीपी) का प्रयोग करके योजना आयोग के प्रशासनिक नियंत्रण में वेबसाइटों के स्थानीय रूप से दूरस्थ अपडेशन के लिए **वीपीएन** (विशुद्धतः निजी नेटवर्क) संयोज्यता भी स्थापित कर दी गई है।

(vi) "निकनेट" पर "डेस्कटाप एक्जीक्यूटिव वीडियो कांफ्रेंसिंग सिस्टम (ईवीसीएस)" की स्थापना करना।

(क) भारत सरकार पिछले कुछ वर्षों में आयोजित की जा रही ई-शासन पहलों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करती है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी नूतनताओं और इनके कार्यान्वयन से हमारे दिन-प्रतिदिन के कार्यों के निष्पादन की विधियों में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। यह प्रौद्योगिकी वीडियो कांफ्रंसिंग जैसे विकल्पों की व्यवस्था करके यात्राओं की जरूरत का स्थान ले रही है। तुरंत निर्णय लेने को सुकर बनाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी मुख्य सचिवों/प्रशासकों तथा भारत सरकार के सभी सचिवों के डेस्कों पर कार्यकारी वीडियो कांफ्रेंसिंग सिस्टम (ईवीसीएस) स्थापित करने का निर्णय लिया गया। उपरोक्त के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 35 मुख्य सचिवों/प्रशासकों और भारत सरकार के 79 सचिवो के डेस्को पर "निकनेट" पर कार्यकारी वीडियो कांफ्रेंसिंग पद्धति (ईवीसीएस) पहले ही स्थापित कर दी गई है जिससे कि अंतर्मंत्रालयी परामर्शों और तुरंत निर्णय लेने में काई बाधा उत्पन्न न हो। "ईवीसीएस" से जुड़े किसी भी व्यक्ति द्वारा प्वाइंट से प्वाइंट तक वीडियो कांफ्रेंसिंग शुरू की जा सकती है और एनआईसी, दिल्ली के माध्यम से बहु-प्वाइंट वीडियो कांफ्रेंसिंग की व्यवस्था की जा सकती है।

(ख) वीडियो कांफ्रेंसिंग प्रौद्योगिकी अब सम्मेलन कक्षों से बाहर आ गई है। यहां यह पारंपरिक रूप से सीमित थी। इसका श्रेय वीडियो कांफ्रंसिंग उपस्करों की औसत कीमत में भारी कटौती और नेटवर्क ढांचे और बैंडविड्थ क्षमताओं में कुल मिलाकर हुए सुधार को जाता है। "निकनेट" नामक राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के विद्यामन आईपी आधारित नेटवर्क ढांचे का उपयोग, उत्तम कोटि की वीडियो कांफ्रेंसिंग के लिए आवश्यक उच्च गति बैंडविड्स की व्यवस्था करने के लिए किया गया है।

(ग) प्रमुख तकनीकी चुनौती एक ही वर्चुअल बैठक में पूर्ण नेटवर्क विश्वसनीयता के साथ और यह सुनिश्चित करते हुए "ईवीसीएसएनईटी" पर संचार सुरक्षित है, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 35 मुख्य सचिवों/प्रशासकों को जोड़ने की है। एक अन्य तकनीकी चुनौती 'निकनेट' पर सेवा की कोटि कार्यान्वित करने की है जो आईपी नेटवर्क पर वीडियो कांफ्रेंसिंग जैसे रियल टाइम अनुप्रयोगों पर अमल करने के लिए बहुत जरूरी है।

(घ) इस परियोजना को विद्यमान आईपी आधारित नेटवर्क अव-स्थापना-"निकनेट" पर कार्यान्वित किया गया है जिसके अंतर्गत संचार की कम लागत और सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रो के योजना सचिवों को सुविधा प्रदान करना सम्मिलित है। एनआईसी, योजना भवन यूनिट में "वाइस एंड वीडियो ओवर इंटरनेट" के योजना सचिवों को सुविधा प्रदान करना सम्मिलित है जिससे कि उच्च स्तरीय अधिकारियों को आईपी पर बेहतर संचार पद्धति उपलब्ध हो सके। इसके प्रयोग के लिए भी प्रशिक्षण प्रदान किया गया है तथा वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष इसका प्रदर्शन भी किया गया है। इस परियोजना को विद्यमान आईपी आधारित नेटवर्क अवस्थापना "निकनेट" पर कार्यान्वित किया गया है जिसमें संचार की कम लागत सम्मिलित है और बहुत जल्द ही बहुप्वाइंट वीसी सुविधा योजना आयोग में भी अमल में लाई जाएगी। एनआईसी-योजना भवन यूनिट योजना आयोग में उपाध्यक्ष योजना आयोग, सदस्य (डॉ. पारिख) और सचिव (पीसी) की वीडियो कांफ्रेंस के संबंध में सचिव आनलाइन चर्चा करने के दौरान पूरी सहायता प्रदान की और अब इसका व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है।

(vii) इंटरनेट और मेल सुविधाः योजना आयोग अवस्थापना संबंधी समिति (सीओआई), ईएसी, अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान (आईएएमआर), नरेला और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के सभी कार्मिकों को इंटरनेट तथा ई-मेल के लिए सभी प्रकार का सहयोग प्रदान किया गया है। योजना आयोग के मेल एकाउंट्स का अद्यतन और नियमित अनुरक्षण किया जाना जारी है। संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के स्तर के सभी अधिकारियों को निकनेट टेलीकंप्यूटिंग प्रोग्राम के अंतर्गत उनके निवास स्थान पर कंप्यूटर प्रणालियां, अर्थात डेस्कटाप/लैपटाप तथा ब्राडबैंड संयोज्यता प्रदान कर दी गई है।

(viii) बैक-अप सेवाएंः योजना भवन में एक शक्तिशाली बैक सर्वर स्थापित किया गया है। इस बैक-अप सर्वर में वेरीटास नेट बैक-अप सर्वर 6.5 साफ्टवेयर आरोपित किया गया है जिसमें शामिल हैंः प्रक्रमी बैक-अप, संश्लिष्ट बैक-अप, मुक्त फोरमैट बैक-अप, शून्य डाउनटाइम सहित सर्वर बैक-अप और साथ ही इसमें आपदा बहाली आदि का भी विकल्प है। इसमें समूची प्रणाली, प्रचालन प्रणाली सहित, सर्वरों की इमेज, डाटा सहित एप्लीकेशन और पैच विवरण ग्रहण करने की क्षमता है जिससे कि लैन अथवा किसी अन्य मीडिया के माध्यम से बहाली सुनिश्चित की जा सके। बैक-अप सर्वर सभी सर्वरों के लिए और 100 डेस्कटाप और लैपटाप एजेंटों (डीएलओ) के लिए भी बैक-अप सेवाएं प्रदान करता है।

(ix) प्रणाली संचालन (सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन): मौजूदा प्रोक्सी सर्वर को अधुनातन आइएसए 2004 सर्वर के साथ स्तरोन्नत कर दिया गया है। सभी प्रशासनिक सर्वरों, अर्थात प्राक्सी सर्वर, डाटाबेस सर्वर, पीसी सर्वर, एंटी वायरस और पैच मैनेजमेंट सर्वर का संचालन किया गया तथा वह चल रहा है। सर्वरों के बचाव और सुरक्षा के लिए समय-समय पर सभी सर्वरों के लिए आधुनिक सेवा पैक, सिक्युरिटी पैच तथा एंटी वायरस अपडेट्स स्थापित किए गए हैं।

(x) प्रयोक्ता सहयोगः योजना आयोग के प्रयोक्ताओं को तथा प्रधानमंत्री की विज्ञान भवन में स्थित आर्थिक सलाहकार समिति (ईएसी) को, जब कभी आवश्यक होता है,

सभी प्रकार का तकनीकी सहयोग (हार्डवेयर/साफ्टवेयर) प्रदान किया जाता है जैसेकि एंटीवायरस पैकेज, इंटरनेट और नेटवर्क संयोज्यता के लिए प्रयोक्ता मशीन का समरूपण, ई-मेल आदि) जैसे विभिन्न साफ्टवेयरों की स्थापना। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में विज्ञान भवन में आधारित आधारभूत ढांचे संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन; और साथ ही 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) को अनुमोदित करने के लिए विज्ञान भवन में 2008-09 के दौरान आयोजित राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) की 54वीं बैठक के लिए हाल ही में पिछली बैठक, जो 20 सितंबर, 2008 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ऊर्जा नीति पर चर्चा करने और कृषि, शिक्षा क्षेत्रक पर विचार व अंतिम रूप देने, तथा 11वीं योजना (2007-12) अनुमोदित करने के लिए हुई थी, के लिए भी आवश्यक सहायता प्रदान की गई तथा सभी एनडीसी बैठकों के उद्घाटन और समापन सत्र, विश्व में सर्वत्र इस राष्ट्रीय पहुंच का विस्तार करने के लिए, किसी भौतिक अथवा भौगोलिक सीमाओं के बगैर, एनआईसी द्वारा इंटरफेस पर सजीव वेबकास्ट किए गए।

(xi) **सेंट्रलाइज्ड एंटी-वायरस सोल्यूशनः** योजना भवन, ईएसी और एनकेसी में ट्रेंड माइक्रो-आफिस स्केन इंटरप्राइज एडीशन साफ्टवेयर वर्जन 8910/1002/5 के साथ एंटी-वायरस सोल्यूशन हेतु एक अद्यतन सेंट्रलाइज्ड सर्वर स्थापित किया गया है। नेटवर्क में वर्म्स फैलने से रोकने के लिए योजना आयोग में एक **पेच मैनेजमेंट सर्वर** भी स्थापित कर दिया गया है। सर्वर और ग्राहाकों पर एंटी-वायरस और पैचेज का नियमित अद्यतनीकरण/स्तरोन्नयन किया गया है। रोजमर्रा के आधार पर संक्रमित मशीन का मानीटरन तथा वायरस की समय-समय पर सफाई की गई है।

(xii) **योजना आयोग में "स्पेटिअल डाटा, इंफ्रास्ट्रक्चर फार मल्टी-लेयर्ड ज्योग्राफिकल इंफार्मेशन सिस्टम (जीआईएस) फार प्लानिंग":** नामक योजना आयोग द्वारा प्रायोजित एक नई केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम (सीएस), एनआईसी की सहायता से निष्पादित की जा रही है तथा इसे योजना आयोग में चालू कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति वीडियो-वाल पर देश के सभी क्षेत्रों के मल्टी-लेयर नक्शे देख सकता है। उपाध्यक्ष, योजना आयोग, श्री मोंटेक सिंह अहलुवालिया ने 17 फरवरी, 2009 को वीडियो हाल का उद्घाटन किया तथा योजना आयोग के लिए जीआईएस के संबंध में प्रस्तुतीकरण योजना आयोग के सभी सदस्यों, सचिव, प्रधान सलाहकार व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को किए गए हैं। माननीय ई-शासन मंत्री, पंजाब सरकार, ने भी उपाध्यक्ष के विशेष आमंत्रित के रूप में इसमें भाग लिया और उन्होंने जी आईएस के अनुप्रयोग में गहरी रुचि प्रदर्शित की। बाद में, मास के दौरान एनआईसी-योजना भवन यूनिट ने भी योजना आयोग के सभी अधिकारियों के लिए वीडियो-वाल पर 25 फरवरी, 2009 को "नेशनल जीआईएस पोर्टल" की एक समीक्षा की भी व्यवस्था की। योजना भवन में वार्षिक योजना 2009-10 बैठक के दौरान बिहार और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के समक्ष भी प्रदर्शित किया गया। उल्लेखनीय है कि योजना आयोग ने दो जीआई परियोजनाएं शुरू की हैं, अर्थात

(क) स्पेटिअल डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर फार मल्टी-लेयर जीआईएस फार प्लानिंग (जीआईएस)

(ख) कंप्यूटर एडिड डिजिटल मैपिंग आफ सिक्स मेगा सिटीज।

(ग) इन परियोजनाओं को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा आयोजित किया जाता है। उपरोक्त प्रोजेक्ट "नेशनल जीआईएएस वेब पोर्टल" के रूप में "फ्रेमवर्क सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर" सृजित करने में समर्थ है जिससे बहु-स्रोतों से डाटा की हिस्सेदारी और स्थान का लाभ उठाने में सुविधा मिलती है - विशिष्ट जीआईएस सेवाएं, जिनसे योजना और ई-शासन प्रोसेस में सम्मिलित विभिन्न पणधारियों की जरूरत के अनुसार और प्रथागत बनाया जा सकता है।

वेब-आधारित एमआईएस और डाटाबेस

4.33.6.3 केन्द्रीय योजना मानकीकरण सूचना पद्धति (सीपीएलएएन-एमआईएस): यह एक वेब-आधारित मानकीकरण सूचना पद्धति है जिसे योजना आयोग द्वारा एनआईसी योजना भवन यूनिट को विकास के लिए सौंपा गया है। जिससे कि सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा वर्ष 2008-09 के लिए केन्द्रीय क्षेत्रक और केन्द्र प्रायोजित स्कीमों की वार्षिक योजना और 11वीं योजना चर्चा के लिए आनलाइन डाटा प्रविधि/अद्यतन बनाने का काम किया जा सके। आउट कम बजट 2007-08 के अनुसार परिव्यय और आउट कम/लक्ष्य (2007-08) का विवरण और अद्यतन वार्षिक उपलब्धि, विशेष रूप से देशज संसाधनों द्वारा अथवा विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित करने के लिए परियोजनाओं/कार्यक्रम; जो स्कीम समाप्त कर दी गई है अथवा जिन्हें मिला दिया है आदि का ब्यौरा इस एमआईएस के जरिए सृजित किया जाएगा। इसके लिए एक वेब-आधारित एमआईएस डिजाइन और विकसित की गई है अर्थात यूआरएल http://pcserver.nic.in/cplan ।

4.33.6.4 योजना आयोग के सचिव के निदेशानुसार वार्षिक योजना 2009-10 को अद्यतन बनाने के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों के नोडल अधिकारियों को अवगत कराने के लिए 31 दिसंबर, 2008 तक आनलाइन इन्पुट प्रदान करने के लिए दो सत्रों में एक कार्यशाला आयोजित की गई है। निम्नलिखित स्क्रीन ले आउट और माड्यूल पहले डिजाइन और विकसित किए जा चुके हैं। लगभग 20 मंत्रालयों/विभागों ने वार्षिक योजना 2009-10 तैयार करने के लिए साइट लानलाइन को अद्यतन बना दिया और शेष ने एक्सेल वर्कशीट फार्मेट में अपलोड कर दिया है और वेब-आधारित अनुप्रयोग के जरिए साफ्ट प्रतिलिपि उपलब्ध कराने और अपलोड करने के लिए सफलतापूर्वक अनुप्रयोग किए हैं।

- उपभोक्ता प्रोफाइल सृजित करने/उसे अद्यतन बनाने के लिए माड्यूल, तीन प्रकार के उपभोक्ता हो सकते हैं: प्रशासक, मंत्रालय स्तर, उपभोक्ता और विभागीय स्तर उपभोक्ता। एक प्रशासक इस पद्धति का शिखरतम स्तर का उपभोक्ता होगा और उसे मंत्रालय स्तर की और साथ ही विभागीय स्तर की सुलभता उपलब्ध होगी और वह अद्यतन उपभोक्ता प्रोफाइल को अद्यतन बना सकता है।
- सरकारी क्षेत्रक उद्यमों (पीएचडी) के लिए प्रविष्टि/उसे अद्यतन बनाने के लिए तथा प्रधानाध्यापकों का विकास करने के लिए माड्यूल विकसित किए गए हैं।
- **आनलाइन प्रविष्टि/अद्यतन बनाने के लिए माड्यूल डिजाइन और विकसित तथा निम्नलिखित प्रोफार्माओं में रिपोर्ट दर्शाना।**

- देशज संसाधनों द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित कार्यक्रम/परियोजनाएं।
- वार्षिक योजना (2008-09): विदेशी सहाय्यित स्कीमें/कार्यक्रम/परियोजनाएं।
- 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-08 से 2011-12) के लिए आंतरिक तथा बजट बाह्य संसाधनों (आईबीईआर) का अनुमान और 10वीं पंचवर्षीय योजना का निष्पादन।

4.33.6.5 राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट-2009 के संबंध में प्रबंध सूचना पद्धति (एनएचडीआर 2009): यह एक वेब-आधारित परियोजना है इसमें राष्ट्रीय और राज्य-वार तालिका, विश्लेषण, जीआईएस नक्शे, लैंगिक असमानता जैसे विभिन्न प्राचल; गरीबी, आर्थिक उपलब्धियां, शैक्षिक उपलब्धियां, स्वास्थ्य सुविधाएं, विद्युत स्थिति, सामाजिक संकेतक, एनएसएस डाटाओं के विकास के लिए एक प्रजातांत्रिक देश के लिए आवश्यक सभी संकेतक वर्गीकृत किए गए हैं। रिपोर्ट को आमतौर पर अर्थव्यवस्था और अन्य सामाजिक सांख्यिकी के विभिन्न संकेतकों पर प्रत्येक पांच वर्ष में विकसित किया जाता है। शिक्षा और स्वास्थ्य के संबंध में राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2008 के सामाजिक क्षेत्रक के संबंध में 29 एक्सेल डाटाशीटों को परियोजना में कार्यान्वयन हेतु माइक्रोसाफ्ट एसक्यूएल सर्वर डाटाबेस में बदला गया है। वेबसाइट ले आउट और रिपोर्ट ले आउट का डिजाइनिंग का कार्य प्रगति पर है।

4.33.6.6 पका मध्याह्न भोजन (सीएमडीएम): एक मूल्यांकन अध्ययन - वेब-आधारित डाटा विश्लेषण पद्धति- पका मध्याह्न भोजन स्कीम (सीएमडीएम) के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए एक सर्वेक्षण आयोजित किया गया और विभिन्न मुद्दों के संबंध में डाटा एकत्र किया गया है जैसेकि:

- निधियों का प्रवाह और उपयोग
- खाद्यान्न उपयोग
- लाभार्थी विवरण आदि

यह विभिन्न स्रोतों से किया गया जैसेकि राज्य, जिला, ब्लाक, ग्राम, लाभार्थी, जो 10 पूर्व निश्चित प्रोफार्मा में था। इस परियोजना को स्कीम के संबंध में मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने में योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पीईओ) की सहायता करने के लिए डिजाइन और विकसित किया जा रहा है। ग्राम कार्यक्रम के लिए वेब-आधारित ***"डाटा एनालिसिस सिस्टम फार सीएमडीएम"*** विकसित की गई है। इस प्रणाली को, जब भी डाटा और इन्पुट अनुसूचियां आना शुरू हो जाएं, पीईओ प्रभाग की आवश्यकतानुसार मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने के लिए अमल में लाया जा रहा है।

4.33.6.7 भारत निर्माण फ्लैगशिप कार्यक्रम के ग्रामीण सड़क घटक के संबंध में मूल्यांकन अध्ययन हेतु डाटा विश्लेषण पद्धति: भारत निर्माण के ग्रामीण सड़क घटक के कार्यान्वयन की सफलता का आकलन करने और कार्यक्रम के कार्यान्वयन में बाधाओं का, यदि कोई हो, विनिर्धारण करने के उद्देश्य से योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा एक देशव्यापी सर्वेक्षण आयोजित किया गया है।

- सात पूर्व निश्चित तालिकाओं, जैसेकि राज्य, जिला ब्लाक, सड़क, बस्ती, लाभार्थी और प्राथमिकतापूर्ण समूह के माध्यम से राज्य, जिला, ब्लाक आदि जैसे विभिन्न स्तरों से, वित्तीय निष्पादन नई संयोजकता की दृष्टि से भौतिक निष्पादन, कवर हुई बस्तियों, कवर हुई लंबाई, कोटि नियंत्रण पद्धति की स्थिति और कारगरता, लाभार्थी ब्यौरे आदि जैसे विभिन्न मुद्दों के संबंध में डाटा एकत्र किया गया है।

- डाटाबेस और एकत्रित डाटा के विश्लेषण के लिए एक कंप्यूटरीकृत पद्धति विकसित करने के लिए संबंधित प्रभाग के अनुरोध के अनुसार ग्रामीण सड़क मूल्यांकन अध्ययन के संबंध में एक वेब-आधारित डाटा विश्लेषण पद्धति का प्रस्ताव किया गया है और पद्धति का विकास करने के लिए प्रारंभिक चर्चाएं पूरी हो गई हैं। मार्च, 2009 के दौरान निम्नलिखित कार्यकलाप आयोजित किए गए:
- पूरे हो गए अध्ययन की लाभार्थी तालिका के लिए डाटाबेस डिजाइन।
- पूरी हुई बस्ती तालिका के संबंध में डाटाबेस डिजाइन और चल रहा साफ्टवेयर विकास।
- पूरी हो गई ब्लाक स्तर तालिका डाटा से रिपोर्टें तैयार करने के लिए सफ्टवेयर प्रशिक्षण चल रहा है।
- राज्य और जिला स्तर से रिपोर्टें तैयार करने के लिए साफ्टवेयर विकास-तालिका डाटा चल रहा है।
- ब्लाक और बस्ती स्तर रिपोर्टों में पीई द्वारा अपेक्षित परिवर्तन समाविष्ट करने के लिए साफ्टवेयर में संशोधन किया गया।

4.33.6.8 राज्य वित्त के संबध में डाटा - एमआईएस: यह एक वेब-आधारित मानीटरन सूचना पद्धति है जिसे योजना आयोग के वित्तीय संसाधन प्रभाग द्वारा आनलाइन द्वारा प्रविष्टि के विकास, उसके उन्नयन तथा 1980 और उसके बाद से सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से राजस्व और व्यय के संबंध में राज्य वित्त के संबंध में डाटा पुनः प्राप्ति पद्धति तैयार करने के लिए एनआईसी योजना भवन यूनिट को सौंपा गया है। राज्य वित्त के संबंध में डाटाबेस के अंतर्गत केन्द्र और राज्यों तथा राज्यों और स्थानीय शासनों के बीच राजकोषीय शक्तियों के विभाजन से संबंधित केन्द्र और राज्यों के राजकोषीय संघवाद को तथा अंतर क्षेत्राधिकार संबंधी शेष रहती समस्याओं और कर सामंजयीकरण को ध्यान में रखा जाएगा। डाटाबेस के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर बल दिया गया है:

- लोक वित्त
- वृहत अर्थशास्त्र, विशेष रूप से राजकोषीय, मौद्रिक और वाणिज्यिक नीति
- वृहत अर्थशास्त्र, विशेष रूप से सरकारी क्षेत्रक और शहरी अर्थशास्त्र तथा उद्योग अध्ययन
- आयोजना और विकास
- आर्थिक सिद्धांत और क्रियाविधि

डाटाबेस के अंतर्गत सम्मिलित है:

- राजस्व प्रबंधन
- व्यय प्रबंधन, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में

सिस्टम का डिजाइन और ले-आउट तैयार कर लिया गया है तथा वेब-आधारित अनुप्रयोग का विकास किया जा रहा है। योजनागत, योजनेतर परिव्यय व्यय आदि के लिए पुनः प्राप्ति माड्यूल विकसित किए गए हैं तथा अनेक अन्य और माड्यूलों का विकास किया जा रहा है।

4.33.6.9 योजना प्रशासन के लिए एमआईएस: यह योजना आयोग के प्रशासन अनुभागों से संबद्ध विभिन्न कार्यकलापों से संबंधित रिकार्डों के पंजीकरण की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक वेब-आधरित जी2-ई प्रबंधन सूचना पद्धति (http://pcserver/yojna.admn) है। योजना आयोग के विभिन्न प्रभागों की आवश्यकतानुसार ई-अभिशासन पहलों के तहत एमआईएस का विकास। सिस्टम के विभिन्न माड्यूल हैं:

i. **वेतनवृद्धि डाटाबेस:** योजना भवन में कर्मचारियों की वेतनवृद्धि का विवरण बनाए रखने के लिए एक वेब आधारित सिस्टम

का विकास किया गया है। इससे कर्मचारियों के वर्तमान वेतनमान, विद्यमान वेतन वृद्धि, भावी वेतन आदि का रिकार्ड रखा जाता है। इससे, एक मास विशिष्ट में अद्यतन बनाने के लिए, कर्मचारियों के रिकार्ड का पता चलता है। यह प्रत्येक कर्मचारी का वेतनवृद्धि आदेश भी प्रिंट करता है।

ii. **छुट्टी प्रबंधन सूचना प्रणाली (लीवेमिस):** योजना आयोग के कर्मचारियों की छुट्टी का रिकार्ड रखने के लिए एक वेब-आधारित पद्धति विकसित की गई है। इससे विशिष्ट अवधि के संबंध में कर्मचारी की डाटा एंट्री, अद्यतन बनाने और रिपोर्टों के सृजन में सुविधा होती है। इससे रिपोर्ट करने वाले अधिकारी को छुट्टी मंजूर करने से पहले कर्मचारी की छुट्टी की स्थिति चैक करने में सुविधा होती है। एमआईएस में और संशोधन करने तथा उसके विस्तार का कार्य चल रहा है।

iii. **पद स्थापना का विवरण :** इसमें, कमरा नं., टेलीफोन नं. अधिकारी/प्रभाग/कमरे में तैनाती/टेलीफोन नं. और तैनाती की अवधि का रिकार्ड रखा जाता है। माड्यूल में डाटा एंट्री, अद्यतन बनाना और रिपोर्ट करने की विशेषताएं शामिल हैं। माड्यूल को योजना आयोग में अपनाया गया है।

iv. **पेंशनभोगियों का विवरण:** विकास पेंशन माड्यूल का विकास किया गया है तथा इसे योजना एडमिन में एकीकृत किया गया है। इसमें डाटा एंट्री, अद्यतन बनाने और तीव्र डाटा पुनः प्राप्ति सुकर बनाने के लिए क्षेत्र के किसी मिश्रण के संबंध में पूछताछ का विकल्प है।

v. **मास्टर अपडेट माड्यूल:** इस माड्यूल को कर्मचारी के पदनाम, नाम को अद्यतन बनाने तथा वेनतवृद्धि मास को अद्यतन बनाने के लिए जोड़ा गया है। ड्रापडाउन सूची से नाम के चयन के आधार पर इससे कर्मचारी के रिकार्ड को अद्यतन बनाए रखने में मदद मिलती है।

4.33.6.10 सरकारी आवास प्रबंधन पद्धति (जीएएमएस): जीएएमएस को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए योजना आयोग के सभी लेखा अनुभागों को आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। जीएएमएस, एक आनलाइन लाइसेंस फीस संग्रह और मानीटरन पद्धति है।

4.33.6.11 केन्द्रीयकृत लोक शिकायत समाधान और मानीटरन पद्धति (सीपीजीआरएएमएस): सीपीजीआरएएमएस के संबध में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशासन प्रभाग और एनआईसी यूनिट के अधिकारियों ने भाग लिया। सिस्टम को कार्यान्वित करने के लिए योजना आयोग के प्रशासनिक अनुभागों को आवश्यक सहायता प्रदान की गई है।

4.33.6.12 केन्द्रीयकृत पेंशन शिकायत समाधान और मानीटरन पद्धति (पीईएनजीआरएएमएस): एनआईसी के सहयोग से पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने, केन्द्रीयकृत पेंशन शिकायत समाधान और मानीटरन पद्धति (सीपीईएनजीआरएएमएस) के संबंध में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के लोक/पेंशन शिकायत अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। पेंशनभोगियों की सभी शिकायतों को भारत सरकार के पेंशनर्स पोर्टल पर प्रस्तुत करने के लिए मानीटरन हेतु पद्धति पर अमल करने के लिए पहल की गई है।

4.33.6.13 केन्द्रीयकृत एसीसी रिक्ति मानीटरन पद्धति (एवीएमएस) - एनआईसी द्वारा डिजाइन व विकसित एक ई-अभिशासन साधन: एनआईसी मुख्यालय में होस्ट की गई एक वेब-आधारित

कंप्यूटरीकृत मानीटरन पद्धति की स्थापना को चालू कर दिया गया है जिससे एसीसी अनुमोदन प्राप्त करने के लिए मामलों पर समय पर कार्यवाही करने में सुविधा होती है। इस पद्धति को http://avms.gov.in के रूप में यूआरएल के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। एनआईसी, योजना भवन यूनिट, पदनामित नोडल अधिकारी को डाटाबेस को अद्यतन बनाने में सहायता प्रदान करता है। कार्मिक विभाग ने, एसीसी रिक्ति मानीटरन पद्धति (एवीएमएस) के संबंध में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के नोडल अधिकारियों के लिए 10 दिसंबर, 2008 को एक प्रशिक्षण-सह-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें एनआईसी-योजना भवन यूनिट से दो अधिकारियों तथा योजना आयोग से पदनामित नोडल अधिकारी ने भाग लिया।

4.33.6.14 विस्तृत डीडीओ पैकेज - एनआईसी द्वारा विकसित एक ई-अभिशासन साधनः योजना आयोग में वेतन संवितरण में चुस्ती लाने के लिए एक विस्तृत डीडीओ पैकेज का कार्यान्वयन प्रारंभ किया गया है तथा निकट भविष्य में सभी माड्यूल योजना आयोग में कार्यान्वित किए जाएंगे। पहले, इसके कार्यान्वयन को योजना आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया था। सीडीडीओ पैकेज से अनेक स्थानों पर पैकेजों को संशोधित करने में दोहरे प्रयासों से बचने में मदद मिली है। एनआईसी यूनिट ने व्यापक डीडीओ पैकेज (कोम्प डीडीओ) पर पांच दिन की एक कार्यशाला भी आयोजित की और अब इसे छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के जारी होने से सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया।

4.33.6.15 योजना आयोग व्यय मानीटरन पद्धति (पीसी-ईएमएस): योजना के संबंध में योजना और योजनेतर दोनों प्रकार के खर्च का मानीटरन तथा अनुदान मांगों के साथ एकीकरण करने के लिए एक वेब-आधारित एमआईएस। इसका मांगों और अनुदानों के साथ भी एकीकरण किया गया है और कार्यान्वित किया गया है। आईएफए (एकीकृत वित्त लेखे) प्रभाग के लिए साफ्टवेयर का विकास किया गया है तथा इसका मासिक व्यय और अनुदान मांगों का मानीटरन करने हेतु अनुरक्षण किया जा रहा है। एमआईएस के अंतर्गत, अनुदान मांगें; योजना बजट संयोजन व बजट अनुमानों तथा संशोधित अनुमानों के अनुसार योजना व योजनेतर विवरण को चित्रित करते हुए अन्य विवरण सम्मिलित हैं। पद्धति से विभिन्न रिपोर्टें तैयार करने में मदद मिलती है।

4.33.6.16 ग्राम योजना सूचना पद्धति (वीपीआईएस)-सुविधाएं: मानीटरन के लिए चौथी प्रणाली साधन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा सार्वजनिक उपयोगार्थ ग्राम योजना सूचना पद्धति (वीपीआईएस) डिजाइन, विकसित और कार्यान्वित की गई है। यह, भारत के महापंजीयक द्वारा जारी जनगणना 2001 डाटा से संकलित, 31.3.1999 की स्थिति के अनुसार ग्राम स्तर जनगणना-भिन्न डाटा पर आधारित एक वेब-आधारित पुनःप्राप्ति पद्धति है। नौ भिन्न-भिन्न सुविधाएं हैं, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, डाक-तार-टेलीफोन, संचार की उपलब्धता, समाचार-पत्रों की उपलब्धता, बैंकिंग, मनोरंजन एवं सांस्कृतिक सुविधाएं, संयोजकता और उपलब्ध विद्युत आपूर्ति आदि सम्मिलित हैं। सिस्टम के दो भाग हैं जिनमें डाटा तालिका के रूप में और क्रिस्टल रिपोर्ट के रूप में दिखाया गया है। इसे माइक्रोसाफ्ट विजुअल स्टुडियो 2005 का इस्तेमाल करके "नेट" में विकसित किया गया है। इसका यूआरएल है: *http://pcserver.nic.in/vpis*

4.33.6.17 ग्राम योजना सूचना पद्धति (वीपीआईएस) - जनांकिकीः ग्राम योजना सूचना पद्धति-जनांकिकी- भी भारत सरकार के जनगणना 2001 डाटा पर आधारित एक वेब-आधारित पुनःप्राप्ति पद्धति है। इस सिस्टम से भारत के सभी गांवों के जनांकिकी प्रोफाइल से संबधित विश्लेषणात्मक सूचना की पुनः प्राप्ति सुकर होती

है। एमआईएस को विकास **"डायनमिक क्वेरी इंजिन फार स्टेट रीट्रीवल एंड एनालिसिस आफ डेमोग्राफी डाटा" का इस्तेमाल करके किया गया है।**

4.33.6.18 जिला आयोजना सूचना पद्धति (डीपीआईएस): जनगणना 2001 के संबंध में भारत के महापंजीयक द्वारा जारी जनांकिकीय प्रोफाइल और सुविधा डाटा पर आधारित जिला योजना के लिए डिजाइन, विकसित और कार्यान्वित यह एक वेब-आधारित पद्धति है। जनांकिकीय प्रोफाइल अथवा सुविधाओं अथवा अन्य प्राचल के किसी मिश्रण के आधार पर पूछताछ की जा सकती है। इससे योजना के विशेष घटक योजना (एससीपी) और जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) घटक में मदद मिलती है जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए योजनाओं पर बल दिया जाता है। एमआईएस को यूआरएल http://pcserver.nic.in/dpis के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

4.33.6.19 आनलाइन शिकायत पंजीकरण पद्धति - योजना सेवा: योजना भवन, योजना आयोग में सभी अनुरक्षण और साधारण सेवाओं के आनलाइन पंजीकरण और मानीटरन के लिए योजना सेवा के लिए एक वेब-आधारित प्रबंधन सूनचा प्रणाली है जो ई-शासन परियोजना के अंतर्गत योजना आयोग की आवश्यकतानुसार डिजाइन और विकसित की गई है। इस पद्धति से नेटवर्क पर योजना आयोग के सभी कंप्यूटर उपभोक्ताओं से हार्डवेयर/साफ्टवेयर शिकायतों का पंजीकरण सुकर होगा जिससे कि योजना भवन में तैनात हार्डवेयर/अनुरक्षण इंजीनियर शिकायतों का तेजी से समाधान कर सकें और सिस्टम डाउन टाइम को कम से कम कर सकें।

4.33.6.20 "राष्ट्रीय सम-विकास योजना (आरएसवीवाई)" पर एमआईएस: यह विन्न स्कीमों का राज्य-वार, जिले, ग्राम और क्षेत्रक-वार मानीटरन के लिए एक वेब-आधारित सूचना पद्धति है। भौतिक और वित्तीय प्रगति के लिए डाटा एंट्री/उन्नयन, विलोपन और रेस्टोर माड्यूल का विकास किया गया। प्रयोक्ता प्रमाणीकरण के लिए प्रशासन माड्यूल का भी विकास किया गया, जिसमें राज्य-वार जिले-वार प्रयोक्ता सृजन आशोधन सम्मिलित है। रिपोर्ट सृजित की जा सकती है क्योंकि उसका विकास क्रिस्टल रिपोर्ट राइटर का इस्तेमाल करके किया गया है।

4.33.6.21 हार्डवेयर तालिका प्रबंधन पद्धति (एचआईएमएस): सिस्टम साफ्टवेयर विकास, एकीकरण और नई हार्डवेयर तालिका प्रबंधन पद्धति का कार्यान्वयन योजना आयोग के लिए विकास किया गया। यह, योजना आयोग द्वारा खरीदी गई तथा प्रयुक्त सभी हार्डवेयर तालिका मदों के लिए एक नई वेब-आधारित पद्धति है तथा इस पैकेज के माध्यम से सभी नई सामग्रियों, इन-स्टाक तथा ट्रांजेक्शन विवरण से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

4.33.6.22 राष्ट्रीय स्कीमों के लिए एमआईएस (सीएस और सीएसएस): यह वार्षिक योजना 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के लिए तथा मंत्रालयों/विभागों की केन्द्रीय क्षेत्र स्कीमों के 11वीं योजना परिव्यय मंत्रालयों/विभागों की केन्द्र प्रायोजित स्कीमों और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र योजनाओं के लिए विकसित यह एक वेब-आधारित सूचना पद्धति है। विजुअल स्टुडियो 2005 के एएसपी एनईटी का इस्तेमाल करके राष्ट्रीय स्कीमों (सीएस और सीएसएस) के लिए प्रयोक्ता इंटरफेस का पुनः डिजाइन और पुनः विकास किया गया। साफ्टवेयर "पैकेज" के अंतर्गत विभिन्न माड्यूल सम्मिलित हैं तथा डाटा को 2006-07 और उसके बाद तक अद्यतन बनाया गया। एमईएस से योजनाकारों को डाटाबेस से परिव्यय व अन्य जानकारी, मंत्रालयों अथवा विभागों आदि के आधार पर श्रेणी-वार ब्यौरा प्राप्त करने में सुविधा होती है।

सुरक्षा माड्यूलः यह माड्यूल साफ्टवेयर की सुरक्षा को हैंडल करता है। इस माड्यूल का मुख्य कार्य हैः मंत्रालय/विभाग के आधार पर विशेषाधिकार के साथ नए प्रयोक्ता का सृजन, प्रयोक्ता प्रोफाइल का संशोधन/विलोपन।

एंट्री/अपडेट माड्यूलः यह माड्यूल, विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, स्कीमों और परिव्ययों के रिकार्डों के समावेशन और अद्यतन से संबधित है।

रिस्टोर माड्यूलः किसी प्रयोक्ता द्वारा रिकार्ड का विलोपन किए जाने पर वह पद्धति से स्थायी रूप से विलोप नहीं होगा। यह सुविधा केवल पद्धति के प्रशासक को दी जाती है।

रिपोर्टें: अनेक रिपोर्टों को मंत्रालय-वार, विभाग-वार, स्कीम-वार, श्रेणी-वार, परिव्यय, स्कीम/टाइप आदि के अनुसार सृजित किया जा सकता है।

4.33.6.23 फ्लैगशिप कार्यक्रमों के सभी घटकों, भारत निर्माण सहित, के संबंध में एमआईएसः भारत निर्माण सहित फ्लैगशिप कार्यक्रमों के सभी 14 घटकों के संबंध में एक एकल खिड़की, वेब-आधारित एमआईएस, फ्लैगशिप कार्यक्रमों के विन्न घटकों की भौतिक और वित्तीय प्रगति का अध्ययन और संयोजन करके डिजाइन तथा विकसित किया गया, जिसे योजना भवन में कार्यान्वित किया गया है तथा जिसे यूआरएल http://pcserver.nic.in/flagship का इस्तेमाल करके बाहर से प्राप्त किया गया है। इस साइट से मास की भौतिक और वित्तीय प्रगति के लिए फ्लैगशिप कार्यक्रमों के सभी घटकों का संयोजन होता है।

4.33.6.24 उपाध्यक्ष, योजना आयोग के लिए एमआईएसः अनन्य रूप से उपाध्यक्ष, योजना आयोग के लिए एमआईएस डिजाइन और विकसित की गई है। नए अपडेट आने पर एमआईएस से उपाध्यक्ष को, वार्षिक राज्य योजनाओं, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के आधार, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी; डब्ल्यूटीओ संबद्ध मामलों, व देशज व अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से संबधित अन्य मुद्दों के बारे में नवीनतम अद्यतन डाटा के क्षेत्र में, मदद मिलती है। एमआईएस के अंतर्गत, 1990-91 के बाद से अभी तक के अनुमोदित परिव्यय और व्यय से संबद्ध जानकारी, पिछले वर्षों की तुलना में प्रतिशतता वृद्धि, तुलनात्मक विवरणों और प्रत्येक राज्य व संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में जीएसडीपी द्वारा पैमानाकृत जानकारी सम्मलित है। डाटाबेस में उपलब्ध अन्य सूचना में सम्मिलित हैः भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय राजस्व, व्यय, राजकोषीय घाटे, कृषि जीडीपी अनुमानों, जीआईएनआई माध्यम, राज्य-वार विद्युत टी एंड डी हानियों, केन्द्र और राज्यों के राजकोषीय घाटे, गरीबी संबद्ध डाटा, एफडीआई और डब्ल्यूटीओ संबद्ध डाटा, चुनिंदा देशों के जीडीपी पूर्वानुमान और उनका तुलनात्मक अध्ययन आदि। एमआईएस से उपाध्यक्ष को वार्षिक योजना चर्चा के दौरान भी मदद मिलती है, जो संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ और साथ ही राज्यों और विदेशों के उनके दौरे के दौरान भी होती है। इसे यूआरएल http://pcserver.nic.in/dchmis से प्राप्त किया जा सकता है।

4.33.6.25 मल्टी-लेयर्ड जीआईएस अनुप्रयोगों के संबंध में न्यूनतम स्थानिक डाटा अवस्थापनाः "स्पेटिअल डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर फार मल्टी-लेयर्ड ज्योग्राफिकल इंफार्मेशन सिस्टम (जीआईएस फार प्लानिंग)" की स्कीम, जो योजना आयोग द्वारा प्रायोजित और एनआईसी की सहायता से निष्पादित एक नई केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम है, योजना आयोग में चालू हो गई है। अब एनआईसी के माध्यम से स्थानिक डाटा और जीआईएस अनुप्रयोग सेवाएं जी2जी में योजना आयोग में भी उपलब्ध है। एनआइसी मुख्यालय का " दि मिरर सर्वर" अर्थात सन फायर वी 440 सर्वर सन सोलेरीज भी चालू कर दिया गया है तथा कोई भी यूआरएल http://plangis/website/nsdb/viewer.htm

के माध्यम से राष्ट्रीय स्थानिक डाटाबेस अनुप्रयोग प्राप्त कर सकता है।

एनएसडीबी डाटाबेस वाले सन-सोलारिस सर्वर के अलावा, अंतरिक्ष विभाग ने भी योजना आयोग में अपनी मिरर साइट प्रस्तुत की है जो चालू भी है तथा निम्नलिखित लेयर योजना आयोग में इंट्रा-योजना पोर्टल से प्राप्त की जा सकती है। इस सर्वर को http://g2g-isor/website/isro/india के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

अंतरिक्ष विभाग सर्वर में निम्नलिखित लेयर है:

- स्वर्ण चतुर्भुज: राष्ट्रीय राजमार्ग; जिला सड़कें, ग्राम/बगैर डामर की सड़कें, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे।
- नदियां: जलाशय; वाटरशेड स्तर; भू-उपयोग, वनस्पति, किस्म; मृदा उत्पादकता; मृदा ढलान; मृदा गहराई; मृदा सामग्री; मृदा कटाव आदि।

डाटा स्त्रोत में सम्मिलित हैं:

- जनगणना, 2001 डाटा; प्राइमरी जनगणना सार और सुविधाएं डाटाबेस।
- कृषि विज्ञान केन्द्रों से संबंधित डाटा; खादी और और सुविधाएं डाटाबेस।
- एनआरएसए से प्राप्त डाटा आदि।
- इस सर्वर को यूआरएल http://g2g-isro/website/isro/India से प्राप्त किया जा सकता है।

योजना आयोग में एनआईसी-वीईबीयू यूनिट सभी जीआईएस अनुप्रयोगों का अभिरक्षक भी है, जहां मिरर साइट कार्यात्मक है और योजना आयोग के लिए डिजिटीकृत नक्शे तैयार किए गए। बड़ी संख्या में नक्शा निर्माण और डाटाबेस सृजन की योजना आयोग में स्थानीय रूप से सेवा की जाती है तथा विभिन्न अंतर्मंत्रालयी समूहों को बड़ी संख्या में इन्पुट उपलब्ध कराए गए।

4.33.6.26 गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) डाटाबेस: योजना आयोग एनजीओ/वीओ डाटाबेस में लगभग 50,000 एनजीओ/वीओ के संबंध में 35,000 एसोसिएशन सहित, जानकारी दी गई है जिसके लिए डाटा गृह मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराया गया है तथा जिसके लिए गैर-लाभ कंपनियों के रूप में अथवा एफसीआरए के अंतर्गत पंजीकृत विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से धन प्राप्त हुआ था। डाटाबेस में लगभग 1500 एनजीओ की सूची है जिन्हें विभिन्न संगठनों द्वारा उत्तम/वैध के रूप में विनिर्धारित किया गया है लगभग 500 विनिर्धारित उत्तम एनजीओ की विस्तृत प्रोफाइल भी उपलब्ध है। इस अनुप्रयोग में खोज माड्यूल से उपभोक्ता को राज्य-वार अथवा जिले-वार अथवा मंत्रालय-वार अथवा स्वैच्छिक संगठन-वार अथवा गैर-सरकारी संगठन-वार खोज करने में सुविधा होती है। जानकारी एनजीओ वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। यह साइट http://pcserver.nic.in एनजीओ के माध्यम से सुलभ है।

4.33.6.27 योजना आयोग के लिए संसद प्रश्नों/उत्तरों का डाटा बैंक: संसद प्रश्नों और उनके उत्तरों का, जिनके बारे में योजना आयोग के संसद अनुभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है, एक वेब-समर्थित डाटाबेस, इंटरनेट साइट http://pcserver.in/parliament पर उपलब्ध है। इस डाटाबेस को नए सिरे से तैयार किया गया है तथा योजना आयोग के संबंध में विभिन्न सत्रों के दौरान उठाए गए प्रश्न और उत्तर वेब-फार्मेट में डाल दिए गए तथा आवश्यक कोडिफिकेशन करके संबंधित सूचना श्रेणी-वार और प्रभाग-वार के लिए डाटाबेस अद्यतन बनाया गया। वेबसाइट में **"क्विक सर्च"** नामक तलाश का एक नया मोड़ जोड़ दिया गया है। संसद के सभी सत्रों के संबंध में योजना

आयोग से संबंधित संसद संबद्ध प्रश्न/उत्तर इस साइट पर उपलब्ध हैं।

4.33.6.28 वित्तीय संसाधन प्रभाग के लिए एमआईएस : "वित्तीय संसाधन सार" की राज्य-वार मासिक सूचना के लिए एक वेब-आधारित पुनःप्राप्ति प्रणाली आंतरिक प्रयोग के लिए इंट्रानेट पर उपलब्ध है। इससे प्रयोक्ता के लिए प्रमाणीकरण की सुविधा उपलब्ध है, जिन राज्यों के वित्तीय संसाधनों के सारों के लिए इन्पुट उपलब्ध थे, उन्हें अपलोड कर दिया गया है। अनुप्रयोग को और अधिक प्रयोक्ता-अनुकूल बना दिया गया है जिसके लिए डाटाबेस का प्रयोक्ता इंटरफेस संशोधित किया गया है।

4.33.6.29 कोयला क्षेत्रक के लिए डाटाबेसः कंपनी-वार, राज्य-वार और वर्ष-वार स्थिति की विभिन्न रिपोर्टें तैयार करने के काम को सुविधापूर्ण बनाने के लिए योजना आयोग के विद्युत और ऊर्जा प्रभाग के वास्ते एक शंका-आधारित वेब-समर्थित प्रणाली (http://pcserver.nic.in/coal) इंटरनेट पर उपलब्ध है। यह प्रणाली कोयले के संबंध में कंपनी-वार/स्कीम-वार, वित्तीय तथा क्षेत्रक-वार मांग रिपोर्टों पर जानकारी भी उपलब्ध कराती है।

4.33.6.30 योजना आयोग/पीईओ दस्तावेजों का डाटाबेसः पीसी/पीईओ दस्तावेजों के सूचक के लिए एक वेब-आधारित प्रणाली (http://pcserver.nic.in/peolibrary) इंटरनेट पर उपलब्ध है ताकि योजना आयोग पुस्तकालय के लिए कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पीईओ), योजना आयोग द्वारा प्रकाशित दस्तावेज और प्रकाशन बनाए रखना सुविधापूर्ण हो सके।

4.33.6.31 वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों की स्थिति के लिए डाटाबेसः योजना आयोग के अधिकारी (अधिकारियों)/कर्मचारी (कर्मचारियों) की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों की स्थिति के अनुरक्षण के लिए एक डाटाबेस तैयार किया गया है और वह स्थानीय सर्वर http://pcserver/acr पर उपलब्ध है। प्रश्नों पर आधारित अनेक रिपोर्टें जरूरत के अनुसार तैयार की गई है। बहु-प्रयोक्ता वातावरण के लिए आनलाइन डाटा एंट्री तथा अपडेशन माड्यूल भी तैयार किए गए हैं। नियमित अपडेशन भी किया जा रहा है।

4.33.6.32 योजना आयोग के अभिलेख अनुभाग के लिए डाटाबेसः विभिन्न प्रभागों आदि से फाइलों के संचलन का मनीटरन/खोज तथा सुगम पहुंच के लिए योजना आयोग के विभागीय अभिलेख कक्ष के वास्ते डाटाबेस इंटरनेट पर उपलब्ध है। डाटा एंट्री/नियमित अपडेशन किया जा रहा है। नियमित अपडेट जारी है तथा डाटाबेस में बहुत से नए अभिलेख शामिल किए गए हैं।

4.33.6.33 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम डाटाबेसः योजना आयोग के वित्तीय संसाधन प्रभाग के लिए राज्य सार्वजनिक उपक्रमों पर एक वेब-समर्थित डाटाबेस इंटरनेट पर उपलब्ध है। इस डाटाबेस में विभिन्न पीएसयू की बाबत इक्विटी, ऋण, लाभ/हानि, लाभांश तथा निविष्ट पूंजी आदि संबंधी डाटा दिया गया है। रिपोर्टें/शंकाएं, पीएसयू-वार, राज्य-वार, वर्ष-वार तथा मद-वार सृजित की जा सकती हैं जिनमें संयुक्त वार्षिक वृद्धि दरें तथा साधारण वार्षिक वृद्धि दरों से संबंधित संगठित आंकड़े शामिल हैं। यह डाटाबेस यूआरएल http://pcserver/psu से सुलभ हो सकता है।

4.33.6.34 श्रम रोजगार और जनशक्ति के लिए वेब-समर्थित पुनः प्राप्ति प्रणालीः योजना आयोग के श्रम रोजगार और जनशक्ति प्रीग के लिए एक वेब-समर्थित पुनःप्राप्ति प्रणाली (http://pcsever/lem) है, जोकि इंट्रानेट पर उपलब्ध और प्राचलों से संबंधित जानकारी की पुनःप्राप्ति को सरल बनाती है। इस साइट से उपलब्ध राज्य स्तरीय प्राचलों हेतु नक्शों के रूप में सूचना के प्रदर्शन में भी सुविधा मिलती है।

4.33.6.35 वन, वन्य जीवन और पर्यावरण पर सूचना प्रणाली: सभी राज्यों और संघशासित क्षेत्रों के संबंध में वन, वन्य जीवन और पर्यावरण पर विषय-निष्ठ जानकारी उपलब्ध कराने के लिए इंट्रानेट पर एक वेब-आधारित साइट http://pcserver/forest उपलब्ध है।

4.33.6.36 वित्तीय संसाधन और डाटा प्रबंध के लिए वेबसाइट - वित्तीय संसाधन प्रभाग को सहायता: एनआईसी (वाईबीयू) ने योजना आयोग के वित्तीय संसाधन (एफआर) प्रभाग के लिए एक वेब-आधारित आवेदन-पत्र तैयार किया है, जो इंट्रानेट पर उपलब्ध है। यह साइट अब पूरी तरह कार्यान्वित की जा चुकी है और इसे सभी योजनाओं के लिए सभी राज्यों और संघशासित क्षेत्रों से संबंधित वित्तीय आबंटन, परिव्यय, व्यय विवरणों से जुड़ी हुई सारी जानकारी से; केन्द्रीय वित्तीय संसाधनों से संबंधित वृहद और सूक्ष्म विवरणों से संवर्द्धित किया जा रहा है। संशोधन तथा और अधिक वेब पृष्ठ जोड़ तथा अपलोड कर दिए गए हैं। एमआईएस एक ही स्थान पर सभी जानकारी के लिए न्यासी है तथा वह योजना आयोग के सभी प्रयोक्ताओं के लिए यूआरएल http://pcservr.nic.in/frmis से 24x7 उपलब्ध है।

4.33.6.37 राज्य योजनाओं और डाटा प्रबंध के लिए वेबसाइट - राज्य योजना डिवीजन के लिए सहायता: योजना आयोग के विविध प्रभागों से संबंधित विभिन्न रिपोर्टों, लेखों, इन्पुटों, डाटा न्यासी तथा अन्य सामग्री से जुड़ी सभी जानकारी को आंतरिक प्रयोग के लिए प्रयोक्ता अनुकूल ढंग से इंट्रासर्वर पर रखने के लिए, जिससे कि उसे किसी भी समय प्राप्त किया जा सके, राज्य योजना प्रभाग के लिए वेब-आधारित आवेदन-पत्र की संकल्पना और डिजाइन करने का काम शुरू कर दिया गया है। इस साइट में सभी पंचवर्षीय योजनाओं, वार्षिक योजनाओं तथा उनके क्षेत्रकीय और उप-क्षेत्रकीय परिव्यय, व्यय से संबंधित आंकड़े तथा योजना आयोग तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के स्तर पर तैयार किए गए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ब्रीफ, योजना आयोग तथा राज्यों द्वारा वार्षिक योजना चर्चाओं आदि के दौरान की गई प्रस्तुतियां एक स्थान पर उपलब्ध रहेंगी।

4.33.6.38 कार्यालय प्रक्रिया आटोमेशन (ओपीए): उपाध्यक्ष के निदेशानुसार योजना आयोग की योजना भवन में एक केन्द्रीयकृत डायरी/प्रेषण और फाइल मानीटरन पद्धति होगी; **योजना आयोग के सभी प्रभागों में ओपीए को सफलतापूर्व कार्यान्वित किया गया है।** पूरे कर्यालय द्वारा केन्द्रीयकृत डायरी/प्रेषण और फाइल मानीटरन पद्धति अपनाए जाने के वास्ते, एनआईसी योजना भवन यूनिट ने बहुत सी कार्यशालाएं आयोजित की, दस्ती प्रशिक्षण माड्यूलों की व्यवस्था की गई और उपभोक्ताओं को अलग-अलग प्रशिक्षण सहायता प्रदान की गई और उन्हें ओपीए पद्धति के लाभों के बारे में बताया गया। ओपीए पैकेज का नया रूपांतर स्थापित और कार्यान्वित किया गया। किए गए कार्यकलापों में शामिल हैं:

- ओपीए पद्धति पर एक दिन की कार्यशाला और आनलाइन प्रस्तुतीकरण, योजना आयोग के अधिकारियों और स्टाफ के लिए दिया गया।
- नए उपभोक्ताओं के अनुरोध पर नियमित आधार पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा उपभोक्ता द्वारा जब भी अपेक्षित हो, तकनीकी समस्याएं हल करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
- चार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए तथा 40 अधिकारियों/स्टाफ सदस्यों को ओपीए पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- सभी प्रभागों के लिए आवश्यक सहायता जिसमें अलग-अलग अनुभागों के लिए प्रथागत बनाना, संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना और पदनाम बदलने अथवा पदोन्नति आदि के

मामले में कर्मचारियों के ब्यौरों को अद्यतन करना शामिल है।

4.33.6.39 "योजना संसाधन" इंट्रा योजना पोर्टल पर सामग्री और डाटा प्रबंधन सेवाएं: योजना आयोग के सभी प्रशासनिक और तकनीकी प्रभागों के लिए **"योजना संसाधनों"** के लिए एक कालम रखने के योजना आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णयानुसार, इंट्रा-योजना पोर्टल के सामग्री प्रबंधन को निम्नलिखित से संबंधित जानकारी शामिल करके समृद्ध बनाया गया है: (i) उपाध्यक्ष, योजना आयोग का कार्यालय (ii) वित्तीय संसाधन प्रभाग (iii) योजना आयोग का राज्य योजना प्रभाग (iv) पुस्तकालय प्रभाग। इन प्रभागों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उचित यूसेरिड/पासवर्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि प्रयोक्ताओं के लिए खुद पोर्टल के विषयवस्तु प्रबंधन फ्रेमवर्क के अंतर्गत पोर्टल के संबंध में अपने संसाधनों को पोर्टल पर अपलोड करने में सुविधा हो सके। वित्तीय संसाधन प्रभाग के सभी अधिकारियों को सामग्री प्रबंधन के संबंध में प्रस्तुतीकरण भी दिए गए।

4.33.6.40 योजना आयोग के इंट्रानेट पोर्टल, इंट्रा योजना की सामग्री का प्रबंधन: पोर्टल के संबंध में सामग्री का प्रबंधन किया गया, जिसमें सम्मिलित है:

क. नए प्रयोक्ताओं का सृजन

ख. जो प्रयोक्ता योजना आयोग से सेवानिवृत्ति/सेवामुक्त कर दिए गए थे, उनकी स्थिति को अद्यतन बनाना।

ग. राज्य योजना और पुस्तकालय प्रभाग के लिए सामग्री को इंट्रा-योजना पोर्टल पर अपलोड किया गया।

घ. मास के लिए वेतन चिट्ठा डाटा की अपलोडिंग।

ड. परिपत्रों/कार्यालय आदेशों/नोटिसों को दैनिक आधार पर अपलोड करना।

च. अनुरोध प्राप्त होने पर अन्य सामग्री को अपलोड करना।

छ. वेतनचिट्ठा साफ्टवेयर के सुचारू कामकाज के लिए तकनीकी सहायता।

ज. ओपीए प्रबंधन।

4.33.6.41 ई-प्रापण का कार्यान्वयन: ई-प्रापण का कार्यान्वयन अनिवार्य हो गया है तथा छः डीडीओएस/अधिकारियों के संबंध में डिजिटल प्रमाण-पत्र एनआईसीएसए से प्राप्त किया गया, कार्डों को एक्टीवेट किया गया और डीजीएस एंड डी के साथ पंजीकरण हेतु यूसेरिड्स/पासवर्ड का भी सृजन किया गया ताकि वे डीजीएस एंड डी रेट संविदे के विरुद्ध आनलाइन आपूर्ति आर्डर हेतु डीजीएस एंड डी वेबसाइट का लॉग इन कर सकें। इन अधिकारियों तथा जनरल-I, जनरल-II, प्रोटोकाल और केयरटेकर सेल से छः अन्य समर्थनकारी स्टाफ ने, डीजीएस एंड डी रेट संविदा के विरुद्ध "आनलाइन" आपूर्ति आर्डर देने के लिए मांगकर्ताओं/डीडीओ/प्रापकों के लिए "वाक-इन" प्रशिक्षण में भाग लिया।

4.33.6.42 योजना आयोग की पुनर्संरचित वेबसाइट की शुरूआत (http://planningcommission.gov.in)

- योजना आयोग की वेबसाइट की पुनर्संरचना की गई ताकि वह देखने में अच्छी लगे और सामग्री का भली प्रकार वर्गीकरण किया जा सके जिससे कि इसे और अधिक उपभोक्ता अनुकूल बनाया जा सके।
- योजना आयोग की पुनर्संरचना वेबसाइट का उद्घाटन योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने 8 अक्तूबर, 2008 को योजना भवन में किया।

पुनर्संरचित वेबसाइट की अतिरिक्त विशेषताओं में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- नौचालन सरल है।
- कृषि, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, खनिज, उद्योग, अवस्थापना, ग्रामीण विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक न्याय व अन्य क्षेत्रक जैसे ब्यौरों पर विशेष ध्यान दिया गया है।
- निम्नलिखित का विशेष रूप से कवरेज किया गया है - मीडिया और प्रेस विज्ञप्तियां; इंटर्नशिप; ईएफसी/पीआईबी स्थिति; निविदाएं।
- एक ही बार में फ्लैगशिप कार्यक्रमों और मूल्यांकन अध्ययनों का मानीटरन।
- रिपोर्टों को आसानी से पुनः प्राप्त किया जा सकता है जो दो से अधिक क्लिक की दूरी पर नहीं है।

4.33.6.43 निम्नलिखित वेबसाइटों का उन्नयन और अनुरक्षण: योजना आयोग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन निम्नलिखित वेबसाइटों का इस अवधि के दौरान रखरखाव किया गया:

क. योजना आयोग - http://planningcommission.gov.in
ख. ज्ञान आयोग - http://knowledgecommission.gov.in
ग. अवस्थापना संबंधी समिति- http://infrastructure.gov.in
घ. आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी)- http://eac.gov.in

III. भारत के राष्ट्रीय पोर्टल तथा अन्य वेबसाइटों के लिए सामग्री:

4.33.6.44 भारत पोर्टल **(http://india.gov.in)** की सामग्री का सुदृढ़ीकरण करने के लिए योजना आयोग से संबधित कुछेक दस्तावेज भी जोड़ दिए गए हैं।

क. योजना आयोग की वेबसाइट: योजना आयोग की वेबसाइट नामतः http://planningcommission.gov.in को नियमित रूप से अद्यतन बनाया जाता है। विभिन्न पृष्ठों के हिंदी और पाठ रूपांतर भी तैयार तथा वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। योजना आयोग की वेबसाइट को पुनः तैयार किया गया ताकि वह सुंदर दिखाई दे और सामग्री को अच्छी प्रकार से वर्गीकृत किया जा सके ताकि इसे अधिक उपभोक्ता अनुकूल बनाया जा सके। पुनर्गठित वेबसाइट में शामिल अतिरिक्त विशेषताओं में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- नौचालन सरल है
- कृषि, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, खनिजों, उद्योग, अवस्थापना, ग्रामीण विकास, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, सामाजिक न्याय व अन्य क्षेत्रक जैसे क्षेत्रकीय ब्यौरों पर विशेष बल दिया गया।
- निम्नलिखित का विशेष कवरेज किया गया: मीडिया और प्रेस विज्ञप्ति, इंटर्नशिप; ईएफसी/पीआईबी स्थिति; निविदाएं।
- एक बार में ही फ्लैगशिप कार्यक्रमों और मूल्यांकन अध्ययनों का मानीटरन।
- रिपोर्टों को आसानी से पुनः प्राप्त किया जा सकता है जो दो क्लिकों से ज्यादा दूर नहीं है।

ख. आर्थिक सलाहकार समिति (ईएसी) की वेबसाइट: अध्यक्ष, आर्थिक सलाहाकर परिषद की इस आशय की इच्छा के कारण कि परिषद की एक अपनी अलग वेबसाइट होनी चाहिए, **यह साइट पंजीकृत की गई तथा अंततः सचिव, आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा 27 अक्तूबर, 2006 को**

एक पृथक वेबसाइट http://eac/gov.in **शुरू कर दी गई है।** आर्थिक सलाहकार परिषद इसलिए गठित की गई है जिससे कि आर्थिक मुद्दों पर विभिन्न मतों के बारे में सरकार के भीतर जागरूकता उत्पन्न की जा सके। यह वेबसाइट ईएसी द्वारा की गई पहलों का प्रसार करने और सरकारी नीतियों से संबंधित सभी प्रमुख पहलों के लिए एकल विंडो सुलभता प्रदान करने के लिए एक कड़ी के रूप में है।

ग. अवसंरचना ढांचे संबंधी समिति (सीओआई) की वेबसाइट : अवसंरचना प्रभाग के लिए माननीय वित्तमंत्री द्वारा http://infrastructure.gov.in नामक एक वेबसाइट 20 मई, 2006 को विज्ञान भवन में शुरू की गई। एनआईसी (वाईबीयू) ने इस साइट को शुरू करने में सीओआई सचिवालय को पूरी सहायता प्रदान की है और योजना आयोग में स्थित एनआईसी यूनिट, वेबसाइट को सामयिक रूप से अद्यतन बनाने और इसे सामग्री-समृद्ध बनाने के लिए इस प्रभाग को बराबर सहायता प्रदान कर रहा है।

घ. राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की वेबसाइटः श्री साम पिट्रोदा की अध्यक्षता में **"राष्ट्रीय ज्ञान आयोग"** की वेबसाइट सरकारी क्षेत्र के अधीन औपचारिक रूप से शुरू की गई। एनआईसी (वाईबीयू) ने इस साइट को शुरू करने में पूरी सहायता प्रदान की है और वेबसाइट को सामयिक रूप से अद्यतन बनाने और इसे सामग्री-समृद्ध बनाने के लिए बराबर सहायता प्रदान कर रहा है। साइट की आलोच्य वर्ष के दौरान पुनर्संरचना की गई।

IV. योजना आयोग का ई-अभिशासन अनुप्रयोग

4.33.6.45 योजना आयोग के लिए इंट्रा-योजना पोर्टल (http://intrayojana.nic.in)

एनआईसी (वाईबीयू) ने योजना आयोग के सभी कर्मचारियों के लिए सभी जी2ई/जी2जी अनुप्रयोगों के वास्ते लाइनक्स, प्लोन और जोप जैसे साफ्टवेयरों का प्रयोग करते हुए मुक्त मानकों पर निर्मित एकीकृत वन-स्टाप वेब-आधारित पोर्टल और सेवा समाधान में विभिन्न जानकारी संचित करने के लिए इंट्रा-योजना पोर्टल विकसित और कार्यान्वित किया है। इस पोर्टल को मूल्यवान जानकारी से समृद्ध बनाया गया है और इसमें सामग्री और दस्तावेज प्रबंध, कार्य-प्रवाह, सामग्री की व्यक्तिनिष्ठ सुपुर्दगी तथा अन्य वास्तविक समय सहयोगात्मक सेवाओं जैसी विशेषताएं मौजूद हैं। कोई भी व्यक्ति सर्वर में एकल लागिन करके अपनी जरूरत के लिए विशष्ट जानकारी की बहुविध कोटियों की तलाश कर सकता है और उन्हें प्राप्त कर सकता है।

4.33.6.46 योजना आयोग के इंट्रा-योजना इंट्रानेट पोर्टल का ***प्रणाली प्रशासन कार्य और प्रबंध*** किया गया, जिसमें निम्न शामिल हैः

- नए प्रयोक्ताओं का सृजन; जो प्रयोक्ता योजना आयोग से सेवानिवृत्त/सेवामुक्त कर दिए गए थे उनकी स्थिति को अद्यतन बनाना।
- प्रति माह वेतन चिट्ठा अपलोड करना।
- परिपत्रों/कार्यालय आदेशों/नोटिसों को दैनिक आधार पर अपलोड करना।
- जब कभी अनुरोध किया जाए तो अन्य सामग्री को लोड करना। अपलोड की जाने वाली सामग्री में फोटो, चालू महीने के वेतन पर्ची आंकड़े, दैनिक परिपत्र और नोटिस, समाचार आदि अपलोड किए जा चुके हैं।
- एनआईसी, योजना भवन यूनिट द्वारा विकसित नई एमआईएस/सूचना प्रणालियों के लिए हाइपर लिंक उपलब्ध कराना।/
- इस पोर्टल को और अधिक उपयोगी तथा सामग्री-समृद्ध आदि बनाने के लिए प्रशासनिक कार्य किया जा रहा है।

4.33.6.47 कार्यालय क्रियाविधि स्वचली प्रणाली (ओपीए): फाइल संचलन और डायरी/प्रेषण की वेब-आधारित कार्यालय क्रियाविधि स्वचलीकरण प्रणाली योजना आयोग में काम कर रही है। इसकी विशेषताओं से कार्यकुशलता लाने, काफी समय और प्रयास बचाने में बहुत मदद मिलती है और साथ ही योजना आयोग के कामकाज में पारदर्शिता भी आ जाती है। **ओपीए को योजना आयोग के सभी प्रभागों में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है।** पूरे कार्यालय द्वारा केन्द्रीय डायरी/प्रेषण और फाइल मानीटरन पद्धति अपनाने को सुकर बनाने के वास्ते एनआईसी योजना भवन यूनिट ने उपभोक्ताओं के लिए बहुत सी कार्यशालाएं, दस्ती प्रशिक्षण माड्यूल और वैयक्तिक प्रशिक्षण सहायता प्रदान की तथा ओपीए पद्धति के लाभों की जानकारी प्रदान की। उपभोक्ताओं को समय-समय पर तकनीकी सहायता प्रदान की गई।

4.33.6.48 पीएओ कंपेक्ट साफ्टवेयर: एनआईसी ने, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के उपयोग के वास्ते बहुत से अदायगी और लेखांकन कार्य के कंप्यूटरीकरण के लिए एक वित्तीय प्रबंधन सूचना पद्धति साफ्टवेयर **"पीएओ कंपेक्ट"** विकसित किया है। विंडोज 2003 सर्वर, जिस पर यह साफ्टवेयर स्थापित किया गया है, एनआईसी (वाईबीयू) द्वारा उसका रखरखाव भी किया जा रहा है।

4.33.6.49 वार्षिक योजना तैयार करना: एनआईसी-वाईबीयू वार्षिक योजना, मध्यावधिक मूल्यांकन, वार्षिक रिपोर्ट और पंचवर्षीय योजना दस्तावेज आदि तैयार करने में योजना आयोग के योजना समन्वय प्रभाग की भी मदद करता रहा है।

4.33.6.50 प्रशिक्षक कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण:

योजना आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कंप्यूटर संबंधी विषयों पर योजना भवन में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन विषयों में ये शामिल हैं: कंप्यूटर के आधारभूत तत्व, विंडोज-आधारित माइक्रोसाफ्ट अनुप्रयोग, जैसेकि एमएस वर्ड, एमएस एक्सल, ई-मेल, पावर प्वाइंट, हिंदी साफ्टवेयर, इंटरनेट आदि तथा अन्य पैकेजों का प्रयोग। **2008-09 के दौरान निम्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए:**

1. एमएस-एक्सेल पर विशेष बल देते हुए विशेष रूप से कृषि प्रभाग के लिए **कंप्यूटर जागरूकता पर दस दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम।** योजना आयोग के वित्तीय संसाधन (एफआर) प्रभाग के अधिकारियों के लिए एमएस-एक्सेल पर दस दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम। योजना आयोग के पीईओ प्रभाग के अधिकारियों के लिए उन्नत स्तर एमएस-एक्सेल पर पांच दिन का एक विशेषज्ञ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
2. नई प्रणाली के सुचारू संचालन के लिए योजना आयोग के विभिन्न प्रभागों के लिए वर्ष के दौरान **"इंट्रा योजना"** पोर्टल तथा ओपीए प्रणाली पर दो पांच प्रस्तुति आयोजित की गई।
3. **योजना आयोग के कर्मचारियों के बच्चों के लिए कंप्यूटर शिक्षा:** योजना आयोग के कर्मचारियों के बच्चों के लिए कंप्यूटर जागरूकता पाठ्यक्रम पर एक पांच-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया ताकि उनके भीतर कंप्यूटर जागरूकता उत्पन्न की जा सके। **2008-09 के दौरान लगभग 40 बच्चों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।**
4. एनआईसी योजना भवन, योजना आयोग में प्रशिक्षण प्रभाग ने 10 से 17 नवंबर, 2008 तक योजना भवन में योजना के अधिकारियों के लिए **"माइक्रोसाफ्ट आफिस 2007/सरकार में सूचना प्रबंध के लिए 2003 साधन"** के संबंध में एक प्रशिक्षण आयोजित किया ताकि वे इस कार्यालय साधन की विभिन्न विशेषताओं के बारे में कोई असुविधा न महसूस करें। "माइक्रोसाफ्ट

आफिस 2007'' **"एडवांस लेवल माइक्रोसाफ्ट एक्सेल और एक्सेस"** पर प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था मेसर्स माइक्रोसाफ्ट की सहायता से की गई थी और इसमें योजना आयोग के 200 से अधिक अधिकारियों ने भाग लिया जिनमें वरिष्ठ अधिकारी सम्मिलित थे तथा अधिकारियों को इस मूल्यवान प्रशिक्षण से काफी लाभ प्राप्त हुआ।

4.33.7 विभागीय अभिलेख कक्ष

4.33.7.1 विभागीय अभिलेख कक्ष का आवधिक वार्षिक निरीक्षण 24 जुलाई, 2008 को भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा किया गया और उन्होंने कार्यालय प्रक्रिया नियमावली, सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, 1993 और सार्वजनिक अभिलेख नियम, 1997 में निर्धारित और विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार अनुरक्षण के लिए सराहना की। यद्यपि यहां स्टाफ की कमी है फिर भी अनुभाग में कार्यरत स्टाफ में विभागीय अभिलेख कक्ष को अपने-अपने ईमानदारीपूर्ण कठिन कार्य और जिम्मेदारी के जरिए साफ सुथरा रखकर एक सुहावना स्थान बना दिया है। बड़ी और भारी मात्रा में अभिलेखों के बावजूद इसे बड़े सलीके से रखा गया है।

4.33.7.2 सचिव, योजना आयोग को संबोधित मंत्रिमंडल सचिव के अर्द्ध-सरकारी पत्र के अनुसार सलाहकार (प्रशासन) श्री रवि मित्तल को योजना आयोग के मुख्य अभिलेख अधिकारी के रूप में नामजद किया गया है तथा आरईओ और पीईओ व श्रीमती प्रमिला माथुर, अनुभाग अधिकारी (सामान्य 1) को योजना आयोग के अभिलेख अधिकारी और आरईओ तथा पीईओ के रूप में नामजद किया गया है। इसके अलावा श्री भास्कर चटर्जी, प्रधान सलाहाकर (प्रशासन) ने दिसंबर, 2008 में विगीय अभिलेख कक्ष का निरीक्षण किया और निरीक्षण रिपोर्ट सचिव (संस्कृति) को भेजी।

4.33.7.3 जो अभिलेख चालू नहीं है और जो 25 वर्ष या उससे भी अधिक पुराने हैं उनका सितंबर-अक्तूबर और नवंबर, 2008 मास के दौरान भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा आकलन किया गया और 40 गैर-चालू अभिलेखों को छंटाई के लिए मार्क किया गया तथा 550 को एनएआई में स्थायी परिरक्षण के लिए मार्क किया गया। फाइलों को एनएआई मानदंडों के अनुसार बंडलबद्ध कर दिया गया है तथा उन्हें स्थायी परिरक्षण हेतु भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार को स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

4.33.7.4 31 दिसंबर, 2007 और 30 जून, 2008 को समाप्त अवधि के संबंध में अर्द्धवार्षिक विवरणी जैसी नेमी रिपोर्टों और वार्षिक विवरणी जैसेकि फार्म-1 (25 वर्ष पुराने अभिलेख), फार्म-5 (पीसी और आरईओ; पीईओ), "क" श्रेणी अभिलेख की माइक्रो-फिल्मिंग, बंद हो गई समितियों का अभिलेख आदि का संकलन किया गया और उन्हें भार. राष्ट्रीय अभिलेखागार को भेजा गया।

4.33.7.5 एनआईसी योजना भवन यूनिट की सहायता से कंप्यूटरीकृत प्रविष्टि और साथ ही फाइलों और अभिलेखों की पुनःप्राप्ति जिन्हें योजना आयोग के विभागीय अभिलेख कक्ष में प्रतिधारण हेतु भेजा गया था, आयोजित की गई।

4.33.8 योजना आयोग क्लब

4.33.8.1 वर्तमान प्रबंध समिति ने अपने कार्यकलाप मार्च, 2008 मास के दौरान प्रधान सलाहकार, योजना आयोग श्री एम. के. खन्ना की अध्यक्षता में शुरू किए जिन्होंने इसके खेलकूद व अन्य कार्यकलापों का आयोजन करने के लिए प्रबंध समिति को मार्गदर्शन और प्रोत्साहन प्रदान किया। तथापि श्री खन्ना लगभग मई, 2008 में योजना आयोग छोड़ गए इसलिए विशेष साधरण सभा की बैठक में श्री आर. के. गुप्ता को सर्वसम्मति से क्लब का प्रधान नामजद और चुना गया।

4.33.8.2 **क्रिकेटः** योजना आयोग से एक क्रिकेट टीम अंतर्मंत्रालयी टूर्नामेंट में भेजी गई तथा अभ्यास के लिए मैदान बुक किया गया। इस तथ्य के बावजूद कि अंतर्मंत्रालय टूर्नामेंट 10 वर्ष के अंतराल के बाद आयोजित किया गया था। क्रिकेट टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया।

4.33.8.3 **टेबल टेनिसः** योजना आयोग से पांच सदस्यों की एक टेबल टेनिस टीम भी अंतर्मंत्रालय टूर्नामेंट में भेजी गई और संभारतंत्रीय सहायता के अभाव के बावजूद जैसे कि उत्तम, प्रतिस्पद्धी टेबल टेनिस बैट की उपलब्धता, टीम सेमी फाइनल स्तर तक पहुंच गई।

4.33.8.4 **वार्षिक एथलेटिक प्रतियोगिताः** वार्षिक एथलेटिक प्रतियोगिता 9 जून, 2009 को विनय मार्ग खेल मैदान में आयोजित की गई जहां विभिन्न एथलेटिक प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं जिनमें 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर दौड़, लंबी कूद, डिस्कस थ्रो, जेवेलिन थ्रो, युवाओं और बुजुर्गों के लिए हैमर थ्रो शामिल है, जो पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए आयोजित की गई थी। बाल दौड़ भी आयोजित की गई। महिलाओं और बच्चों के लिए म्युजिक चेयर, लैमन रेस, जैसी विशेष प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। किसी अप्रिय घटना के मामले में मेडिकल सहायता की भी व्यवस्था की गई। क्लब का एक पुनः माडल वाला फ्लैग श्री आर. के. गुप्ता द्वारा फहराया गया जो क्लब के प्रधान हैं।

4.33.8.5 **आंतरिक टूर्नामेंटः** पीतांबर पंत ट्राफी के लिए आंतरिक टेबल टेनिस टूर्नामेंट और टेबल टेनिस वार्षिक नाक आउट - एकल और युगल दोनों के संबंध में संबंधित कप्तान/उप-कप्तान द्वारा सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। श्री सतीश गौनियाल ने अपने स्वर्गीय भाई श्री हरीश, गौनियाल की स्मृति में एक ट्राफी दान में दी। यह टेबल टेनिस के लिए एक चल ट्राफी होगी।

4.33.8.6 **सैरसपाटा दौरेः** 25.6.2008 से 29.6.2008 तक आनंदपुर साहिब, नैना देवी, बाबा बालकनाथ, चिंतपुर्णी देवी, ज्वालाजी देवी, कांगड़ा देवी, चामुंडा देवी, बैजनाथ के लिए सैरसपाटा दौरा आयोजित किया। एक चार्टर्ड बस किराए पर ली गई, खाने के सामान और रसोइए का भी प्रबंध किया गया। प्रतिभागियों ने हिमाचल प्रदेश की सुंदरता का आनंद लिया और दौरे की सराहना की। 6 से 11 अप्रैल, 2009 तक जयपुर, अजमेर, पुष्करनाथ द्वारा, उदयपुर और माउंट आबू के लिए भी एक दौरा आयोजित किया गया। अपार उत्साह के कारण दो चार्टर्ड बसें किराए पर ली गईं बस में रसोइए भी गए। व्यवस्था की सभी ने सराहना की।

4.33.8.7 योजना आयोग का वार्षिक समारोह 22 मई, 2009 को कांस्टीट्यूशन क्लब, रफी मार्ग, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। योजना आयोग के सचिव डॉ. सुभाष पाणि, मुख्य अतिथि बनाने के लिए सहमत हो गए और श्रीमती एस. भवानी, वरिष्ठ सलाहकार, योजना आयोग ने भी समारोह के लिए सम्मानित अतिथि बनने का हमारा अनुरोध स्वीकार कर लिया। मुख्य अतिथि और सम्मानित अतिथि द्वारा विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के विजेताओं को तथा योजना आयोग से सलाहकारों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए भी पुरस्कार प्रदान किए गए। समारोह के लिए अयोजित की गई व्यवस्था को सभी ने पसंद किया।

4.33.9 कल्याण यूनिट

4.33.9.1 अपने कर्मचारियों के कल्याण की देखभाल करने के लिए योजना आयोग में एक कल्याण यूनिट काम कर रहा है। कल्याण यूनिट योजना आयोग के अधिकारियों/स्टाफ के लिए प्राथमिक सहायता की व्यवस्था करता है। साथ ही यह यूनिट नेमी बीमारियों, जैसेकि सिरदर्द, पेट दर्द आदि के लिए आम दवाईयां भी मुहैया कराता है। योजना आयोग के कर्मचारियों को सलाह में दो बार निःशुल्क आयुर्वेदिक परामर्श प्रदान किया जाता है।

आपात स्थिति में, जैसेकि दुर्घटना/अन्य परिस्थितियों में कल्याण यूनिट कर्मचारियों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करता है और उन्हें चिकित्सीय उपचार के लिए अस्पताल ले जाया जाता है। सहायक कल्याण अधिकारी उन परिवारों के कर्मचारियों के घरों का दौरा करते हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई हो तथा सभी संभव मदद प्रदान करते हैं। कल्याण यूनिट उन मृत कर्मचारियों के परिवारों को तत्काल राहत प्रदान करने में मदद देता है जो कार्यकाल के दौरान मृत्यु को प्राप्त होते हैं तथा जो योजना आयोग कर्मचारी कल्याण निधि सोसायटी के सदस्य होते हैं। कार्यकाल के दौरान मरने वाले कर्मचारियों की स्मृति में कार्यालय में शोक सभाओं का आयोजन किया जाता है। साथ ही यह यूनिट अधिवार्षिकी की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के विदाई समारोह का आयोजन भी करता है।

4.33.9.2 इसके अलावा कल्याण यूनिट निम्नलिखित राष्ट्रीय समारोह आयोजित करता है:

- शहदी दिवस
- आतंकवाद-विरोधी दिवस
- सद्भावना दिवस
- कौमी एकता दिवस
- झंडा दिवस और सांप्रदायिक तालमेल बढ़ाने के लिए निधि जुटाने की व्यवस्था
- सशस्त्र सेना झंडा दिवस तथा निधि इकट्ठी करने के लिए व्यवस्था।

4.33.9.3 1 जनवरी, 2008 से 31 दिसंबर, 2008 तक कल्याण यूनिट ने अपने सामान्य कार्यकलाप के अलावा, निम्नलिखित कार्यकलाप भी अयोजित किए:

(i) योजना आयोग के कर्मचारियों के बच्चों के लिए 5.5.2008 से 9.5.2008 तक कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

(ii) अधिकारियों और स्टाफ के मेडिकल चैक-अप के लिए योजना आयोग में एक अधुनिकतम आस्था मेडीकल केन्द्र स्थापित किया गया है। इसमें प्रशिक्षित स्टाफ, व्हील चेयर, स्ट्रेचर, रक्त चाप चैक-अप, मधुमेह चैक-अप व अन्य आपातिक उपायों की सुविधा है।

(iii) भवन की तीसरी और दूसरी मंजिल पर क्रमशः एक फल स्टाल व नेस्कैफ काउंटर भी चल रहा है।

(iv) 25 नवंबर, 2008 को सशस्त्र सेना फ्लैग दिवस के अवसर पर योजना आयोग के अधिकारियों/स्टाफ से 5819.00 रुपए और अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान (आईएएमआर) से 1057.00 रुपए एकत्र किए गए।

4.33.9.4 कल्याण यूनिट, चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड, भूतपूर्व कर्मचारी सहकारी समिति सोसायटी, फल चाट स्टाल, केन्द्रीय भंडार, डीएमएस स्टाल आदि से संबंधित कामकाज की भी देखभाल करता है।

4.33.9.5 कल्याण यूनिट योजना आयोग कर्माचारियों की कल्याण निधि सोसायटी और विभागीय कैंटीन को भी सेवाएं प्रदान करता है।

योजना आयोग कर्मचारी कल्याण निधि सोसायटी

4.33.9.6 योजना आयोग कर्मचारी कल्याण निधि सोसायटी अगस्त, 1997 से काम कर रही है। यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत है। योजना आयोग, कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के सभी कर्मचारी, जिनमें अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी भी शामिल हैं, सोसायटी के सदस्य बन सकते हैं। 31 मार्च, 2008 की स्थिति

के अनुसार सोसायटी के कुल सदस्यों की संख्या 665 है।

4.33.9.7 मासिक अंशदान जोकि वेतन से काट लिया जाता है राजपत्रित, अराजपत्रित तथा श्रेणी "घ" कमचारियों के लिए क्रमशः 20 रुपए, 15 रुपए और 10 रुपए है। सदस्यों द्वारा दिए गए कुल अंशदान में से दो-तिहाई भाग उन्हें उनकी सेवानिवृत्ति पर वापिस लौटा दिया जाता है।

4.33.9.8 किसी सदस्य की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाने की स्थिति में सोसायटी परिवार को तुरंत वित्तीय राहत प्रदान करती है और लंबी बीमारी के मामले में भी सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 11 वर्षों की थोड़ी सी अवधि के दौरान सोसायटी ने उसके सदस्य की मृत्यु के मामले में राहत की राशि बढ़ाकर 25000 रुपए और लंबी बीमारी के मामले में बढ़ाकर 4000 रुपए कर दी है। इसके अलावा सोसायटी सदस्य के पति/पत्नी की मृत्यु/बीमारी के मामले में भी वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है बशर्ते कि पति/पत्नी के संबंध में मासिक अंशदान दिया गया हो।

4.33.9.9 1 जनवरी, 2008 से 31 मार्च, 2009 तक की अवधि के दौरान सदस्यों को चिकित्सीय राहत के रूप में 30000 रुपए की राशि प्रदान की गई, मृत्यु होने पर मृत सदस्यों के परिवारों को 2,75,000 रुपए की वित्तीय राहत प्रदान की गई।

विभागीय कैंटीन

4.33.9.10 स्टाफ कल्याण के एक उपाय के रूप में योजना आयोग के कर्मचारियों को उचित दरों पर स्वच्छ रूप से तैयार भोजन, स्नैक और पेय पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए एक विभागीय कैंटीन खोली गई है। यह विभागीय कैंटीन किसी लाभ अथवा हानि के बिना काम कर रही है।

4.33.9.11 योजना आयोग में विभागीय कैंटीन अक्तूबर, 1961 से काम कर रही है। विभागीय कैंटीन में कार्यरत स्टाफ को 1 अक्तूबर, 1991 से सरकारी कर्मचारियों के रूप में घोषित कर दिया गया है। विभागीय कैंटीन के खातों की प्रति वर्ष लेखा-परीक्षा कराई जाती है। कार्यालय समय के बाद काम करने वाले कर्मचारियों को चाय, स्नैक प्रदान करने के लिए तीन बैरे कार्यालय समय के बाद शाम को 7 बजे तक ड्यूटी पर लगाए गए हैं।

4.33.9.12 विभागीय कैंटीन के मामलों की देखभाल एक प्रबंधन समिति द्वारा की जाती है। इसकी बैठकें नियमित रूप से होती हैं, जिनमें इसके कामकाज की समीक्षा की जाती है तथा सुधार संबंधी अन्य प्रस्तावों पर विचार किया जाता है।

4.33.9.13 सफाई और स्वच्छता स्थिति बनाए रखने की देखभाल तथा प्रयुक्त सामग्री की कोटि/मात्रा व तैयार होने वाली मदों पर निगरानी एक उप-समिति द्वारा रखी जाती है।

4.33.9.14 कैंटीन परिसर के पूर्ण जीर्णोद्धार का काम शुरू किया गया है।

4.33.10 चार्ट, नक्शे तथा उपकरण यूनिट

4.33.10.1 योजना आयोग का चार्ट, नक्शा एवं उपकरण यूनिट कार्यालय के अंदर एवं बाहर दिन-प्रतिदिन के सरकारी कामकाज और साथ ही विभिन्न बैठकों, सम्मेलनों तथा औपचारिक क्रियाकलापों को आयोजित कराने के लिए तकनीकी और उपकरण संबंधी सहायता उपलब्ध कराता है। यूनिट के पास कार्यालय की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निम्नलिखित आधुनिक उपकरण मौजूद हैं:

(क) इंटरनेट कनेक्शन के साथ लैपटाप

(ख) आयोजित बैठक, प्रस्तुतियों तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को दर्शाने के लिए प्लाज्मा स्क्रीन श्रव्य-दृश्य प्रणाली।

(ग) रंगीन लेजर प्रिंटर

(घ) स्कैनिंग मशीन

(ड.) टीवी तथा वीसीआर

(च) पेजमेकर-6.5, 7, फोटोशाप-6, 7 तथा कोरल ड्रा-10, 11, 12 साफ्टवेयर सहित पेंटियम-4 कंप्यूटर।

(छ) ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर

(ज) रंगीन फोटोकापियर

(झ) लैमिनेशन मशीनें

(ञ) हैवी ड्यूटी फोटोकापियर तथा डिजिटल स्कैनर और प्रिंटिंग मशीनें।

(ट) स्पाइरल बाइंडिंग, स्ट्रिप बाइंडिंग तथा पिन बाइंडिंग आदि सहित बाइंडिंग मशीनें।

4.33.10.2 इस यूनिट द्वारा वर्ष के दौरान किए गए प्रमुख क्रियाकलाप संक्षेप में नीचे प्रस्तुत किए गए हैं:

- वर्ष के दौरान योजना आयोग और कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा प्रकाशित विभिन्न प्रकाशनों का आवरण पृष्ठ डिजाइन तैयार किया, जैसेकि वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक योजना, वार्षिक योजना 2008-09 के लिए एसबीई और आंतरिक योजना आयोग बैठकों का संकलन। 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए पुस्तक कवर डिजाइन कार्य समूह-पत्र तैयार किया। विज्ञान भवन में आयोजित एनडीसी बैठकों के लिए प्रदर्शन कार्ड/शीर्षक तैयार किए।
- कोरल ड्रा 12 पर इंडिया मैप तैयार किया - विकास संकेतक दर्शाते हुए : भारत में अनुसूचित जनजातियों की कुल आबादी की तुलना में एक तुलनात्मक स्थिति - एक नजर में।
- कोरल ड्रा 12 पर इंडिया मैप तैयार किया - विकास संकेतक दर्शाते हुए : भारत में अनुसूचित जातियों की कुल आबादी की तुलना में एक तुलनात्मक स्थिति - एक नजर में।
- आईआईटी/आईआईएम दर्शाते हुए "मैप आफ इंडिया" तैयार किया।
- भारत में विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय संस्थान दर्शाते हुए "मैप आफ इंडिया" तैयार किया।
- योजना आयोग के संगठनात्मक चार्ट (अंग्रेजी और हिंदी में) सलाहकार स्तर और अनुभाग अधिकारी स्तर तक, कार्य के आबंटन सहित। इसके साथ ही, सशक्तिकरण संबंधी कोर समूह और कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के लिए भी संगठनात्मक-चार्ट तैयार किए।
- वर्ष के दौरान योजना आयोग द्वारा नियमित रूप से आयोजित बैठकों/सेमिनारों के लिए नाम प्रदर्शन कार्ड तैयार किए।
- योजना आयोग राज्यमंत्री, उपाध्यक्ष/सदस्य/ प्रधान सलाहकार, योजना आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के उपयोगार्थ बैठकों/सेमिनारों की रंगीन ट्रांसपेरेंसीज तैयार की।
- योजना आयोग में हिंदी पखवाड़ा राजभाषा संगोष्ठी व अन्य समारोहों के लिए भाग लेने वालों के लिए हिंदी में प्रमाण-पत्रों की डिजाइनिंग और मुद्रण।
- सहायता-अनुदान रजिस्टर की डिजाइनिंग और मुद्रण।
- उपाध्यक्ष कार्यालय, सचिव और प्रधान सलाहकार (पीसी और प्रशासन) के आमंत्रण कार्डों पर सुलेख कार्य।

- बैठकें/सेमिनार/सम्मेलन आदि में भाग लेने वाले अधिकारियों की बैठने की योजना व्यवस्था दर्शाने वाले चार्ट तैयार किए।
- 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 8वीं योजना व्यय, 10वीं योजना व्यय के संबंध में शिक्षा क्षेत्रक के लिए चार्ट डिजाइन किए।
- योजना आयोग/कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन/ पश्चिम घाट के सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए पहचान-पत्र तैयार किए तथा उनका लेमिनेशन किया।
- सरकारी दस्तावेजों की स्कैनिंग और मुद्रण। योजना आयोग के विभिन्न प्रभागों के लिए विभिन्न फोटो और कलर प्रिंटिंग की स्कैनिंग की।
- योजना भवन के लिए कार और स्कूटर पार्किंग लेबलों (स्टीकरों) की डिजाइनिंग।
- योजना आयोग के फोटोकापी के नेमी कार्य के अलावा, यूनिट ने 10वीं पंचवर्षीय योजना (हिंदी और अंग्रेजी दोनों में), 10वीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन की प्रतियों के मुद्रण से संबद्ध अतिरिक्त कार्य भी वर्ष के दौरान किया।
- हैवी ड्यूटी फोटोकापियर, डिजिटल स्कैनर-सह-प्रिंटर (कलर और मानो) के लिए नमूने।
- फोटोकापियरों, कलर फोटोकापियरों और कलर प्रिंटों आदि के एएमसी बिलों का प्रमाणीकरण।
- यूनिट ने आलोच्य वर्ष के दौरान उपस्कर इलेक्ट्रानिक प्रदर्शन बोर्डों, प्लाज्मा स्क्रीनों, लैटपटाप, टीवी और वीसीआर, ओवरहेड प्रोजेक्टरों और फोटोकापियरों की भी हैंडलिंग और प्रचालन किया।

4.33.11 सूचना का अधिकार (आरटीआई) प्रकोष्ठ

4.33.11.1 योजना आयोग में आरटीआई प्रकोष्ठ की स्थापना अक्तूबर, 2005 में की गई थी। यह योजना भवन के भूतल पर स्थित "सूचना द्वार" में कार्य कर रहा है। योजना आयोग की वेबसाइट के होमपेज पर एक पृथक संयोजन "आरटीआई अधिनियम" है। दर्शकों/ग्राहकों की सुविधा के लिए "सूचना द्वार" ने आनलाइन प्रश्नों को पूरा करने की सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। वित्त वर्ष दिसंबर, 2008-09 तक आरटीआई प्रकोष्ठ में 187 पूछताछ प्राप्त हुई तथा सभी का उत्तर दिया गया।

अध्याय 5
कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन

पीईओ का मूल्यांकन

5.1 "भारत में आयोजना की अवधारणा शुरू होने से ही वैविध्यपूर्ण भू-जलवायु स्थितियों से युक्त एक विशिष्ट स्थिति में तथा भारतीय राज्यों की बहुविध समाजार्थिक विशेषताओं के चलते कार्यान्वयन के लिए विकासात्मक स्कीमें और कार्यक्रमों की योजना कैसे तैयार की जाए- यह बात योजना निर्माताओं और नीति निर्माताओं के लिए एक बड़ी चुनौती रही है जो हमेशा ही सेवा सुपुर्दगी में सुधार करने के बारे में चिंतित रहे। फिर भी, पीईओ के संस्थापकों का एक दूरदृष्टिपूर्ण उद्देश्य मूल्यांकन परिणामों के माध्यम से विकास आयोजना और कार्यान्वयन में सुधार करना था जो विकास स्कीमों और कार्यक्रमों के प्रत्याशित लाभार्थियों की मदद करने में सार्वजनिक हस्तक्षेप के बारे में आधार स्तरीय वास्तविकता परिलक्षित करने मात्र था।"

संगठनात्मक इतिहास

5.2 तदनुसार, सामुदायिक विकास कार्यक्रमों तथा अन्य गहन क्षेत्र विकास स्कीमों का मूल्यांकन करने के विशिष्ट उद्देश्य से योजना आयोग के सामान्य मार्गदर्शन तथा निदेशों के तहत, एक स्वतंत्र संगठन के रूप में अक्तूबर, 1952 में कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन स्थापित किया गया था। मूल्यांकन पद्धति को पहली पंचवर्षीय योजना में पद्धतियों और तकनीकों का विकास करके तथा तीसरी योजना (1961-66) और चौथी योजना (1969-74) के दौरान राज्यों में मूल्यांकन तंत्र स्थापित करके और परिपक्व व सुदृढ़ किया गया। विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि कृषि, सहकारिता, ग्रामोद्योग, मत्स्य उद्योग, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, ग्रामीण विकास, ग्रामीण विद्युतीकरण, सार्वजनिक वितरण, आदिवासी विकास, सामाजिक वानिकी इत्यादि योजना कार्यक्रमों/स्कीमों के विस्तारीकरण से, पीईओ द्वारा किए जा रहे मूल्यांकन कार्य का धीरे-धीरे अन्य महत्वपूर्ण केन्द्र प्रायोजित स्कीमों तक विस्तार किया गया।

पीईओ के कार्य और उद्देश्य

5.3 कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पीईओ) योजना आयोग के विभिन्न प्रभागों तथा भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के कहने पर प्राथमिकतापूर्ण कार्यक्रम/स्कीमों का मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन अध्ययन, कार्य-निष्पादन, कार्यान्वयन प्रक्रिया, आपूर्ति प्रणालियों की प्रभाविता और कार्यक्रमों/स्कीमों के प्रभाव का निर्धारण करने के लिए तैयार किए जाते हैं। ये अध्ययन प्रकृति से नैदानिक होते हैं और इनका उद्देश्य ऐसे कारणों का पता लगाना है जिनकी वजह से विभिन्न कार्यक्रम सफल तथा/अथवा असफल हुए और इसके साथ ही मध्यावधिक सुधार करके तथा भावी कार्यक्रमों के बेहतर डिजाइन बनाकर मौजूदा स्कीमों के कार्य-निष्पादन में सुधार करने के सबक सीखना भी इनका उद्देश्य है।

उपचार परिणामों के लिए नैदानिक दृष्टिकोण

5.4 सामान्य रूप से पीईओ द्वारा निष्पादित मूल्यांकन कार्य के उद्देश्यों में विकास कार्यक्रमों की प्रक्रियाओं और प्रभावों का उद्देश्यपरक आकलन, कार्यान्वयवन के विभिन्न चरणों पर सफलताओं और असफलताओं के क्षेत्रों का विनिर्धारण, सफलताओं और असफलताओं के कारणों का विश्लेषण, विस्तार विधियों की जांच तथा उनके संबंध में लोगों की प्रतिक्रिया और नए कार्यक्रमों स्कीमों के निर्माण और कार्यान्वयन में भावी सुधार के लिए सबक सीखना सम्मिलित है। इस दृष्टि से मूल्यांकन को काफी विशिष्ट और एक ओर प्रगति तथा समीक्षा के विश्लेषण से पृथक और दूसरी ओर स्कीमों और कार्यों के निरीक्षण, चेकिंग और संवीक्षा से पृथक समझा गया है।

सेवा सुपुर्दगी में सुधार करने के लिए भागीदारीपूर्ण दृष्टिकोण

5.5 पीईओ सीधे प्रेक्षणों नमूना सर्वेक्षणों और समाज विज्ञान अनुसंधान विधियों के माध्यम से बाह्य मूल्यांकन आयोजित करता है। इस प्रकार पीईओ द्वारा आयोजित मूल्यांकन अध्ययन प्रगति की रिपोर्ट करने अथवा प्रशासनिक मंत्रालयों, विभागों में किए जा रहे कार्यों की चेकिंग और संवीक्षा से भिन्न है। फिर भी मूल्यांकन के सभी स्तरों पर योजनाकारों और कार्यान्वयन एजेंसियों को भी शामिल करने का प्रयास किया जाता है जिससे कि निष्कर्षों और पीईओ के पाठों को और अधिक उपयोगी बनाया जा सके।

पीईओ का संगठनात्मक ढांचा

5.6 पीईओ मुख्यतः एक फील्ड स्तरीय संगठन है जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष के समग्र प्रभार के अधीन है। इसका तीन स्तरीय ढांचा है जिसका मुख्यालय योजना आयोग, नई दिल्ली में है। मध्य स्तर पर क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय है जिनका प्रतिनिधित्व मूल्यांकन कार्यालय द्वारा किया जाता है जबकि इसकी अगली कड़ी फील्ड यूनिट है जो परियोजना मूल्यांकन कार्यालयों के नाम से जाने जाते हैं।

पीईओ मुख्यालय

5.7 पीईओ मुख्यालय में संगठन वरिष्ठ सलाहकार (मूल्यांकन) की अध्यक्षता में काम करता है जिसकी सहायता के लिए सलाहकार/संयुक्त सलाहकार/निदेशक/उप-सलाहकार अपने सहयोगी स्टाफ के साथ सुलभ रहते हैं। प्रत्येक निदेशक/उप-सलाहकार अध्ययन डिजाइन तैयार करने, अध्ययन आयोजित करने तथा सलाहकार (मूल्यांकन) के समग्र मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण में पीईओ के क्षेत्रीय यूनिटों के माध्यम से इकट्ठा किए गए डाटा के विश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है।

पीईओ क्षेत्रीय कार्यालय

5.8 पीईओ की 15 क्षेत्रीय यूनिट हैं-7 क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय (आरईओ) तथा 8 परियोजना मूल्यांकन कार्यालय (पीईओ) हैं जो देश में विभिन्न राज्यों की राजधानियों में स्थित हैं। निष्पादन तथा प्रभाव मूल्यांकन अध्ययनों के लिए ग्राम और परिवार स्तर पर प्राथमिक डाटा सृजित करना तथा राज्य, जिला, ब्लाक और ग्राम स्तरों पर स्थित कार्यान्वयन तंत्रों के विभिन्न नोडों से डाटा को संसाधित करना जरूरी है। पीईओ के क्षेत्रीय यूनिट यह सुनिश्चित करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं कि मूल्यांकन अध्ययनों में प्रयुक्त प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े ग्रासरूट यथार्थ का प्रतिनिधित्व करते हों। क्योंकि मूल्यांकन निष्कर्षों को योजनाकारों और नीति निर्माताओं द्वारा कार्यरूप दिया जाना होता है इसलिए नैदानिक तथा प्रभाव अध्ययनों के लिए सृजित आंकड़ों की शुद्धता निश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार मूल्यांकन अध्ययनों में पीईओ के क्षेत्रीय यूनिट सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्षेत्रीय स्तर

पर पीईओ का अभिविन्यास संलग्नक में दिया गया है।

पीईओ पुस्तकालय

5.9 पीईओ मुख्यालय का अपना पुस्तकालय (तकनीकी) है, जहां अध्ययनों के डिजाइनिंग/कार्यशील बनाने के लिए अपनाए जाने वाले मूल्यांकन तकनीकों के संबंध में संदर्भ पुस्तकें व मूल्यांकन से संबद्ध अन्य प्रकाशन सांकेतिक प्रयोजनों के लिए रखे जाते हैं। मूल्यांकन रिपोर्टों की प्रतियां भी पुस्तकालय में संदर्भ-प्रयोजनार्थ रखी जाती हैं।

मूल्यांकन पर बल देना

5.10 प्रधानमंत्री ने अनेक अवसरों पर कार्यान्वयन की कोटि में सुधार करने और सुपुर्दगी पद्धति की कार्यकुशलता और जवाबदेही में वृद्धि करने की जरूरत पर अनेक अवसरों पर जोर दिया है जो केवल प्रभावी मूल्यांकन के माध्यम से ही सुनश्चित हो सकता है। वित्तमंत्री ने कार्यक्रमों और स्कीमों के एक स्वतंत्र और गहन मूल्यांकन की जरूरत पर बल दिया है क्योंकि देश के लोग परिणामों से संबंधित है। सरकार का प्रयास सभी प्रमुख कार्यक्रमों के विकास परिणामों को मापने के लिए एक पद्धति कायम करने का है।

5.11 मंत्रिमंडल सचिव ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के सचिवों को संबोधित एक पत्र में उन सभी चालू स्कीमों/कार्यक्रमों/परियोजनाओं का मूल्यांकन करने का निदेश दिया है। इनका अभी तक मूल्यांकन नहीं किया गया है। और इस बात पर बल दिया है कि यह निश्चित रूप से अधिक उपयोगी होगा यदि प्रभाव आकलन, कार्यक्रम, मूल्यांकन, संगठन योजना आयोग द्वारा अथवा एक सक्षम व्यावसायिक एजेंसी द्वारा आयोजित किए जाए। वर्ष 2006-07 ''सरकार में मूल्यांकन क्षमता का सुदृढ़ीकरण'' नामक एक योजना स्कीम लागू की गई थी।

मूल्यांकन के लिए योजना स्कीम

5.12 वर्ष 2006-07 में 8.55 करोड़ रुपए के बजटीय आबंटन के साथ **''सरकार में मूल्यांकन क्षमता का सुदृढ़ीकरण''** नामक एक केन्द्रीय योजना स्कीम लागू की गई थी तथा इस स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10 के लिए क्रमशः 26 करोड़ रुपए, 12 करोड़ रुपए और 12 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे। स्कीम का मुख्य उद्देश्य योजनाकारों/नीति निर्माताओं के लिए तुरंत तथा उपयोगी मूल्यांकनकारी सूचना उपलब्ध कराना है। विभिन्न कार्यक्रमों और परियोजनाओं के कोटि मूल्यांकन से न केवल सरकारी क्षेत्रक निष्पादन में सुधार होगा बल्कि इससे अर्थव्यवस्था, कार्यकुशलता, प्रभावशालिता, संधारणीयता से संबंधित व्यापक मुद्दों और सरकारी क्षेत्रक वित्तपोषण तथा विकास हस्तक्षेप की संगतता का भी समाधान होगा।

योजना स्कीम के उद्देश्य

(i) सामान्य रूप से सरकार के अंदर और बाहर कार्यक्रम, मूल्यांकन संगठन (पीईओ) की विद्यमान क्षमताओं और मूल्यांकन क्षमता विकास का निर्माण करना।

(ii) विकास मूल्यांकन के आधार पर एक डाटाबेस निर्मित करना जो विभिन्न संगठनों द्वारा किए गए मूल्यांकन अध्ययनों का मात्र एक संग्रहालय नहीं होगा बल्कि उसमें मूल्यांकन के परिणामों सीखे गए पाठ सर्वोत्तम प्रथाओं आदि के परिणामों को उपभोक्ता अनुकूल फार्मेट में प्रस्तुत किया जाएगा।

(iii) पीईओ योजना आयोग में उपलब्ध संसाधन व्यक्तियों और विशेषज्ञों के माध्यम से

प्रशिक्षण द्वारा राज्य सरकारों को विशेषज्ञता उपलब्ध कराना।

(iv) मूल्यांकन रिपोर्टों को सार्थक सामयिक और सूचनात्मक बनाने के लिए नवीनतम सांख्यिकीय साफ्टवेयर पैकेजों का इस्तेमाल और विद्यमान कंप्यूटर हार्डवेयर का उन्नयन करना।

पीईओ के लिए मूल्यांकन सलाहकार समिति का विकास (डीईएसी)

5.13 बदली हुई स्थिति को देखते हुए पूर्व-मूल्यांकन सलाहकार समिति (ईएसी) का पुनर्गठन और पुनर्संरचना 29 नवंबर, 2004 को विकास मूल्यांकन सलाहकार समिति के रूप में की गई जिसमें अध्यक्ष/उपाध्यक्ष योजना आयोग है जिसमें योजना आयोग के सभी सदस्य और सदस्यों के रूप में विख्यात अनुसंधान संस्थानों और विश्वविद्यालयों के प्रमुख अनुसंधान व्यावसायिक सम्मिलित हैं। सलाहकार (मूल्यांकन) डीईएसी का सदस्य-सचिव है। डीईएसी के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार हैं:

- देश में मूल्यांकन अनुसंधान के लिए और कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पीईओ) के लिए प्रमुख वैचारिक क्षेत्रों का विनिर्धारण करना।
- पीईओ के लिए वार्षिक योजना, दीर्घावधिक योजना पर विचार और अनुमोदित करना।
- देश में विकास मूल्यांकन अनुसंधान की कोटि का आकलन और मानीटरन करना तथा सुधारात्मक उपायों की सिफारिश करना।
- आयोजना और कार्यान्वयन मंत्रालयों/विभागों द्वारा मूल्यांकन निष्कर्षों के अनुपालन का मानकीकरण करना।
- पीईओ और केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य मूल्यांकन संस्थानों और साथ ही अन्य शैक्षिक संस्थानों और संगठनों के बीच और अधिक संयोजन विकसित करने के लिए उपाय और साधनों का सुझाव देना जो कार्यक्रमों/स्कीमों और अनुसंधान के मानीटरन और मूल्यांकन के कार्य में लगे हैं।
- सूचना सृजन और उपयोग की विधियों, मानकों और प्रक्रियाओं का उल्लेख करते हुए राष्ट्रीय मूल्यांकन नीति के निर्माण के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना।
- मंत्रालयों/विभागों, एनजीओ और देश में विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में मूल्यांकन क्षमता विकास के लिए मूल्यांकन संसाधनों का आकलन और उपयुक्त कार्यनीतियों का विकास करना।
- योजनाओं/नीति निर्माताओं के लिए उपयोगी मूल्यांकनकारी सूचना सृजित करने के लिए पीइओ द्वारा आयोजित की जाने वाली किसी अन्य गतिविधि का सुझाव देना।

वर्ष 2009-10 में पीईओ में प्रगति पर योजना स्कीमों/कार्यक्रमों का मूल्यांकन अध्ययन निम्न प्रकार है:

5.14 डीईएसी द्वारा प्राथमिकताशुदा मूल्यांकन अध्ययनों की स्थितिः

डीईएसी द्वारा प्राथमिकताशुदा मूल्यांकन अध्ययनों की स्थिति (2.6.2009 की स्थिति) निम्न प्रकार हैः

क्रम संख्या	स्कीम का नाम	वर्तमान स्थिति
1	पका मध्याह्न भोजन स्कीम (इन-हाउस)	मूल्यांकन रिपोर्ट का मसौदा प्रगति पर है।
2	ग्रामीण सड़कें (इन-हाउस)	इन-हाउस किया गया और रिपोर्ट का मसौदा तैयार किया जा रहा है।
3	सर्व शिक्षा अभियान (इन-हाउस)	रिपोर्ट लेखन प्रगति पर है।
4	राष्ट्रीय सम-विकास योजना	अध्ययन की आउटसोर्सिंग कर दी गई है। डाटा संग्रहण का काम चल रहा है।
5	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम	मूल्यांकन अध्ययन आईएएमआर को सौंप दिया गया है।
6	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	आरजीजीवीवाई के संबंध में प्रायोगिक अध्ययन के आधार पर एक विस्तृत अध्ययन प्रारंभ करने का निर्णय किया गया है। फिर से अध्ययन करने के लिए सीईएमसी का पुनर्गठन किया गया है।
7	ग्रामीण टेलीफोनी	अध्ययन की नवंबर, 2008 में आउटसोर्सिंग की गई।
8	राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन	एएमएस कंसल्टिंग को आउटसोर्सिंग की गई तथा डाटा संग्रह कार्य प्रगति पर है।
9	राष्ट्रीय सम-विकास योजना	एएमएस कंसल्टिंग को 25 मार्च, 2008 को आउटसोर्सिंग की गई। संगठन से रिपोर्ट का मसौदा प्राप्त हो गया है।
10	राष्ट्रीय ग्राम स्वास्थ्य मिशन	अध्ययन की नवंबर, 2008 में आउटसोर्सिंग की गई, क्षेत्र कार्य प्रगति पर है।
11	एकीकृत बाल विकास सेवाएं	अध्ययन की नवंबर, 2008 में आउटसोर्सिंग की गई। क्षेत्र कार्य प्रगति पर है।
12	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम	अध्ययन की नवंबर, 2008 में आउटसोर्सिंग की गई। क्षेत्र कार्य प्रगति पर है।
13	इंदिरा आवास योजना	तुरंत मूल्यांकन अध्ययन की आउटसोर्सिंग की गई है और क्षेत्र कार्य प्रगति पर है।
14	एकीकृत बाल विकास स्कीम	अध्ययन जनवरी, 2009 में एनसीएईआर को आउटसोर्स किया गया। क्षेत्र कार्य प्रगति पर है।
15	तिलहन, दालों, तेल पाम और मक्का की एकीकृत स्कीम	अध्ययन को आउटसोर्स करने का प्रस्ताव है। बोली बैठक 29.5.2009 को आयोजित की गई और बोली प्रक्रिया प्रगति पर है।
16	जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनयूआरएम)	डिजाइन पीईओ द्वारा तैयार किया गया और टिप्पणियों/सुझावों हेतु शहरी विकास मंत्रालय को भेजा गया। मूल्यांकन के लिए टीओआर को अंतिम रूप देने के लिए भेजा गया।
17	समग्र स्वच्छता अभियान	अध्ययन का डिजाइन पीईओ द्वारा तैयार किया गया है और इन-हाउस आयोजित करने का प्रस्ताव है।

चल रहे अन्य अध्ययनों की स्थिति

5.15 निम्नलिखित अध्ययन पूर्णता के विभिन्न स्तरों पर हैं:

क्रम संख्या	*स्कीम का नाम*	मूल्यांकन अध्ययन की स्थिति
1.	पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम और पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	रिपोर्ट का मसौदा एजेंसी से प्राप्त हो गया है और उसे अंतिम रूप देने के लिए वापस कर दिया गया है।
2.	अनुसूचित जाति के लड़के और लड़कियों के लिए होस्टलों का निर्माण	रिपोर्ट लेखन का काम आउटसोर्स किया गया। अंतिम रिपोर्ट स्वीकृति हेतु पीईओ के विचाराधीन है।
3.	उड़ीसा केबीके जिलों के लिए संशोधित दीर्घावधिक कार्रवाई याजना	अंतिम रिपोर्ट स्वीकृति हेतु पीईओ के विचाराधीन है।
4.	जम्मू तथा कश्मीर के चार जिलों में केन्द्र प्रायोजित स्कीमों का मूल्यांकन	जिले-वार रिपोर्टों के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
5.	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीसएफडीसी)	अंतिम रिपोर्ट की जांच भी की जा रही है/
6.	हथकरघा बुनकरों के लिए विकेन्द्रीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम	रिपोर्ट के मसौदे को पीईओ में अंतिम रूप दिया जा रहा है।

मूल्यांकन निष्कर्षों और सुझावों पर अनुवर्ती कार्रवाई - पीईओ का एक स्पष्ट आउटपुट

5.16 पीईओ द्वारा तैयार की गई मूल्यांकन रिपोर्टों मे दिए गए निष्कर्षों और सुझावों पर अमल करना संबंधित मंत्रालयों/विभागों पर निर्भर है। पता चला है कि पीईओ मूल्यांकन रिपोर्टों के निष्कर्षों और सुझावों को भिन्न-भिन्न मात्राओं में कार्यान्वयन मंत्रालयों/विभागों द्वारा समावेश कर लिया गया है। कुछ एक मूल्यांकन रिपोर्टों का उल्लेख पीछे किया गया है जिनके संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई की गई:

- "महिला समृद्धि योजना" पर पीईओ की मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर स्कीम को समाप्त कर दिया गया।
- रोजगार आश्वासन स्कीम की 2001-02 के दौरान पुनर्रचना की गई और पुनर्रचित स्कीम (संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) के संबंध में विस्तृत मार्गनिर्देश अप्रैल, 2002 में जारी किए जिनमें पीईओ द्वारा अप्रैल, 2000 में जारी रिपोर्ट की बहुत सी सिफारिशों को शामिल किया गया।
- "गैर-औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम" का मूल्यांकन पीईओ द्वारा वर्ष 1997 में किया गया और पीईओ रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर स्कीम का पूर्णतः पुनर्गठन किया गया और इसे "शिक्षा, गारंटी, स्कीम और वैकल्पिक तथा नूतन शिक्षा (ईजीएस एंड एआईई)" नामक नई स्कीम में विलय कर दिया गया।
- "बायोगैस विकास के संबंध में राष्ट्रीय परियोजना (एनपीबीडी)" का मूल्यांकन पीईओ द्वारा 2001 में किया गया और मूल्यांकन रिपोर्ट में की गई टिप्पिणयों और सिफारिशों के आधार पर गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने वर्ष 2002-03 के बाद कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए विस्तृत मार्गनिर्देश तैयार किए।

- "महाराष्ट्र में सांविधिक विकास बोर्डों" का निष्पादन मूल्यांकन पीईओ द्वारा किया गया और रिपोर्ट अप्रैल, 2003 में जारी की गई। पीईओ रिपोर्ट निष्कर्षों और टिप्पणियों को महाराष्ट्र के राज्यपाल कार्यालय और महाराष्ट्र के तीन बोर्डों, शेष महाराष्ट्र और विदर्भ द्वारा स्वीकार कर लिया गया।
- "त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी)" सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी) के कामकाज, "प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के कामकाज (पीएचसी)" , सामाजिक सुरक्षा कड़ी कार्यक्रम (एसएसएनपी) के तहत सहायता प्राप्त तथा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम" के संबंध में मूल्यांकन रिपोर्टें अत्यंत उपयोगी पाई गईं और उन पर कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा अमल किया गया।
- एकीकृत डेयरी विकास परियोजना के संबंध में हाल ही में मूल्यांकित स्कीम के निष्कर्षों और सिफारिशों पर योजना आयोग के विषय प्रभाग और मंत्रालय द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

पीईओ में ई-शासन

5.17 ई-शासन और सूचना प्रौद्योगिकी के सुदृढ़ीकरण के लिए एक व्यापक प्रस्ताव तैयार किया गया है और उसे कार्यान्वयन हेतु सामान्य प्रशासन को प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तावों को योजना आयोग द्वारा क्रमिक ढंग से लागू किया जाना निश्चित है।

पीईओ द्वारा आयोजित अनुस्थापन कार्यक्रम

5.18 आबंटित अध्ययनों के परियोजना निदेशकों के लिए अनुस्थापन कार्यक्रम आयोजित करना एक कठिन कार्य है क्योंकि उन्हें मूल्यांकन की प्रक्रियाओं के वांछित मानकों की पूर्ति करना है माध्यम के परियोजना निदेशकों से, क्षेत्र में शुरू करने के लिए अध्ययनों के संबंध में डिजाइन के निर्माण हेतु संबंधित मंत्रालयों/विभागों से स्कीमों/कार्यक्रमों के संबंध में पृष्ठभूमि सामग्री एकत्र करना अपेक्षित है। पीईओ के क्षेत्र कार्यालयों को यह समझाने के लिए कि क्षेत्र में अध्ययन किस प्रकार आयोजित किए जाएं, अनुस्थापन कार्यक्रम व्यापक चर्चाओं हेतु आयोजित किए जाते हैं।

संलग्नक-5.1

क्षेत्रीय स्तर पर कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन का अभिविन्यास

क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय (आरईओ) का नाम	संबद्ध परियोजना मूल्यांकन कार्यालय से संबंधित क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय	संबंधित आरईओ/पीईओ के अधीन आने वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
1	2	3
I. पूर्वी क्षेत्र 1. आरईओ, कोलकाता	पीईओ, गुवाहाटी तथा पीईओ, भुवनेश्वर	1. अरुणाचल प्रदेश 2. असम 3. मणिपुर 4. मेघालय 5. मिजोरम 6. नागालैंड 7. उड़ीसा 8. सिक्किम 9. त्रिपुरा 10. पश्चिमी बंगाल 11. अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह
II. उत्तरी क्षेत्र 2. आरईओ, चंडीगढ़	पीईओ, शिमला	1. हरियाणा 2. हिमाचल प्रदेश 3. जम्मू तथा कश्मीर 4. पंजाब 5. चंडीगढ़ 6. दिल्ली
III. दक्षिणी क्षेत्र 3. आरईओ, चेन्नई	पीईओ, तिरुवनंतपुरम	1. केरल 2. तमिलनाडु 3. लक्षद्वीप 4. पांडिचेरी
IV. दक्षिणी मध्य क्षेत्र 4. आरईओ, हैदराबाद	पीईओ, बंगलौर	1. आंध्र प्रदेश 2. कर्नाटक
V. मध्य क्षेत्र 5. आरईओ, जयपुर	पीईओ, भोपाल	1. मध्य प्रदेश 2. छत्तीसगढ़ 3. राजस्थान
VI. उत्तरी मध्य क्षेत्र 6. आरईओ, लखनऊ	पीईओ, पटना	1. बिहार 2. झारखंड 3. उत्तर प्रदेश 4. उत्तरांचल
VII. पश्चिमी क्षेत्र 7. आरईओ, मुंबई	पीईओ, अहमदाबाद	1. गोवा 2. गुजरात 3. महाराष्ट्र 4. दादर व नागर हवेली 5. दमन व दीव

अध्याय 6
सतर्कता संबंधी क्रियाकलाप

6.1 योजना आयोग का सतर्कता एकक, सतर्कता संबंधी सभी मामलों पर कार्रवाई करता है जैसेकि "समूह क", "समूह ख", "समूह ग" अधिकारियों के संबंध में भ्रष्टाचार, कदाचार और सत्यनिष्ठा की कमी संबंधी मामले। साथ ही यह एकक पदोन्नति के समय सतर्कता संबंधी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करता है, बाहरी नौकरियों/पासपोर्टों के लिए, आवेदन-पत्र अग्रेषित करने, स्थानांतरण/सेवानिवृत्त होने आदि पर सतर्कता संबंधी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने, योजना आयोग से कार्यमुक्त होने और इसे परामर्श के लिए भेजे गए अन्य अनुशासनात्मक मामलों पर प्रशासन को सलाह देने के लिए भी जिम्मेदार है।

6.2 क्योंकि योजना आयोग एक ऐसा विभाग है जिसका जनता के साथ सीधा वास्ता नहीं पड़ता इसलिए भ्रष्टाचार, कदाचार की गुंजाइश बहुत ही कम रहती है। अप्रैल, 2008 से मार्च, 2009 के दौरान एकक में प्राप्त हुई पांच शिकायतों की जांच की गई और उनका निपटान किया गया। प्रशासन प्रभाग द्वारा भेजे गए मामलों पर आवश्यक सलाह दी गई।

यौन उत्पीड़न से सुरक्षा

6.3 भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जनहित मुकदमे 1992 की रिट याचिका संख्या (आपराधिक) 666-07 में निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों और मानदंडों के अनुसार योजना आयोग में यौन उत्पीड़न के संबंध में एक शिकायत तंत्र समिति का गठन किया गया। इस विषय पर आचरण नियमावली के संगत प्रावधान, योजना आयोग में व्यापक रूप से परिवर्तित किए गए। अप्रैल, 2008-मार्च, 2009 की अवधि के दौरान समिति को एक यौन उत्पीड़न शिकायत की रिपोर्ट की गई तथा समिति ने अपनी रिपोर्ट अपेक्षित कार्रवाई हेतु प्रस्तुत कर दी।

सी एंड एजी की लेखा परीक्षा टिप्पणियां

पैरा 7.10-संवितरण

परिशिष्ट-VIIघ

(संदर्भः पैरा 7.10)

"मार्च, 2008 मास और 2007-08 की अंतिम तिमाही के दौरान खर्च की भारी भीड़"

क्रम संख्या	अनुदान और प्रमुख् शीर्ष का विवरण	कुल अनंतिम	कुल व्यय प्रमुख शीर्ष के अंतर्गत	मार्च में व्यय	कुल व्यय की तुलना में मार्च में खर्च का पतिशत	अंतिम तिमाही के दौरान व्यय	वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में व्यय की प्रतिशतता
124	3475-अन्य आर्थिक सेवाएं	29.11	29.35	6.17	21	12.40	43
125	3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	6.37	6.37	6.37	100	6.37	100
126	5475-पूंजी परिव्यय-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	4.00	3.37	1.99	50	2.71	68

पैरा 8.16 अवास्तविक बजटीय धारणाएं

परिशिष्ट-VII च

(संदर्भः पैरा 8.16)

अवास्तविक बजटीय धारणाएं दर्शाने वाले मामलों की संख्या

(दो करोड़ और उससे अधिक की बचत)

(करोड़ रुपए में)

क्रम संख्या	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	खर्च न हुआ प्रावधान	बजट प्रावधान की तुलना में खर्च न हुए प्रावधान की राशि
अनुदान संख्या 71 - योजना मंत्रालय					
138	2245.80.102.08 सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम	3.00	0.17	2.83	94
139	5475.00.800.14-कार्यालय पद्धतियों का आधुनिकीकरण	7.50	3.37	4.13	55

06.04.2009

भारत सरकार
योजना आयोग संगठन चार्ट

डॉ. मनमोहन सिंह
प्रधानमंत्री
अध्यक्ष

मन्टेक सिंह अहलूवालिया
उपाध्यक्ष

- प्रणब मुखर्जी, विदेश मंत्री, सदस्य
- अर्जुन सिंह, मानव संसाधन विकास मंत्री, सदस्य
- शरद पवार, कृषि एवं सीए,एफएंडपीडी मंत्री, सदस्य
- लालू प्रसाद, रेल मंत्री, सदस्य
- पी. चिदम्बरम, गृह मंत्री, सदस्य

डॉ. सुबास पाणि
सचिव

- **बी. के. चर्तुवेदी, सदस्य** – विद्युत क्षेत्र; राज्य योजना – उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पूर्वोत्तर एवं सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, बिहार
  - गजेन्द्र हल्दिया, प्रधान सलाहकार (अवसंरचना)
    - रवि मित्तल, सलाहकार (अवसंरचना)
  - ए. भट्टाचार्य, प्रधान सलाहकार (एसपी–बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ)
    - ऐ.के. मिश्रा, व. सलाहकार, विद्युत/एसपी–झारखंड, बिहार
    - रवि मित्तल, सलाहकार (एसपी–उत्तर प्रदेश)
    - हरिश चन्द्रा, सलाहकार (एसपी –छत्तीसगढ़)
  - श्रीमती जयति चंद्रा, प्रधान सलाहकार (राज्य योजना –पूर्वोत्तर, सिक्किम)
    - डी.एस. काल्हा, व. सलाहकार, एसपी –जम्मू एवं कश्मीर
    - एस.एन.बी. चौधरी, सलाहकार (एलईएम/एसपी –पूर्वोत्तर)
- **डॉ. किरीट पारीख, सदस्य** – भावी योजना; ऊर्जा (कोयला, पेट्रोलियम, गैर पारंपरिक एवं आणविक ऊर्जा); जल संसाधन (सिंचाई, पेयजल, डिसैलीनेशन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, वर्षाजल संग्रहण, ड्रेनेज); राज्य योजना – उत्तराखंड तथा कर्नाटक
  - आर. श्रीधरण, सलाहकार (एसपी –कर्नाटक)
  - लम्बूर रिंजाह, प्रधान सलाहकार (जल संसाधन)
    - वाई. उप्पल, व. सलाहकार (जल संसाधन)
  - भास्कर चटर्जी, प्रधान सलाहकार (राज्य योजना –उत्तराखंड)
    - डी.एस. काल्हा, व. सलाहकार, एसपी–उत्तराखंड
  - एस.पी. सेठी, प्रधान सलाहकार (ऊर्जा)
- **प्रो. अभिजीत सेन, सदस्य** – कृषि; विकास नीति (पीडीएस सहित); वित्तीय संसाधन; मूल्यांकन क्षेत्र; राज्य योजना–आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा
  - सुश्री एस. भवानी, व. सलाहकार (पीईओ)
    - डॉ. देवेन्द्र वर्मा, सलाहकार (पीईओ)
    - डॉ. सुधा पी. राव, सलाहकार (पीओएंडआरएम/एसईआर)
    - आर श्रीधरण, सलाहकार (एफआर/एसपी–आंध्र प्रदेश/उड़ीसा)
  - लम्बूर रिंजाह, प्रधान सलाहकार (कृषि)
    - डॉ. वी.वी. सदामते, सलाहकार (कृषि)
  - डॉ. संतोष कुमार महरोत्रा, व. परामर्शदाता (विकास नीति)
- **डॉ. वी. एल. चोपड़ा, सदस्य** – विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी; कृषि अनुसंधान; पर्यावरण एवं वन; राज्य योजना– पंजाब, दिल्ली (एनसीटी) एवं गोवा
  - अजीत कुमार वर्मा, सलाहकार (एसएंडटी)
  - रवि मित्तल, सलाहकार (गोवा)
  - डॉ. सी. मुरली कृष्ण कुमार, सलाहकार (आईसीटी)
  - लम्बूर रिंजाह, प्रधान सलाहकार (ईएंडएफ/आईडीए)
    - वाई. उप्पल, व.सलाहकार (ई एवं एफ)
    - डॉ. इंद्राणी चन्द्रशेखरन, सलाहकार (ईएंडएफ)
  - भास्कर चटर्जी, प्रधान सलाहकार (राज्य योजना –पंजाब/दिल्ली (एनसीटी))
    - ऐ.के. मिश्रा, व.सलाहकार (एसपी–पंजाब/दिल्ली)
- **डॉ. बी. एल. मुंगेकर, सदस्य** – श्रम एवं रोजगार; शिक्षा; तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं कौशल विकास; जनजातीय विकास; सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता; राज्य योजना– मध्य प्रदेश एवं केरल
  - ए. भट्टाचार्य, प्रधान सलाहकार (एसपी – मध्य प्रदेश)
    - हरिश चन्द, सलाहकार (एसपी–केरल)
  - श्रीमती जयति चंद्रा, प्रधान सलाहकार (एलईएम/एसजेएंडई)
    - एस.एन.ब्रह्मो चौधरी, सलाहकार (एलईएम)
    - जी.बी. पान्डा, सलाहकार (एसजेएंडई)
  - ए. भट्टाचार्य, प्रधान सलाहकार (शिक्षा)
    - सुश्री एस. भवानी, व. सलाहकार (पीसी)
    - डॉ. फरकान कमर, सलाहकार (शिक्षा)
    - डॉ. सी. चन्द्रमोहन, सलाहकार (शिक्षा)
- **डॉ. सुबास पाणि, सचिव**
  - भास्कर चटर्जी, प्रधान सलाहकार (प्रशासन/पीसी/टीआरपी)
    - ऐ.के.मिश्रा, व.सलाहकार
    - चमन कुमार, एएसएंडएफए
    - रवि मित्तल, सलाहकार (प्रशासन)
    - बी.के शर्मा, संयुक्त सचिव (प्रशा./राजभाषा)
    - आर. श्रीधरण, संयुक्त सचिव (आईएमआर/एसटीएफएस)
  - श्रीमती फिरोजा मेहरोत्रा, विशेष परामर्शदाता (वीएसीएंडडब्ल्यूसीडी)
    - डॉ. नागेश सिंह, सलाहकार (पीएएमडी/आरटीआई)
    - डॉ. (श्रीमती) सुधा पी. राव, सलाहकार (वीएसी/डब्ल्यूसीडी)
- **डॉ. सुश्री. सईदा हमीद, सदस्य** – स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण; राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग; एनजीओ, स्वैच्छिक कार्य समन्वय प्रकोष्ठ; ग्रामीण एवं लघु उद्योग; महिला एवं बाल विकास; राज्य योजना– हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं राजस्थान, अंडमान एवं निकोबार, लक्षद्वीप, दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव
  - श्रीमती जयति चंद्रा, प्रधान सलाहकार (डब्ल्यूसीडी, एनयूटी)
    - सुश्री एस. भवानी, व. सलाहकार (डब्ल्यूसीडी/वीएसी/पीईओ)
    - डी.एस.काल्हा, व.सलाहकार, वीएसई, एसपी–हिमाचल प्रदेश, हरियाणा
      - डॉ. रेणु एस. परमार, सलाहकार (वीएसई)
      - डी. वर्मा, सलाहकार (पीईओ)
  - भास्कर चटर्जी, प्रधान सलाहकार (एसपी –हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, संघ राज्य क्षेत्र) विधायिका बिना
    - ऐ.के. मिश्रा, व. सलाहकार (एसपी–राजस्थान)
      - डॉ. रेणु एस. परमार, सलाहकार (वीएसई)
  - प्रो. एन.के. सेठी, व. सलाहकार (स्वास्थ्य)
    - अम्बरीश कुमार, सलाहकार (स्वास्थ्य)
- **बी. एन. युगान्धर, सदस्य** – ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज; बहुस्तरीय योजना; आरएसवीवाई; क्षेत्रीय असंतुलन समाधान; राज्य योजना – महाराष्ट्र, गुजरात
  - लम्बूर रिंजाह, प्रधान सलाहकार (एसपी–गुजरात महाराष्ट्र)
    - ऐ.के.मिश्रा, व.सलाहकार (ग्रामीण विकास)
  - भास्कर चटर्जी, प्रधान सलाहकार (एमएलपी)
    - एल.पी. सोनकर, सलाहकार (एमएलपी)
- **अनवारूल होडा, सदस्य** – अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था; उद्योग एवं खनिज; परिवहन; शहरी विकास एवं आवास; पर्यटन; राज्य योजना –तमिलनाडु, पुदुचेरी एवं पश्चिम बंगाल
  - डॉ. संतोष कुमार महरोत्रा, व. परामर्शदाता (ग्रामीण विकास)
    - आर. श्रीधरण, संयुक्त सचिव (एसपी –तमिलनाडु)
    - हरिश चन्द, सलाहकार (एसपी–एनडब्ल्यू/डब्ल्यूबी)
  - बी.एन. पुरी, व.परामर्शदाता (परिवहन)
    - आर. गेदाम, सलाहकार (टीपीटी)
  - भास्कर चटर्जी, प्रधान सलाहकार (आईएंडबी/एमआईएन/आईई/पीयूडी–यूटी)
    - ऐ.के. मिश्रा, व.सलाहकार (टीआरपी/एसपी–पुदुचेरी)
      - एल.पी. सोनकर, सलाहकार (टीआरपी)
    - डी.एस.काल्हा, व.सलाहकार (आईएनडी/आईई वीएंडएसई)
      - एल.पी. सोनकर, सलाहकार (खनिज)
      - डॉ. रेणु एस. परमार, सलाहकार (आईएनडी/वीएंडएसई)
- **वी. नारायणसामी, योजना राज्यमंत्री एवं (पदेन सदस्य)** – संचार; आईटी और आई एंड बी; संसदीय मामले; यूआईडी प्राधिकरण
  - भास्कर चटर्जी, प्रधान सलाहकार (यूआईडी प्राधिकरण)
    - आर. भट्टाचार्य, व.सलाहकार (यूआईडी प्राधिकरण)
      - डॉ. सी.मुरलीकृष्ण कुमार, सलाहकार (यूआईडी प्राधिकरण)
      - डॉ. सी. मुरलीकृष्णकुमार, सलाहकार (आईसीटी)

1. पदनाम

पीआर.एडीवी	प्रधान सलाहकार
एसआर.परामर्शदाता	वरिष्ठ परामर्शदाता
एसआर.एडीवी.	वरिष्ठ सलाहकार
एडीवी.	सलाहकार
जेटी.एसईसीवाई	संयुक्त सचिव
एएस एंड एफए	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार

2. विषय

एडीएमएन.	प्रशासन
एजीआरआई.	कृषि
ए.पी.	आंध्र प्रदेश
बी.एच.	बिहार
बीआरजीएफ	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि
सीएंडआई	संचार एवं सूचना
आईसीटी	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी
सीओएम.	वाणिज्य
डीआरएफ	विकास सुधार सुविधा
डीपी	विकास नीति
ईडीयू	शिक्षा
ई एंड एफ	पर्यावरण एवं वन
एफआर	वित्तीय संसाधन
एचआरडी	मानव संसाधन विकास
एचयूडी	आवास एवं शहरी विकास
आईडीए	द्वीप विकास प्राधिकरण
आईएएमआर	जनसाधन अनुसंधान संस्थान
आईईएम	अन्तरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था प्रबंधन
आईई	अन्तरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था
आईडी	सूचना प्रौद्योगिकी
आई एंड बी	सूचना एवं प्रसारण
एलईएम	श्रम, रोजगार एवं जनसाधन
एमएलपी	बहु स्तरीय योजना
एम.पी.	मध्य प्रदेश
एमएच.	महाराष्ट्र
एनसीपी	राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग
एनसीपी	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
एनई	पूर्वोत्तर
ओएल	राजभाषा
ओ/ओ डीसीएच	उपाध्यक्ष कार्यालय
पीएएमडी	परियोजना मूल्यांकन एवं प्रबंधन प्रभाग
पीडीएस	सार्वजनिक वितरण प्रणाली
पीसी	योजना समन्वय
पीईओ	कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन
पीओ एंड आरएम	कार्यक्रम परिणाम एवं रिसपोंस मॉनिटरिंग
पीपी	भावी योजना
आरडी	ग्रामीण विकास
आरएसवीवाई	राष्ट्रीय सम विकास योजना
एसईआर	समाजार्थिक अनुसंधान
एसजे एंड डब्ल्यूई	सामाजिक न्याय एवं महिला सशक्तिकरण
एसपी–सी	राज्य योजना–केन्द
एसपी–ई	राज्य योजना–पूर्व
एसपी–एन	राज्य योजना–उत्तर
एसपी–एनई	राज्य योजना–पूर्वोत्तर
एसपी–एस	राज्य योजना–दक्षिण
एसपी–डब्ल्यू	राज्य योजना–पश्चिम
एस एंड टी	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
एसपी एंड एडीएम	राज्य योजना एवं प्रशासन
एससीओआई	अवसंरचना समिति सचिवालय
टीपीटी	परिवहन
टीआरपी	सुनामी पुनर्निर्माण
वीएसी	स्वैच्छिक कार्य प्रकोष्ठ
वीओसी.टीआरजी.	व्यवसायिक प्रशिक्षण
वीएसई	ग्राम एवं लघु उद्योग
डब्ल्यू सीडी	महिला एवं बाल विकास
डब्ल्यू ई	महिला सशक्तिकरण
डब्ल्यूआर	जनसंसाधन
टीएफएस	कौशल कार्यदल
टीए	जनजातीय मामले

सारांश

अध्यक्ष	- 1	एएस एंड एफए	- 1
उपाध्यक्ष	- 1	वरिष्ठ सलाहकार	- 6
राज्यमंत्री	- 1	वरिष्ठ परामर्शदाता	- 2
सदस्य (8+5)	- 13	सलाहकार	- 18
सचिव	- 1	संयुक्त सचिव	- 2
प्रधान सलाहकार	- 6		
विशेष परामर्शदाता	- 1	कुल	- 53